SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन
मार्च 2024 को समाप्त अवधि हेतु

मध्य प्रदेश शासन
2026 का प्रतिवेदन संख्या-3
(अनुपालन लेखापरीक्षा – सिविल)

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन
मार्च 2024 को समाप्त अवधि हेतु

मध्य प्रदेश शासन

2026 का प्रतिवेदन संख्या-3

विषय सूची

विवरण	कंडिका संख्या	पृष्ठ संख्या
प्राक्कथन		v
अध्याय I- विहंगावलोकन		
इस प्रतिवेदन के विषय में	1.1	1
लेखापरीक्षित इकाईयों की रूपरेखा	1.2	1
महालेखाकार (लेखापरीक्षा-प्रथम) का कार्यालय	1.3	2
लेखापरीक्षा का प्राधिकार	1.4	3
लेखापरीक्षा की योजना एवं संचालन	1.5	3
लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर विभागों की प्रतिक्रिया	1.6	5
महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा प्रेक्षण	1.7	6
अभिस्वीकृति	1.8	14
अध्याय II: अनुपालन लेखापरीक्षा		
लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग		
"राज्य में मानसिक स्वास्थ्य देखभाल संस्थानों की कार्यप्रणाली" पर लेखापरीक्षा	2.1	16
उच्च शिक्षा विभाग		
"जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की कार्यप्रणाली" पर लेखापरीक्षा	2.2	42
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग		
"श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन" की लेखापरीक्षा	2.3	76

परिशिष्टों की सूची

परिशिष्ट संख्या	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.1	लेखापरीक्षा-प्रथम के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अंतर्गत विभाग द्वारा उपयोग किए जाने वाले आई.टी. अनुप्रयोगों का विवरण	103
1.2	विभाग-वार लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं कंडिकाओं का विवरण	108
1.3	ई.एन. के लिए लंबित कंडिकाओं का विभाग-वार विवरण	109
1.4	31 मार्च 2025 की स्थिति में मध्य प्रदेश शासन से प्राप्त किए जाने वाले पी.ए.सी. की अनुशंसाओं पर कार्यवाही टिप्पणियाँ (ए.टी.एन.)	110
2.1.1	लेखापरीक्षा के लिए चयनित जिलों एवं अस्पतालों तथा नमूनाकरण पद्धति को दर्शाने वाला विवरण	111
2.1.2	एम.एच. एक्ट की धारा 46 के अनुसार एस.एम.एच.ए. के सदस्यों का विवरण एवं मध्य प्रदेश शासन द्वारा एस.एम.एच.ए के सदस्यों के नामांकन की स्थिति	112
2.1.3	अपंजीकृत एम.एच.ई का विवरण	113
2.1.4	एम.एच.ई के पंजीकरण में विलंब (निर्धारित 10 दिवसों से अधिक) को दर्शाने वाला विवरण	114
2.1.5	एम.एच.ई की सूचना के प्रकाशन में विलंब (एम.एच. ऐक्ट के अनुसार 45 दिवसों की निर्धारित अवधि से परे) को दर्शाने वाला विवरण	116
2.1.6	एन.एम.एच.पी. के अंतर्गत गतिविधि-वार निधि उपयोग का विवरण	118
2.1.7	उन जिलों का विवरण जहां जागरूकता सेमिनार आयोजित नहीं किए गए थे	121
2.1.8	2021-24 के दौरान नमूना जांच किए गए एम.एच.ई में आवश्यक औषधियों की अनुपलब्धता को दर्शाने वाला विवरण	122
2.1.9	2021-24 के दौरान चयनित जी.एम.सी में न्यूनतम आवश्यक उपकरणों की अनुपलब्धता को दर्शाने वाला विवरण	123
2.1.10	जी.एम.एच., जी.एम.सी. एवं जिला अस्पताल-वार पदों का विवरण जहाँ रिक्तियां मौजूद थी (मार्च 2024 तक)	126
2.1.11	एम.एस.आर. 2020 के अनुसार आवश्यक पदों की स्थिति, मध्य प्रदेश शासन द्वारा स्वीकृत पद तथा उनके विरूद्ध मार्च 2024 तक जी.एम.सी में पदस्थापना	130
2.1.12	संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान चयनित एम.एच.ई में अनुपलब्ध सुविधाओं का विवरण	131

परिशिष्ट संख्या	विवरण	पृष्ठ संख्या
2.1.13	15 मिनट के निर्धारित न्यूनतम समय के भीतर डिस्कनेक्ट की गई कॉल का विवरण	132
2.1.14	मार्च 2024 तक एस.एम.एच.ए. में मानव संसाधन की स्थिति	132
2.2.1	चयनित विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग तथा शासकीय महाविद्यालयों की सूची	133
2.2.2	नमूना जाँच किए गए संबद्धता का विवरण (2021-24)	134
2.2.3	वर्ष 2021-24 के दौरान निरीक्षण दल द्वारा निजी महाविद्यालयों के निरीक्षण का विवरण	135
2.2.4	निजी महाविद्यालयों में बुनियादी सुविधाओं का विवरण	138
2.2.5	वर्ष 2021-22 से 2023-24 के दौरान निजी महाविद्यालयों में बुनियादी सुविधाओं का विवरण	140
2.2.6	वर्ष 2021-22 से 2023-24 के दौरान जीवाजी विश्वविद्यालय द्वारा निरीक्षण दिनांक से विलम्ब के साथ संबद्धता प्रदान किए गए महाविद्यालयों का विवरण	142
2.2.7	जीवाजी विश्वविद्यालय द्वारा वर्ष 2021-22 से 2023-24 के दौरान महाविद्यालयों को बार-बार सशर्त संबद्धता प्रदान की गई	144
2.2.8	नमूना जांच किए गए महाविद्यालयों की समय सारणी के अनुसार व्याख्यान की महाविद्यालय-वार अवधि को दर्शाने वाला विवरण	145
2.2.9	परीक्षा आयोजित करने एवं परिणाम घोषणा में विलम्ब का विवरण	146
2.2.10	बीमा कवर नहीं किए गए एवं बीमा पॉलिसी प्राप्त नहीं होने का विवरण	147
2.2.11	शिक्षकों के स्वीकृत पद एवं पदस्थापना का विवरण	148
2.2.12	वर्ष 2023-24 में नियमित प्राचार्य सहित गैर-शिक्षण पदों की स्वीकृत एवं कार्यरत संख्या की स्थिति	149
2.2.13	नमूना जाँच किए गए महाविद्यालयों में मूलभूत अवसंरचना की उपलब्धता की स्थिति	150
2.2.14	चयनित विश्वविद्यालय शिक्षण विभागों में आधारभूत अवसंरचना की उपलब्धता की स्थिति	153
2.2.15	वर्ष 2021-24 के दौरान शीर्ष-वार अनुमानित तथा वास्तविक आय एवं व्यय	154
2.2.16	विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत निधि के कम उपयोग को दर्शाने वाला विवरण	154
2.3.1	क्लस्टरों का चयन	155

परिशिष्ट संख्या	विवरण	पृष्ठ संख्या
2.3.2	मिशन फ्रेमवर्क के अनुसार, संबंधित अभिसरण योजनाओं के साथ प्रमुख घटकों की सूची	156
2.3.3	क्लस्टरों में समेकित क्लस्टर कार्य योजना तथा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन के बीच भिन्नता दर्शाने वाला विवरण पत्रक	157
2.3.4	कृषि सेवा प्रसंस्करण एवं सम्बद्ध गतिविधियों से संबंधित गतिविधियों की सूची	158
2.3.5	नमूना जांच किए गए क्लस्टर में निर्मित परिसंपत्तियों का विवरण	160
2.3.6	सी.जी.एफ. से किए गए कार्यों का विवरण	162
2.3.7	चयनित क्लस्टरों में कार्यों के संयुक्त भौतिक सत्यापन का विवरण	164
2.3.8	चयनित क्लस्टरों में ₹ 5.00 लाख से अधिक लागत वाले कार्यों का विवरण	171
	संक्षिप्तों की शब्दावली	175

प्राक्कथन

यह प्रतिवेदन मार्च 2024 को समाप्त अवधि के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत राज्य की विधान सभा के समक्ष प्रस्तुत करने के लिये मध्य प्रदेश के राज्यपाल को सौंपने हेतु तैयार किया गया है।

यह प्रतिवेदन मध्य प्रदेश शासन के उच्च शिक्षा विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग की अनुपालन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणामों को समाहित करता है।

इस प्रतिवेदन में उल्लिखित प्रकरण उन प्रकरणों में से हैं जो अवधि 2024-25 के दौरान नमूना लेखापरीक्षा करने पर जानकारी में आये थे। प्रकरण जो पूर्व वर्षों में जानकारी में आ चुके थे परन्तु उन्हें पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित नहीं किया जा सका था, को भी सम्मिलित किया गया है। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2024-25 की अनुवर्ती अवधि से संबंधित प्रकरण भी यथास्थान आवश्यकतानुसार सम्मिलित किये गए हैं।

लेखापरीक्षा, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप की गई है।

यह अनुवादित संस्करण है। इस अनुवादित संस्करण में अंग्रेजी संस्करण से कोई भिन्नता पाए जाने पर, अंग्रेजी संस्करण में उद्धृत तथ्य मान्य होंगे।

अध्याय I

विहंगावलोकन

अध्याय-I: विहंगावलोकन

1.1 इस प्रतिवेदन के विषय में

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सी.ए.जी.) के इस प्रतिवेदन में मध्य प्रदेश शासन के विभिन्न लेखापरीक्षित विभागों की अनुपालन लेखापरीक्षा से उद्भूत प्रकरण शामिल है।

इस प्रतिवेदन का मूलभूत उद्देश्य लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण निष्कर्षों को राज्य विधानसभा के संज्ञान में लाना है। लेखापरीक्षा निष्कर्षों से कार्यपालिका को सुधारात्मक कार्रवाई करने, उचित नीतियों को तैयार करने के साथ-साथ निर्देश जारी करने में सक्षम बनाना अपेक्षित है जो संगठनों के बेहतर वित्तीय प्रबंधन को बढ़ावा देगा एवं बेहतर प्रशासन में योगदान देगा।

यह अध्याय लेखापरीक्षा की योजना एवं क्षेत्र, लेन-देनों की लेखापरीक्षा के दौरान लिए गए लेखापरीक्षा निष्कर्षों/प्रेक्षणों पर विभागों एवं शासन की प्रतिक्रिया तथा पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई को वर्णित करता है।

1.2 लेखापरीक्षित इकाईयों की रूपरेखा

मध्य प्रदेश शासन के 55 विभागों में से कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा-प्रथम), मध्य प्रदेश के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अंतर्गत लेखापरीक्षित 25[1] विभागों द्वारा तीन वर्ष 2021-24 की अवधि के दौरान के किये गए व्यय का सारांश नीचे दिया गया है:

तालिका: 1.1 व्यय का विभाग-वार सारांश

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	2021-22	2022-23	2023-24
1.	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	20367.12	23851.49	18695.90
2.	नगरीय विकास एवं आवास विभाग	14276.39	14987.80	13648.22
3.	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	9719.12	10426.28	11892.30
4.	आयुष विभाग	577.74	546.12	642.54
5.	चिकित्सा शिक्षा विभाग	2033.93	2742.15	3474.66
6.	जनजातीय कार्य विभाग	7364.68	9089.01	9732.82
7.	अनुसूचित जाति विकास विभाग	1488.06	1407.36	1223.15
8.	पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	1399.96	1514.38	1198.40
9.	विमुक्त घुमंतू एवं अर्द्ध घुमंतू विभाग	18.44	19.39	25.35
10.	महिला एवं बाल विकास विभाग	4774.85	5761.21	20438.83
11.	सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग	3787.15	4009.61	4531.33
12.	भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग	117.44	118.13	130.94
13.	स्कूल शिक्षा विभाग	22286.89	24433.90	29466.03
14.	उच्च शिक्षा विभाग	2736.97	2816.43	2725.28
15.	तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग	1127.88	1644.60	1826.09

[1] मध्य प्रदेश शासन के 55 विभागों में से शेष 30 विभाग प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II), मध्य प्रदेश, भोपाल के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार में हैं।

क्र. सं.	विभाग का नाम	2021-22	2022-23	2023-24
16.	खेल एवं युवा कल्याण विभाग	199.61	452.68	473.59
17.	श्रम विभाग	1601.76	1793.55	953.44
18.	गृह विभाग	7350.06	8659.59	8919.78
19.	जेल विभाग	447.13	519.93	542.49
20.	विधि एवं विधायी कार्य विभाग	1504.63	1870.63	2525.67
21.	सामान्य प्रशासन विभाग	668.83	846.57	809.91
22.	जनसंपर्क विभाग	369.88	648.78	1050.28
23.	राजस्व विभाग	7287.22	5861.38	6138.60
24.	संसदीय कार्य (राज्य विधान सभा) विभाग	78.47	92.68	91.39
25.	लोक सेवा प्रबंधन विभाग	47.49	70.50	101.74
	योग	**1,11,631.70**	**1,24,184.15**	**1,41,258.73**

स्रोत: संबंधित वर्षों के लिए मध्य प्रदेश शासन के विनियोग खाते

मध्य प्रदेश शासन के विभागों ने प्रशासन, पारदर्शिता तथा सेवा वितरण को बेहतर बनाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी (आई.टी.) अनुप्रयोगों को व्यापक रूप से अपनाया है। आई.टी. अनुप्रयोगों के माध्यम से नियमित प्रशासनिक प्रक्रियाओं को स्वचालित किया गया है, जिससे दस्तावेजों के दुरूपयोग में कमी आई है, कार्यकुशलता में वृद्धि हुई है और एक कागज रहित कार्य परिवेश को बढ़ावा दिया है। मध्य प्रदेश शासन के 25 विभागों में से 17 विभागों द्वारा कुल 147 आई.टी. अनुप्रयोगों का उपयोग किया जा रहा है। विभागों द्वारा उपयोग किए जाने वाले आई.टी. अनुप्रयोगों का विवरण ***परिशिष्ट 1.1*** में दिया गया है।

1.3 महालेखाकार (लेखापरीक्षा-प्रथम) का कार्यालय

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की ओर से महालेखाकार (लेखापरीक्षा-प्रथम), मध्य प्रदेश के कार्यालय द्वारा मध्य प्रदेश शासन के 55 विभागों में से 25 शीर्ष विभागों तथा उनके अधीन स्थानीय निकायों/ सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों/स्वायत्त निकायों की लेखापरीक्षा करने के लिए उत्तरदायी है। इनमें से वर्ष 2023-24 के दौरान, चार शीर्ष लेखापरीक्षित इकाई[2] की लेनदेन आधारित लेखापरीक्षा को शामिल किया गया। इसके अतिरिक्त, लगभग ₹ 59,166.15 करोड़ का व्यय, जो कुल व्यय का 41.89 प्रतिशत है, वर्ष 2023-24 के लिए किए गए लेखापरीक्षा के अधीन था।

महालेखाकार का कार्यालय

[2] प्रमुख सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, प्रमुख सचिव, गृह विभाग, प्रमुख सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग

1.4 लेखापरीक्षा का प्राधिकार

भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 से 151 सहपठित नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी.पी.सी. अधिनियम) से नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का लेखापरीक्षा का प्राधिकार उद्भूत है। नियंत्रक-महालेखापरीक्षक, डी.पी.सी. अधिनियम के निम्नलिखित प्रावधानों के आधार पर शासन के विभागों की लेखापरीक्षा करता है:

- व्यय की लेखापरीक्षा डी.पी.सी. अधिनियम की धारा 13[3] के अंतर्गत की जाती है;
- सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की लेखापरीक्षा डी.पी.सी. अधिनियम की धारा 19(1)[4] के अंतर्गत की जाती है;
- ***स्वायत्त निकायों*** की लेखापरीक्षा डी.पी.सी. अधिनियम की धारा 19(2)[5] एवं 20(1)[6] के अंतर्गत आयोजित की जाती है;
- ***स्थानीय निकायों*** की लेखापरीक्षा डी.पी.सी. अधिनियम की धारा 20(1) के अंतर्गत की जाती है;
- इसके अतिरिक्त, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा डी.पी.सी. अधिनियम की धारा 14[7] के अंतर्गत शासन द्वारा पर्याप्त रूप से वित्त पोषित ***अन्य स्वायत्त निकायों*** की लेखापरीक्षा भी की जाती है।

विभिन्न लेखापरीक्षाओं के लिए सिद्धांत एवं कार्यप्रणाली नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा अथवा उनकी ओर से जारी लेखापरीक्षा मानक तथा लेखा एवं लेखापरीक्षा विनियम सहित अन्य दिशा-निर्देशों, नियमावली एवं निर्देशों में निर्धारित हैं।

1.5 लेखापरीक्षा की योजना एवं संचालन

लेखापरीक्षा की योजना एवं संचालन तथा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तैयार करने की प्रक्रिया को निम्न प्रवाह चित्र दर्शाता है:

---

[3] (i) राज्य की संचित निधि से सभी लेन-देन (ii) आकस्मिकता निधि एवं सार्वजनिक खाते से संबंधित सभी लेनदेन और (iii) राज्य के किसी भी विभाग में रखे गए सभी व्यापार, विनिर्माण, लाभ और हानि खाते, बैलेंस शीट और अन्य सहायक खाते।

[4] सरकारी कंपनियों के लेखाओं की लेखापरीक्षा, कंपनी अधिनियम, 2013 के उपबंधों के अनुसार की जाती है।

[5] राज्य विधान सभा द्वारा बनाई गई विधि द्वारा या उसके अधीन स्थापित निगमों (जो कंपनियां न हों) के लेखाओं की, संबंधित विधान के उपबंधों के अनुसार लेखापरीक्षा।

[6] राज्यपाल के अनुरोध पर किसी निकाय या प्राधिकरण के लेखाओं की, ऐसे निबंधन एवं शर्तों पर जिन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक एवं शासन सहमत हों, की लेखापरीक्षा।

[7] (i) राज्य की संचित निधि से अनुदानों अथवा ऋणों से पर्याप्त वित्तपोषित निकाय/प्राधिकरण के प्राप्ति एवं व्यय तथा (ii) किसी निकाय अथवा प्राधिकरण जहाँ इन निकाय अथवा प्राधिकरण को राज्य की संचित निधि से एक वित्तीय वर्ष में ₹ एक करोड़ से कम का अनुदान अथवा ऋण प्रदत्त न हो, के प्राप्ति एवं व्यय की लेखापरीक्षा।

चित्र-1.1: लेखापरीक्षा की योजना एवं संचालन तथा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तैयार करना

जोखिम का आकलन - इकाईयों/योजनाओं आदि की लेखापरीक्षा के लिए योजना, जोखिम आकलन में शामिल कुछ मानदंडों पर आधारित है जैसे,

- किया गया व्यय
- लेखापरीक्षा का अंतराल
- गतिविधियों की महत्वपूर्णता/जटिलता
- शासन द्वारा गतिविधि के लिए दी गई प्राथमिकता
- प्रत्यायोजित वित्तीय शक्तियों का स्तर
- आंतरिक नियंत्रणों का आकलन
- हितधारकों का हित, आदि

लेखापरीक्षा की योजना में विनिश्चित करना शामिल है

- लेखापरीक्षा का क्षेत्र एवं प्रकार - वित्तीय, अनुपालन एवं निष्पादन लेखापरीक्षा
- लेखापरीक्षा उद्देश्य, लेखापरीक्षा क्षेत्र एवं पद्धति
- विस्तृत लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षा इकाईयों एवं लेन-देनों का नमूना चयन

निरीक्षण प्रतिवेदन निम्न आधार पर जारी किये जाते हैं

- अभिलेखों की संवीक्षा/आँकड़ों का विश्लेषण
- लेखापरीक्षा साक्ष्य की जांच
- लेखापरीक्षा पूछताछ पर प्रस्तुत उत्तर/सूचना
- इकाई प्रमुख/स्थानीय प्रबंधन से चर्चा

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तैयार किया जाता है

- महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा प्रेक्षण जो निरीक्षण प्रतिवेदनो या प्रारूप निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनो/अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनो में सम्मिलित हों
- लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर विभाग/शासन की प्रतिक्रिया को ध्यान में रखते हुए, एवं
- राज्य विधानसभा पटल पर प्रस्तुतीकरण हेतु राज्यपाल को सौंपा जाना।

प्रत्येक इकाई की अनुपालन लेखापरीक्षा पूर्ण होने के बाद, निरीक्षण प्रतिवेदन की प्राप्ति के एक माह के अंदर उत्तर प्रस्तुत करने के अनुरोध के साथ निरीक्षण प्रतिवेदन लेखापरीक्षा निष्कर्षों को समाहित करते हुए इकाई प्रमुख को जारी किया जाता है। जब उत्तर प्राप्त होते हैं, लेखापरीक्षा निष्कर्ष या तो निराकृत हो जाते हैं या अनुपालन के लिए आगामी कार्यवाही करने की सलाह दी

जाती है। इन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनो में उल्लिखित महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा प्रेक्षणों, जिन पर शासन में उच्चतम स्तर पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता होती है, प्रतिक्रियाओं पर समुचित विचारोपरांत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में संभावित समावेश से पूर्व, शासन को उनकी प्रतिक्रिया के लिए प्रारूप कंडिकाओं के रूप में जारी किये जाते हैं। इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में संभावित समावेश के पूर्व, विशिष्ट मुद्दों, विषयों, योजनाओं पर अनुपालन लेखापरीक्षा के प्रारूप भी शासन को उनकी प्रतिक्रिया के लिए जारी किये जाते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत ये लेखापरीक्षा प्रतिवेदन मध्य प्रदेश के राज्यपाल को राज्य विधान सभा के पटल पर प्रस्तुत कराये जाने हेतु सौंपे जाते हैं।

1.6 लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर विभागों की प्रतिक्रिया

1.6.1 पूर्व निरीक्षण प्रतिवेदनों पर प्रतिक्रिया

कार्यालय के प्रमुखों एवं अगले उच्चतर प्राधिकारियों को निरक्षण प्रतिवेदनों में समाहित प्रेक्षणों पर प्रतिक्रिया देना तथा उचित सुधारात्मक कार्रवाई करना आवश्यक है। निरीक्षण प्रतिवेदनों में संसूचित लेखापरीक्षा प्रेक्षणों पर आवधिक अन्तरालों पर जिला/ राज्य स्तर पर महालेखाकार कार्यालय के अधिकारियों की संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ लेखापरीक्षा समिति की बैठकों में भी चर्चा होती है।

मार्च 2025 की स्थिति में, पूर्व वर्षों से संबंधित 13,771 निरीक्षण प्रतिवेदनों में समाहित 56,244 कंडिकाए लंबित थी, जैसा नीचे वर्णित है। इनमें से 1,420 निरीक्षण प्रतिवेदनों में समाहित 12,211 कंडिकाओं (21.71 प्रतिशत) के संबंध में प्रारंभिक उत्तर प्राप्त नहीं हुए। विभागवार विवरण ***परिशिष्ट 1.2*** में दिया गया है।

तालिका-1.2 पिछले निरीक्षण प्रतिवेदनों की कंडिकाओं के जवाब

वर्ष	31 मार्च 2025 की स्थिति में निराकरण हेतु लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों / कंडिकाओं की संख्या		31 मार्च 2025 की स्थिति में निरीक्षण प्रतिवेदनों / कंडिकाएँ जिन पर प्रारंभिक उत्तर भी प्राप्त नहीं हुए	
	निरीक्षण प्रतिवेदन	कंडिका	निरीक्षण प्रतिवेदन	कंडिका
2019-20 एवं पूर्व वर्षों में	13,532	51,079	1,208	7,344
2020-21	59	381	53	359
2021-22	24	453	17	269
2022-23	68	3,442	67	3,432
2023-24	88	889	75	807
योग	**13,771**	**56,244**	**1,420**	**12,211**

स्रोत: महालेखाकार कार्यालय (लेखापरीक्षा-प्रथम), मध्य प्रदेश द्वारा संधारित अभिलेख

निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं लेखापरीक्षा कंडिकाओं पर कार्रवाई की कमी इन प्रतिवेदनों में बताई गई गंभीर वित्तीय अनियमितताओं के बने रहने के जोखिम को दर्शाता है। इसके परिणामस्वरूप शासकीय प्रक्रिया में आंतरिक नियंत्रण की कमी, सार्वजनिक वस्तुओं/सेवाओं का अक्षम एवं अप्रभावी प्रदाय, कपट, भ्रष्टाचार एवं शासकीय कोष को नुकसान हो सकता है। इसलिए, राज्य शासन को इन निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं लेखापरीक्षा कंडिकाओं की समीक्षा करने के लिए एवं उनमें चिन्हित प्रकरणों पर त्वरित कार्रवाई करने के लिए एक उपयुक्त तंत्र स्थापित करने की आवश्यकता है।

1.6.2 लेखापरीक्षा प्रेक्षणों पर शासन की प्रतिक्रिया

सभी विभागों को नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में सम्मिलित किये जाने हेतु प्रस्तावित प्रारूप निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों/अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों/प्रारूप लेखापरीक्षा कंडिकाओं पर इनकी प्राप्ति से विनिर्दिष्ट समयावधि[8] के भीतर

[8] लेखापरीक्षा और लेखा विनियम 2020 की कंडिका 137 एवं 138 के अनुसार।

अपनी प्रतिक्रिया प्रेषित करना आवश्यक है। हमने तीन अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संबंधित विभागों[9] के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिवों को भेजी, लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर उनका ध्यान आकृष्ट करने के लिए चार सप्ताह के भीतर अपनी प्रतिक्रिया प्रेषित करने के अनुरोध के साथ प्रेषित किए। यह उनके व्यक्तिगत ध्यान में यह लाया गया था कि इन कंडिकाओं को भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, जिसे राज्य विधान सभा के समक्ष रखा जाएगा, में शामिल किया जाना है एवं लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर उनकी टिप्पणियों/प्रतिक्रियाओं को शामिल किया जाना वांछनीय होगा। विभागों द्वारा अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर प्रस्तुत प्रत्युत्तरों को उचित रूप से प्रतिवेदन में शामिल किया गया है।

1.6.3 पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित लेखापरीक्षा कंडिकाओं पर शासन की प्रतिक्रिया

प्रशासनिक विभागों को लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित कंडिकाओं एवं समीक्षाओं पर उनके राज्य विधान सभा में प्रस्तुत होने के तीन माह[10] के भीतर, की गई अथवा प्रस्तावित कार्रवाई को अंकित करते हुए व्याख्यात्मक टिप्पणियां (ई.एन.) प्रस्तुत करना आवश्यक है। इस प्रयोजन के लिए, विभागों को लोक लेखा समिति से किसी सूचना अथवा मांग की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। 31 मार्च 2025 की स्थिति में, वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 तक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित आठ विभागों की 227 कंडिकाओं/निष्पादन लेखापरीक्षा समीक्षा पर व्याख्यात्मक टिप्पणी अप्राप्त थी। विवरण ***परिशिष्ट-1.3*** में दिया गया है।

1.6.4 लोक लेखा समिति की अनुशंसाओं पर शासन की प्रतिक्रिया

प्रशासकीय विभागों को लोक लेखा समिति (पी.ए.सी.) सिफारिशों पर प्राप्ति की दिनांक से छह माह[11] के भीतर कार्यवाही टिप्पणी (ए.टी.एन.) प्रस्तुत करना आवश्यक हैं। मार्च 2025 की स्थिति में, आठ विभागों के संबंध में लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की 47 कंडिकाओं पर 22 ए.टी.एन. अप्राप्त थे। विवरण ***परिशिष्ट 1.4*** में दिया गया है।

1.7 महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा प्रेक्षण

यह प्रतिवेदन वर्ष 2023-24 के दौरान मध्य प्रदेश शासन के तीन विभागों[12] के लेखाओं एवं लेनदेन की नमूना जाँच से उद्धृत तीन अनुपालन लेखापरीक्षा से सम्बंधित लेखापरीक्षा निष्कर्षों को समाहित करता है।

प्रतिवेदन में सम्मिलित लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणामों का सार नीचे दिया गया हैं।

1.7.1 "राज्य में मानसिक स्वास्थ्य देखभाल संस्थानों के कार्यप्रणाली" पर लेखापरीक्षा

मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017 मानसिक बीमारी से ग्रसित व्यक्तियों हेतु देखभाल तथा अधिकारों को सुनिश्चित करता है। मध्य प्रदेश शासन ने मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों एवं प्रोफेशनल्स को पंजीकृत करने तथा उनकी निगरानी करने, मानदंड निर्धारित करने, शिकायतों का निपटान करने एवं कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने हेतु वर्ष 2020 में राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण की स्थापना की। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण (2015-16) में पाया गया कि राज्य की 13.90 प्रतिशत जनसंख्या मानसिक बीमारी से प्रभावित थी, जो कि राष्ट्रीय औसत (10.70 प्रतिशत) से अधिक थी, साथ ही मनोचिकित्सकों तथा बुनियादी

---

[9] उच्च शिक्षा विभाग, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग।

[10] भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा रिपोर्टों पर राज्य सरकारों की प्रतिक्रिया की समीक्षा करने के लिए नियुक्त उच्चाधिकार प्राप्त समिति के प्रतिवेदन की कंडिका 430 के अनुसार।

[11] भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर राज्य सरकारों की प्रतिक्रिया की समीक्षा करने के लिए नियुक्त उच्चाधिकार प्राप्त समिति की रिपोर्ट के पैरा 433 के अनुसार।

[12] उच्च शिक्षा विभाग, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग।

ढांचे की भारी कमी देखी गई। लेखापरीक्षा ने राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण के गठन के बाद मानसिक स्वास्थ्य देखभाल में हुए सुधारों की समीक्षा की।

प्रमुख लेखापरीक्षा निष्कर्ष निम्नानुसार हैं:

राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण का गठन दो वर्ष तथा सात माह के विलंब (सितंबर 2020) से किया गया था एवं यह पूरी तरह से क्रियाशील (जुलाई 2025) नहीं था । मध्य प्रदेश शासन ने राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण की गतिविधियों के निष्पादन हेतु राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण कोष बनाया (जनवरी 2021) तथा वर्ष 2020-24 के दौरान ₹ 2.40 करोड़ जारी किए। हालांकि, 2020-22 के दौरान कोई व्यय नहीं किया गया एवं 2022-24 के दौरान 46 से 89 प्रतिशत तक की धनराशि अनुपयुक्त रही। अपने गठन के चार वर्ष बाद भी, राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण में 15 में से केवल चार सदस्यों को ही नामित किया गया था, कोई भी मानसिक स्वास्थ्य समीक्षा बोर्ड या मानसिक स्वास्थ्य प्रोफेशनल्स पंजीकृत नहीं किए गए थे, तथा मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों (एम.एच.ई.) के पंजीकरण, नवीनीकरण एवं न्यूनतम मानकों के प्रवर्तन हेतु कोई राज्य-विशिष्ट नियम नहीं बनाए गए थे। 163 मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों में से केवल 82 (50 प्रतिशत) को अनंतिम रूप से पंजीकृत किया गया था; जबकि शेष 81 बिना पंजीकरण के चल रहे थे।

(कंडिका 2.1.5)

स्कूल शिक्षकों, मनो-सामाजिक समस्याओं एवं मानसिक रुग्णता का सामना कर रहे स्कूल से बाहर के बच्चों के साथ-साथ ग्राम पंचायतों तथा ब्लॉक पंचायतों के सदस्यों हेतु मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम के तहत अनिवार्य प्रशिक्षण एवं जागरूकता गतिविधियाँ लागू नहीं की गईं, क्योंकि नियोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों को वार्षिक कार्य योजनाओं (2021-24) से बाहर रखा गया था। जून 2024 तक ₹ 43.89 लाख की आई.ई.सी. एवं जागरूकता निधि अनुपयुक्त रही तथा परीक्षण हेतु चुने गए जिलों में सेमिनारों एवं काउंसलिंग सत्रों में कमी देखी गई।

(कंडिका 2.1.6)

वर्ष 2021-24 के दौरान एक से 36 माह की अवधि हेतु नमूना जांच किये गए शासकीय मानसिक चिकित्सालयों, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों, जिला चिकित्सालयों एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में आवश्यक औषधियाँ उपलब्ध नहीं थीं। वर्ष 2021-24 के दौरान चयनित पाँच शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के मानदंडों के अनुसार आवश्यक उपकरणों की अनुपलब्धता भी देखी गई, जिसमें 47 से 100 प्रतिशत तक की कमी रही।

(कंडिकाएं 2.1.7.1 एवं 2.1.7.2)

परीक्षण हेतु चुने गए शासकीय मानसिक चिकित्सालयों, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों तथा जिला अस्पतालों में बुनियादी सुविधाएं अपर्याप्त पाई गईं, जिनमें मानसिक रूप से बीमार रोगियों हेतु न्यूनतम आवश्यक सुविधाओं का अभाव था, जिसमें उचित शौचालय स्वच्छता, अलग शैय्या एवं तकिए, पुरुष तथा महिला रोगियों हेतु निर्दिष्ट वार्ड तथा शौचालय, एवं सुरक्षित पेयजल तक पहुंच शामिल थी। इसके अतिरिक्त, नमूना जांच किये गए किसी भी मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों में नाबालिगों हेतु पृथक आवास व्यवस्था नहीं थी।

(कंडिकाएं 2.1.7.5 एवं 2.1.7.9)

नमूना जांच किये गए मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों में मानव संसाधन की कमी (मार्च 2024 तक) 13 से 67 प्रतिशत के बीच थी।

(कंडिका 2.1.7.3)

ग्वालियर में पुरुषों हेतु गृह-आधारित पुनर्वास केंद्र की स्थापना न होने तथा ग्वालियर एवं इंदौर में कम बेड क्षमता के साथ महिलाओं हेतु गृह-आधारित पुनर्वास केंद्र की स्थापना के कारण, 105 स्वस्थ हो चुके रोगियों को मानसिक रूप से बीमार रोगियों के साथ रहने हेतु विवश होना पड़ा, जिससे उनकी सुरक्षा से समझौता हुआ।

(कंडिका 2.1.7.7)

चार मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों में चिकित्सीय सलाह के विरुद्ध प्रस्थान (लामा) एवं भागे हुए मानसिक रोगियों के कुल 409 मामले दर्ज किए गए। हालांकि, इन संस्थानों में उपचार की निरंतरता सुनिश्चित करने हेतु लामा तथा भागे हुए रोगियों को ट्रैक करने के लिए कोई तंत्र उपलब्ध नहीं था।

(कंडिका 2.1.7.11)

राज्यों में टेली मानसिक स्वास्थ्य सहायता एवं नेटवर्किंग (टेली मानस) कार्यक्रम में कमियां देखी गईं, जिसमें अक्टूबर 2022 से मार्च 2024 के दौरान 16 प्रतिशत कॉल अनुत्तरित रहे।

(कंडिका 2.1.7.13)

अपने गठन (सितंबर 2020) के बाद से आवश्यक 14 बैठकों के विरुद्ध, राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण ने केवल एक बैठक (दिसंबर 2020) आयोजित की। राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण ने संस्थानों द्वारा न्यूनतम मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु पंजीकृत मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों का प्रत्येक तीन वर्ष में अनिवार्य ऑडिट नहीं किया। इसने वर्ष 2021-24 की अवधि हेतु वार्षिक रिपोर्ट भी तैयार नहीं की, जिसे राज्य विधानसभा के समक्ष रखा जाना आवश्यक था। इसके अतिरिक्त, परीक्षण हेतु चुने गए जिला चिकित्सालयों ने नियोजित गतिविधियों का वार्षिक कैलेंडर राज्य को नहीं भेजा। इन कमियों के परिणामस्वरूप राज्य में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की निगरानी कमजोर एवं अप्रभावी रही।

(कंडिका 2.1.8)

अनुशंसाओं का सारांश

मध्य प्रदेश शासन यह सुनिश्चित करे कि:

- *एम.एच. एक्ट के प्रावधानों के अनुरूप राज्य-विशिष्ट विनियम बनाते हुए मानसिक स्वास्थ्य प्रोफेशनल्स का पंजीकरण, एम.एच.ई. का वर्गीकरण तथा एम.एच.आर.बी. का गठन किया जाए।*
- *नियोजित क्रियाकलापों के क्रियान्वयन एवं योजना के अनुसार जागरूकता क्रियाकलापों के आयोजन के लिए जिलों में ए.डब्ल्यू.पी. का समय पर प्रसारण किया जाए*
- *औषधियों एवं उपकरणों की उपलब्धता की रियल टाइम निगरानी के लिए एक डैशबोर्ड विकसित किया जाए।*
- *समयबद्ध तरीके से रिक्त पदों को भरा जाए तथा नाबालिगों के लिए पृथक आवास की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।*
- *लामा, भाग गए एवं डिस्चार्ज मरीजों के लिए फॉलो-अप तंत्र को सुदृढ़ किया जाए तथा अधिक सुलभ सेवाएँ प्रदान करने हेतु टेली-मानस के प्रदर्शन में सुधार किया जाए।*
- *राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण की बैठकों का नियमानुसार आयोजन, एम.एच.ई. का पर्यवेक्षण, निर्धारित मानक के अनुसार राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण में स्टाफ की पदस्थापना तथा निगरानी तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए वार्षिक रिपोर्ट/कैलेंडर की तैयारी सुनिश्चित की जाए।*

1.7.2 जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की कार्यप्रणाली पर लेखापरीक्षा

जीवाजी विश्वविद्यालय (विश्वविद्यालय), ग्वालियर की स्थापना वर्ष 1964 में हुई थी एवं यह मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (अधिनियम) द्वारा शासित है। विश्वविद्यालय का अधिकार क्षेत्र राज्य के आठ जिलों में फैला हुआ है। मार्च 2024 तक, 449 महाविद्यालय (77 शासकीय महाविद्यालयों सहित) विश्वविद्यालय से संबद्ध हैं। शैक्षणिक सत्र 2023-24 के दौरान, विश्वविद्यालय के विभागों में 3,661 छात्र तथा संबद्ध महाविद्यालयों में 1.16 लाख छात्र नामांकित थे। राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (एन.ए.ए.सी.) ने विश्वविद्यालय को A++ ग्रेड से मान्यता दी हुई है (अप्रैल 2023)।

हमने 2021-22 से 2023-24 तक की अवधि को सम्मिलित करते हुए विश्वविद्यालय की लेखापरीक्षा की। लेखापरीक्षा के दौरान विश्वविद्यालय में महत्वपूर्ण प्रशासनिक, शैक्षणिक एवं वित्तीय कमियां देखी गई -

अच्छी प्रथाएं

लेखापरीक्षा में विश्वविद्यालय द्वारा लागू की गई कई अच्छी प्रथाओं का अवलोकन किया गया, जिनमें शामिल हैं:

- छात्रों की शिकायतों को कुशलतापूर्वक दूर करने एवं उनका समाधान करने के लिए एक टोल-फ्री नंबर का प्रावधान।
- विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर व्यापक जानकारी दी गई है जिसमें प्रवेश एवं शुल्क विवरण, शैक्षणिक कार्यक्रम, अनुसंधान गतिविधियां, छात्र जीवन, पूर्व छात्रों की सहभागिता तथा नोटिस बोर्ड अद्यतन करना शामिल है।
- समुदाय के भीतर मधुमेह के बारे में शीघ्र पहचान, प्रभावी प्रबंधन एवं जागरूकता बढ़ाने को बढ़ावा देने के लिए स्वास्थ्य केंद्र में प्रत्येक रविवार को मधुमेह स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जाता है।

प्रमुख लेखापरीक्षा निष्कर्ष नीचे दिए गए हैं:

विश्वविद्यालय के परिनियम 27 में यह प्रावधान है कि महाविद्यालयों का निरीक्षण कुलपति द्वारा नामित समिति द्वारा किया जाएगा। हालांकि, वर्ष 2021-24 के दौरान विश्वविद्यालय द्वारा ऐसी कोई औपचारिक समिति का गठन नहीं किया गया था।

(कंडिका 2.2.2.1 (i))

नमूना जांच किए गए 31 महाविद्यालयों में संबद्धता के लिए न्यूनतम निर्धारित आवश्यकताओं को पूरा करने में कमी देखी गई, जिसमें भूमि क्षेत्र, पुस्तकालय में पुस्तकें, उपकरण के साथ प्रयोगशालाएं एवं खेल, कैंटीन, स्वास्थ्य देखरेख, शौचालय, पार्किंग सुविधाओं के साथ-साथ संरक्षा एवं सुरक्षा उपाय भी शामिल हैं।

(कंडिका 2.2.2.1(ii))

शिक्षकों एवं प्राचार्यों की नियुक्ति परिनियम में निर्धारित चयन समिति के स्थान पर 23 संबद्ध महाविद्यालयों की प्रबंधन समिति द्वारा की गई थी। इसके अलावा, वर्ष 2021-24 के दौरान 29 महाविद्यालयों को संबद्धता देने में विलम्ब देखी गई, जो 49 से 417 दिवसों के बीच थी।

(कंडिकाएं 2.2.2.1 (iii) एवं (iv))

नमूना जांच किए गए 22 में से 17 महाविद्यालयों ने एक घंटे की निर्धारित न्यूनतम व्याख्यान अवधि का पालन नहीं किया।

(कंडिका 2.2.2.2 (ii))

वर्ष 2021-24 के दौरान चार महाविद्यालयों में विधि पाठ्यक्रम चलाने के लिए भारतीय विधिज्ञ परिषद् (बी.सी.आई.) से सत्र शुरू होने अथवा अंतिम प्रवेश तिथियों से पूर्व आवश्यक अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया था। इसके अलावा, तीन महाविद्यालयों दतिया, ग्वालियर एवं शिवपुरी में वर्ष 2023-24 के लिए अनिवार्य बी.सी.आई. अनुमोदन अभी भी लंबित (मार्च 2025) था, जहां 238 छात्रों को प्रवेश दिया गया था।

(कंडिका 2.2.2.3 (i))

दो स्नातक एवं पाँच स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के अंतर्गत दूरस्थ शिक्षा में वर्ष 2021–24 के दौरान 597 विद्यार्थियों का नामांकन हुआ। जबकि वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 में प्रथम वर्ष के प्रवेशित छात्रों के लिए परीक्षाएं आयोजित की गई थीं, द्वितीय वर्ष के स्नातक तथा अंतिम वर्ष के स्नातकोत्तर छात्रों के लिए परीक्षाएं आयोजित नहीं की गई थीं। आगे, शैक्षणिक वर्ष 2023-24 के स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए परीक्षाएं भी दिसंबर 2024 तक आयोजित नहीं की गई थीं।

(कंडिका 2.2.2.5)

अनुबंध के खंड 4 के अनुसार निम्न-गुणवत्ता वाली उत्तर पुस्तिकाओं की आपूर्ति के लिए पूरी लागत (₹1.12 करोड़) की वसूली के बजाय, विश्वविद्यालय ने दोनों फर्मों के कुल देयकों में से आपूर्ति की लागत का केवल पांच प्रतिशत (₹ 4.99 लाख) कटौती की।

(कंडिका 2.2.2.6(i))

शैक्षणिक वर्ष 2021-22 से 2023-24 के दौरान परीक्षाओं के संचालन में चार से 161 दिनों तक विलम्ब एवं परिणाम घोषित करने में विलम्ब निर्धारित समय सीमा से 19 से 380 दिनों तक थी, जिससे शैक्षणिक कैलेंडर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा तथा छात्रों के भविष्य के करियर की संभावनाओं एवं उच्च शिक्षा योजनाओं पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। विश्वविद्यालय ने डिजीलॉकर में डिग्री प्रमाण पत्र अपलोड करने की सुविधा लागू नहीं की थी। वर्ष 2021-24 के दौरान 2.43 लाख उत्तीर्ण छात्रों में से 14,870 छात्रों को डिग्री जारी की गई।

(कंडिकाएं 2.2.2.6 (ii) एवं 2.2.2.6 (iii))

विश्वविद्यालय एवं नमूना जांच किए गए महाविद्यालयों में महत्वपूर्ण शिक्षण (72 एवं 42 प्रतिशत) तथा गैर-शिक्षण पद (34 एवं 51 प्रतिशत) रिक्त थे। पर्याप्त अवसंरचना एवं आवश्यक सुविधाएं जैसे - फर्नीचर, प्रयोगशाला उपकरण तथा सुरक्षा उपाय आदि शैक्षणिक मानकों को बनाए रखने के लिए संबद्ध महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालय में उपलब्ध नहीं थे।

(कंडिकाएं 2.2.3.1 (ii से iv) एवं 2.2.3.2 (ii))

वर्ष 2021-24 के दौरान वास्तविक आय में महत्वपूर्ण कमी (26 से 44 प्रतिशत) एवं व्यय में पर्याप्त बचत (44 से 54 प्रतिशत) अवास्तविक बजट अनुमानों को दर्शाता है, जो बजट तैयार करने के दौरान विश्वविद्यालय विभागों से आय एवं व्यय की मांगों की अनुपस्थिति से और अधिक प्रमाणित होती है।

(कंडिका 2.2.4.1)

विश्वविद्यालय का वार्षिक लेखा तैयार करने के लिए आवश्यक मानक प्रारूप राज्य शासन द्वारा निर्धारित नहीं किए गए थे। विश्वविद्यालय का आय एवं व्यय लेखा नकद आधार पर तैयार किया गया था। मार्च 2024 तक 29 सावधि जमा प्राप्तियां (एफ.डी.आर.) में ₹306.31 करोड़ का निवेश किया गया था। हालांकि, विश्वविद्यालय के पास वित्तीय निर्णय लेने की रणनीतिक सुनिश्चित करने के लिए अधिशेष निधियों के निवेश के लिए कोई नीति नहीं थी।

(कंडिका 2.2.4.2)

मध्य प्रदेश शासन ने विश्वविद्यालय के सात विभागों में आठ घटकों के तहत उत्कृष्ट केंद्रों की स्थापना के लिए ₹16.49 करोड़ तथा एक प्लेसमेंट सेल को मंजूरी दी, जिसमें गतिविधियां दिसंबर 2020 तक पूर्ण की जाने वाली थी। इसके विरुद्ध, उच्च शिक्षा विभाग ने ₹ 8.35 करोड़ (51 प्रतिशत) जारी किए, जिसमें से विश्वविद्यालय ने दिसंबर 2024 तक ₹2.40 करोड़ का उपयोग किया। मुख्य रूप से क्रय प्रक्रिया में विलम्ब के कारण शेष राशि ₹ 5.95 करोड़ (71 प्रतिशत) अप्रयुक्त पड़ी रही।

(कंडिका 2.2.4.4 (i))

विश्वविद्यालय ने परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना (डी.सी.पी.एस.) को लागू नहीं किया। अवधि 2021-24 के दौरान, इसने 429 कर्मचारियों से कर्मचारी एवं नियोक्ता अंशदान के लिए ₹11.43 करोड़ संग्रहित किए, लेकिन नियमों के विपरीत नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एन.एस.डी.एल.) के पास राशि जमा नहीं की। इसके बजाय, अंशदान को व्यक्तिगत संयुक्त बचत बैंक खातों में (कर्मचारी एवं कुलसचिव के नामों पर) रखा गया। इस पर 2.80 से 3.00 प्रतिशत तक की दरों पर ब्याज अर्जित किया गया, जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 2021-24 की अवधि के दौरान 429 कर्मचारियों को ₹1.08 करोड़ का संभावित नुकसान हुआ।

(कंडिका 2.2.4.5)

विश्वविद्यालय ने पांच रोकड़ बही से जुड़े 36 बैंक खातों का संचालन किया। हालांकि, कोई मिलान नहीं किया गया था एवं मार्च 2024 तक बैंक स्टेटमेंट तथा संबंधित रोकड़ बही के अनुसार शेष के बीच ₹7.79 करोड़ का अंतर देखा गया। इसके अलावा, एम.पी. ऑनलाइन के माध्यम से प्राप्त शुल्क, साथ ही चालान अथवा डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से एकत्र की गयी शुल्क का विश्वविद्यालय के अभिलेख के आधार पर वास्तविक प्राप्ति योग्य राशि के साथ मिलान नहीं किया गया था।

(कंडिका 2.2.4.6)

विश्वविद्यालय ने पाठ्यक्रम पूरा होने के बाद जमानत राशि की स्वप्रेरित वापसी के लिए तंत्र विकसित नहीं किया था। छात्रों से आवेदन प्राप्त होने पर विश्वविद्यालय द्वारा वापस की गई थी।

(कंडिका 2.2.4.7)

आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा की स्थापना नहीं की गई थी। एक आंतरिक लेखापरीक्षा तंत्र के अभाव में, विश्वविद्यालय में वित्तीय गतिविधियों की निगरानी के लिए एक व्यवस्थित तरीकाब का अभाव था, जिससे वित्तीय अनियमितताओं को रोकने अथवा पता लगाने की इसकी क्षमता सीमित हो गई। इसके अलावा, विश्वविद्यालय में केन्द्रीय मूल्यांकन समिति का गठन नहीं किया गया था, जिससे यह पता चलता है कि स्व-वित्तपोषित पाठ्यक्रमों के निष्पादन की समीक्षा तथा जांच नहीं की गई थी।

(कंडिकाएं 2.2.5.1 एवं 2.2.5.2)

अनुशंसाओं का सारांश

विश्वविद्यालय यह सुनिश्चित करे कि

- *अतिथि संकाय पर अत्यधिक निर्भरता को कम करने एवं संचालन की निरंतरता बनाए रखने के लिए शिक्षण तथा गैर-शिक्षण स्टाफ की समयोचित भर्ती की जाए*
- *संबद्ध महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक मानकों को बनाए रखने के लिए पर्याप्त अवसंरचना तथा आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध हैं*

- *उपार्जन आधारित वार्षिक लेखों के लिए मानकीकृत प्रपत्रों का उपयोग करते हुए वित्तीय प्रबंधन अनुप्रयोग का क्रियान्वयन किया जाए*
- *अधिशेष निधियों के निवेश के लिए नीति का निर्माण एवं कार्यान्वयन, ताकि रणनीतिक वित्तीय निर्णय लेने की प्रक्रिया सुनिश्चित हो सके*
- *कर्मचारियों के हितों की सुरक्षा के लिए पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण को अंशदानों के समयोचित अंतरण को सुनिश्चित करने हेतु एक तंत्र स्थापित किया जाए*
- *आंतरिक नियंत्रण तंत्र को सुदृढ़ करने हेतु आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली स्थापित की जाए*

1.7.3 "श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन" की लेखापरीक्षा

भारत सरकार ने फरवरी 2016 में ग्रामीण क्षेत्रों को आर्थिक विकास प्रदान करने और भूमि सुधारों के उन्नत प्रवर्तन के उद्देश्य से राष्ट्रीय रुर्बन मिशन (एन.आर.यू.एम.) प्रारंभ किया। मिशन का दृष्टिकोण ग्रामों के एक क्लस्टर (रुर्बन क्लस्टर) का विकास करना था, जो समानता और समावेशन पर ध्यान केंद्रित करते हुए शहरी प्रकृति की सुविधाओं को प्रदान कर ग्रामीण सामुदायिक जीवन के मूल को संरक्षित और पोषित करे। मध्य प्रदेश शासन ने पांच वर्ष की अवधि में परियोजना के क्रियान्वयन के लिए 19 विकास क्लस्टरों (11 जनजातीय तथा आठ गैर-जनजातीय), जिसमें 167 ग्राम पंचायतें (जी.पी.) शामिल हैं, का चयन किया।

हमने 19 क्लस्टरों में से पाँच (तीन जनजातीय क्लस्टर और दो गैर-जनजातीय क्लस्टर) में, वर्ष 2016-17 से 2023-24 तक की अवधि शामिल करते हुए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन की लेखापरीक्षा की।

प्रमुख लेखापरीक्षा निष्कर्ष इस प्रकार हैं:

मिशन के क्रियान्वयन के लिए फ्रेमवर्क में, नियोजित और समन्वित विकास सुनिश्चित करने हेतु एकीकृत क्लस्टर कार्य योजना (आई.सी.ए.पी.) के एक भाग के रूप में स्थानिक आयोजना तैयार करने पर ज़ोर दिया गया था। हालाँकि, राज्य के किसी भी क्लस्टर के लिए स्थानिक आयोजना तैयार किए बिना ही, आई.सी.ए.पी. परियोजनाओं को क्रियान्वित कर दिया गया।

(कंडिका 2.3.2.2 (i))

समग्र परियोजना क्रियान्वयन निर्धारित समय से काफी पीछे है, एवं चिन्हित कार्यों में से एक-तिहाई से भी कम कार्य पूर्ण हो पाए हैं। एकीकृत क्लस्टर कार्य योजनाओं में चिन्हित 3,462 कार्यों में से 2,078 कार्य (60 प्रतिशत) स्वीकृत किये गए। इनमें 1,074 (52 प्रतिशत) पूर्ण कार्य, 684 (33 प्रतिशत) अपूर्ण कार्य एवं 320 (15 प्रतिशत) अप्रारंभित कार्य शामिल थे। महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे पर्यावरण, एल.पी.जी., पर्यटन, खेल अवसंरचना एवं सामाजिक कल्याण में कोई प्रगति नहीं हुई है।

(कंडिका 2.3.3.1)

मिशन के दिशा-निर्देशों में, चिन्हित किए गए क्लस्टर को विकसित करते समय कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों पर विशेष जोर देने की आवश्यकता थी। इस श्रेणी के अंतर्गत स्वीकृत 313 कार्यों में से 150 (47.92 प्रतिशत) पूर्ण हो चुके थे, 86 (27.48 प्रतिशत) प्रगतिरत थे, तथा शेष प्रारंभ नहीं किए गए थे। यह देखा गया कि क्रियान्वित कार्य काफी हद तक अवसंरचनात्मक गतिविधियों जैसे चेक डैम, स्टॉप डैम एवं रिचार्ज शाफ्ट के निर्माण पर केंद्रित थे। तथापि, मधुमक्खी पालन एवं शहद प्रसंस्करण संयंत्रों, डेयरी विकास अथवा प्रसंस्करण इकाइयों, बल्क मिल्क चिलिंग मशीनों, कृषि-प्रसंस्करण इकाइयों (आटा, दाल, सब्जी, फल, शहद आदि के लिए), स्वदेशी बीज बैंकों का निर्माण, सब्जी खेती केंद्र, सब्जियों/दूध के लिए संग्रहण केन्द्रों तथा समुदाय आधारित खेती जैसी आय-सृजक पहलों को या तो चयन से बाहर रखा गया था अथवा चयन के बाद भी प्रारंभ नहीं किया गया था।

(कंडिका 2.3.3.2 (i))

राज्य में 19 क्लस्टरों में हर समय जल आपूर्ति के लिए चिन्हित 212 कार्यों में से 40 कार्य (18.87 प्रतिशत) पूर्ण हो चुके थे, 121 कार्य (57.08 प्रतिशत) प्रगतिरत थे, एवं शेष प्रारंभ नहीं किए गए थे, जो दर्शाता है कि घरों को निरंतर जल आपूर्ति का अभीष्ट लाभ पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हुआ है।

(कंडिका 2.3.3.2 (ii))

उन्नीस क्लस्टरों में, सामाजिक एवं मूलभूत अवसंरचना घटक के अंतर्गत बस स्टैंड, खेल मैदान, आंगनवाड़ी भवन आदि सहित 171 सामाजिक अवसंरचना निर्माण कार्य प्रारंभ किए गए। तथापि, इनमें से 42 कार्य अपूर्ण, निरस्त, स्थगित अथवा अप्रारंभ रहे।

(कंडिका 2.3.3.2 (iv))

रुर्बन क्लस्टरों हेतु मॉडल योजना दिशा-निर्देशों के अंतर्गत अपेक्षित होने के बावजूद, राज्य शासन द्वारा मिशन के विभिन्न घटकों के आकलन के लिए कोई सेवा स्तर मानक जारी नहीं किए गए। इसके परिणामस्वरूप निष्पादन के मूल्यांकन एवं परिणामों के मापन हेतु एकरूप मानकों का अभाव रहा, जिससे विभिन्न श्रेणियों में मिशन के अनेक घटकों का आकलन नहीं किया जा सका।

(कंडिका 2.3.3.4)

चयनित रुर्बन क्लस्टरों में ₹ 38.71 करोड़ के 499 कार्य पूर्ण होने के बावजूद, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग (पी.आर.डी.डी.) द्वारा निर्देश जारी किए जाने के चार वर्ष पश्चात भी इन परिसंपत्तियों का संचालन एवं रखरखाव सुनिश्चित नहीं किया गया था।

(कंडिका 2.3.3.5)

राज्य द्वारा किए गए कुल व्यय में से 86.86 प्रतिशत अभिसरण के माध्यम से एवं केवल 13.14 प्रतिशत क्रिटिकल गैप फंडिंग (सी.जी.एफ.) के माध्यम से किया गया था, जो अभिसरण संसाधनों पर अधिक निर्भरता तथा सी.जी.एफ. फंड के सीमित उपयोग को दर्शाता है।

(कंडिका 2.3.4.1)

भारत सरकार को, ₹120.41 करोड़ के परियोजना व्यय के विरूद्ध, ₹ 90.20 करोड़ के उपयोगिता प्रमाण पत्र (यू.सी.) प्रस्तुत किए गए थे, जिसके परिणामस्वरूप 30 सितंबर 2021 तक ₹ 30.21 करोड़ के उपयोगिता प्रमाण पत्र लंबित थे। इसी प्रकार, अवधि 2016-17 से 2020-21 के दौरान ₹ 6.15 करोड़ के प्रशासनिक व्यय के लिए, ₹ 3.14 करोड़ के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए गए, जिससे ₹ 3.01 करोड़ के उपयोगिता प्रमाण पत्र लंबित थे। चूंकि वर्ष 2021-22 से 2023-24 के लिए लेखा बही को लेखापरीक्षा के लिए उपलब्ध नहीं कराया गया था, इसलिए व्यय एवं लम्बित उपयोगिता प्रमाण पत्र की वर्तमान स्थिति का पता नहीं लगाया जा सका।

(कंडिका 2.3.4.3)

राज्य नोडल एजेंसी द्वारा किये गए क्षेत्र के भ्रमण का कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं था। जबकि दो जिला पंचायतों (भोपाल तथा धार) ने कोई निरीक्षण नहीं किये जाने की पुष्टि की, एक जिला पंचायत (छिंदवाड़ा) ने कहा कि राज्य स्तरीय अधिकारियों ने निरीक्षण किया था, लेकिन भ्रमण का कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया था।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के आदेश (अगस्त 2018) के अनुसार, मिशन के क्रियान्वयन की प्रगति, निधि जारी करने, निधि के उपयोग की समीक्षा, क्षेत्र भ्रमण, विभिन्न सेक्टरों के बीच अभिसरण की स्थापना एवं कार्यों की निगरानी के लिए जिला स्तरीय समितियों (डी.एल.सी.) का गठन किया गया था। जिला स्तरीय समिति की एक तिमाही में कम से कम एक बैठक होनी

आवश्यक थी। हालांकि, अगस्त 2018 से मार्च 2024 के दौरान आवश्यक 14 बैठकों के विरूद्ध, प्रत्येक चयनित क्लस्टर में जिला स्तरीय समिति की एक बैठक आयोजित की गई, जिसके परिणामस्वरूप योजना गतिविधियों की निगरानी अपर्याप्त रही।

(कंडिकाएं 2.3.5.1 एवं 2.3.5.2)

ग्राम पंचायतों द्वारा निष्पादित 140 कार्यों के संयुक्त भौतिक सत्यापन से पता चला कि छह कार्य अपूर्ण थे, 84 कार्य अनिवार्य सामग्री परीक्षण के बिना निष्पादित किए गए थे, एवं 12 कार्य निम्न गुणवत्ता के थे, जो पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मानदंडों का अनुपालन न होने तथा खराब निर्माण गुणवत्ता से सम्बद्ध जोखिम को दर्शाते हैं।

(कंडिका 2.3.5.4)

अनुशंसाओं का सारांश

शासन सुनिश्चित करे

- *मिशन के अंतर्गत प्रतिबद्ध प्रगतिरत परियोजनाओं को पूर्ण किया जाना,*
- *निर्मित परिसंपत्तियों का उचित स्वामित्व सुनिश्चित कर राजस्व-सृजन करने वाली परियोजनाओं के संचालन एवं रखरखाव गतिविधियों को आरंभ करना, एवं*
- *अपर्याप्त योजना, क्रियान्वयन, निगरानी एवं वित्तीय प्रबंधन के लिए उत्तरदायित्व निर्धारित करना।*

1.8 अभिस्वीकृति

कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा-प्रथम), मध्य प्रदेश, ग्वालियर लेखापरीक्षा के आयोजन के दौरान राज्य शासन के अधिकारियों द्वारा प्रदान किए गए सहयोग एवं सहायता के लिए आभार व्यक्त करता है।

अध्याय II

अनुपालन लेखापरीक्षा

2.1 "राज्य में मानसिक स्वास्थ्य देखभाल संस्थानों की कार्यप्रणाली" पर लेखापरीक्षा

2.2 "जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की कार्यप्रणाली" पर लेखापरीक्षा

2.3 "श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन" की लेखापरीक्षा

लेखापरीक्षा सार

राज्य में मानसिक स्वास्थ्य देखभाल संस्थानों की कार्यप्रणाली पर विस्तृत अनुपालन लेखापरीक्षा

हमने यह लेखापरीक्षा क्यों की?

- भारत सरकार ने मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017 (एम.एच. एक्ट) को लागू किया। इस अधिनियम के अंतर्गत, मध्य प्रदेश शासन ने संस्थानों को विनियमित करने, मानदंड निर्धारित करने, शिकायतों का निवारण करने एवं हितधारकों को प्रशिक्षित करने के लिए 2020 में राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण (एस.एम.एच.ए.) का गठन किया।
- लेखापरीक्षा में यह आकलन किया गया कि क्या गतिविधियों को अधिनियम/नियमों के अनुसार लागू किया गया था, क्या पर्याप्त बुनियादी ढांचा एवं सेवाएं उपलब्ध थीं, एवं क्या आंतरिक नियंत्रण प्रभावी थे।

महत्वपूर्ण तथ्य

जनसंख्या का 13.90% (1.01 करोड़) मानसिक रोग से ग्रसित था।

राष्ट्रीय औसत (10.70%) से अधिक

प्रति 1 लाख जनसंख्या पर केवल 0.05 मनोचिकित्सक मौजूद हैं।

आवश्यकता: 1 मनोचिकित्सक प्रति लाख

(स्रोत: राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2015-16)

- ✓ एस.एम.एच.ए. कोष (₹2.40 करोड़, जनवरी 2021): 2020-22 में कोई व्यय नहीं हुआ; 2022-24 में 46-89 प्रतिशत कोष का उपयोग किया गया।
- ✓ एस.एम.एच.ए. में 11 सदस्य नियुक्त नहीं किए गए, जिससे विशेषज्ञों का इनपुट नहीं मिला।
- ✓ विद्यालयों में परामर्श एवं जागरूकता: ग्वालियर में नौ की कमी; इंदौर में दो की कमी (20 में से)। दोनों जिलों में कोई मनोवैज्ञानिक टेस्ट नहीं किए गए।

हमने क्या पाया?

- ✓ **एस.एम.एच.ए. की कार्यप्रणाली में विलंब**–म.प्र. शासन ने दो वर्ष से अधिक के विलंब के बाद राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण की स्थापना की, लेकिन विशेषज्ञों एवं स्टाफ की कमी के कारण, यह एम.एच. एक्ट के तहत निर्धारित उद्देश्यों के अनुसार काम नहीं कर सका।
- ✓ **सेवा प्रदायगी में कमी** – औषधियों की लंबे समय तक कमी रही, उपकरणों का अभाव पाया गया एवं स्टाफ की कमी देखी गई।
- ✓ **अपर्याप्त अवसंरचना** - जीर्ण-शीर्ण भवन, कोई माइनर वार्ड नहीं, असुरक्षित सुविधाएं एवं कमजोर बुनियादी सुविधाएं।
- ✓ **अप्रभावी निधि प्रबंधन** - विलंब से जारी एवं ₹1.01 करोड़ का विचलन।
- ✓ **कमजोर निगरानी, कम जागरूकता** - नियमित एस.एम.एच.ए. बैठकें नहीं हुई, कोई रिपोर्ट नहीं, विलंबित ए.डब्ल्यू.पी., जागरूकता गतिविधियाँ बहुत कम रहीं।
- ✓ **पुनर्वास की उपेक्षा एवं कमजोर फॉलो-अप** - अपर्याप्त गृह-आधारित पुनर्वास केंद्र; डिस्चार्ज प्राप्त या भाग गए रोगियों के लिए कोई फॉलो-अप नहीं, जिससे दोबारा बीमारी का खतरा है।
- ✓ **टेली-मानस अंतराल** – 16 प्रतिशत कॉल अनुत्तरित, 78 प्रतिशत जल्दी कट गए, कोई फॉलो-अप नहीं।

हम क्या अनुशंसा करते हैं?

मध्य प्रदेश शासन यह सुनिश्चित करे कि:

- *एम.एच. एक्ट के प्रावधानों के अनुरूप राज्य-विशिष्ट विनियम बनाते हुए मानसिक स्वास्थ्य प्रोफेशनल्स का पंजीकरण, एम.एच.ई. का वर्गीकरण तथा एम.एच.आर.बी. का गठन किया जाए।*
- *नियोजित क्रियाकलापों के क्रियान्वयन एवं योजना के अनुसार जागरूकता क्रियाकलापों के आयोजन के लिए जिलों में ए.डब्ल्यू.पी. का समय पर प्रसारण किया जाए*
- *औषधियों एवं उपकरणों की उपलब्धता की रियल टाइम निगरानी के लिए एक डैशबोर्ड विकसित किया जाए।*
- *समयबद्ध तरीके से रिक्त पदों को भरा जाए तथा नाबालिगों के लिए पृथक आवास की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।*
- *लामा, भाग गए एवं डिस्चार्ज मरीजों के लिए फॉलो-अप तंत्र को सुदृढ़ किया जाए तथा अधिक सुलभ सेवाएँ प्रदान करने हेतु टेली-मानस के प्रदर्शन में सुधार किया जाए।*
- *राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण की बैठकों का नियमानुसार आयोजन, एम.एच.ई. का पर्यवेक्षण, निर्धारित मानक के अनुसार राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण में स्टाफ की पदस्थापना तथा निगरानी तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए वार्षिक रिपोर्ट/कैलेंडर की तैयारी सुनिश्चित की जाए।*

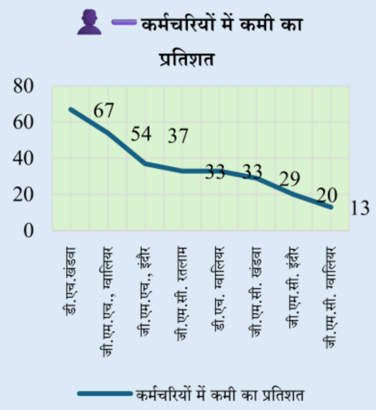

मानसिक अस्पतालों में निदान

रेडियोलॉजिस्ट: *कोई रेडियोलॉजिस्ट पदस्थ नहीं किया गया*

रेडियोलॉजिस्ट के बिना निदान किया गया:

ग्वालियर → **417 प्रकरण**

इंदौर → **1,689 प्रकरण**

आवश्यक औषधियाँ (1-36 माह के लिए अनुपलब्ध)

- ✓ **जी.एम.एच.** → 1 से 5 औषधियाँ
- ✓ **जी.एम.सी.** → 1 से 13 औषधियाँ
- ✓ **जिला अस्पताल** → 1 से 9 औषधियाँ
- ✓ **सी.एच.सी.** → 1 से 15 औषधियाँ

एम.एच.ई.की पंजीकरण स्थिति

आवश्यक उपकरण

47% से 100% तक की कमी थी

लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग

2.1 "राज्य में मानसिक स्वास्थ्य देखभाल संस्थानों की कार्यप्रणाली" पर लेखापरीक्षा

2.1.1 परिचय

भारत सरकार ने मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों को मानसिक स्वास्थ्य देखभाल एवं सेवाएँ प्रदान करने हेतु, तथा मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के प्रदाय के दौरान ऐसे व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा, प्रचार-प्रसार एवं उनकी पूर्ति सुनिश्चित करने हेतु मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017 (एम.एच. एक्ट) को अधिसूचित (अप्रैल 2017) किया। मध्य प्रदेश शासन ने एम. एच. एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण (एस.एम.एच.ए.) की स्थापना (सितंबर 2020) की। राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों[13] (एम.एच.ई.) एवं मानसिक स्वास्थ्य प्रोफेशनल्स (एम.एच.पी.) को पंजीकृत करने, राज्य में विभिन्न प्रकार के एम.एच.ई. के लिए गुणवत्ता तथा सेवा प्रावधान मानदंड विकसित करने, सभी एम.एच.ई. की निगरानी करने एवं स्वास्थ्य सेवाओं में कमियों के बारे में शिकायतें प्राप्त करने, तथा सभी संबंधित व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने के लिए जिम्मेदार है।

राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एन.एम.एच.एस.) 2015-16 के अनुसार राज्य की 13.90 प्रतिशत (1.01 करोड़) आबादी मानसिक बीमारियों से प्रभावित थी जो राष्ट्रीय औसत (लगभग 10.70 प्रतिशत) से अधिक थी। सर्वेक्षण ने अधोसंरचना की कमी, विद्यमान नीतियों के कमजोर क्रियान्वयन तथा उच्च उपचार अंतराल को दृष्टिगत रखते हुए, मानसिक स्वास्थ्य को व्यापक जनस्वास्थ्य प्रणाली के साथ एकीकृत कर एक स्टैंडअलोन राज्य मानसिक स्वास्थ्य नीति तैयार करने की अनुशंसा की। सर्वेक्षण रिपोर्ट में कुशल मानव संसाधनों की कमी पर भी प्रकाश डाला गया है क्योंकि राज्य में प्रति लाख आबादी पर केवल 0.05 मनोचिकित्सक थे, जो प्रति लाख एक मनोचिकित्सक की न्यूनतम आवश्यकता से बहुत कम था।

राज्य में एस.एम.एच.ए. का गठन वर्ष 2020 में किया गया था तथा राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण के गठन के पश्चात मानसिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में हुए सुधारों का आश्वासन प्राप्त करने हेतु यह लेखापरीक्षा आयोजित की गई थी।

2.1.2 संगठनात्मक ढांचा

मानसिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं को प्रदाय करने के लिए संगठनात्मक ढांचा नीचे ***चार्ट-2.1.1*** में दिया गया है:

[13] मानसिक बीमारी से पीड़ित व्यक्तियों की देखभाल के लिए स्थापित कोई भी स्वास्थ्य संस्थान, जहाँ मानसिक बीमारी से पीड़ित व्यक्तियों को देखभाल, उपचार, स्वास्थ्य लाभ एवं पुनर्वास के लिए अस्थायी या अन्य किसी रूप में भर्ती किया जाता है, निवास कराया जाता है अथवा रखा जाता है।

चार्ट-2.1.1: संगठनात्मक ढांचा

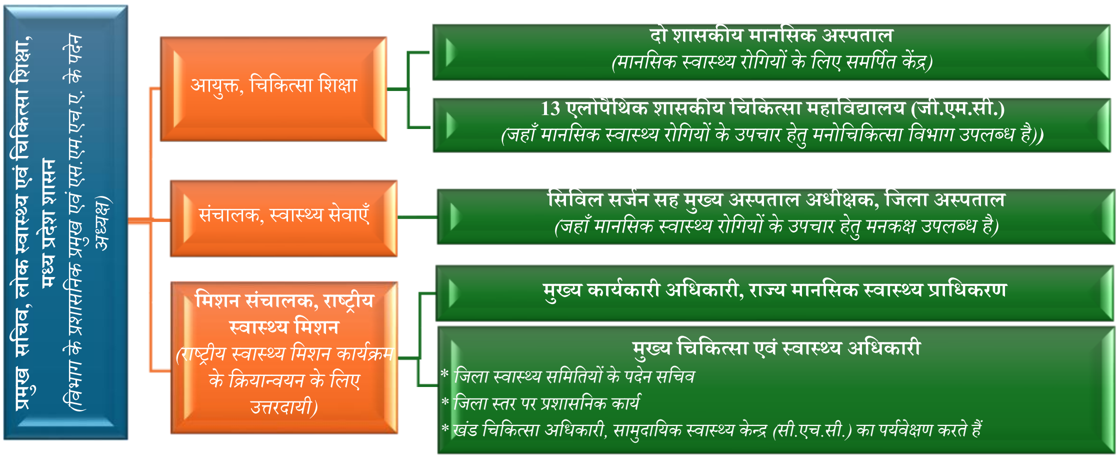

स्रोत: विभाग द्वारा प्रदाय की गई जानकारी एवं अभिलेख

उपरोक्त के अतिरिक्त, राज्य शासन का सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण (एस.जे. एवं ई.पी.डी.) विभाग, राज्य में स्वस्थ हो चुके रोगियों के उचित पुनर्वास के लिए जिम्मेदार है।

2.1.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य, मानदंड, क्षेत्र एवं पद्धति

लेखापरीक्षा यह आकलन करने हेतु आयोजित की गई थी कि क्या राज्य शासन ने अधिनियम/नियमों के प्रावधानों, दिशा-निर्देशों एवं भारत सरकार के निर्देशों के अनुपालन में गतिविधियों की योजना बनाई, उनका प्रारूप तैयार किया तथा उन्हें क्रियान्वित किया; क्या मानसिक रोगियों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करने हेतु पर्याप्त बुनियादी ढाँचा एवं सुविधाएँ उपलब्ध थीं, तथा क्या एक क्रियाशील आंतरिक नियंत्रण प्रणाली स्थापित थी।

लेखापरीक्षा मानदंड, एम.एच. एक्ट एवं उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों एवं परिचालन दिशा-निर्देशों, आदेशों, परिपत्रों, आवश्यक दवाओं की सूची, सुविधा प्रदाता नियमावली, सर्वेक्षण, केंद्र/राज्य सरकार, भारतीय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एन.एच.आर.सी.आई.) तथा भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (एम.सी.आई.)/राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एन.एम.सी.)[14] द्वारा जारी रिपोर्ट पुस्तिकाओं से प्राप्त किए गए थे।

हमने 2021-22 से 2023-24 की अवधि के लिए चिकित्सा शिक्षा संचालनालय (डी.एम.ई.), भोपाल, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, भोपाल एवं राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण , भोपाल के अभिलेखों की नमूना जांच करके लेखापरीक्षा की। आगे, हमने एलोपैथिक शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय (जी.एम.सी.) वाले 13 जिलों में से पांच[15] का चयन किया। चयनित जिलों में, हमने मानसिक रोगियों के लिए सुविधाओं की उपलब्धता की जांच करने के लिए 10 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (प्रत्येक चयनित जिले में दो) के साथ-साथ दो शासकीय मानसिक चिकित्सालय[16], (जी.एम.एच.), पांच शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों के मनोरोग विभाग एवं पांच जिला चिकित्सालयों एवं जिला स्वास्थ्य समितियों (डी.एच.एस.) में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम से संबंधित अभिलेखों की लेखापरीक्षा की। नमूना पद्धति एवं चयनित नमूनों का विवरण ***परिशिष्ट-2.1.1*** में दिया गया है।

---

14 सितंबर 2020 में, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् को राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग में परिवर्तित कर दिया गया था।

15 भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, खंडवा एवं रतलाम।

16 ग्वालियर एवं इंदौर

लेखापरीक्षा उद्देश्यों, मानदंडों, कार्यक्षेत्र एवं कार्यप्रणाली पर चर्चा करने के लिए लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा (पी.एच. एवं एम.ई.) विभाग के प्रमुख सचिव (पी.एस.) के साथ एक प्रवेश सम्मेलन (नवंबर 2024) आयोजित किया गया। उत्तर प्राप्त करने के लिए रिपोर्ट 11 अप्रैल 2025 को शासन को भेजी गई थी, एवं लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर चर्चा करने के लिए निर्गम सम्मेलन (जुलाई 2025) आयोजित किया गया। निर्गम सम्मेलन के दौरान शासन द्वारा दिए गए उत्तरों को खंडन के साथ, जहां भी आवश्यक था, उपयुक्त रूप से शामिल किया गया।

2.1.4 अभिस्वीकृति

लेखापरीक्षा, अनुपालन लेखापरीक्षा करने के लिए लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग एवं अन्य पदाधिकारियों द्वारा प्रदान किए गए सहयोग एवं सहायता के लिए आभार व्यक्त करती है।

2.1.5 अधिनियम /नियमों के प्रावधानों का अनुपालन

2.1.5.1 राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण का गठन

मध्य प्रदेश शासन हेतु उस तिथि (7 अप्रैल 2017) से नौ माह के भीतर राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण का गठन करना अनिवार्य था, जिस दिन एम.एच. एक्ट को महामहिम राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई थी। राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण पूरे राज्य में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के प्रचार-प्रसार, विनियमन तथा निगरानी हेतु एम.एच. एक्ट के अंतर्गत निर्दिष्ट कार्यों एवं उत्तरदायित्वों का निर्वहन करेगा।

यह देखा गया कि मध्य प्रदेश शासन ने दो वर्ष एवं सात माह[17] के विलंब से राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण का गठन (सितंबर 2020) किया । आगे, वित्त विभाग, मध्य प्रदेश शासन ने राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण की गतिविधियों[18] के निष्पादन के लिए राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण कोष बनाया (जनवरी 2021) एवं 2020-24 के दौरान इस उद्देश्य के लिए ₹ 2.40 करोड़[19] जारी किए। हालांकि, 2020-21 एवं 2021-22 के दौरान कोष से कोई व्यय नहीं किया गया तथा 2022-23 एवं 2023-24 के दौरान 46 से 89 प्रतिशत तक की धनराशि अप्रयुक्त रही।

यह भी देखा किया गया कि राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण का गठन न केवल विलंब से किया गया, बल्कि यह अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित सभी गतिविधियों के निष्पादन हेतु पूर्णतः क्रियाशील (जुलाई 2025 तक) भी नहीं था। संबंधित मुद्दों पर चर्चा आगामी कंडिकाओं में की गई है।

राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एन.सी.आर.बी.) के आंकड़ों के अनुसार, राज्य में आत्महत्या की दर लगातार बढ़ी जैसा कि ***चार्ट 2.1.2*** में दर्शाया गया है। एक्सीडेंटल डेथ्स एंड सुसाइड्स

चार्ट 2.1.2: आत्महत्याओं की संख्या एवं प्रति लाख जनसंख्या पर आत्महत्या दर की वार्षिक प्रवृत्ति

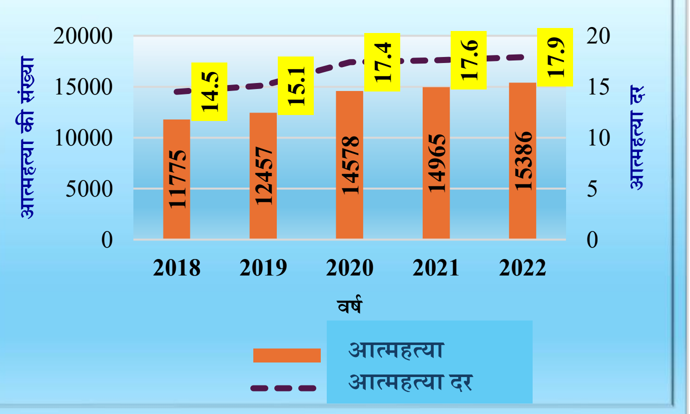

स्रोतः एक्सीडेंटल डेथ्स एंड सुसाइड्स रिपोर्टस 2018-22

[17] जनवरी 2018 से अगस्त 2020 (31 माह)

[18] एम.एच.ई. का पंजीकरण, गुणवत्ता एवं सेवा प्रावधान मानदंड विकसित करना, सभी एम.एच.ई. का पर्यवेक्षण करना, एम.एच.पी. पंजीकृत करना, सभी संबंधित व्यक्तियों को प्रशिक्षित करना आदि।

[19] वर्ष 2020-21 में ₹0.40 करोड़ एवं 2023-24 में ₹2.00 करोड़

रिपोर्ट में कहा गया है कि आत्महत्या कई कारणों से हो सकती है जैसे कि प्रोफेशनल अथवा कैरियर की समस्याएं, एकाकीपन, दुर्व्यवहार, हिंसा, पारिवारिक मुद्दे, मानसिक विकार, शराब की लत, वित्तीय नुकसान, अथवा दीर्घकालिक बीमारी। जबकि इनमें से कुछ कारक जटिल हैं, मानसिक विकार एवं शराब की लत को रोका जा सकता है तथा मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों (एम.एच.ई) के माध्यम से प्रभावी उपचार किया जा सकता है। नियामक एवं निगरानी निकाय के रूप में एक पूरी तरह क्रियाशील राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण , आत्महत्या में कमी पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है।

शासन ने अपने उत्तर (जुलाई 2025) में राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण की स्थापना में विलंब के कारणों के लिए राज्य में धन, अधोसंरचना एवं मानसिक स्वास्थ्य प्रोफेशनल्स की कमी को जिम्मेदार ठहराया एवं आश्वासन दिया कि राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण कोष का उपयोग आवश्यकतानुसार किया जाएगा।

2.1.5.2 राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण के सदस्यों का नामांकन

एम.एच. एक्ट की धारा 46 (1) के अनुसार राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण में एक पदेन अध्यक्ष[20] एवं राज्य सरकार के स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा तथा समाज कल्याण विभागों/संबंधित मंत्रालयों/मानसिक चिकित्सालयों से 15 सदस्य (विवरण ***परिशिष्ट-2.1.2*** में दिए गए हैं) सम्मिलित होंगे। मध्य प्रदेश शासन ने अधिसूचना (सितंबर 2020) के माध्यम से लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव को अध्यक्ष के रूप में तथा राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण के चार सदस्यों को नामांकित किया।

हमने देखा कि मध्य प्रदेश शासन ने राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण के गठन (सितंबर 2020) के चार वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद भी एम.एच. एक्ट की आवश्यकतानुसार 11 सदस्यों को नियुक्त नहीं किया (मई 2024 तक), जैसा कि ***परिशिष्ट-2.1.2*** में विस्तृत रूप से वर्णित है। इस प्रकार, राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण , एम.एच. एक्ट में परिकल्पित अपने उद्देश्यों के लिए प्रतिष्ठित विशेषज्ञों के सुझावों से वंचित रहा।

शासन ने प्रेक्षणों को स्वीकार किया (जुलाई 2025) एवं आश्वासन दिया कि राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण के शेष सदस्यों को शीघ्र ही नामित किया जाएगा।

2.1.5.3 मानसिक स्वास्थ्य समीक्षा बोर्डों (एम.एच.आर.बी.) का गठन

एम.एच. एक्ट में प्रावधान है कि राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण , अधिसूचना द्वारा, मानसिक बीमारी वाले व्यक्तियों के अधिकारों की निगरानी एवं सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एम.एच.आर.बी. का गठन करेगा। आगे, मानसिक स्वास्थ्य देखभाल (सी.एम.एच.ए एवं एम.एच.आर.बी.) नियम 2018 के अनुसार, एक जिले के लिए कम से कम एक एम.एच.आर.बी. का गठन किया जाना था एवं जहां यह संभव नहीं है, वहां दो या दो से अधिक जिलों के समूह के लिए एक एम.एच.आर.बी. का गठन किया जाएगा, जो राज्य के तीन जिलों से अधिक नहीं होगा। एम.एच.आर.बी. का मुख्य कार्य मानसिक बीमारी वाले व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करना एवं यह सुनिश्चित करना है कि उन्हें उचित देखभाल एवं उपचार मिले।

यह देखा गया कि राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण ने अपने गठन के चार वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद भी मानसिक रोगियों की शिकायतों के निवारण हेतु किसी भी जिले में एम.एच.आर.बी. का गठन नहीं किया। एम.एच.आर.बी. के अभाव में, पीड़ित व्यक्तियों को अपनी शिकायतों के निवारण के अधिकार से वंचित होना पड़ा, जिससे अधिकारों का उल्लंघन हुआ एवं अंततः मानवीय एवं अधिकार-आधारित मानसिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के अधिनियम के उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो सकी।

शासन ने प्रेक्षणों को स्वीकार किया (जुलाई 2025) एवं कहा कि एम.एच.आर.बी. के गठन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

---

20 राज्य शासन के स्वास्थ्य विभाग में सचिव अथवा प्रमुख सचिव

2.1.5.4 मानसिक स्वास्थ्य प्रोफेशनल्स (एम.एच.पी.) का पंजीकरण

एम.एच. एक्ट में प्रावधान है कि राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण , राज्य में नैदानिक मनोवैज्ञानिकों, मानसिक स्वास्थ्य नर्सों एवं मनोरोग सामाजिक कार्यकर्ताओं को मानसिक स्वास्थ्य प्रोफेशनल्स के रूप में कार्य करने के लिए पंजीकृत करेगा।

यह देखा गया कि राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण ने मानसिक स्वास्थ्य प्रोफेशनल्स पंजीकृत (जुलाई 2025 तक) नहीं किये। पंजीकरण के अभाव में, राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण के पास मानसिक रोगियों के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं की प्रभावी योजना बनाने के लिए राज्य में मानसिक स्वास्थ्य प्रोफेशनल्स के आंकड़े नहीं थे।

शासन ने प्रेक्षणों को स्वीकार किया (जुलाई 2025) एवं कहा कि मानसिक स्वास्थ्य प्रोफेशनल्स के पंजीकरण की प्रक्रिया अब शुरू कर दी गई है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य प्रोफेशनल्स का पंजीकरण, प्राथमिकता के आधार पर किया जाना चाहिए था क्योंकि यह प्रदान की गई सेवाओं के साथ मानसिक स्वास्थ्य प्रोफेशनल्स की मैपिंग एवं संबद्ध करने के लिए आवश्यक था।

2.1.5.5 मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों (एम.एच.ई.) का वर्गीकरण

एम.एच. एक्ट की धारा 65 (4) के अनुसार, अधिनियम के प्रारंभ से 18 माह की अवधि के भीतर राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण को स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए एक अधिसूचना के माध्यम से मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों को विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत करने, एम.एच.ई. की विभिन्न श्रेणियों के लिए अलग-अलग मानकों को निर्दिष्ट करने एवं एम.एच.ई. के लिए न्यूनतम मानकों को निर्दिष्ट करने थे । इसके अतिरिक्त, राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण को एम.एच. एक्ट के प्रावधानों को पूरा करने के लिए एम.एच. एक्ट एवं उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुरूप नियम बनाने थे।

एन.एम.एच.एस. सर्वेक्षण (2015-16) ने भी एक राज्य-विशिष्ट मानसिक स्वास्थ्य नीति विकसित करने की अनुशंसा की थी, जो मानसिक रुग्णता के प्रसार एवं गतिशीलता के अनुरूप उपचार, पुनर्वास तथा जागरूकता उत्पन्न करने पर केंद्रित हो।

यह देखा गया कि राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण ने मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों के पंजीकरण, नवीनीकरण एवं न्यूनतम मानकों के प्रवर्तन हेतु विनियम तैयार नहीं किए थे। इसने अपनी स्थापना के चार वर्ष, 10 माह[21] व्यतीत हो जाने के पश्चात भी, एम.एच.ई. को विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत नहीं किया। इसके अतिरिक्त, यह देखा गया कि राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण ने राज्य में स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपने स्वयं के राज्य-विशिष्ट नियम बनाने के बजाय भारत सरकार के केंद्रीय मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण (सी.एम.एच.ए.) विनियम, 2020 को अपनाया।

एम.एच.ई. के लिए स्थानीय परिस्थितियों तथा न्यूनतम मानकों को ध्यान में रखते हुए विनियमों को तैयार न करना, मानसिक रोगियों हेतु गुणवत्ता एवं अधिकार आधारित मानसिक स्वास्थ्य देखभाल सुनिश्चित करने में राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण की पर्याप्त कार्रवाई की कमी को दर्शाता है।

शासन ने प्रेक्षणों को स्वीकार किया (जुलाई 2025) एवं आश्वासन दिया कि एम.एच. एक्ट में दिए गए प्रावधानों के अनुरूप एम.एच.ई. के वर्गीकरण एवं पंजीकरण के लिए विनियम शीघ्र ही तैयार किए जाएंगे।

2.1.5.6 मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों (एम.एच.ई.) का पंजीकरण

एम.एच. एक्ट में प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति अथवा संगठन एम.एच.ई. की स्थापना या संचालन तब तक नहीं करेगा जब तक कि वह एम.एच. एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण के साथ पंजीकृत न हो। इसमें आगे, पंजीकरण

[21] राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण के गठन (सितंबर 2020) से लेकर निर्गम सम्मेलन (जुलाई 2025) तक।

के बिना संचालित पाए जाने वाले एम.एच.ई. पर ₹5,000 का अर्थदंड लगाने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त, मानसिक स्वास्थ्य देखभाल (एस.एम.एच.ए.) नियम, 2018 अनंतिम पंजीकरण हेतु ₹20,000 का शुल्क एकत्र करने का प्रावधान करता है।

यह देखा गया कि राज्य में उपलब्ध 163[22] एम.एच.ई. (जुलाई 2024) में से केवल 82 एम.एच.ई. (50 प्रतिशत) राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा अनंतिम रूप से पंजीकृत थे एवं शेष 81 एम.एच.ई. बिना पंजीकरण के संचालित हो रहे थे, जैसा कि ***परिशिष्ट-2.1.3*** में विवरणित है। राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण ने न तो इन एम.एच.ई. को पंजीकृत करने के लिए कार्रवाई की एवं न ही अर्थदंड अधिरोपित किया, जिसके कारण ₹16.20 लाख के पंजीकरण शुल्क के नुकसान के अतिरिक्त एम.एच.ई. में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधा सुनिश्चित नहीं की जा सकी।

शासन ने प्रेक्षणों को स्वीकार किया एवं कहा (जुलाई 2025) कि कर्मचारियों की कमी के कारण, एम.एच.ई. का पंजीकरण एवं अर्थदंड अधिरोपित नहीं किया जा सका।

2.1.5.7 पंजीकरण के अनुमोदन में विलंब

एम.एच. एक्ट की धारा 66 (4) में प्रावधान है कि राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण , आवेदन प्राप्त होने की तिथि से दस दिनों की अवधि के भीतर, एम.एच.ई. को अनंतिम पंजीकरण का प्रमाण पत्र जारी करे।

आगे, उक्त अधिनियम की धारा 66 (14) में यह प्रावधान है कि जैसे ही मानसिक स्वास्थ्य संस्थान द्वारा विनिर्दिष्ट न्यूनतम मानकों का अनुपालन करने के लिए आवश्यक साक्ष्य प्रस्तुत करता है, प्राधिकरण सार्वजनिक सूचना जारी करेगा एवं आपत्तियां, यदि कोई हो, दर्ज करने के लिए तीस दिनों की अवधि के लिए अपनी वेबसाइट पर उसको प्रदर्शित करेगा, जैसा कि विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया है।

यह देखा गया कि राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण ने 38 एम.एच.ई. (82 एम.एच.ई. में से) के अनंतिम पंजीकरण का अनुमोदन दो से 34 दिनों के विलंब से जारी किया, जैसा कि ***परिशिष्ट-2.1.4*** में दिखाया गया है। आगे, 37 एम.एच.ई. (82 एम.एच.ई. में से) की सूचना के प्रकाशन में दो से 115 दिनों के बीच विलंब हुआ जैसा कि ***परिशिष्ट-2.1.5*** में दिखाया गया है।

शासन ने प्रेक्षणों को स्वीकार किया एवं आश्वासन दिया (जुलाई 2025) कि आगे कोई विलंब नहीं होगा, क्योंकि पंजीकरण प्रक्रिया अब ऑनलाइन कर दी गई है।

2.1.6 जागरूकता गतिविधियों की योजना एवं क्रियान्वयन

2.1.6.1 वार्षिक कार्य योजना (ए.डब्ल्यू.पी.) में निर्धारित प्रशिक्षण कार्यक्रमों को शामिल करना

एम.एच. एक्ट में यह प्रावधान है कि शासन देश में आत्महत्याओं एवं आत्महत्याओं के प्रयासों को कम करने के लिए विशेष रूप से सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों की योजना बनाएगा, उनका प्रारूप तैयार करेगा एवं क्रियान्वित करेगा। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम (एन.एम.एच.पी.) के अंतर्गत स्कूल शिक्षकों, स्कूल न जाने वाले बच्चों इत्यादि के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम जैसी जिला स्तरीय गतिविधियों के क्रियान्वयन के लिए दिशा-निर्देश (जून 2015) जारी किए। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एन.एम.एच.एस.) मध्य प्रदेश राज्य रिपोर्ट (2015-16) में भी स्कूल जाने वाले बच्चों, समुदाय के वयस्क सदस्यों एवं समुदाय के नेताओं के बीच जागरूकता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करने का सुझाव दिया गया था।

---

[22] एस.एम.एच.ए., पी.एच. एवं एम.ई. तथा एस.जे. एवं ई.पी.डी. विभाग के अनुसार एवं संबंधित वेबसाइटों पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार।

एन.एम.एच.एस. रिपोर्ट 2015-16 के निष्कर्षों के बावजूद, जिसमें राष्ट्रीय औसत (2014 की स्थिति में) की तुलना में चिंताजनक आत्महत्या दर पर प्रकाश डाला गया है, जैसा कि ***चार्ट 2.1.3*** में प्रदर्शित है, मिशन संचालक, एन.एच.एम., भोपाल ने वर्ष 2021-22 से 2023-24 के लिए स्कूली शिक्षकों, मनो-सामाजिक समस्याओं तथा मानसिक रुग्णता का सामना करने वाले स्कूल से बाहर के बच्चों के साथ-साथ ग्राम पंचायतों एवं ब्लॉक पंचायतों के सदस्यों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों को वार्षिक कार्य योजनाओं (ए.डब्ल्यू.पी.) में शामिल नहीं किया। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के समावेश से मानसिक बीमारी से जुड़े कलंक को कम करने में सहायता मिलेगी।

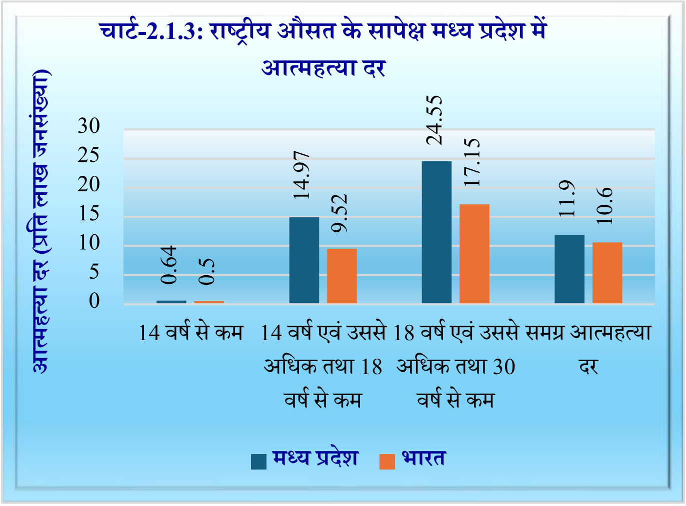

स्रोत: एन.एम.एच.एस. रिपोर्ट 2015-16

शासन ने प्रेक्षणों को स्वीकार किया एवं कहा (जुलाई 2025) कि प्रासंगिक गतिविधियों को ए.डब्ल्यू.पी. में शामिल किया जाएगा।

2.1.6.2 क्रियान्वयन हेतु जिलों को वार्षिक कार्य योजना के प्रसारण में विलंब

एन.एच.एम. के परिचालन दिशा-निर्देशों में प्रावधान है कि वित्तीय वर्ष का प्रारंभ अर्थात 1 अप्रैल परियोजना क्रियान्वयन योजना (पी.आई.पी.) के प्रवर्तन की तिथि है एवं जिलों को 15 मार्च तक अनुमोदन प्राप्त करने के लिए वार्षिक पी.आई.पी. राज्य को प्रस्तुत करना आवश्यक था।

यह देखा गया कि एन.एच.एम., भोपाल ने जिलों से पी.आई.पी. प्राप्त किए बिना अपने स्तर पर पी.आई.पी. तैयार किया। आगे, एन.एच.एम., भोपाल मध्य प्रदेश शासन द्वारा जिला पी.आई.पी. के अनुमोदन के बाद 38 दिवसों से 117 दिवसों के विलंब से एन.एम.एच.पी. के अंतर्गत गतिविधियों के निष्पादन के लिए दिशा-निर्देश प्रसारित किए, जैसा कि नीचे ***तालिका-2.1.1*** में दिया गया है:

तालिका-2.1.1: 2021-24 के दौरान दिशा-निर्देशों के अनुमोदन/जारी करने में विलम्ब

वर्ष	राज्य द्वारा जिला योजना के अनुमोदन की तिथि	दिशा-निर्देशों को प्रसारित करने की तिथि	दिशा-निर्देशों को प्रसारित करने में विलंब *(दिवसों में)*
2021-22	30/04/2021	08/06/2021	39
2022-23	30/04/2022	25/08/2022	117
2023-24	30/04/2023	07/06/2023	38

स्रोत: एन.एच.एम. द्वारा प्रदान की गई जानकारी

इस प्रकार, एन.एच.एम. ने जिलों से सुझाव लिए बिना राज्य पी.आई.पी. तैयार किया एवं ए.डब्ल्यू.पी. को विलंब के साथ जिलों में परिचालित किया, जिसके परिणामस्वरूप एन.एम.एच.पी. के अंतर्गत गतिविधियों का आंशिक क्रियान्वयन हुआ या क्रियान्वयन नहीं हुआ, जैसा कि ***चार्ट 2.1.4*** में दर्शाया गया है। वर्ष-वार निधि के उपयोग की स्थिति, जैसा कि ***चार्ट 2.1.5*** में दर्शाया गया है एवं ***परिशिष्ट 2.1.6*** में विवरणित है, प्रमुख कमियों को इंगित करती है, जिनकी चर्चा अनुवर्ती कंडिकाओं में की गई है।

चार्ट-2.1.4: एन.एम.एच.पी. (2021-24) के अंतर्गत गतिविधि-वार निधि के उपयोग का प्रतिशत

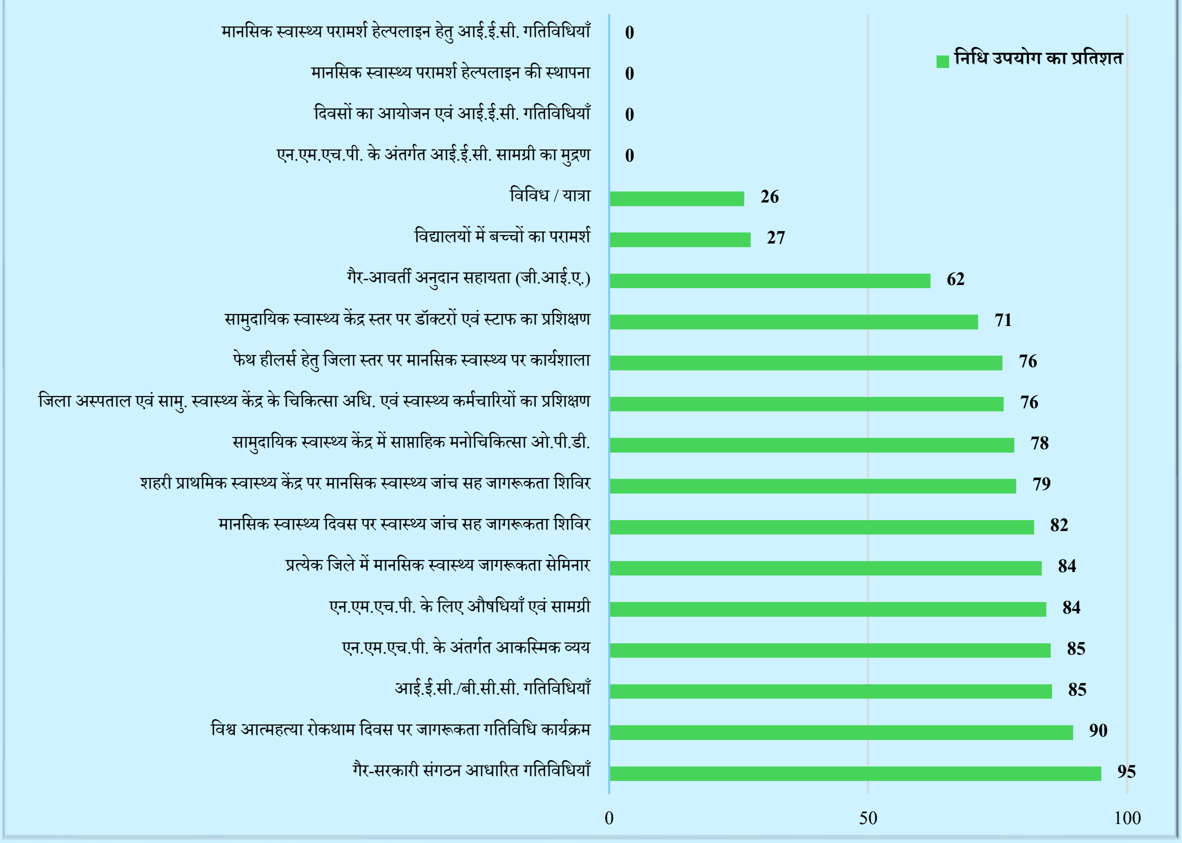

स्रोत: राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य योजना – बजट

शासन ने उत्तर दिया (जुलाई 2025) कि जिला अधिकारियों से मौखिक सुझाव के आधार पर राज्य पी.आई.पी. तैयार किया गया था। सुझावों को संकलित करने के उपरांत, पी.आई.पी. को उचित चैनलों के माध्यम से भारत सरकार को प्रस्तुत किया गया था। आगे यह भी सुनिश्चित किया गया कि भविष्य में इस प्रक्रिया का अभिलेखीकरण किया जाएगा।

चार्ट-2.1.5: एन.एम.एच.पी. (2021-24) के अंतर्गत निधि की प्राप्ति एवं उपयोग

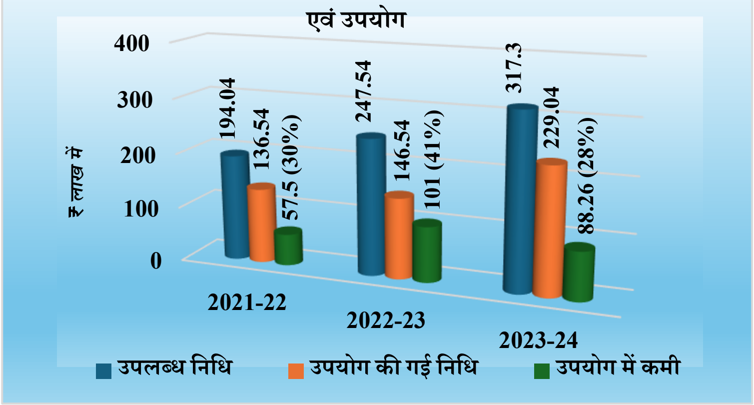

स्रोत: राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य योजना – बजट

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि जिलों में ए.डब्ल्यू.पी. के प्रसारण में विलंब से कार्यक्रम का क्रियान्वयन प्रभावित हुआ जिसके परिणामस्वरूप गतिविधियों का क्रियान्वयन नहीं हुआ एवं एन.एम.एच.पी. निधि के उपयोग में कमी आई।

2.1.6.3 जागरूकता प्रसार हेतु गतिविधियों का क्रियान्वयन

भारत की राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य नीति (2014) निर्धारित करती है कि लोगों के मानसिक स्वास्थ्य एवं कल्याण की रक्षा तथा संवर्धन के लिए विश्वसनीय मानसिक स्वास्थ्य जानकारी सहज रूप से से उपलब्ध होनी चाहिए। इस प्रकार की जानकारी प्रसारित करने के लिए जनसंचार माध्यमों के कार्यक्रम एवं आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए। परामर्श सेवाओं, हेल्पलाइन तथा समर्पित वेबसाइटों के माध्यम से जानकारी के पूरक प्रवाह को सुगम बनाया जाना चाहिए।

यह देखा गया कि मिशन संचालक, एन.एच.एम. को वर्ष 2022-23[23] एवं 2023-24[24] के दौरान सूचना, शिक्षा एवं संचार (आई.ई.सी.) सामग्री की छपाई[25] के लिए ₹20 लाख आवंटित किए गए थे, जो वर्ष के अंत तक अप्रयुक्त रह गए थे। इसी प्रकार, एन.एच.एम. के पास 2022-23 में दिवसों (जैसे विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस) के आयोजन एवं अन्य संबंधित आई.ई.सी. गतिविधियों के लिए ₹23.89 लाख की पृथक निधि थी, जिसका उपयोग भी नहीं किया (जून 2024 तक) गया था। उपर्युक्त निधियों का उपयोग न कर पाना, कार्यक्रम के उद्देश्यों के अंतर्गत जन जागरूकता के प्रसार के लिए इन क्रियाकलापों के अक्रियान्वयन को दर्शाता है।

शासन ने प्रेक्षणों को स्वीकार किया एवं यह आश्वासन दिया (जुलाई 2025) कि जागरूकता गतिविधियों पर निधि के पूर्ण उपयोग हेतु प्रयास किए जाएंगे।

2.1.6.4 मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता सेमिनारों के आयोजन में कमी

एन.एच.एम., मध्य प्रदेश ने जिलों के समस्त सिविल सर्जनों (सी.एस.) तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों (सी.एम.एच.ओ.) को अनुमोदित ए.डब्ल्यू.पी. के अनुसार मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता सेमिनार आयोजित करने के निर्देश[26] दिए। इस योजना के अंतर्गत, मेंटल हेल्थ एवं स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए स्कूलों, कॉलेजों, जेलों, पुलिस विभाग, वृद्धाश्रमों आदि में सेवा करने वाले कर्मियों एवं व्यक्तियों को लक्षित करते हुए जिला एवं ब्लॉक दोनों स्तरों पर सेमिनारों की एक श्रृंखला आयोजित करने के लिए संबंधित अधिकारियों को बजटीय आवंटन किया गया था।

यह देखा गया कि नमूना जांच किए गए जिलों ने या तो मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता सेमिनारों का आयोजन नहीं किया, जैसा कि ***परिशिष्ट 2.1.7*** में विवरणित है अथवा अनुमोदित ए.डब्ल्यू.पी. के अनुसार मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता सेमिनारों के आयोजन में कमी थी।

आगे, जिला अस्पताल इंदौर ने स्कूलों में केवल दो सेमिनार आयोजित किए, जो ए.डब्ल्यू.पी. 2023-24 में नियोजित तीन सेमिनारों से कम थे। कॉलेजों में, जिला अस्पताल ग्वालियर एवं जिला अस्पताल इंदौर प्रत्येक ने इसी अवधि के लिए निर्धारित तीन सेमिनार के विरुद्ध दो-दो सेमिनार आयोजित किए। इसी प्रकार, जिला अस्पताल खंडवा ने कॉलेजों में ए.डब्ल्यू.पी. 2022-24 में नियोजित तीन सेमिनार की योजना की तुलना में दो सेमिनार आयोजित किए।

शासन ने टिप्पणियों को स्वीकार किया एवं कहा (जुलाई 2025) कि ये नियमित एवं अपेक्षाकृत छोटी गतिविधियाँ हैं लेकिन मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने एवं मानसिक बीमारी की रोकथाम के लिए महत्वपूर्ण हैं तथा इन्हें लगनपूर्वक किया जाना चाहिए।

उत्तर में भविष्य में लक्षित सेमिनार सुनिश्चित करने के प्रति प्रतिबद्धता का अभाव है।

---

23 इस गतिविधि के अंतर्गत 2021-22 के दौरान कोई निधि जारी नहीं की गई थी।

24 वर्ष 2022-23 से संबंधित ₹20 लाख की अव्ययित निधि को प्रतिबद्ध बजट के रूप में आवंटित किया गया था।

25 पोस्टर, पैम्फलेट, फोल्डर आदि।

26 वर्ष 2021-22, 2022-23 तथा 2023-24 के लिए पृथक रूप से।

2.1.6.5 स्कूली छात्रों के लिए परामर्श एवं जागरूकता सत्रों का अभाव

ए.डब्ल्यू.पी. 2023-24 के अनुसार, जिले के दो प्रमुख शासकीय स्कूलों में परामर्श कक्ष का गठन किया जाना था, जहां नैदानिक मनोवैज्ञानिक, छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य की जांच करेंगे, छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य के बारे में उनके माता-पिता के साथ चर्चा करेंगे एवं एक जागरूकता कार्यशाला आयोजित करेंगे। एक वर्ष में प्रति जिले में 20 परामर्श एवं जागरूकता सत्र आयोजित किए जाने थे। ए.डब्ल्यू.पी. की गतिविधियों के क्रियान्वयन के लिए जिलों के सी.एस./सी.एम.एच.ओ उत्तरदायी थे।

नमूना जांच किए गए जिला अस्पतालों (खंडवा के अलावा)[27] में यह देखा गया कि ग्वालियर एवं इंदौर जिलों में 20 परामर्श सत्रों के विरुद्ध, स्कूली छात्रों के लिए क्रमशः नौ एवं दो परामर्श एवं जागरूकता सत्रों की कमी थी। आगे, ग्वालियर एवं इंदौर दोनों जिलों में छात्रों का कोई मनोवैज्ञानिक परीक्षण नहीं किया गया था। आगे यह भी देखा गया कि किसी भी चयनित जिले में अपने बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए माता-पिता के साथ बैठकें एवं शिक्षकों के लिए जागरूकता कार्यशालाएं एवं चर्चाएं आयोजित नहीं की गई थीं।

शासन ने टिप्पणियों को स्वीकार किया एवं कहा (जुलाई 2025) कि नियमित एवं अपेक्षाकृत छोटी होने के बावजूद, ये गतिविधियाँ मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने एवं मानसिक बीमारी की रोकथाम के लिए आवश्यक हैं तथा इन्हें गंभीरता से किया जाना चाहिए।

2.1.7 स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं की उपलब्धता

2.1.7.1 आवश्यक औषधियों की उपलब्धता

भारत सरकार की राष्ट्रीय आवश्यक औषधि सूची (एन.एल.ई.एम.), 2011 के अनुसार, शासकीय मानसिक अस्पतालों (जी.एम.एच.) एवं शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों (जी.एम.सी.) को मानसिक रोगियों के उपचार हेतु 10 (सितम्बर 2022 से 14) आवश्यक औषधियों का भंडार बनाए रखना आवश्यक था। इसके अतिरिक्त, संचालनालय, स्वास्थ्य सेवाएं द्वारा फरवरी 2021, अक्टूबर 2021 तथा जुलाई 2022 में निर्देश जारी किए गए थे कि जिला अस्पतालों में क्रमशः 10, 20 एवं 23 आवश्यक औषधियों तथा सी.एच.सी. में क्रमशः पाँच, 15 तथा तीन आवश्यक औषधियों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। इसके अतिरिक्त, मध्य प्रदेश औषधि नीति, 2009 के अनुसार जिला स्तर के अस्पतालों में न्यूनतम तीन माह का तथा उससे नीचे के स्तर के अस्पतालों में दो माह का औषधि भंडार बनाए रखा जाना आवश्यक था। साथ ही, एम.एच. एक्ट में यह भी प्रावधान है कि उपयुक्त शासन यह सुनिश्चित करेगी कि सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली में सी.एच.सी. एवं उससे ऊपर के स्तर के शासकीय अथवा शासन द्वारा वित्तपोषित स्वास्थ्य संस्थानों में मानसिक रोग से ग्रस्त सभी व्यक्तियों को निःशुल्क औषधियाँ हर समय उपलब्ध कराई जाएँ।

यह देखा गया कि नमूना जाँच किए गए जी.एम.एच. में (एक से पाँच औषधियाँ), जी.एम.सी. में (एक से 13 औषधियाँ), जिला अस्पतालों में (एक से नौ औषधियाँ) तथा सी.एच.सी. में (एक से 15 औषधियाँ) एक से 36 माह की अवधि तक उपलब्ध नहीं थीं, जिसका विवरण ***परिशिष्ट-2.1.8*** में दिया गया है। औषधियाँ, उपचार का एक प्रमुख घटक हैं, अतः यह आकलन किया गया कि इनके अभाव ने मानसिक रोग से ग्रस्त रोगियों को प्रदान किए जाने वाले उपचार की गुणवत्ता को प्रभावित किया।

शासन ने (जुलाई 2025) कहा कि एन.एल.ई.एम. में सूचीबद्ध आवश्यक औषधियों का पालन तृतीयक स्तर के अस्पतालों अर्थात् जी.एम.एच. एवं जी.एम.सी. में अनिवार्य रूप से किया जाना आवश्यक नहीं है, क्योंकि स्वास्थ्य, राज्य का विषय है तथा राज्य की अपनी आवश्यक औषधि सूची (ई.एम.एल.) है। साथ ही, यह भी आश्वासन दिया गया कि इस विषय की विशेष रूप से जिला अस्पतालों एवं सी.एच.सी. के संदर्भ में समीक्षा की जाएगी।

[27] जिला अस्पताल खंडवा के ए.डब्ल्यू.पी. 2023-24 में गतिविधि शामिल नहीं थी

उत्तर स्वीकार्य नहीं था, क्योंकि एन.एल.ई.एम. में तृतीयक स्तर के अस्पतालों में रखी जाने वाली आवश्यक औषधियों की सूची प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त, तृतीयक स्तर के अस्पतालों में रखी जाने वाली आवश्यक औषधियों के संबंध में मध्य प्रदेश शासन का कोई आदेश अभिलेखों में उपलब्ध नहीं पाया गया। विशिष्ट आदेश के अभाव में, इन अस्पतालों को एन.एल.ई.एम. के अनुसार आवश्यक औषधियों का भंडारण करना अपेक्षित था। आवश्यक औषधियों की अनुपलब्धता से रोगियों को समय पर आवश्यक उपचार प्राप्त न होने का जोखिम उत्पन्न हो सकता है।

2.1.7.2 न्यूनतम आवश्यक उपकरणों की उपलब्धता

मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (एम.सी.आई.) द्वारा जनवरी 2018 तक संशोधित चिकित्सा महाविद्यालयों के लिए न्यूनतम मानक आवश्यकताएँ (एम.एस.आर.) के अनुसार, एम.बी.बी.एस. विद्यार्थियों के वार्षिक प्रवेश[28] के आधार पर चिकित्सा महाविद्यालयों हेतु न्यूनतम आवश्यक उपकरण निर्धारित किये गए है।

चयनित जी.एम.सी. के अभिलेखों की जांच में वर्ष 2021-24 के दौरान एम.सी.आई. मानकों के अनुसार आवश्यक उपकरणों की अनुपलब्धता पाई गई, जिसका विवरण ***परिशिष्ट-2.1.9*** में तथा सारांश **चार्ट-2.1.6** में दर्शाया गया है:

चार्ट-2.1.6: नमूना जाँच किए गए जी.एम.सी. में उपकरणों की अनुपलब्धता की स्थिति

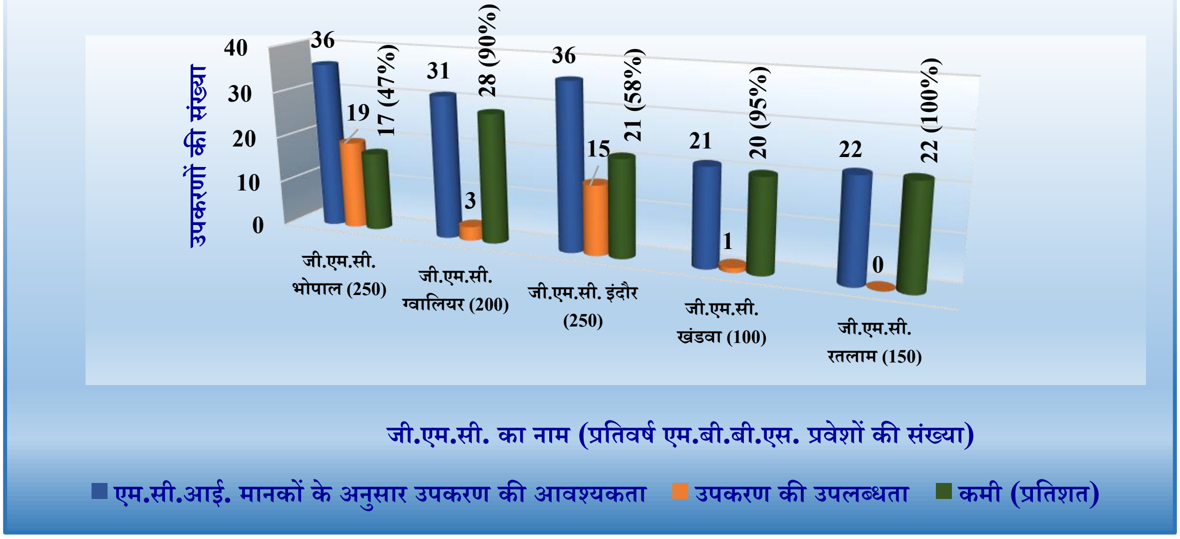

स्रोत: जी.एम.सी. द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी

यह आंकलन किया गया कि आवश्यक उपकरणों की 47 तथा 100 प्रतिशत के मध्य रही कमी ने विशेष रूप से आपातकालीन स्थितियों में मानसिक रूप से बीमार रोगियों के उपचार को प्रभावित किया।

शासन ने उत्तर में कहा (जुलाई 2025) कि उपकरणों की आवश्यकता, उपलब्ध स्नातकोत्तर (पी.जी.) पाठ्यक्रमों पर आधारित थी। चूंकि रतलाम एवं खंडवा में पी.जी. पाठ्यक्रम उपलब्ध नहीं थे, अतः एम.एस.आर. के अनुसार वहाँ उन उपकरणों की आवश्यकता नहीं थी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि एम.एस.आर. के अनुसार न्यूनतम उपकरणों की आवश्यकता का निर्धारण पी.जी. पाठ्यक्रमों के स्थान पर एम.बी.बी.एस. विद्यार्थियों के वार्षिक प्रवेश के आधार पर किया जाता है।

[28] वार्षिक 100, 150, 200 एवं 250 एम.बी.बी.एस. प्रवेश

2.1.7.3 मानव संसाधनों की कमी

विभाग को कार्यभार विश्लेषण, सेवा प्रदाय आवश्यकताओं तथा प्रासंगिक शासकीय दिशा-निर्देशों एवं कार्मिक मानकों के अनुरूप स्वीकृत मानव संसाधन का संधारण करना अपेक्षित है।

यह देखा गया कि नमूना जांच किए गए जी.एम.एच., जी.एम.सी. एवं जिला अस्पतालों में (मार्च 2024 की स्थिति में) मानव संसाधन की पदस्थापना में कमी थी, जैसा कि ***तालिका-2.1.2*** में दर्शाया गया है।

तालिका-2.1.2: एम.एच.ई. में स्वीकृत पदों एवं मानव संसाधन की तैनाती की स्थिति

स.क्र.	एम.एच.ई. का नाम	कुल स्वीकृत पद संख्या	कुल पदस्थापना	कमी (प्रतिशत में)
1.	जी.एम.एच., ग्वालियर	246	114	132 (54)
2.	जी.एम.एच., इंदौर	202	128	74 (37)
3.	जी.एम.सी., ग्वालियर	08	07	01 (13)
4.	जी.एम.सी., इंदौर	05	04	01 (20)
5.	जी.एम.सी., खंडवा	07	05	02 (29)
6.	जी.एम.सी., रतलाम	09	06	03 (33)
7.	डी.एच., ग्वालियर	03	02	01 (33)
8.	डी.एच., खंडवा	03	01	02 (67)

स्रोत: जी.एम.एच., जी.एम.सी. तथा एन.एच.एम./ जिला अस्पताल द्वारा उपलब्ध कराए गए अभिलेख/जानकारी

उन पदों का विवरण, जहां रिक्तियां मौजूद थीं, ***परिशिष्ट-2.1.10*** में दिया गया हैं। उपरोक्त तालिका, नमूना जांच किए गए जिला अस्पतालों, जी.एम.एच. एवं जी.एम.सी., जिन्हें राज्य में सभी प्रकार की मानसिक बीमारियों के इलाज के लिए जिम्मेदार स्वास्थ्य सुविधाओं के रूप में नामित किया गया है, में 13 प्रतिशत से 67 प्रतिशत तक की महत्वपूर्ण मानव संसाधन की कमी को इंगित करता है। हमने यह भी देखा कि जी.एम.एच., ग्वालियर ने वर्ष 2021-24 के दौरान पैथोलॉजिस्ट की अनुपलब्धता के कारण 309 रोगियों को जयारोग्य हॉस्पिटल, ग्वालियर में पैथोलॉजी परीक्षण हेतु रेफर किया। इसके अतिरिक्त, जी.एम.एच., इंदौर में मानव संसाधन की अधिक कमी (37 प्रतिशत) होने के बावजूद, 15 स्टाफ[29] को अन्य संस्थाओं में संबद्ध/प्रतिनियुक्त किया गया।

यह भी देखा गया कि भारत सरकार ने राज्य के दो जी.एम.एच. के लिए सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस योजना[30] के अंतर्गत, राज्य शासन द्वारा स्वीकृत पदों के अतिरिक्त 16 संविदा पदों[31] को स्वीकृति (जून 2015) प्रदान की। चिकित्सा शिक्षा संचालनालय, मध्य प्रदेश ने जी.एम.एच. ग्वालियर एवं जी.एम.एच. इंदौर के लिए सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस योजना के अंतर्गत क्रमशः 16 एवं 13 (स्वीकृत 16 के विरुद्ध) संविदा पदों का सृजन (जुलाई 2018 एवं सितंबर 2021) किया, जो कि भारत सरकार द्वारा पदों की स्वीकृति की तिथि से जी.एम.एच. ग्वालियर के लिए तीन वर्ष[32] तथा जी.एम.एच. इंदौर के लिए पाँच वर्ष चार माह[33] के विलम्ब से किया गया। स्वीकृति के बावजूद, ये पद मार्च 2024 तक भरे नहीं गए तथा स्वीकृत पदों के सृजन के तीन से छ: वर्ष पश्चात भी

[29] चिकित्सा अधिकारी-4 (संबद्ध), नर्सिंग अधिकारी-9 (7 संलग्न एवं 2 प्रतिनियुक्त), रेडियोग्राफर-2 (संलग्न)

[30] मानव संसाधन की भारी कमी को दूर करने हेतु चिन्हित मौजूदा मानसिक चिकित्सालयों/संस्थानों का उन्नयन एवं सुदृढ़ीकरण किया जाना था। ये संस्थान मुख्य रूप से राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम की मानव संसाधन आवश्यकताओं को पूरा करने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण मानव संसाधन तैयार करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे।

[31] मनोचिकित्सा/नैदानिक मनोविज्ञान, मनोचिकित्सक, सामाजिक कार्यकर्ता आदि।

[32] जून 2015 से जुलाई 2018 - तीन वर्ष।

[33] जून 2015 से अक्टूबर 2021 - पाँच वर्ष चार माह।

जी.एम.एच. ग्वालियर में 67 से 100 प्रतिशत तथा जी.एम.एच. इंदौर में 100 प्रतिशत की कमी बनी रही, जो संबंधित जी.एम.एच. की ओर से शिथिलता को दर्शाता है।

आगे,

- ⚠ यह भी देखा गया कि जी.एम.एच., ग्वालियर एवं इंदौर में स्थापित (अक्टूबर 2022 में) टेली मानस सेल में मानसिक रोगियों को फोन कॉल के माध्यम से परामर्श प्रदान करने हेतु मानव संसाधन की कमी थी। सभी संवर्गों में मानव संसाधन की कमी जी.एम.एच., ग्वालियर में 45 से 100 प्रतिशत तथा जी.एम.एच., इंदौर में 25 से 100 प्रतिशत तक रही। जांच में यह भी पाया गया कि अक्टूबर 2022 (स्थापना के समय से) से मार्च 2024 के दौरान कुल 85,260 कॉल्स में से 9,855[34] कॉल्स (12 प्रतिशत) का उत्तर जी.एम.एच., ग्वालियर एवं इंदौर की टेली मानस सेल द्वारा नहीं दिया गया, जिसका कारण मानव संसाधन की कमी को माना गया है।

- ⚠ मध्य प्रदेश शासन ने राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एन.एम.सी.) द्वारा जारी न्यूनतम मानक आवश्यकताएँ (एम.एस.आर.), 2020 में प्रावधानित सात पदों को नमूना जाँच किए गए जी.एम.सी. में स्वीकृत नहीं किया। इसके अतिरिक्त, नमूना जाँच किए गए जी.एम.सी. ने आठ स्वीकृत पदों में से चार पद, जो नैदानिक मनोचिकित्सक एवं मानसिक स्वास्थ्य सामाजिक कार्यकर्ता के थे, नहीं भरे, जैसा कि ***परिशिष्ट-2.1.11*** में विस्तृत रूप से दिया गया है।

- ⚠ एन.एम.एच.पी. के तहत जिला स्तर की गतिविधियों के क्रियान्वयन के लिए भारत सरकार के दिशा-निर्देश (जून 2015) के अनुसार, जिला अस्पतालों के लिए आठ पद[35] एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के लिए दो पद[36] जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (डी.एम.एच.पी.) के क्रियान्वयन के लिए प्रदान किए गए। संयुक्त संचालक, एन.एम.एच.पी. द्वारा प्रदान की गई जानकारी (जुलाई 2024) के अनुसार, राज्य शासन ने जिला अस्पतालों के लिए केवल तीन पद[37] (आठ में से) स्वीकृत किये, तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के लिए जिला स्तर की गतिविधियों के क्रियान्वयन के लिए कोई पद स्वीकृत नहीं किया। जनसमुदाय की मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए जिला अस्पतालों तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में डी.एम.एच.पी. टीम की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। मानसिक स्वास्थ्य सुविधाओं की अनुपलब्धता के कारण, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में मानसिक स्वास्थ्य के लिए कोई मनो-सामाजिक उपचार नहीं था। मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को प्रदान करने की जिम्मेदारी जिला अस्पतालों पर है, जहाँ ओ.पी.डी. के लिए मरीजों का बोझ अधिक है।

शासन ने टिप्पणियों को स्वीकार किया एवं कहा (जुलाई 2025) कि रिक्त पदों को भरने के लिए कार्रवाई शुरू की जा रही है, एवं अनुत्तरित टेली मानस कॉल के प्रकरण की जांच की जाएगी तथा यथासमय पर लेखापरीक्षा को सूचित किया जाएगा। एन.एम.एच.पी. के अंतर्गत पदों के सृजन के उत्तर में, यह कहा गया कि आवश्यकता के आकलन के आधार पर तीन पद स्वीकृत किए गए थे।

हालाँकि, लेखापरीक्षा द्वारा सत्यापन के लिए उत्तर के साथ आवश्यकता आकलन की प्रति प्रदान नहीं की गई थी। यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि मध्य प्रदेश शासन ने राज्य में मानसिक बीमारी वाले रोगियों के उपचार के लिए पर्याप्त मानसिक स्वास्थ्य देखभाल स्टाफ को स्वीकृति नहीं दी थी।

---

[34] इंदौर में 59,087 में से 6,674 एवं ग्वालियर में 26,173 में से 3,181

[35] मनोचिकित्सक, नैदानिक मनोवैज्ञानिक, मनोचिकित्सा नर्स, मानसिक स्वास्थ्य सामाजिक कार्यकर्ता, सामुदायिक नर्स (प्रकरण प्रबंधक), निगरानी एवं मूल्यांकन अधिकारी, प्रकरण पंजीकरण सहायक, वार्ड सहायक/अर्दली।

[36] चिकित्सा अधिकारी, नैदानिक मनोवैज्ञानिक/मानसिक स्वास्थ्य सामाजिक कार्यकर्ता

[37] मनोचिकित्सक, नैदानिक मनोवैज्ञानिक, मनोचिकित्सा नर्स

2.1.7.4 मानसिक अस्पतालों में रेडियोलॉजिस्ट की पदस्थापना

राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान द्वारा वर्ष 2000 में जारी जी.एम.एच. के लिए न्यूनतम देखभाल मानक के अनुसार, सभी जी.एम.एच. में एक्स-रे, ई.सी.जी. तथा मनो-नैदानिक आकलन आदि की सुविधाएँ उपलब्ध होना आवश्यक है।

यह देखा गया कि वर्ष 2021-24 के दौरान दोनों जी.एम.एच. में स्वीकृत एक-एक पद के विरुद्ध कोई भी रेडियोलॉजिस्ट पदस्थ नहीं था। हमने देखा कि जी.एम.एच. ग्वालियर में 417 एक्स-रे[38] तथा जी.एम.एच. इंदौर में 1689[39] एक्स-रे, ई.सी.जी. एवं ई.ई.जी. किए गए। रेडियोलॉजिस्ट की अनुपस्थिति में इन इमेजों का विश्लेषण उपलब्ध चिकित्सा दल द्वारा किया जा रहा था। मनोचिकित्सकों द्वारा रेडियोलॉजिस्ट से इमेजों का विश्लेषण प्राप्त किए बिना ही रोगियों को सीधे उपचार प्रदान किया जा रहा था।

शासन ने बताया (जुलाई 2025) कि रिक्त पदों को भरने के लिए कार्रवाई प्रारंभ की जा रही थी।

2.1.7.5 मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों (एम.एच.ई.) में सुविधाओं का अभाव

मानसिक स्वास्थ्य देखभाल (सी.एम.एच.ए.) विनियम, 2020 में एम.एच.ई. के लिए न्यूनतम मानक निर्धारित किए गए हैं, जैसे कि पक्का ढांचा जिसमें क्रियाशील खिड़कियाँ एवं दरवाजे हों, पृथक-पृथक शय्याएँ, गद्दे, तकिए एवं कंबल, स्वच्छता, साफ-सफाई की व्यवस्था, पुरुष एवं महिला भर्ती रोगियों के लिए अलग-अलग वार्ड, बिस्तरों के बीच आसपास की पर्याप्त जगह इत्यादि। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एन.एच.आर.सी.) के प्रकाशन (दिसंबर 2012) में यह परिकल्पित किया गया है कि मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों को गरिमा पूर्ण जीवन सुनिश्चित किया जाना चाहिए तथा उन्हें अच्छी गुणवत्ता की देखभाल एवं उपचार प्रदान करने की आवश्यकता है।

संयुक्त भौतिक सत्यापन (जे.पी.वी.) के दौरान यह पाया गया कि नमूना जांच किए गए जी.एम.एच., जी.एम.सी. तथा जिला अस्पतालों में मानसिक रूप से बीमार मरीजों के लिए न्यूनतम सुविधाओं का अभाव था, जैसे कि शौचालयों में स्वच्छता, मरीजों के लिए पृथक-पृथक शय्याएँ एवं तकिए, बिस्तर की चादरों (लिनेन) की नियमित सफाई एवं बदलना, पुरुष एवं महिला मरीजों के लिए अलग-अलग वार्ड एवं शौचालय, तथा पेयजल की सुविधाएँ जिसका विवरण ***परिशिष्ट-2.1.12*** में दिया गया है तथा एम.एच.ई. में न्यूनतम मानकों की अनुपलब्धता को दर्शाते हुए इसे ***चित्र-2.1.1*** से ***2.1.4*** में भी प्रदर्शित किया गया है।

चित्र-2.1.1: एम.एच. ग्वालियर के महिला क्लोज्ड वार्ड में बिस्तरों के आसपास कम स्थान

चित्र-2.1.2: एम.एच. इंदौर के पुरुष आई.पी.डी. वार्ड में बिस्तरों के आसपास कम स्थान

---

[38] वर्ष 2021-22 में 163, 2022-23 में 152 एवं 2023-24 में 102।

[39] वर्ष 2021-24 के दौरान 358 एक्स-रे, 727 ई.सी.जी. एवं 604 ई.ई.जी. किए गए।

चित्र-2.1.3 एवं 2.1.4: एम.एच. ग्वालियर में मानसिक रूप से बीमार मरीजों के लिए बिस्तर खुले एवं दुर्गंधयुक्त शौचालय के सामने पाए गए

इसके अतिरिक्त, संयुक्त भौतिक सत्यापन से यह भी पाया गया कि जी.एम.एच. ग्वालियर एवं जिला अस्पताल, रतलाम के भवन जीर्ण-शीर्ण स्थिति में थे। जी.एम.एच. ग्वालियर की दीवारों में सीलन थी एवं जिला अस्पताल रतलाम की छत में भी सीलन पाई गई। जिला अस्पताल, रतलाम में ओ.पी.डी. क्षेत्र के पास छत से पानी टपक रहा था। जी.एम.एच. ग्वालियर के पुरुष एवं महिला क्लोज्ड वार्डो के शौचालय तथा स्नानघर उपयोग योग्य स्थिति में नहीं थे, जैसा कि **चित्र-2.1.5 से 2.1.8** में दर्शाया गया है।

चित्र-2.1.5: जी.एम.एच. ग्वालियर में पुरुष आई.पी.डी. वार्ड के वॉशरूम की जीर्ण-शीर्ण स्थिति

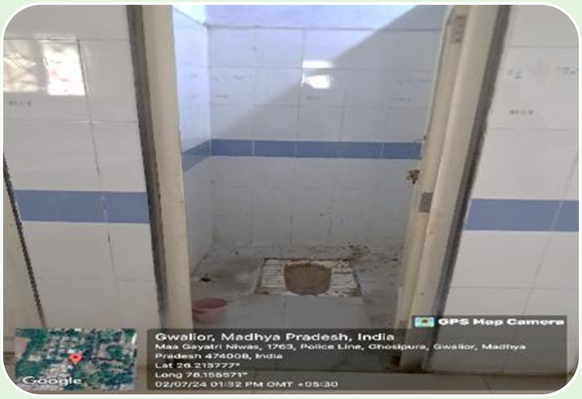

चित्र-2.1.6*:* जी.एम.एच.ग्वालियर में महिला आई.पी.डी. वार्ड के वॉशरूम में ब्लॉकेज

चित्र-2.1.7*:* जी.एम.एच. ग्वालियर में महिला आई.पी.डी. वार्ड के वॉशरूम की जर्जर हालत

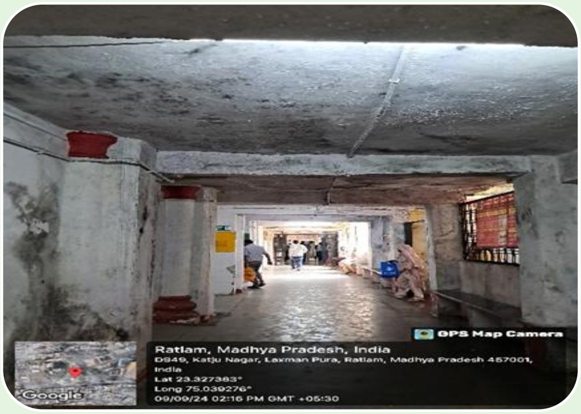

चित्र-2.1.8*:* जिला अस्पताल रतलाम के अस्पताल भवन की जीर्ण-शीर्ण हालत

संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान यह भी पाया गया कि जी.एम.एच. ग्वालियर एवं इंदौर में ओ.पी.डी. काउंटर एवं ओ.पी.डी. क्षेत्र अत्यधिक भीड़-भाड़ वाले थे (जैसा कि ***चित्र-2.1.9*** से ***2.1.10*** में दर्शाया गया है) तथा प्रतीक्षा कर रहे मरीजों एवं उनके परिजनों के लिए बैठने की व्यवस्था एवं ठहरने के लिए कक्ष (अगले दिन फॉलो-अप जाँच के कारण रुकने की स्थिति में) उपलब्ध

नहीं थे। इसके अतिरिक्त, नमूना जांच किये गए एम.एच.ई. में पुरुष एवं महिला मरीजों के लिए पृथक ऑक्यूपेशनल थेरेपी यूनिट, योग, प्राणायाम, ध्यान, प्रार्थना एवं मनोरंजन के लिए पृथक स्थान भी उपलब्ध नहीं पाए गए। इनके अतिरिक्त, एम.एच. द्वारा मरीजों के पर्सनल हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री एवं केस हिस्ट्री के अभिलेखन के लिए कोई सॉफ्टवेयर भी विकसित नहीं किया गया था।

चित्र-2.1.9: जी.एम.एच. ग्वालियर में अपर्याप्त पंजीकरण काउंटर

चित्र-2.1.10: जी.एम.एच. इंदौर में पंजीकरण काउंटर पर अपर्याप्त स्थान

इस प्रकार, विभाग मानसिक रूप से बीमार मरीजों के लिए मूलभूत सुविधाओं को सुनिश्चित नहीं कर सका। यह आकलित किया गया कि सुविधाओं की अनुपलब्धता मरीजों एवं उनके देखभालकर्ताओं के लिए कष्टकारी होगी, जिससे वे उपचार प्राप्त करने से हतोत्साहित हो सकते हैं।

राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण ने बताया (जून 2025) कि न्यूनतम मानक तैयार करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण के गठन के चार वर्ष व्यतीत हो जाने के बावजूद न्यूनतम मानकों की तैयारी की प्रक्रिया अभी भी चल रही थी।

2.1.7.6 सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस (सी.ओ.ई.) की स्थापना के लिए निधि का उपयोग

भारत सरकार ने मानव संसाधन की भारी कमी को दूर करने तथा दीर्घकाल में मानसिक स्वास्थ्य देखभाल हेतु अत्याधुनिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए चिन्हित मौजूदा मानसिक चिकित्सालयों के उन्नयन एवं सुदृढ़ीकरण द्वारा सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस स्थापित करने हेतु निधि प्रदान की। इस समर्थन में पूंजीगत कार्य[40], उपकरण एवं साज-सज्जा, संकाय की नियुक्ति तथा प्रतिधारण सम्मिलित होंगे। सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस योजना के अंतर्गत मानसिक चिकित्सालय ग्वालियर एवं इंदौर का चयन किया गया था। केंद्र तथा राज्य सरकार के मध्य निधि साझा करने का अनुपात क्रमशः 60 प्रतिशत एवं 40 प्रतिशत था।

2.1.7.6 (क) उन्नयन के लिए निधि जारी करने एवं उपयोग में अनियमितता

यह देखा गया कि भारत सरकार ने जी.एम.एच. ग्वालियर में सी.ओ.ई. की स्थापना के लिए संचालनायल, चिकित्सा शिक्षा (डी.एम.ई.) को ₹ 4.76 करोड़[41] जारी (फरवरी एवं मार्च 2016) किए। हालांकि, डी.एम.ई. ने प्रशासनिक अनुमोदन में विलम्ब के कारण जी.एम.एच. ग्वालियर को राज्य के समांश राशि ₹ 3.18 करोड़ के साथ राशि जारी (जून 2024 तक) नहीं की, जिसके

40 शैक्षणिक ब्लॉक, पुस्तकालय, छात्रावास, प्रयोगशाला, सहायक विभाग, व्याख्यान कक्ष आदि।

41 फरवरी 2016 में ₹3.25 करोड़ तथा मार्च 2016 में ₹1.51 करोड़

परिणामस्वरूप आठ वर्षों तक भारत सरकार की निधि निष्क्रिय रहने के अलावा मानसिक रूप से बीमार रोगियों के इलाज के लिए सुविधाओं का विकास नहीं हुआ।

यह भी देखा गया कि भारत सरकार द्वारा निधि निर्मुक्त करने हेतु जारी (फरवरी 2016) किए गए स्वीकृति पत्र की प्रति के आधार पर, एन.एच.एम. भोपाल ने त्रुटिवश जी.एम.एच. ग्वालियर को अपने स्वयं के फंड से ₹3.25 करोड़ की राशि जारी (अगस्त 2016) कर दी। एन.एच.एम. ने रिफंड के लिए डी.एम.ई. के साथ तीन पत्राचार किए, लेकिन राशि वापस नहीं की गई।

इसके अतिरिक्त, जी.एम.एच. ग्वालियर ने रखरखाव एवं हाउसकीपिंग सेवाओं पर ₹ 91.60 लाख खर्च किए, जो सी.ओ.ई. के तहत निर्धारित घटकों[42] के विरुद्ध था एवं मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम (एम.पी.एल.यू.एन.) के माध्यम से ₹ 9.19 लाख खर्च किए, जिसके लिए उसके पास व्यय का विवरण उपलब्ध नहीं था। शेष राशि को सी.ओ.ई. के निर्धारित घटकों पर व्यय किया गया।

तदनुसार, जी.एम.एच., ग्वालियर ने भारत सरकार को ₹3.25 करोड़ का उपयोगिता प्रमाण पत्र (अगस्त 2019) भेजा। इस प्रकार, एम.एच. ग्वालियर ने उन उद्देश्यों पर ₹1.01 करोड़ का व्यय किया जो सी.ओ.ई. के घटकों से संबंधित नहीं थे।

शासन ने प्रेक्षणों को स्वीकार किया एवं सुधारात्मक कार्रवाई करने का आश्वासन (जुलाई 2025) दिया।

2.1.7.6 (ख) निधि जारी करने में विलंब

यह पाया गया कि भारत सरकार ने सी.ओ.ई. के तहत जी.एम.एच. इंदौर के उन्नयन के लिए ₹4 करोड़ स्वीकृत (दिसंबर 2016) एवं जारी किए (जनवरी 2017), साथ ही निर्देश दिए कि राज्य की समांश निधि को यथाशीघ्र जारी किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

डी.एम.ई., भोपाल ने (जून 2023 से अप्रैल 2024 के बीच) भारत सरकार की अनुदान राशि को राज्य के समांश ₹ 4 करोड़ के साथ क्रियान्वयन एजेंसियों[43] को जारी किया, जिसमें 6 वर्ष 4 माह से[44] 7 वर्ष 2 माह[45] तक का विलंब हुआ। धनराशि जारी करने में हुए विलंब के कारण उन्नयन कार्य प्रभावित हुआ एवं लाभार्थी बेहतर सुविधाओं से वंचित रहे।

आयुक्त, डी.एम.ई. ने बताया (जनवरी 2025) कि प्रस्ताव के लिए प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त होने में विलंब के कारण यह देरी हुई।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि प्रस्तुत कारण सात वर्षों के विलम्ब को न्यायसंगत नहीं ठहराता।

2.1.7.7 गृह-आधारित पुनर्वास केंद्र (एच.बी.आर.सी.) की स्थापना

एम.एच. एक्ट में मानसिक रूप से बीमार मरीजों के लिए गृह-आधारित पुनर्वास[46] की व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण (एस.जे. एंड ई.पी.डी.) विभाग, मध्य प्रदेश शासन ने जिला ग्वालियर में दो एवं जिला इंदौर में एक एच.बी.आर.सी. स्थापित करने के निर्देश (जुलाई 2017) दिए, जिनमें प्रत्येक की क्षमता 50 सीटों की होगी। इन एच.बी.आर.सी. में पुरुष एवं महिला मरीजों के लिए पृथक व्यवस्थाएँ की जाएगी।

---

[42] पूंजीगत कार्य, तकनीकी उपकरण, गैर-तकनीकी उपकरण, पुस्तकालय एवं संकाय तथा तकनीकी कर्मचारियों की तैनाती

[43] परियोजना क्रियान्वयन इकाई (पी.आई.यू.) एवं लोक निर्माण विभाग (पी.डब्ल्यू.डी.), भोपाल

[44] जनवरी 2017 से जून 2023

[45] जनवरी 2017 से अप्रैल 2024

[46] ऐसे स्वस्थ हो चुके मरीजों के लिए गृह-आधारित पुनर्वास केंद्र स्थापित किया जाता है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती रहने की आवश्यकता नहीं होती तथा जिनके पास परिवार नहीं होता या जिनके परिवार ने उन्हें स्वीकार नहीं किया होता।

यह देखा गया कि ग्वालियर एवं इंदौर में एक-एक एच.बी.आर.सी स्थापित किया गया, जिनकी क्षमता घटाकर केवल 25 बिस्तर कर दी गई तथा वहाँ केवल महिलाओं के लिए ही व्यवस्था की गई। एम.एच. ग्वालियर ने (सितंबर 2022) में एस.जे. एंड ई.पी.डी. विभाग से पुरुषों के लिए एच.बी.आर.सी. स्थापित करने तथा महिलाओं के लिए भी एच.बी.आर.सी की क्षमता बढ़ाने का अनुरोध किया, किंतु विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। पुरुषों के लिए एच.बी.आर.सी की स्थापना न होने तथा महिलाओं के लिए अपर्याप्त बिस्तर क्षमता के कारण 105 स्वस्थ हो चुके मरीजों को जी.एम.एच. में मानसिक रूप से बीमार मरीजों के साथ ही रहने के लिए विवश होना पड़ा, जैसा कि ***चार्ट-2.1.7*** में दर्शाया गया है।

चार्ट- 2.1.7: स्वस्थ हुए पुरुष/महिला रोगियों की संख्या

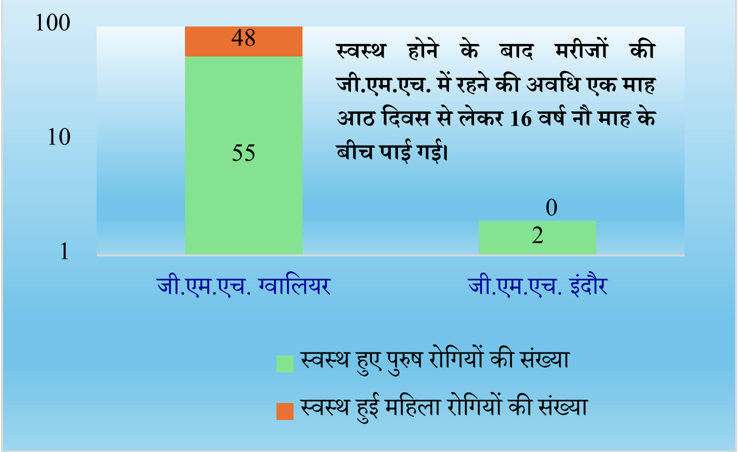

स्रोत: विभाग द्वारा प्रदान किए गए अभिलेख

शासन ने प्रेक्षणों को स्वीकार किया एवं कहा (जुलाई 2025) कि इस संबंध में कार्रवाई की जाएगी।

2.1.7.8 मानसिक रोगियों के लिए गुणवत्तापूर्ण भोजन का अभाव

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एन.एच.आर.सी.) की रिपोर्ट, 2012 के अनुसार मानसिक रूप से अस्वस्थ मरीजों को निर्धारित मानकों के अनुसार पूर्ण, संतुलित एवं पौष्टिक भोजन प्राप्त करने का अधिकार है, अर्थात महिलाओं के लिए 2,500 किलो कैलोरी तथा पुरुषों के लिए 3,000 किलो कैलोरी प्रतिदिन। चिकित्सा शिक्षा विभाग, मध्य प्रदेश शासन ने भोजन पर व्यय के लिए प्रति आई.पी.डी. मरीज प्रति दिन ₹ 48 निर्धारित (जून 2019) किए।

यह देखा गया कि एन.एच.आर.सी.ने यह कहते हुए कि निर्धारित खाद्य सामग्री को आई.पी.डी. रोगियों को उपलब्ध कराने हेतु वर्तमान निर्धारित राशि पर्याप्त नहीं है, जी.एम.एच. इंदौर के लिए खाद्य मद की राशि ₹ 80 (नवंबर 2022) तथा जी.एम.एच. ग्वालियर के लिए ₹ 75 (जनवरी 2024) तक बढ़ाने की अनुशंसा की। यह पाया गया कि जी.एम.एच. ग्वालियर एवं जी.एम.एच. इंदौर ने (2021-24) के दौरान आई.पी.डी. मरीजों के भोजन पर क्रमशः ₹ 65.43[47] एवं ₹ 48 प्रति मरीज प्रति दिन व्यय किए। जी.एम.एच. इंदौर द्वारा बार-बार किए गए अनुरोधों (जुलाई 2021, मई 2022 एवं सितंबर 2022) के बावजूद आयुक्त, डी.एम.ई. ने निर्धारित दरों में वृद्धि नहीं की। यह भी देखा गया कि जी.एम.एच. ग्वालियर में डायटीशियन का कोई पद स्वीकृत नहीं था एवं जी.एम.एच. इंदौर में यह पद स्वीकृत होने के बावजूद रिक्त था। इस प्रकार, विभाग द्वारा एन.एच.आर.सी. की अनुशंसा के अनुसार राशि बढ़ाने एवं जी.एम.एच. में डायटीशियन की पदस्थापना के लिए कार्रवाई नहीं की गई, जिसके परिणामस्वरूप मरीज गुणवत्तापूर्ण भोजन से वंचित रहे।

शासन ने इन प्रेक्षणों को स्वीकार किया एवं बताया (जुलाई 2025) कि न्यूनतम मानकों एवं विनियमों को तैयार करने की प्रक्रिया प्रक्रियाधीन थी।

47 जी.एम.एच., ग्वालियर ने प्रति मरीज प्रति दिन ₹17 (₹65 – ₹48) की शेष राशि मानसिक अस्पताल को प्राप्त अनुदान से वहन की।

2.1.7.9 नाबालिगों के लिए पृथक आवास व्यवस्था

एम.एच. एक्ट के अनुसार, किसी एम.एच.ई. में भर्ती किए गए नाबालिग को वयस्कों से पृथक रखा जाना चाहिए तथा उसे ऐसे वातावरण प्रदान किया जाना चाहिए जो उसकी आयु एवं विकासात्मक आवश्यकताओं का ध्यान रखता हो।

यह देखा गया कि 2021-24 के दौरान नमूना जांच किये गए किसी भी एम.एच.ई. में नाबालिगों के लिए पृथक आवास की व्यवस्था उपलब्ध नहीं थी। परिणामस्वरूप चयनित एम.एच.ई. में 306 नाबालिगों[48] को पुरुष एवं महिला वार्डों में वयस्कों के साथ रहने के लिए विवश होना पड़ा।

शासन ने आपत्तियों को स्वीकार किया तथा यह कहा (जुलाई 2025) कि न्यूनतम मानक एवं विनियम बनाने की प्रक्रिया प्रगति पर है।

2.1.7.10 डिस्चार्ज किए गए रोगियों का फॉलो-अप

एम.एच. एक्ट के अनुसार, जब भी किसी मानसिक रोग से उपचाराधीन व्यक्ति को किसी एम.एच.ई.से समुदाय में छुट्टी (डिस्चार्ज) दी जाती है, तो उस व्यक्ति की देखभाल के लिए उत्तरदायी मनोचिकित्सक द्वारा उस मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति के लिए फॉलो-अप प्लान तैयार किया जाना आवश्यक है।

यह देखा गया कि 2021-24 के दौरान चयनित जी.एम.एच., जी.एम.सी. एवं जिला अस्पतालों से 5,769 मरीजों[49] को किसी भी फॉलो-अप के बिना डिस्चार्ज कर दिया गया। इस प्रकार, मानसिक मरीज की देखभाल के लिए उत्तरदायी मनोचिकित्सकों ने मरीजों को फॉलो-अप के माध्यम से आगे की दिशा प्रदान नहीं की। फॉलो-अप के अभाव में मानसिक बीमारी की पुनरावृत्ति की संभावना को नकारा नहीं जा सकता।

शासन ने इन प्रेक्षणों को स्वीकार किया एवं बताया (जुलाई 2025 में) कि भविष्य में डिस्चार्ज किये जाने वाले मरीजों का फॉलो-अप सुनिश्चित किया जाएगा।

2.1.7.11 चिकित्सीय सलाह के विरुद्ध प्रस्थान (लामा)/ भाग गए मरीजों की ट्रैकिंग

चिकित्सीय सलाह के विरुद्ध प्रस्थान (लामा) एवं मरीजों का भाग जाना क्रमशः स्वास्थ्य देखभाल सेवा की गुणवत्ता तथा सुरक्षा सेवाओं में लापरवाही को दर्शाने वाले परफॉर्मेंस इंडिकेटर हैं।

यह देखा गया कि चार एम.एच.ई. में 409[50] प्रकरणों में मानसिक मरीजों द्वारा चिकित्सीय सलाह के विरुद्ध प्रस्थान (लामा) लेने अथवा भाग जाने की घटनाएँ दर्ज थीं। इन एम.एच.ई. में ऐसे मरीजों का पता लगाने की कोई व्यवस्था नहीं थी, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि इन मरीजों ने उपचार प्राप्त किया है। संयुक्त भौतिक सत्यापन (जनवरी 2025) के दौरान यह पाया गया कि जी.एम.सी., ग्वालियर के मनोचिकित्सा विभाग में कोई भी सुरक्षा कर्मी उपलब्ध नहीं था। यह स्थिति एम.एच.ई. में असंतोषजनक स्वास्थ्य सेवाओं तथा सुरक्षा सेवाओं की कमी को दर्शाती है।

इस प्रेक्षण के प्रत्युत्तर में एम.एच.ई. ने इस प्रकरण को स्वीकार किया तथा मरीजों के भाग जाने की घटनाओं का कारण अपर्याप्त सतर्कता एवं मरीजों के प्रबंधन में सुरक्षा कर्मियों के अपर्याप्त प्रशिक्षण को बताया। उन्होंने आगे आश्वासन दिया कि निवारक

---

48 जी.एम.एच. ग्वालियर-77, एम.एच.. इंदौर-52, जी.एम.सी. भोपाल -90, जी.एम.सी. ग्वालियर-27, जी.एम.सी. रतलाम-07, डी.एच. खंडवा-53

49 जी.एम.एच. ग्वालियर-251, एम.एच. इंदौर-2655, जी.एम.सी. भोपाल-1116, जी.एम.सी. ग्वालियर-211, जी.एम.सी. रतलाम-97, डी.एच. भोपाल-55, डी.एच. खंडवा-1289 एवं डी.एच. रतलाम-95

50 जी.एम.एच. ग्वालियर: भाग गए-06, एम.एच. इंदौर: लामा- 151 एवं भाग गए-126, जी.एम.सी. ग्वालियर: लामा-09 एवं भाग गए-04, जी.एम.सी. भोपाल: भाग गए-113

उपायों के रूप में सुरक्षा कर्मियों की संख्या में वृद्धि, सी.सी.टी.वी. कैमरों की स्थापना, प्रवेश एवं निकास बिंदुओं को सीमित करना, कर्मचारियों का नियमित प्रशिक्षण तथा उच्च जोखिम वाले मरीजों की उन्नत निगरानी सुनिश्चित की जाएगी। राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण ने बताया (जून 2025) कि न्यूनतम मानकों की तैयारी की प्रक्रिया अंतिम चरण में है।

2.1.7.12 अग्नि सुरक्षा मानदंडों का पालन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मध्य प्रदेश शासन ने सभी संभागीय आयुक्तों/कलेक्टरों तथा शासकीय चिकित्सा संस्थानों को निर्देश जारी (नवंबर 2021) किए कि सभी मेडिकल कॉलेजों, जिला अस्पतालों एवं सिविल अस्पतालों में मूलभूत अग्नि एवं विद्युत सुरक्षा प्रोटोकॉल के अनुसार अग्नि दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाए, साथ ही स्वास्थ्य संस्थानों के लिए फायर एन.ओ.सी. प्राप्त की जाए, वर्ष में दो बार प्रशिक्षण एवं मॉक रिहर्सल आयोजित की जाए तथा नियमित रूप से अग्नि एवं विद्युत लेखापरीक्षा सुनिश्चित की जाए। इन निर्देशों की प्रति सभी शासकीय चिकित्सा संस्थानों के प्रमुखों को भी भेजी गई।

यह देखा गया कि जी.एम.एच. ग्वालियर, जी.एम.सी. रतलाम तथा जिला अस्पताल भोपाल, ग्वालियर एवं खंडवा के पास 2022-24 के दौरान फायर एन.ओ.सी. उपलब्ध नहीं थी। नमूना जाँच किये गए किसी भी स्वास्थ्य संस्थान में अग्नि सुरक्षा से संबंधित प्रशिक्षण एवं अभ्यास (वर्ष में दो बार) आयोजित नहीं किए गए, केवल जी.एम.सी. भोपाल में जून 2023 में एक बार प्रशिक्षण आयोजित किया गया, जबकि 2022-24 की अवधि में आवश्यकतानुसार चार बार आयोजित किया जाना था। जी.एम.सी. ग्वालियर तथा जिला अस्पताल ग्वालियर में अग्नि एवं विद्युत लेखापरीक्षा भी नहीं की गई। इसके अतिरिक्त जिला अस्पताल भोपाल, ग्वालियर, खंडवा एवं रतलाम में पुराने तथा ढीले विद्युत तारों को भी प्रतिस्थापित नहीं किया गया।

इस प्रकार, उपर्युक्त एम.एच.ई. के प्रमुखों द्वारा अग्नि सुरक्षा मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करने हेतु कोई कार्रवाई नहीं की गई। फायर एन.ओ.सी. प्राप्त न करने से मरीजों एवं कर्मचारियों की सुरक्षा के साथ समझौत हुआ जिससे संस्थान को गंभीर अग्नि जोखिमों एवं नियामक गैर-अनुपालन का सामना करना पड़ता है।

राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण ने बताया (जून 2025) कि न्यूनतम मानकों की तैयारी, अंतिम रूप दिए जाने की प्रक्रिया में है।

यह उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि अग्नि सुरक्षा मानकों का पालन न करने से आग लगने की स्थिति में जनहानि, चोट एवं महत्वपूर्ण अधोसंरचना के नष्ट होने की संभावना हो सकती है।

2.1.7.13 टेली मानस का क्रियान्वयन

2.1.7.13 (अ) कॉल कनेक्टिविटी एवं फॉलो-अप तंत्र में कमियां

भारत सरकार के राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (एन.टी.एम.एच.पी.) के परिचालन दिशा-निर्देशों के अनुसार, राज्यों के बीच टेली मानसिक स्वास्थ्य सहायता एवं नेटवर्किंग (टेली-मानस) को एक व्यापक, एकीकृत एवं समावेशी 24x7 टेली मानसिक स्वास्थ्य सुविधा के रूप में कार्य करने की परिकल्पना की गई है। दिशा-निर्देशों के अनुसार, काउंसलर एक प्रशिक्षित गैर-विशेषज्ञ होगा, जो टेली-मानस के माध्यम से मानसिक स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करेगा। प्रत्येक कॉल पर काउंसलर द्वारा प्रकरण की प्रकृति के अनुसार लगभग 15 से 30 मिनट व्यतीत किया जाना निर्धारित किया गया था। टेली-मानस की निगरानी के लिए निर्धारित संकेतकों में टियर-1 एवं टियर-2 में प्राप्त कॉलों की संख्या, प्रतिक्रिया समय, उपयोगकर्ताओं के साथ संतुष्टि सर्वेक्षण एवं मरीज-स्तर के परिणाम शामिल हैं।

अक्टूबर 2022 से मार्च 2024 की अवधि के लिए टेली-मानस सेल के आंकड़ों के विश्लेषण से यह पाया गया कि टेली-मानस सेल, ग्वालियर एवं इंदौर में प्राप्त 85,260 कॉलों में से 13,869[51] (16 प्रतिशत) कॉल कनेक्ट नहीं हो सकीं।आगे यह भी पाया गया कि जी.एम.एच., ग्वालियर में 16,238 (81 प्रतिशत) कॉल तथा जी.एम.एच., इंदौर में 32,055 (77 प्रतिशत) कॉल निर्धारित न्यूनतम 15 मिनट की अवधि से कम समय में ही डिस्कनेक्ट[52] हो गईं, जिसका विवरण ***परिशिष्ट 2.1.13*** में दिया गया है।

इसके अतिरिक्त, राज्य टेली-मानस सेल द्वारा विभिन्न जिलों में टियर-II स्तर पर प्रत्यक्ष परामर्श (इन-पर्सन कंसल्टेशन) हेतु मरीजों को रेफर किया गया। तथापि, राज्य टेली-मानस सेल एवं जिला अस्पतालों के पास रेफर मरीजों द्वारा परामर्श प्राप्त किए जाने संबंधी आंकड़े उपलब्ध नहीं थे, जिसका विवरण ***तालिका-2.1.3*** में दिया गया है।

तालिका-2.1.3: नमूना-जांच किए गए माहों में टियर-II को रेफर मरीजों का विवरण

	टेली-मानस सेल, ग्वालियर द्वारा प्रत्यक्ष परामर्श हेतु रेफर कुल मरीजों की संख्या	**टेली-मानस सेल, इंदौर द्वारा प्रत्यक्ष परामर्श हेतु रेफर कुल मरीजों की संख्या**
राज्य में	1105	2102
नमूना जांच वाले जिलों में	280[53]	592[54]

स्रोत: टेली-मानस सेल से एकत्रित आंकड़े

नमूना-जांच किए गए एम.एच.ई. ने भी पुष्टि की कि रेफर मरीजों में से कोई भी प्रत्यक्ष परामर्श के लिए उपस्थित नहीं हुआ, जो रेफर मरीजों के फॉलो-अप के अभाव को दर्शाता है।

शासन ने टिप्पणियों को स्वीकार कर लिया एवं बताया (जुलाई 2025) कि कॉल की अवधि काफी हद तक रोगियों/देखभालकर्ताओं की इच्छा पर निर्भर करती है। यह भी बताया कि नवंबर 2024 में एक मिस्ड कॉल प्रणाली लागू की गई थी एवं प्रत्यक्ष परामर्श सुनिश्चित करने के लिए टेली मानस के माध्यम से रेफर मरीजों का पता लगाने के लिए प्रणाली विकसित की जाएगी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि 66 प्रतिशत कॉल पांच मिनट के भीतर डिस्कनेक्ट हो गईं, जो मरीजों को परामर्श सेवा की अपर्याप्त उपलब्धता को दर्शाती है, जो कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। इसके अतिरिक्त, संदर्भित मरीजों का फॉलो-अप एक प्रमुख परिणाम संकेतक था, जिसे पर्याप्त रूप से संबोधित नहीं किया गया प्रतीत होता है।

2.1.7.13 (ब) टेली मानस के लिए उपकरणों की अनियमित खरीद

भारत सरकार ने एन.एच.एम., भोपाल को टेली-मानस कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु आई.टी. उपकरण जैसे लैपटॉप, आई.पी. फोन आदि की खरीद के लिए निधि (अगस्त 2022) प्रदान की।

[51] ग्वालियर में 26,173 कॉल्स में से 2,909 तथा इंदौर में 59,087 कॉल्स में से 10,960 कॉल्स कनेक्ट नहीं हो सकीं। दर्शाए गए कारण थे– अटेम्प्ट फेल्ड, बिज़ी, कॉल हैंगअप, कॉल नॉट पिक्ड, फेल्ड तथा प्रोवाइडर टेम्प फेल्योर।

[52] कुल मिलाकर, 78 प्रतिशत कॉल निर्धारित न्यूनतम 15 मिनट की अवधि से पहले ही डिस्कनेक्ट हो गईं, जिनमें से 66 प्रतिशत कॉल पहले पाँच मिनट के भीतर ही कट गई थी।

[53] भोपाल-54, ग्वालियर-50, इंदौर-124, खंडवा-37 एवं रतलाम-15

[54] भोपाल-90, ग्वालियर-76, इंदौर-362, खंडवा-37 एवं रतलाम-27

यह देखा गया कि मिशन संचालक, एन.एच.एम., भोपाल ने टेली-मानस सेलों के लिए (सितंबर 2022 में) मंजूरी दी एवं टेली-मानस सेलों के लिए ₹1.99 लाख की लागत से 20 इंटरनेट प्रोटोकॉल (आई.पी.) फोन तथा डी.एच. में रेफरल लिंक स्थापित करने के लिए ₹48.66 लाख की लागत से 102 लैपटॉप की स्वीकृति (सितंबर 2022) प्रदान की तथा उनकी खरीद (अक्टूबर 2022 से मार्च 2023 के बीच) की। आई.पी. फोन टेली-मानस सेल्स में निष्क्रिय पड़े पाए गए, तथा मार्गदर्शक संस्थान, एम्स, भोपाल के वरिष्ठ सलाहकार ने टिप्पणी (मार्च 2023) की कि जिला अस्पतालों के ओ.पी.डी. (मनकक्ष[55]) में ऑडियो/वीडियो परामर्श सेवाएँ शुरू नहीं होने के कारण आई.पी. फोन का कोई उपयोग नहीं हुआ। इसके अतिरिक्त, जानकारी मिली कि लैपटॉप का उपयोग टेली-मानस से मनकक्ष को रेफर प्रकरणों के डेटा भरने के बजाय ओ.पी.डी. डेटा की दैनिक प्रविष्टियाँ स्मार्ट पोर्टल में करने के लिए किया गया। इस प्रकार, ₹50.65 लाख मूल्य के उपकरण एक वर्ष से अधिक तक निष्क्रिय रहे अथवा अन्य प्रयोजनों के लिए उपयोग किए गए।

शासन ने जुलाई 2025 में इस अवलोकन को स्वीकार किया एवं बताया कि आई.पी. फोन भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार खरीदे गए थे। साथ ही, मनकक्ष (डी.एम.एच.पी.) के स्टाफ, लैपटॉप का उपयोग स्मार्ट पोर्टल में दैनिक ओ.पी.डी. डेटा दर्ज करने, मासिक रिपोर्ट तैयार करने तथा ऑनलाइन समीक्षा बैठकों आदि के लिए भी कर रहे हैं।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि आई.पी. फोन की खरीद आवश्यकता का मूल्यांकन किए बिना की गई एवं लैपटॉप का रेफर लिंक स्थापित करने के उद्देश्य के अलावा अन्य कार्यों में उपयोग करना योजना के निर्धारित उद्देश्यों के अनुपालन का उल्लंघन दर्शाता है।

2.1.8 निगरानी तंत्र

2.1.8.1 राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण (एस.एम.एच.ए.) बैठकों में कमी

एम.एच. एक्ट यह प्रावधान करता है कि राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण की बैठकें समय-समय पर आयोजित की जाएंगी, परंतु एक वर्ष में चार बार से कम नहीं होंगी।

यह पाया गया कि राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण के गठन (सितंबर 2020) के बाद अब तक केवल एक बैठक (दिसंबर 2020) ही आयोजित की गई, जबकि आवश्यक 14 बैठकों[56] का आयोजन होना था। समय-समय पर बैठकों का न होना कुप्रबंधन, निर्णयों में विलंब तथा राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा किए जाने वाले कार्यों में संभावित कमियों का कारण बन सकता है।

शासन ने इन प्रेक्षणों को स्वीकार किया एवं बताया (जुलाई 2025) कि राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण की बैठकें एम.एच. एक्ट के अनुसार आयोजित की जाएंगी।

2.1.8.2 राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण में स्टाफ की कम पदस्थापना

राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी दैनिक कार्यों के निष्पादन के लिए उत्तरदायी थे। इसके अलावा, एन.एच.एम. ने राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण के संचालन हेतु पदों की स्वीकृति प्रदान की थी (मार्च 2020)।

[55] मानसिक स्वास्थ्य रोगियों के लिए समर्पित एक कमरा

[56] सितंबर 2020 से मार्च 2024 के दौरान।

यह पाया गया कि स्वीकृत 10 पदों में से विभाग ने केवल तीन नियमित स्टाफ को राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण में पदस्थ किया, चार पद या तो संलग्न कर अथवा अतिरिक्त प्रभार के माध्यम से भरे गए एवं तीन पद रिक्त रहे (विवरण ***परिशिष्ट 2.1.14*** में दिया गया है)। स्टाफ की कमी ने राज्य में मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम के क्रियान्वयन को प्रतिकूल प्रभावित किया, जैसा कि ***कण्डिका 2.1.5.6*** एवं ***2.1.5.7*** में उल्लेख किया गया है।

अपने उत्तर में में, राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण ने बताया (जून 2025) कि 10 रिक्त पदों में से सात पर एन.एच.एम. के कर्मचारी संबद्ध किए गए हैं।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण में नियमित रूप से नियुक्त कर्मचारियों की अनुपस्थिति इसके प्रभावी संचालन को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगी।

2.1.8.3 मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों (एम.एच.ई.) का पर्यवेक्षण

एम.एच. एक्ट में प्रावधान है कि राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण को प्रत्येक पंजीकृत एम.एच.ई. का प्रत्येक तीन वर्ष में लेखापरीक्षा करना आवश्यक है, ताकि एम.एच.ई. द्वारा न्यूनतम मानकों के पालन को सुनिश्चित किया जा सके।

यह पाया गया कि राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण ने एम.एच.ई. में न्यूनतम मानकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु लेखापरीक्षा का आयोजन नहीं किया, जिसके अभाव में एम.एच.ई. में न्यूनतम सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

शासन ने टिप्पणियों को स्वीकार किया एवं बताया कि (जुलाई 2025) एम.एच.ई. के पर्यवेक्षण की प्रक्रिया चल रही है।

2.1.8.4 वार्षिक रिपोर्ट एवं वार्षिक कैलेंडर तैयार करना

एम.एच. एक्ट में कहा गया है कि राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण को प्रत्येक वर्ष अपनी पिछली वर्ष की गतिविधियों का पूरा विवरण प्रस्तुत करते हुए वार्षिक रिपोर्ट तैयार करनी थी, जिसे राज्य विधानसभा के समक्ष रखा जाना था। इसके अलावा, एन.एम.एच.पी. के तहत गतिविधियों के निष्पादन के लिए एन.एच.एम. द्वारा जारी कार्य योजना (जून 2021, अगस्त 2022 एवं जून 2023) के अनुसार, संबंधित जिले के मनकक्ष के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी को प्रत्येक गतिविधि के अनुसार वार्षिक कैलेंडर तैयार करना होता है एवं इसे राज्य को भेजना होता है।

यह पाया गया कि राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण ने 2021-24 की अवधि के लिए वार्षिक रिपोर्ट तैयार नहीं की। इसके अलावा, नमूना जांच किये जिला अस्पतालों ने वर्ष के लिए नियोजित गतिविधियों वाला वार्षिक कैलेंडर भी नहीं भेजा। वार्षिक रिपोर्ट एवं कैलेंडर की समय पर तैयारी राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण की गतिविधियों की निगरानी के लिए आवश्यक थी।

शासन ने टिप्पणियों को स्वीकार किया एवं जुलाई 2025 में बताया कि वार्षिक कैलेंडर की तैयारी प्रक्रिया में है।

2.1.9 निष्कर्ष

म.प्र. शासन ने एम.एच. एक्ट के अंतर्गत निर्धारित कार्यों एवं दायित्वों के निर्वहन हेतु राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण का गठन दो वर्ष एवं सात माह के विलम्ब से किया। इसके गठन के पश्चात भी राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण सीमित रूप से ही कार्य कर सका, जिसका कारण विशिष्ट विशेषज्ञों का नामांकन न होना एवं स्टाफ की कमी थी। इसके परिणामस्वरूप एम.एच. एक्ट के प्रावधानों का अनुपालन नहीं हो सका, जिसमें एम.एच.आर.बी. का गठन न होना, मानसिक स्वास्थ्य प्रोफेशनल्स का पंजीकरण न होना, एम.एच.ई. के लिए निर्धारित न्यूनतम मानकों का न होना, एम.एच.ई. का वर्गीकरण न होना, राज्य-विशिष्ट विनियमों का अभाव तथा एम.एच.ई. के पंजीकरण का न होना अथवा पंजीकरण में विलंब शामिल हैं।

विभाग द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण कार्यक्रमों को ए.डब्ल्यू.पी. में शामिल नहीं किया गया, ए.डब्ल्यू.पी. के प्रसारण में विलंब किया गया, मानसिक बीमारी के संबंध में जागरूकता के प्रसार हेतु गतिविधियाँ संचालित नहीं की गईं तथा मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता सेमिनार एवं काउंसलिंग सत्र आयोजित करने में भी कमी रही। एम.एच.ई. में आवश्यक दवाओं की उपलब्धता 36 माह तक नहीं रही, उपकरणों की कमी 47 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक पाई गई तथा मानव संसाधन की कमी 13 प्रतिशत से 67 प्रतिशत के बीच रही, जिससे उपचार की गुणवत्ता प्रभावित हुई। एम.एच.ई. में न्यूनतम बुनियादी सुविधाओं का अभाव पाया गया तथा अस्पताल भवन जीर्ण-शीर्ण अवस्था में थे, जिनकी दीवारों पर सीलन, छत से पानी टपकना तथा शौचालय एवं स्नानघर अनुपयोगी पाए गए। इसके अतिरिक्त, नमूना जांच किए गए किसी भी एम.एच.ई. में नाबालिगों के लिए पृथक आवास की व्यवस्था नहीं थी। डी.एम.ई. द्वारा निधि जारी करने में सात वर्ष की देरी तथा सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस निधि की ₹1.01 करोड़ राशि का अपात्र प्रयोजनों में उपयोग किए जाने से सेवा प्रदाय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। गृह-आधारित पुनर्वास केंद्रों की पर्याप्त स्थापना नहीं की गई तथा डिस्चार्ज, लामा अथवा भाग गए मरीजों के लिए कोई फॉलो-अप तंत्र नहीं था, जिससे बीमारी के पुनरावृत्ति का जोखिम बढ़ गया। टेली-मानस के क्रियान्वयन में भी कमियाँ पाई गईं, क्योंकि 16 प्रतिशत कॉल अनुत्तरित रहीं तथा कोई फॉलो-अप तंत्र नहीं था। अनियमित राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण बैठकें, एम.एच.ई. पर्यवेक्षण की अनुपस्थिति, अपर्याप्त स्टाफ एवं वार्षिक रिपोर्ट तथा कैलेंडर तैयार न करने से कमजोर निगरानी स्पष्ट थी।

लेखापरीक्षा का यह मत है कि राज्य में मानसिक स्वास्थ्य संस्थान महत्वपूर्ण कमियों के साथ कार्य कर रहे थे तथा निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं थे।

2.1.10 अनुशंसाएं

मध्य प्रदेश शासन यह सुनिश्चित करे कि:

- *एम.एच. एक्ट के प्रावधानों के अनुरूप राज्य-विशिष्ट विनियम बनाते हुए मानसिक स्वास्थ्य प्रोफेशनल्स का पंजीकरण, एम.एच.ई. का वर्गीकरण तथा एम.एच.आर.बी. का गठन किया जाए।* ***(कण्डिका 2.1.5.1 से 2.1.5.7 के संदर्भ में)***

- *नियोजित क्रियाकलापों के क्रियान्वयन एवं योजना के अनुसार जागरूकता क्रियाकलापों के आयोजन के लिए जिलों में ए.डब्ल्यू.पी. का समय पर प्रसारण किया जाए* ***(कण्डिका 2.1.6.1 से 2.1.6.5 के संदर्भ में)***

- *औषधियों एवं उपकरणों की उपलब्धता की रियल टाइम निगरानी के लिए एक डैशबोर्ड विकसित किया जाए।* ***(कण्डिका 2.1.7.1 एवं 2.1.7.2 के संदर्भ में)***

- *समयबद्ध तरीके से रिक्त पदों को भरा जाए तथा नाबालिगों के लिए पृथक आवास की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।* ***(कण्डिका 2.1.7.3 एवं 2.1.7.9 के संदर्भ में)***

- *लामा, भाग गए एवं डिस्चार्ज मरीजों के लिए फॉलो-अप तंत्र को सुदृढ़ किया जाए तथा अधिक सुलभ सेवाएँ प्रदान करने हेतु टेली-मानस के प्रदर्शन में सुधार किया जाए।* ***(कण्डिका 2.1.7.10 से 2.1.7.13 के संदर्भ में)***

- *राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण की बैठकों का नियमानुसार आयोजन, एम.एच.ई. का पर्यवेक्षण, निर्धारित मानक के अनुसार राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण में स्टाफ की पदस्थापना तथा निगरानी तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए वार्षिक रिपोर्ट/कैलेंडर की तैयारी सुनिश्चित की जाए।* ***(कण्डिका 2.1.8.1 से 2.1.8.4 के संदर्भ में)***

SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

उच्च शिक्षा विभाग, मध्य प्रदेश शासन

लेखापरीक्षा सार

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की कार्यप्रणाली पर विस्तृत अनुपालन लेखापरीक्षा

हमने यह लेखापरीक्षा क्यों की ?

- जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की स्थापना मई 1964 में हुई थी एवं यह मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 द्वारा शासित है।
- लेखापरीक्षा में अधिनियम, परिनियमों, अध्यादेशों में निर्धारित मानदंडों के अनुपालन का आकलन किया गया है।

महत्वपूर्ण तथ्य

एन.ए.ए.सी. मान्यता प्राप्त A++ ग्रेड

- ✓ *मध्य प्रदेश के आठ जिलों में क्षेत्राधिकार,*
- ✓ *12 प्रमुख संकाय, 34 शैक्षणिक विभाग,*
- ✓ *44 स्नातकोत्तर एवं 21 स्नातक पाठ्यक्रम, पांच डिप्लोमा प्रमाण पत्र,*
- ✓ *449 संबद्ध महाविद्यालय (77 शासकीय महाविद्यालय),*
- ✓ *विश्वविद्यालय विभागों में 3,361 छात्र एवं संबद्ध महाविद्यालय में 1.16 लाख छात्र।*

विश्वविद्यालय एवं नमूना-जांच किए गए महाविद्यालयों में शिक्षण एवं गैर-शिक्षण कर्मचारियों के रिक्त पदों की स्थिति

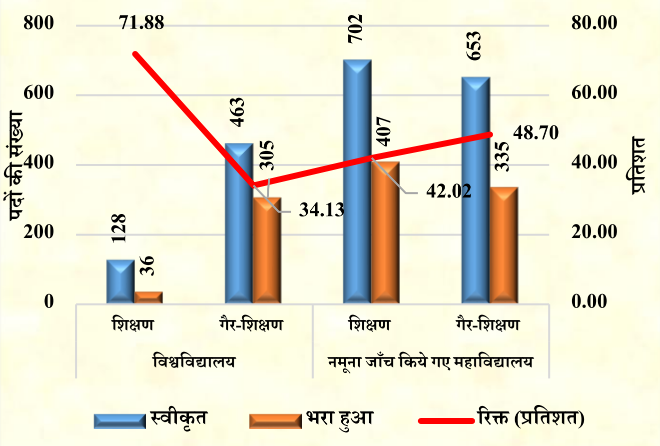

हमने क्या पाया?

- विश्वविद्यालय ने पर्याप्त शिक्षण एवं गैर-शिक्षण स्टाफ की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं की, जिससे अतिथि एवं संविदा संकायों की नियुक्ति पर निर्भरता रही।
- अवसंरचना की कमी पाई गई, जिसमें अपर्याप्त फर्नीचर, प्रयोगशाला उपकरण एवं सुरक्षा उपाय शामिल थे।
- विधि महाविद्यालय भारतीय विधिज्ञ परिषद् (बी.सी.आई.) की स्वीकृति एवं एन.ए.ए.सी. से मान्यता प्राप्त किए बिना ही संचालित पाए गए।
- विश्वविद्यालय ने सटीक एवं प्रभावी बजटीय अनुमानों की तैयारी उपार्जन आधार पर वार्षिक लेखे, बकाया अग्रिमो का समय पर समायोजन, बैंक खातों का मिलान, परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एन.एस.डी.एल.) में कर्मचारियों एवं नियोक्तओं के अंशदान का जमा होना तथा केन्द्रीय एजेंसियों से प्राप्त निधि का लक्षित उद्देश्यों के लिए सर्वोत्तम उपयोग सुनिश्चित नहीं किया।
- समर्पित आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा की स्थापना न होना, भंडारों एवं स्टॉक का आवधिक भौतिक सत्यापन न करना तथा प्रभावी आंतरिक जांच की कमी, ये सभी अपर्याप्त आंतरिक नियंत्रण एवं निगरानी तंत्रों का संकेत देते हैं।

हम क्या अनुशंसा करते हैं?

विश्वविद्यालय यह सुनिश्चित करे कि

- *अतिथि संकाय पर अत्यधिक निर्भरता को कम करने एवं संचालन की निरंतरता बनाए रखने के लिए शिक्षण तथा गैर-शिक्षण स्टाफ की समयोचित भर्ती की जाए*
- *संबद्ध महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक मानकों को बनाए रखने के लिए पर्याप्त अवसंरचना तथा आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध हैं*
- *उपार्जन आधारित वार्षिक लेखों के लिए मानकीकृत प्रप्त्रों का उपयोग करते हुए वित्तीय प्रबंधन अनुप्रयोग का क्रियान्वयन किया जाए*
- *अधिशेष निधियों के निवेश के लिए नीति का निर्माण एवं कार्यान्वयन, ताकि रणनीतिक वित्तीय निर्णय लेने की प्रक्रिया सुनिश्चित हो सके*
- *कर्मचारियों के हितों की सुरक्षा के लिए पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण को अंशदानों के समयोचित अंतरण को सुनिश्चित करने हेतु एक तंत्र स्थापित किया जाए*
- *आंतरिक नियंत्रण तंत्र को सुदृढ़ करने हेतु आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली स्थापित की जाए*

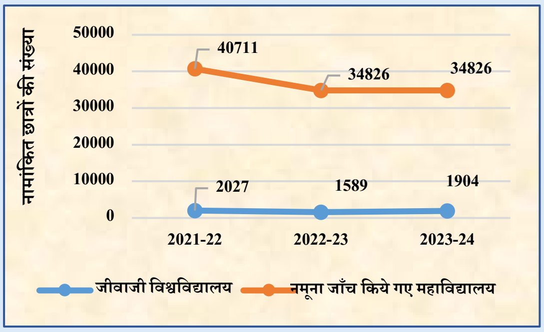

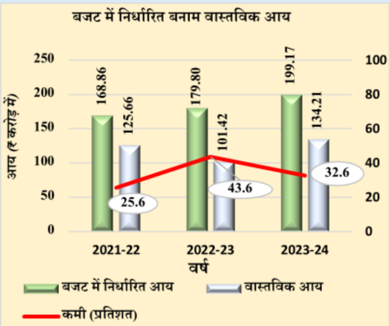

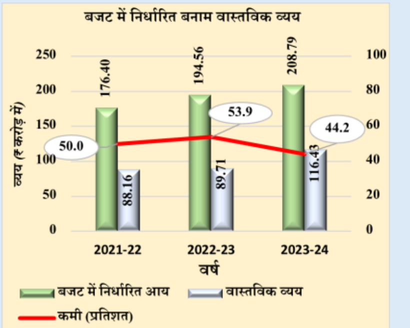

उच्च शिक्षा विभाग

2.2 "जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की कार्यप्रणाली" पर लेखापरीक्षा

2.2.1 परिचय

जीवाजी विश्वविद्यालय (विश्वविद्यालय), ग्वालियर की स्थापना मई 1964 में हुई थी तथा यह मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (अधिनियम) द्वारा शासित है। विश्वविद्यालय का अधिकार क्षेत्र राज्य के आठ जिलों[57] तक विस्तृत है। इसमें 12 प्रमुख संकाय एवं 34 शैक्षणिक विभाग सम्मिलित हैं, जो 44 स्नातकोत्तर (पी.जी.) पाठ्यक्रम, 21 स्नातक (यू.जी.) पाठ्यक्रम तथा पांच डिप्लोमा/प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम प्रदान करते हैं। मार्च 2024 तक, 449 महाविद्यालय (77 शासकीय महाविद्यालय सहित) विश्वविद्यालय से संबद्ध हैं। इसके अलावा, दो यू.जी. एवं पांच पी.जी. पाठ्यक्रम दूरस्थ शिक्षा केंद्र प्रदान करता है।

2.2.1.1 विश्वविद्यालय की रुपरेखा एवं संगठनात्मक ढांचा

विश्वविद्यालयों का संचालन उच्च शिक्षा विभाग (एच.ई.डी.) द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जिसका नेतृत्व राज्य स्तर पर अपर मुख्य सचिव (ए.सी.एस.) करते हैं। मध्य प्रदेश के राज्यपाल, विश्वविद्यालय के कुलाधिपति (चांसलर) होते हैं, जो कुलपति (वाइस चांसलर) की नियुक्ति करते हैं। विश्वविद्यालय के मुख्य कार्य एवं नियंत्रण ***चार्ट 2.2.1*** एवं ***चार्ट 2.2.2*** में दिए गए हैं।

चार्ट 2.2.1: विश्वविद्यालय के कार्य

चार्ट 2.2.2: विश्वविद्यालय का नियंत्रण

शैक्षणिक सत्र 2023-24 के दौरान, विश्वविद्यालय के विभागों एवं संबद्ध महाविद्यालयों में क्रमशः 3,661 एवं 1.16 लाख छात्रों का नामांकन किया गया। राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (एन.ए.ए.सी.) ने विश्वविद्यालय को A++ ग्रेड की मान्यता दी (अप्रैल 2023)। विश्वविद्यालय को समर्थ पोर्टल से जोड़ा गया, तथा इसका संचालन 1 अक्टूबर 2025 से प्रारंभ हुआ।

---

57 अशोकनगर, भिंड, दतिया, गुना, ग्वालियर, मुरैना, श्योपुर तथा शिवपुरी | उच्च शिक्षा विभाग, मध्य प्रदेश के आदेश (मई 2024) के अनुसार, तीन जिले गुना, अशोक नगर एवं शिवपुरी नवगठित क्रांतिवीर तात्या टोपे विश्वविद्यालय, गुना के क्षेत्राधिकार में सम्मिलित कर दिए गए।

2.2.1.2 लेखापरीक्षा क्षेत्र एवं पद्धति

विश्वविद्यालय की लेखापरीक्षा, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 के प्रावधानों के अंतर्गत संचालित की जाती है। हमने इस लेखापरीक्षा में वर्ष 2021-22 से 2023-24 की अवधि को सम्मिलित करते हुए विश्वविद्यालय वित्तीय संहिता (यू.एफ.सी.), विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू.जी.सी.), विश्वविद्यालय के परिनियमों/ अध्यादेशों[58] एवं मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 में निर्धारित मानदंडों के अनुपालन का आकलन किया। लेखापरीक्षा जांच में ए.सी.एस. एवं आयुक्त, एच.ई.डी. के कार्यालयों में संधारित अभिलेखों के साथ-साथ प्रतिचयन[59] से चयनित 77 शासकीय महाविद्यालयों में से 22[60] शासकीय महाविद्यालयों एवं 34 विश्वविद्यालय शिक्षण विभागों (यू.टी.डी.) में से नौ यू.टी.डी. के अभिलेख शामिल थे। अशासकीय महाविद्यालयों की लेखापरीक्षा नहीं की गई थी, क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय, खंडपीठ, ग्वालियर ने उनकी लेखापरीक्षा पर रोक का आदेश (सितंबर 2024) दिया था। चयनित यू.टी.डी. एवं शासकीय महाविद्यालयों का विवरण ***परिशिष्ट-2.2.1*** में दिया गया है।

विश्वविद्यालय ने वर्ष 2021-24 के दौरान 80 महाविद्यालयों[61] को संबद्धता प्रदान की थी, जिनमें से विश्वविद्यालय द्वारा लेखापरीक्षा के लिए प्रदान किए गए 40 संबद्धताओं[62] के अभिलेखों की जांच (अगस्त 2025) की गई थी। एक लाभार्थी सर्वेक्षण[63] भी आयोजित किया गया था, जिसमें चयनित महाविद्यालयों के 220 छात्रों एवं चयनित यू.टी.डी. के 84 छात्रों को शामिल किया गया था एवं उनके सुझावों को इस प्रतिवेदन में उपयुक्त रूप से शामिल किया गया है।

अपर मुख्य सचिव (ए.सी.एस.) एवं आयुक्त, एच.ई.डी. के साथ 31 जुलाई 2024 को प्रवेश सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें लेखापरीक्षा के उद्देश्यों, पद्धति, क्षेत्र एवं लेखापरीक्षा के मानदंड पर चर्चा की गई। लेखापरीक्षा के निष्कर्ष 9 जून 2025 को शासन को प्रेषित किया गया। ए.सी.एस., एच.ई.डी. के साथ 31 जुलाई 2025 को निर्गम सम्मेलन आयोजित किया गया तथा संबद्धता से संबंधित लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर चर्चा करने के लिए कुलसचिव के साथ 1 सितंबर 2025 को एक पृथक बैठक आयोजित की गई थी। शासन द्वारा लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर अलग से कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है, हालाँकि, निर्गम सम्मेलन में दी गई इसकी प्रतिक्रिया एवं विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर एवं बैठकों में प्रस्तुत किए गए उत्तरों को इस प्रतिवेदन में उपयुक्त रूप से शामिल किया गया है।

2.2.2 शैक्षणिक गतिविधियों के नियोजन, क्रियान्वयन एवं निगरानी

2.2.2.1 महाविद्यालयों की संबद्धता

विश्वविद्यालय ने मार्च 2024 तक राज्य के आठ जिलों में 449 महाविद्यालयों को संबद्धता प्रदान की। महाविद्यालयों को संबद्धता प्रदान करने की प्रक्रिया नीचे ***चार्ट 2.2.3*** में दी गई है:

58 विश्वविद्यालय का शासी निकाय द्वारा स्थापित आधिकारिक नियम, विनियम अथवा कानून

59 प्रतिस्थापन के बिना सरल यादृच्छिक प्रतिचयन (एस.आर.एस.डब्ल्यू.ओ.आर.) पद्धति।

60 चयनित शासकीय महाविद्यालय, पिपरई, अशोकनगर के स्थान पर शासकीय नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अशोकनगर को सम्मिलित किया गया है।

61 70 निजी एवं 10 शासकीय महाविद्यालय।

62 31 निजी एवं 9 शासकीय महाविद्यालय।

63 प्रत्येक नमूना-जांच किये गए इकाई में 10 छात्रों के लाभार्थी सर्वेक्षण किया गया।

चार्ट 2.2.3: महाविद्यालयों को संबद्धता प्रदान करने की प्रक्रिया

लेखापरीक्षा अवधि के दौरान 40 महाविद्यालयों[64] ***(परिशिष्ट-2.2.2)*** को संबद्धता प्रदान करने के अभिलेखों का सत्यापन किया गया, जो जीवाजी विश्वविद्यालय में संधारित किए गए थे एवं निम्नलिखित कमियां पाई गईं:

2.2.2.1 (i) संबद्ध महाविद्यालयों का निरीक्षण

परिनियम 27 में प्रावधान है कि महाविद्यालयों का निरीक्षण, कुलपति द्वारा नामित समिति[65] द्वारा किया जाएगा। निदेशक, महाविद्यालय विकास परिषद (डी.सी.डी.सी.)/कुलपति द्वारा नामित प्राध्यापक, अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगा जो निर्धारित प्रारूप में सभी सदस्यों द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित निरीक्षण प्रतिवेदन विश्वविद्यालय को प्रस्तुत करेंगे।

विश्वविद्यालय में संधारित किए गए अभिलेखों की जांच (अगस्त 2025) के दौरान पाया गया कि इस तरह के निरीक्षण करने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा वर्ष 2021-24 के दौरान कोई समिति गठित नहीं की गई थी। इस अवधि के दौरान प्रत्येक प्रकरण में तीन से चार सदस्यों द्वारा 30 निजी महाविद्यालयों में 49 निरीक्षण[66] किए गए यद्यपि, कोई औपचारिक समिति गठित नहीं की गई थे। आगे, 28 निरीक्षण प्रतिवेदनों[67] में इन सदस्यों के पदनाम उल्लिखित नहीं थे एवं निरीक्षण प्रतिवेदनों में सदस्यों की विषय विशेषज्ञता का भी उल्लेख नहीं किया गया था, जिससे निरीक्षणों की पर्याप्तता तथा विश्वसनीयता पर संदेह उत्पन्न होता हैं। विवरण ***परिशिष्ट-2.2.3*** में दिया गया है।

[64] 31 निजी एवं नौ शासकीय

[65] प्रत्येक प्रस्तावित विषय क्षेत्र के लिए विशेषज्ञ, निदेशक, महाविद्यालय विकास परिषद (डी.सी.डी.सी.) अथवा कुलपति द्वारा नामित समकक्ष प्राध्यापक तथा उच्च शिक्षा विभाग के प्रतिनिधि शामिल हैं

[66] वर्ष 2021-22 (9), 2022-23 (15) एवं 2023-24 (25)

[67] वर्ष 2020-21(7), 2022-23 (10) एवं 2023-24 (11)

यह भी पाया गया कि नौ शासकीय महाविद्यालयों एवं एक निजी महाविद्यालय[68] का निरीक्षण अभी तक नहीं किया गया है। इस प्रकार, महाविद्यालयों का निरीक्षण परिनियम 27 के अनुरूप नहीं किया गया था।

तथ्यों को स्वीकार करते हुए (सितंबर 2025) विश्वविद्यालय द्वारा बताया गया कि वर्ष 2023-24 के दौरान, एक निरीक्षण समिति गठित करने का प्रयास किया गया था; हालांकि, इसके गठन के लिए औपचारिक आदेश वर्ष 2024-25 में जारी किया गया था। विश्वविद्यालय द्वारा आगे यह आश्वासन दिया गया कि शासकीय महाविद्यालयों का निरीक्षण करने के संबंध में अनुपालन किया जाएगा।

उत्तर से इस बात की पुष्टि होती है कि मानदंडों के अनुसार निरीक्षण समिति के गठन के बिना उपर्युक्त महाविद्यालयों का निरीक्षण किया गया था।

2.2.2.1(ii) नमूना जांच किए गए महाविद्यालयों में भूमि क्षेत्र एवं अन्य आधारभूत सुविधाओं की कमी

विश्वविद्यालय के परिनियम 27 में यह प्रावधान है कि महाविद्यालयों/संस्थानों को विश्वविद्यालय के विशेषाधिकारों में प्रवेश देने के लिए आवश्यक है कि महाविद्यालय की संबद्धता के लिए आवेदन करने वाली सोसायटी[69] के पास न्यूनतम दो एकड़ भूमि हो, यदि वह शहरी क्षेत्र में स्थित है तथा पांच एकड़ भूमि यदि ग्रामीण क्षेत्र में स्थित है। उनके पास अन्य निर्धारित बुनियादी सुविधाओं के साथ-साथ 10,000 वर्ग फुट का निर्मित भवन क्षेत्र भी होना चाहिए।

निजी महाविद्यालयों के 31 संबद्धता अभिलेखों[70] की जांच (अगस्त 2025) के दौरान, लेखापरीक्षा में न्यूनतम निर्धारित आवश्यकताओं में कमियां पायी गई, जिनमें भूमि क्षेत्र, पुस्तकालय की पुस्तकों, उपकरण के साथ प्रयोगशालाएं, एवं खेल, कैंटीन, स्वास्थ्य देखरेख, शौचालय, पार्किंग के लिए सुविधाएं, साथ ही साथ सुरक्षा तथा संरक्षा शामिल हैं, जैसा कि ***परिशिष्ट-2.2.4*** तथा ***2.2.5*** में विवरणित है।

विश्वविद्यालय ने तथ्यों एवं आंकड़ों को स्वीकार करते हुए कहा (सितंबर 2025) कि वर्ष 2024-25 से, संबद्ध महाविद्यालयों को चिन्हित अवसंरचनात्मक कमियों को दूर करने का निर्देश दिया गया है। तदनुसार, सत्र 2025-26 के दौरान, उन महाविद्यालयों के पाठ्यक्रमों में कटौती कर दी गई जहां ऐसी कमियां बनी रही। यह भी सूचित किया गया कि वर्ष 2025-26 से भूमि एवं भवन के प्रमाणित अभिलेखों को संधारित करने के निर्देश जारी किए गए थे एवं उन महाविद्यालयों के विरुद्ध कार्रवाई किया जाना सुनिश्चित किया गया, जिनकी कमियों को लेखापरीक्षा में इंगित किया गया है।

2.2.2.1 (iii) शिक्षकों एवं प्राचार्य की नियुक्ति

परिनियम 28 में प्रावधान है कि निजी महाविद्यालयों में प्राचार्यों एवं शिक्षकों की नियुक्ति निर्धारित सदस्यों[71] के साथ गठित चयन समिति द्वारा की जाएगी।

लेखापरीक्षा ने संबद्धता के लिए आवेदक निजी महाविद्यालयों द्वारा प्रस्तुत किए गए प्राचार्यों एवं शिक्षकों की नियुक्ति से संबंधित अभिलेखों की जांच की तथा पाया कि 23 महाविद्यालयों में, शिक्षकों एवं प्राचार्यों की नियुक्ति परिनियम में निर्धारित समिति के

---

68 अनंत इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, सिथौली, ग्वालियर

69 शैक्षिक उद्देश्य के लिए फर्मों एवं समितियों के रजिस्ट्रार के साथ पंजीकृत, एक धर्मार्थ सोसायटी या न्यास के प्रकरण में, इसे सार्वजनिक न्यास अधिनियम के तहत पंजीकृत होना चाहिए।

70 विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध कराए गए अभिलेखों के आधार पर

71 प्राचार्य की नियुक्ति कुलपति अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति, प्रबंधन सदस्य का एक नामित व्यक्ति, अधिष्ठाता/ महाविद्यालय विकास परिषद के निदेशक एवं एच.ई.डी. का एक नामित व्यक्ति। शिक्षकों की नियुक्ति कुलपति अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति, कुलपति एवं एच.ई.डी. द्वारा नामित संबंधित विषय में एक विशेषज्ञ, एवं संस्था का प्राचार्य

बजाय महाविद्यालयों की प्रबंधन समिति द्वारा की गई थी। जबकि छः महाविद्यालयों[72] में, 75 में से केवल 18 शिक्षकों की नियुक्ति परिनियम के प्रावधान के अनुसार निर्धारित समिति के माध्यम से की गई थी। दो महाविद्यालयों[73] के अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए गए। हालांकि, इन सभी महाविद्यालयों को उपर्युक्त प्रावधानों का उल्लंघन करने के बावजूद संबद्धता प्रदान की गई थी।

तथ्यों एवं आंकड़ों को स्वीकार करते हुए विश्वविद्यालय ने कहा (सितंबर 2025) कि संबद्ध महाविद्यालयों को परिनियम 28(17) के अनुसार प्राचार्यों एवं शिक्षकों की नियुक्ति करने हेतु नियमित रूप से निर्देश दिया जाता है। यह भी सूचित किया गया कि दोषी महाविद्यालयों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई शुरू कर दी गई है, परन्तु, माननीय न्यायालय द्वारा दिए गए स्थगन के कारण यह प्रकरण वर्तमान में न्यायालय के विचाराधीन है।

उत्तर से यह पुष्टि होती है कि परिनियम का उल्लंघन करते हुए शिक्षकों एवं प्राचार्यों की नियुक्ति महाविद्यालयों की प्रबंधन समिति द्वारा की गई थी।

2.2.2.1 (iv) निर्धारित समय में संबद्धता प्रदान नहीं किया जाना

परिनियम 27 में निर्धारित है कि विश्वविद्यालय अपने उपयुक्त निकायों के माध्यम से निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन पर कार्रवाई करेगा तथा निरीक्षण के तीन माह के भीतर महाविद्यालय को अस्थायी संबद्धता प्रदान करने या न करने का निर्णय करेगा, तथा अपने निर्णय के कारणों को लिखित रूप में दर्ज करेगा।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 31 महाविद्यालयों में से, माँ त्रिमुखा विधि महाविद्यालय, भिंड को निर्धारित समय सीमा के भीतर संबद्धता प्रदान की गई थी, 29 महाविद्यालयों को 49 दिवसों से 417 दिवसों के विलंब के साथ संबद्धता प्रदान की गई थी, जबकि, एक महाविद्यालय[74] को संबद्धता प्रदान करने में समयपालन से संबंधित जानकारी लेखापरीक्षा को प्रस्तुत अभिलेखों से प्राप्त नहीं हुई। संबद्धता देने में विलंब शैक्षणिक गतिविधियों को बाधित करता है, महाविद्यालय के संचालन को प्रभावित करता है एवं छात्रों के लिए अनिश्चितता उत्पन्न होती है।

विश्वविद्यालय द्वारा निजी महाविद्यालयों को संबद्धता प्रदान करने का वर्ष-वार विवरण नीचे ***तालिका-2.2.1*** में दिया गया है एवं महाविद्यालय-वार विवरण ***परिशिष्ट-2.2.6*** में दिया गया है।

तालिका 2.2.1: निजी महाविद्यालयों को विलंब से वर्ष-वार संबद्धता प्रदान करना

वर्ष	महाविद्यालयों की संख्या	महाविद्यालयों के निरीक्षण के 3 माह पश्चात् विलंब की सीमा (दिवसों में)
2021-22	11	49 से 417
2022-23	7	99 से 100
2023-24	23	72 से 84

स्रोत: लेखापरीक्षा को प्रस्तुत किए गए अभिलेख

[72] (1) श्री गोकुल सिंह महाविद्यालय, गोरमी, भिण्ड, (2) स्वयं प्रभा महाविद्यालय, लहार, भिण्ड, (3) नारायणा महाविद्यालय, ग्वालियर, (4) व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा संस्थान, चिरवई, ग्वालियर, (5) महाराजा अनंगपाल डिग्री महाविद्यालय, पोरसा, मुरैना एवं (6) श्रीराम स्कूल ऑफ बिजनेस स्टडीज, बानमोर, मुरैना

[73] एस.आर. डिग्री महाविद्यालय, मखोरी, भिंड, देव नारायण तानसेन महाविद्यालय, बेहट, मुरार, ग्वालियर

[74] सिटी पब्लिक महाविद्यालय, अशोकनगर की जानकारी

तथ्यों एवं आंकड़ों को स्वीकार करते हुए, विश्वविद्यालय ने कहा (सितंबर 2025) कि संबंधित महाविद्यालयों द्वारा पर्याप्त अभिलेख प्रस्तुत न करने के कारण विलंब हुआ। हालांकि, नियत समय के भीतर संबद्धता प्रदान करने के प्रयास किए गए एवं वर्ष 2025-26 से महाविद्यालयों को संबद्धता, पूर्णतः निर्धारित समय के अनुरूप ही प्रदान की गई है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि अपूर्ण अभिलेखों के कारण हुए विलंब के लिए महाविद्यालय उत्तरदायी थे, किन्तु विश्वविद्यालय को उन आवेदनों को निरस्त किया जाना था, जो प्रक्रियात्मक अनुशासन एवं शैक्षणिक शेड्युल को बनाए रखने के लिए निर्धारित समयसीमा का पालन नहीं करते हैं।

2.2.2.1 (v) सशर्त संबद्धता प्रदान करना

परिनियम 27 में कहा गया है कि विश्वविद्यालय संबद्धता को अंतिम रूप देने से पूर्व आवेदक महाविद्यालय को किसी भी चिह्नित कमियों, यदि कोई हो, के बारे में सूचित करना आवश्यक है। हालांकि, किसी भी प्रकरण में पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष के बाद सशर्त संबद्धता प्रदान नहीं की जाएगी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2021-24 के दौरान 25 प्रकरणों में, विश्वविद्यालय ने निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन के आधार पर बार-बार सशर्त संबद्धता प्रदान की, जो परिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन है। विवरण ***परिशिष्ट-2.2.7*** में दिया गया है।

विश्वविद्यालय ने तथ्यों एवं आंकड़ों को स्वीकार करते हुए कहा (सितंबर 2025) कि प्रकरण का सत्यापन किया जाएगा एवं भविष्य में ऐसी स्थितियों से बचने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया।

2.2.2.1 (vi) शासी निकाय का गठन

परिनियम 27 में यह निर्धारित है कि किसी ऐसे संस्थान के प्रकरणों में, जिसका रखरखाव अथवा प्रबंधन शासन द्वारा नहीं किया जाता है, आवेदन के साथ एक वचनपत्र भी दिया जाएगा कि विश्वविद्यालय के विशेषाधिकारों में संस्थानों के प्रवेश के तीन माह के भीतर, संस्थान अथवा महाविद्यालय को परिनियम 28 के प्रावधान के अनुसार गठित शासी निकाय द्वारा नियंत्रित किया जाएगा।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि विश्वविद्यालय ने न तो 31 निजी महाविद्यालयों[75] में शासी निकायों के गठन को सुनिश्चित किया अथवा न ही उनके गठन के संबंध में उनसे कोई वचनपत्र प्राप्त किया था। शासी निकायों का गठन किए बिना संबद्धता प्रदान करना संस्थागत प्रशासन एवं जवाबदेही को शिथिल करता है, जिससे संबद्ध महाविद्यालयों में शैक्षणिक एवं प्रशासनिक नियंत्रण कमजोर हो जाता है।

विश्वविद्यालय ने तथ्यों एवं आंकड़ों को स्वीकार करते हुए यह सुनिश्चित किया (सितंबर 2025) कि महाविद्यालयों में शासी निकायों के गठन के लिए निर्देश जारी किए जाएंगे।

2.2.2.2 शैक्षणिक गतिविधियाँ

2.2.2.2 (i) विश्वविद्यालय में छात्रों का नामांकन

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू.जी.सी.) एवं एच.ई.डी. निर्देशों (अप्रैल 2022) में प्रावधान है कि राज्य विश्वविद्यालयों को सत्र 2022-23 से शुरू होने वाले यू.जी. प्रवेश के लिए सामान्य विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा (सी.यू.ई.टी.)[76] को अपनाना आवश्यक है।

यह पाया गया कि यद्यपि विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए सी.यू.ई.टी. को अपनाया, इसने शैक्षणिक सत्र 2023-24 में 833 छात्रों (नियमित-284 एवं स्व-वित्तपोषित-549) के प्रवेश के लिए सी.यू.ई.टी. का पालन नहीं किया।

---

75 जिनमें से संबद्धता अभिलेखों की जांच की गई।

76 भारत में केंद्रीय एवं अन्य भाग लेने वाले विश्वविद्यालयों में स्नातक एवं स्नातकोत्तर कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए एक राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा।

सी.यू.ई.टी. के माध्यम से छात्रों को प्रवेश नहीं देना समरूप प्रवेश प्रक्रिया को कमजोर करता है तथा पारदर्शिता एवं योग्यता-आधारित चयन प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है।

विश्वविद्यालय ने उत्तर (अगस्त 2025) दिया कि अधिकांश शैक्षणिक पाठ्यक्रम प्रवेश परीक्षा आधारित नहीं थे। इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश शैक्षणिक योग्यता के आधार पर दिया जाता था। आगे यह आश्वासन दिया गया कि भविष्य में प्रवेश सी.यू.ई.टी. के अनुपालन में किए जाएंगे।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सभी छात्रों को समान अवसर प्रदान करने के सी.यू.ई.टी. का उद्देश्य एवं विश्वविद्यालय में एकीकृत, निष्पक्ष एवं पारदर्शी प्रवेश प्रक्रिया वर्ष 2023-24 के दौरान विफल रही।

2.2.2.2 (ii) शिक्षण अभिलेखों में कमियां

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एन.ई.पी.) 2020 प्रयोगात्मक शिक्षा एवं समय पर पाठ्यक्रम पूरा करने पर विशेष बल देते हुए समग्र, शिक्षार्थी-केंद्रित एवं लचीली शिक्षा को प्रोत्साहित करती है। एन.ई.पी. 2020 को लागू करने के लिए, एच.ई.डी. ने न्यूनतम एक घंटे की अवधि का व्याख्यान आयोजित करने का निर्देश दिया। इसके अलावा, प्राचार्य मार्गदर्शिका[77] के अंतर्गत, शिक्षकों को पाठ्यक्रम पूर्णता सुनिश्चित करने एवं निगरानी के लिए एक शिक्षण डायरी बनाए रखना आवश्यक है।

यह देखा गया कि महाविद्यालयों ने न्यूनतम एक घंटे की निर्धारित अवधि के लिए व्याख्यान देने का पालन नहीं किया, जैसा कि ***परिशिष्ट-2.2.8*** में वर्णित है। इसके अतिरिक्त, शिक्षण डायरी में समरूप प्रारूप एवं विषय पेपर, समय तथा व्याख्यानों की संख्या जैसे आवश्यक विवरणों का अभाव था, जिससे यह सत्यापित करना कठिन हो गया कि क्या कक्षाएं समय सारिणी के अनुसार संचालित की गई थीं। शिक्षण डायरी को संधारित नहीं किए जाने के प्रतिकूल प्रभाव को नीचे ***प्रकरण अध्ययन-2.2.1*** में दर्शाया गया है:

प्रकरण अध्ययन 2.2.1: शिक्षण डायरी एवं छात्रों की उपस्थिति अभिलेखों को संधारित नहीं किया जाना

शासकीय महाविद्यालय बसई, दतिया में, शैक्षणिक सत्र 2023-24 में नामांकित 45 छात्रों (कला संकाय में 36 एवं विज्ञान संकाय में नौ) को पढ़ाने के लिए 13 अतिथि संकाय सदस्यों को नियुक्त किया गया था। शिक्षकों ने छात्रों की दैनिक उपस्थिति एवं शिक्षण डायरी का संधारण नहीं किया। इसके बावजूद, अगस्त 2023 से जून 2024 तक मानदेय के रूप में ₹34.78[78] लाख का भुगतान किया गया। अतिथि संकाय की शिक्षण डायरी के संधारण के अभाव में, महाविद्यालय ने अतिथि संकाय को मासिक भुगतान की गणना किस आधार पर की, निर्धारित नहीं किया जा सका।

प्रभारी प्राचार्य ने भी पाठ्यक्रम पूरा होने की पुष्टि प्राप्त नहीं की एवं वाणिज्य वर्ग में कोई प्रवेश न होने के बावजूद, दो अतिथि संकायों को ₹ 6.96 लाख (सितंबर 2023 से जुलाई 2024) का मानदेय दिया गया, जिससे व्यय की औचित्यता पर चिंता उत्पन्न होती है।

महाविद्यालयों में व्याख्यानों के संचालन में कमी, लाभार्थी सर्वेक्षण में छात्रों द्वारा दिए गए औसत से कम प्रतिक्रिया में परिलक्षित हुई, जो पाठ्यक्रम कवरेज एवं शिक्षण प्रभावशीलता में अंतराल को दर्शाती है। यह देखा गया कि यू.टी.डी एवं नमूना जांच किए गए महाविद्यालयों के 15 प्रतिशत से 43 प्रतिशत छात्रों ने विषय ज्ञान, शिक्षण कौशल, शिक्षण तथा शिक्षकों में शंका समाधान दृष्टिकोण तथा पाठ्यक्रम को पूर्ण करने को औसत अथवा औसत से कम बताया।

चार महाविद्यालयों[79] के प्राचार्यों (दिसंबर 2024 एवं जनवरी 2025) ने इन कमियों के लिए कक्षाओं का अभाव, शिक्षकों की कमी, गैर-शैक्षणिक कर्तव्यों (जैसे, चुनाव, महाविद्यालयीन कार्यक्रम) में शिक्षकों की भागीदारी, आदि को जिम्मेदार ठहराया।

[77] शासकीय महाविद्यालयों के संचालन के लिए दिशा-निर्देश

[78] वाणिज्य अतिथि संकाय को भुगतान को छोड़कर।

[79] शासकीय पी. जी. महाविद्यालय दतिया, शासकीय विधि महाविद्यालय दतिया, शासकीय श्रीमंत महाराज माधवराव सिंधिया महाविद्यालय, कोलारस एवं शासकीय छत्रसाल महाविद्यालय, पिछोर

आगे, निर्गम सम्मेलन में, ए.सी.एस. ने विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, एच.ई.डी. को इन कमियों को दूर करने तथा सुधारने के लिए आवश्यक निर्देश (जुलाई 2025) जारी करने को निर्देशित किया।

2.2.2.3 विधिक शिक्षा केन्द्रों में विधि पाठ्यक्रमों का संचालन एवं प्रबंधन

स्नातक विधि (एल.एल.बी.) का अध्यादेश, विश्वविद्यालय के अंतर्गत संबद्ध महाविद्यालयों में तीन वर्ष के कार्यक्रम के लिए प्रवेश, परीक्षाओं एवं संबंधित प्रकरणों को विनियमित करता है। भारतीय विधिज्ञ परिषद् (बी.सी.आई.) के मानदंडों के अनुसार इन पाठ्यक्रमों में सेमेस्टर प्रणाली का पालन किया गया था।

यह देखा गया कि 22 नमूना जांच किये गये महाविद्यालयों में से चार में विधि पाठ्यक्रम प्रदान किए जा रहे थे। एक महाविद्यालय[80] में स्व-वित्तपोषित प्रणाली के अंतर्गत पांच वर्षीय एकीकृत द्वैध डिग्री पाठ्यक्रम संचालित किया गया था एवं तीन महाविद्यालयों[81] में नियमित प्रणाली के अंतर्गत तीन वर्षीय एल.एल.बी. पाठ्यक्रम संचालित किए गए थे। नमूना जाँच किए गए महाविद्यालयों में पाई गई कमियों पर आगामी कंडिकाओं में चर्चा की गई है:

2.2.2.3 (i) भारतीय विधिज्ञ परिषद् का अनुमोदन

विधि पाठ्यक्रम संचालित करने हेतु भारतीय विधिज्ञ परिषद् (बी.सी.आई.) से स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य है। विश्वविद्यालय के निर्देशों के अनुसार, महाविद्यालयों को बी.सी.आई. की स्वीकृति प्राप्त करने के उपरांत ही छात्रों को प्रवेश देना था।

यह देखा गया कि सत्र शुरू होने अथवा अंतिम प्रवेश तिथियों से पहले विधि पाठ्यक्रम चलाने के लिए बी.सी.आई. से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया था, जैसा कि नीचे दी गई ***तालिका-2.2.2*** में दर्शाया गया है:

तालिका 2.2.2: बी.सी.आई. द्वारा विधि पाठ्यक्रमों के अनुमोदन का विवरण

महाविद्यालय का नाम	शैक्षणिक वर्ष के लिए बी.सी.आई. से अनुमोदन की तिथियां		
	2021-22	**2022-23**	**2023-24**
शासकीय कमला राजा कन्या स्वायत्त पी.जी. महाविद्यालय, ग्वालियर	27 मई 2022	15 फरवरी 2023	--
शासकीय विधि महाविद्यालय दतिया	25 जनवरी 2023	--	--
शासकीय श्रीमंत माधव राव सिंधिया स्नातकोत्तर महाविद्यालय शिवपुरी	5 जनवरी 2023	9 फरवरी 2023	--
शासकीय विधि महाविद्यालय, मुरैना	30 दिसंबर 2022	21 फरवरी 2025	21 फरवरी 2025

स्रोत: लेखापरीक्षा को प्रस्तुत किए गए अभिलेख

यह भी पाया गया कि लेखापरीक्षा (मार्च 2025) के समय दतिया, ग्वालियर[82] एवं शिवपुरी में स्थित तीन महाविद्यालयों में पाठ्यक्रमों के लिए बी.सी.आई. की अनिवार्य स्वीकृति लंबित थी। फिर भी, शैक्षणिक सत्र 2022-23 के दौरान दतिया जिले के महाविद्यालय में 60 छात्रों को प्रवेश दिया गया था, तथा शैक्षणिक सत्र 2023-24 के दौरान बी.सी.आई. की स्वीकृति प्राप्त किए बिना इन तीन महाविद्यालयों में 238 छात्रों को प्रवेश दिया गया था।

[80] शासकीय कमला राजा कन्या स्वायत्त महाविद्यालय, ग्वालियर

[81] शासकीय विधि महाविद्यालय, दतिया, शासकीय विधि महाविद्यालय, मुरैना तथा शासकीय श्रीमंत माधवराव सिंधिया पी.जी. महाविद्यालय, शिवपुरी

[82] शासकीय कमला राजा कन्या स्वायत्त महाविद्यालय, ग्वालियर ने सेमेस्टर परीक्षा के बाद मार्च 2025 में फीस जमा की

बी.सी.आई. की स्वीकृति बाद में प्राप्त होने की प्रत्याशा में छात्रों को प्रवेश देना न केवल नामांकित छात्रों के शैक्षणिक एवं व्यावसायिक भविष्य को खतरे में डालता है, बल्कि यह नियामक मानदंडों का पालन न करने तथा संबद्धता देने वाला विश्वविद्यालय द्वारा शिथिल पर्यवेक्षण को भी दर्शाता है।

निर्गम सम्मेलन में, ए.सी.एस. ने विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, एच.ई.डी. को इन अनियमित प्रवेशों की जांच करने का निर्देश (जुलाई 2025) दिया।

2.2.2.3 (ii) विधि महाविद्यालयों के संचालन से संबंधित अन्य अवलोकन

उचित संबद्धता प्राप्त किए बिना विधि महाविद्यालयों का संचालन करने के अलावा, लेखापरीक्षा को उनके संचालन में भी कई अन्य अनियमितताएं पाई गई, जिनका सारांश नीचे ***तालिका-2.2.3*** में दिया गया है :

तालिका 2.2.3: विधि महाविद्यालयों के संचालन में पाई गई अन्य अनियमितताएं

विवरण	निर्धारित मानदंड	प्रेक्षण	प्रभाव
शिक्षक छात्र अनुपात	बी.सी.आई. के अनुसार, शिक्षक छात्र अनुपात 1:40 होना चाहिए	शैक्षणिक सत्र 2023-24 के दौरान चार में से तीन[83] विधि महाविद्यालयों में अनुपात 1:43 से 1:70 के बीच रहा।	शिक्षण गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है
महाविद्यालय का प्रत्यायन	विधिक शिक्षा नियमावली, 2008 (बी.सी.आई.) के अनुसार, विधि महाविद्यालयों को पांच वर्ष के लिए वैध प्रमाणन के सहित प्रत्यायन[84] प्राप्त करना आवश्यक है।	चार में से दो महाविद्यालय[85] बिना एन.ए.ए.सी. प्रत्यायन के चल रहे थे।	शैक्षणिक मानकों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने में कमी
इंटर्नशिप की न्यूनतम अवधि	छात्रों को इंटर्नशिप के न्यूनतम 12 सप्ताह (तीन वर्ष का पाठ्यक्रम) अथवा 20 सप्ताह (पांच वर्ष का पाठ्यक्रम) को पूरा करने की आवश्यकता होती है, जिसमें लगातार चार सप्ताह से अधिक कोई इंटर्नशिप नहीं होनी चाहिए।	चार में से तीन नमूना-जांच किए गए विधि महाविद्यालयों[86] ने सभी 12 अथवा 20 सप्ताह की इंटर्नशिप केवल अंतिम वर्षों में ही प्रदान की। आगे, सात प्रकरणों में, एकल इंटर्नशिप की अवधि चार सप्ताह से अधिक रही, जो उक्त नियम का उल्लंघन था।	छात्रों के व्यावहारिक अनुभव को सीमित करता है

ए.सी.एस. ने निर्गम सम्मेलन (जुलाई 2025) में बी.सी.आई. की पूर्व अनुमति के बिना विधि महाविद्यालयों के संचालन पर चिंता व्यक्त की। इससे पूर्व, दो महाविद्यालयों[87] के प्राचार्यों ने उत्तर दिया (जनवरी 2025) कि इंटर्नशिप विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम के अनुसार आयोजित की गई थी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि संबंधित पाठ्यक्रमों के अंतिम वर्षों में चार सप्ताह से अधिक की अवधि के एकल इंटर्नशिप प्रदान करने के प्रकरण पाए गए।

[83] शासकीय कमला राजा कन्या स्वायत्त पी.जी. महाविद्यालय, ग्वालियर, शासकीय विधि महाविद्यालय दतिया एवं शासकीय विधि महाविद्यालय मुरैना

[84] या तो सीधे बी.सी.आई. प्रत्यायन समिति से अथवा राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (एन.ए.ए.सी.) के माध्यम से,

[85] शासकीय विधि महाविद्यालय दतिया तथा शासकीय विधि महाविद्यालय मुरैना

[86] शासकीय श्रीमंत माधवराव सिंधिया स्नातकोत्तर महाविद्यालय शिवपुरी को छोड़कर

[87] शासकीय विधि महाविद्यालय दतिया तथा शासकीय श्रीमंत माधवराव सिंधिया स्नातकोत्तर महाविद्यालय शिवपुरी

2.2.2.4 विश्वविद्यालय में स्व-वित्तपोषित पाठ्यक्रमों का प्रबंधन

स्व-वित्तपोषित पाठ्यक्रमों (एस.एफ.सी.) के संचालन का प्राथमिक उद्देश्य विश्वविद्यालय की अवसंरचना के विकास के लिए आंशिक वित्तीय सहायता उत्पन्न करना है, साथ ही साथ छात्रों की जरूरतों को पूरा करना एवं रोजगार के अवसर का सृजन करना है। विश्वविद्यालय ने एस.एफ.सी. के प्रबंधन हेतु पृथक विनियम स्थापित (अक्टूबर 1997) किए।

वर्ष 2021-22 में संचालित 28 पाठ्यक्रमों से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 30 पाठ्यक्रमों के साथ एस.एफ.सी. की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई। हालांकि, लेखापरीक्षा में इन एस.एफ.सी. के प्रबंधन में कई विसंगतियां पाई गई, जिनका सारांश नीचे ***तालिका-2.2.4*** में दिया गया है:

तालिका 2.2.4: एस.एफ.सी. के प्रबंधन में पाई गई अनियमितताएं

विवरण	निर्धारित मानदंड	प्रेक्षण	प्रभाव
शिक्षण व्यवस्था	विधि एवं फार्मेसी के शिक्षण विभाग में नियमित शिक्षण कर्मचारियों की व्यवस्था करना आवश्यक है।	24 स्वीकृत पदों में से 16 पद रिक्त थे तथा उनका प्रबंधन अतिथि एवं संविदा संकायों के माध्यम से किया जा रहा था। 34 नए नियमित पदों का प्रस्ताव शासन के पास लंबित था।	शिक्षा की गुणवत्ता को कम करता है
अनुरक्षण अनुदान से कटौती की गई राशि का समायोजन न करना	जी.ओ.एम.पी. आदेश (अक्टूबर 2014) के अनुसार, विश्वविद्यालय को नियोक्ता के योगदान का 12 प्रतिशत तथा एस.एफ.सी. से आय[88] का 20 प्रतिशत पेंशन निधि[89] में जमा करना आवश्यक था, जिसे वर्ष 2023-24 से संशोधित कर शुद्ध लाभ का 20 प्रतिशत कर दिया गया।	एच.ई.डी. ने पेंशन निधि में जमा करने के लिए वर्ष 2021-24 के दौरान विश्वविद्यालय के ब्लॉक अनुदान से ₹2.20 करोड़[90] की अधिक कटौती की।	₹2.20 करोड़ की अधिक कटौती से विश्वविद्यालय की उपलब्ध निधि कम हो गई, जिससे एस.एफ.सी. एवं प्रशासनिक गतिविधियों के लिए इसके वित्तीय संसाधन प्रभावित हुए
ओवरहेड चार्जेज की प्राप्ति न होना	एस.एफ.सी. विनियम में निर्धारित है कि एस.एफ.सी. से उत्पन्न आय का 20 प्रतिशत विश्वविद्यालय के खाते में जमा किया जाएगा।	वर्ष 2021-22 से 2023-24 के दौरान राशि जमा[91] नहीं की गई।	विश्वविद्यालय के खाते में अपर्याप्त निधि, इसके परिचालन एवं शैक्षणिक गतिविधियों को प्रभावित करती है
एंडोमेंट निधि का जमा न होना	एच.ई.डी. ने एस.एफ.सी. आय की 25 प्रतिशत अथवा स्थापना पर व्यय का 25 प्रतिशत, जो भी अधिक हो, सावधि जमा प्राप्तियां (एफ.डी.आर.) के रूप में एंडोमेंट निधि में जमा करने का निर्देश (2010 एवं 2012) दिया। इन पाठ्यक्रमों में कार्यरत शिक्षकों एवं कर्मचारियों को वेतन एवं भत्तों के भुगतान हेतु वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए निधि को एंडोमेंट के रूप में आरक्षित रखा जाना था।	वर्ष 2021-24 के दौरान एंडोमेंट निधि के रूप में प्राप्ति योग्य ₹6.74 करोड़ (एस.एफ.सी. आय का 25 प्रतिशत) में से ₹4.40 करोड़ विश्वविद्यालय के खाते में स्थानांतरित कर दिए गए एवं शेष ₹2.34 करोड़ स्थानांतरित नहीं किए गए। आगे, विश्वविद्यालय द्वारा एंडोमेंट निधि के संबंध में अलग से कोई अभिलेख संधारित किया जाना नहीं पाया गया।	एस.एफ.सी. कर्मचारियों की दीर्घकालिक स्थिरता के लिए वित्तीय सुरक्षा को कमजोर करता है

88 वेतन एवं महंगाई भत्ते सहित शैक्षणिक ग्रेड वेतन का 12 प्रतिशत तथा 2023-24 से शुद्ध लाभ का 20 प्रतिशत।

89 आयुक्त, उच्च शिक्षा स्तर पर पेंशन निधि का सृजन किया गया।

90 ₹ 4.23 करोड़ के विरूद्ध ₹ 6.43 करोड़ की कटौती की गई (एस.एफ.सी. आय का 20 प्रतिशत/शुद्ध लाभ)

91 एस.एफ.सी. आय का (₹26.92 करोड़) का 20 प्रतिशत ₹5.39 करोड़ में से ₹ 2.85 करोड़

कुलसचिव ने अपने उत्तर (दिसंबर 2024) में, एस.एफ.सी. में पदों की रिक्ति को स्वीकार किया, एच.ई.डी. द्वारा अधिक कटौती को समायोजित करने, ओवरहेड चार्जेज एवं एंडोमेंट निधि की लंबित राशियों को जमा करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। आगे, अपर मुख्य सचिव ने निर्गम सम्मेलन में कुलपति को सलाह दी (जुलाई 2025) कि एंडोमेंट निधि का समयबद्ध जमा सुनिश्चित किया जाए।

2.2.2.5 दूरस्थ शिक्षा संस्थान

दूरस्थ शिक्षा संस्थान की स्थापना (वर्ष 1995) विश्वविद्यालय में दूरस्थ शिक्षा की सुविधा के लिए की गई थी। दूरस्थ शिक्षा दो स्नातक एवं पांच स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों[92] के माध्यम से प्रदान की गई थी, जिसके लिए वर्ष 2021-24 के दौरान 597[93] छात्रों का नामांकन किया गया था। यू.जी.सी. के दिशा-निर्देशों के अनुसार, छात्रों को स्व-शिक्षण सामग्री प्रदान की जानी चाहिए।

लेखापरीक्षा में दूरस्थ शिक्षा संस्थान के संचालन में निम्नलिखित कमियां पाई गई।

- यह देखा गया कि विश्वविद्यालय ने वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 में प्रवेशित प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए परीक्षाएं आयोजित कीं, किन्तु द्वितीय वर्ष के स्नातक छात्रों अथवा अंतिम वर्ष के स्नातकोत्तर छात्रों के लिए परीक्षाएं आयोजित नहीं की। आगे, शैक्षणिक वर्ष 2023-24 के यू.जी. एवं पी.जी. पाठ्यक्रमों के लिए परीक्षाएं दिसंबर 2024 तक आयोजित नहीं की गई थीं। परीक्षाओं के आयोजित न किए जाने के कारणों की सूचना लेखापरीक्षा को नहीं दी गई थी। परीक्षा आयोजित न होने के कारण छात्रों को उच्च कक्षाओं में प्रोन्नत नहीं किया गया।

- यह भी पाया गया कि परीक्षाएं निर्धारित समय सीमा के अनुसार आयोजित नहीं की गई थीं। शैक्षणिक वर्ष 2021-22 के लिए परीक्षाएं, जो मूल रूप से मार्च 2022 के लिए निर्धारित थीं, मई/जून 2023 में आयोजित की गई थीं। इसी प्रकार, वर्ष 2022-23 की परीक्षाएं जो मार्च 2023 में होनी निर्धारित थीं, जनवरी 2024 में आयोजित की गई थीं।

- विश्वविद्यालय ने वर्ष 2021-22 से 2023-24 के दौरान वाणिज्य स्नातक छात्रों (128 से 255 छात्रों) के लिए आवश्यक 10 ऑफ़लाइन कक्षाएं आयोजित करना सुनिश्चित नहीं किया एवं यू.जी.सी. के निर्देशों के अनुपालन में अध्ययन सामग्री का मुद्रण अथवा वितरण नहीं किया।

अपर मुख्य सचिव ने निर्गम सम्मेलन में विश्वविद्यालय को दूरस्थ शिक्षा संस्थान के प्रभावी संचालन एवं नामांकित छात्रों को अध्ययन सामग्री की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश (जुलाई 2025) दिया। उन्होंने कार्यक्रम के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु समयबद्ध तरीके से परीक्षा आयोजित करने की आवश्यकता पर भी बल दिया।

2.2.2.6 परीक्षा

2.2.2.6 (I) गुणवत्ता सुनिश्चित किए बिना नॉन-ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन (ओ.एम.आर.) उत्तर पुस्तिकाओं का क्रय

मध्य प्रदेश भंडार क्रय तथा सेवा उपार्जन नियम, 2015 में प्रावधान है कि आपूर्तिकर्ताओं को निर्धारित समय सीमा के भीतर निर्दिष्ट गुणवत्ता की सामग्री की आपूर्ति करनी होगी।

---

[92] बैचलर ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स, मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, कला (ड्राइंग एंड पेंटिंग), कला (इतिहास), वाणिज्य तथा कला (भूगोल)

[93] वर्ष 2021-22 में 128 प्रथम वर्ष के छात्र, वर्ष 2022-23 में 214 छात्र (प्रथम एवं द्वितीय वर्ष), तथा वर्ष 2023-24 में 255 प्रथम वर्ष के छात्र।

विश्वविद्यालय द्वारा 20 लाख नॉन-ओ.एम.आर. उत्तर पुस्तिकाओं के क्रय एवं मुद्रण से संबंधित अन्य कार्यों के लिए ऑनलाइन निविदा आमंत्रित (नवंबर 2022) की गई थी। विनिर्देशों के अनुसार, आंतरिक पृष्ठों एवं बाहरी पृष्ठों की चमक 75 से 80 प्रतिशत होनी थी, जबकि आंतरिक पृष्ठों एवं बाहरी पृष्ठों को क्रमशः 60 एवं 105 जी.एस.एम. का होना था।

मेसर्स मानक चंद्र राजेंद्र कुमार, जयपुर (नॉन-ओ.एम.आर. मुख्य उत्तर पुस्तिकाओं के लिए) एवं एम.एल. पेपर कन्वर्टर, लखनऊ (प्रायोगिक उत्तर पुस्तिकाओं के लिए) की दरों को कार्य परिषद द्वारा अनुमोदित (फरवरी 2023) किया गया था तथा इन आपूर्तिकर्ताओं के साथ अनुबंध (क्रमशः मार्च 2023 एवं जुलाई 2023) निष्पादित किया गया था, जिसमें प्रदान की जाने वाली उत्तर पुस्तिका की गुणवत्ता विनिर्दिष्ट की गई थी। अनुबंध के खंड 4 में यह प्रावधान था कि यदि फर्म द्वारा आपूर्ति की गई उत्तर पुस्तिकाएँ निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाई जाती हैं, तो उसकी भुगतान राशि, यदि फर्म द्वारा प्राप्त की गई हो, कुलसचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर को वापस करनी होगी। प्रयोगशाला परीक्षण की प्राप्ति लंबित रहने के दौरान यदि निम्नस्तरीय आपूर्ति आंशिक या पूर्ण रूप से उपयोग कर ली जाती है, तो ऐसी आपूर्ति की लागत के भुगतान पर आपूर्तिकर्ता फर्म का कोई वैध दावा नहीं होगा।

विश्वविद्यालय ने उत्तर पुस्तिकाओं के क्रय के लिए फर्मों को आपूर्ति आदेश दिया था। फर्मों ने उत्तर पुस्तिकाओं की आपूर्ति की एवं विश्वविद्यालय को देयक प्रस्तुत किए, जैसा कि नीचे ***तालिका-2.2.5*** में दिया गया है:

तालिका 2.2.5: उत्तर पुस्तिकाओं के क्रय का विवरण

फर्म का नाम	मांग की तिथि	मांगी गई वस्तु	मांग की मात्रा	चालान संख्या/ दिनांक	राशि (₹ में)
मैसर्स मानक चंद्र राजेंद्र कुमार, जयपुर	10/03/2023	नॉन-ओ.एम.आर. मुख्य उत्तर पुस्तिकाएं	10,00,000	आई.-011/23-24/ 15/04/2023 (क्रम संख्या 0000001 से 1000000)	93,90,802
	30/05/2023		10,00,000	आई.-095/23-24/ 14/07/2023 (क्रम संख्या 1000001 से 2000000)	93,90,802
एम.एल. पेपर कन्वर्टर, लखनऊ	08/08/2023	प्रायोगिक उत्तर पुस्तिकाएं	3,00,000	एम.एल.पी.सी./ 23-24/87/ 20/08/2023	8,92,080
				एम.एल.पी.सी./ 23-24/88/ 20/08/2023	8,92,080
योग					**2,05,65,764**

स्रोत: लेखापरीक्षा को प्रस्तुत किए गए अभिलेख

विश्वविद्यालय ने दोनों उत्तर पुस्तिकाओं के नमूना[94] जांच के लिए राष्ट्रीय प्रयोगशाला, गाजियाबाद को भेजा (नवंबर 2023)। प्रयोगशाला ने उत्तर पुस्तिकाओं की कम मोटाई[95] एवं चमक[96] की सूचना दी। इस प्रकार, द्वितीय आपूर्ति आदेश के विरुद्ध मैसर्स मानक चन्द्र राजेन्द्र कुमार, जयपुर एवं एम.एल. पेपर कन्वर्टर, लखनऊ द्वारा भेजी गई उत्तर पुस्तिकाएँ निर्धारित मानक गुणवत्ता

94 मुख्य उत्तर पुस्तिकाओं के नमूना संख्या 1936072 एवं 1936124 तथा प्रायोगिक उत्तर पुस्तिकाओं के 196498 तथा 142694

95 प्रायोगिक उत्तर पुस्तिकाओं में मोटाई (102.6 जी.एस.एम.)।

96 आंतरिक पृष्ठ की चमक नॉन-ओ.एम.आर. उत्तर पुस्तिकाओं की तुलना में 69 प्रतिशत थी तथा प्रायोगिक उत्तर पुस्तिकाओं के बाहरी और आंतरिक पृष्ठ की चमक क्रमशः 66 प्रतिशत एवं 62 प्रतिशत थी, जबकि बाहरी पृष्ठ की मोटाई 102.6 जी.एस.एम. थी।

की नहीं थीं, जिसके परिणामस्वरूप ₹0.94 करोड़ लागत की ओ.एम.आर. उत्तर पुस्तिकाओं एवं ₹0.18 करोड़ लागत की प्रायोगिक उत्तर पुस्तिकाओं की आपूर्ति, विनिर्देशों से निम्न स्तर की थी।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि अनुबंध के खंड 4 के अनुपालन में कम गुणवत्ता वाली उत्तर पुस्तिकाओं की आपूर्ति की पूरी लागत की वसूली के बजाय, विश्वविद्यालय ने फर्मों के कुल देयकों से आपूर्ति की लागत (जी.एस.टी. को छोड़कर) के पांच प्रतिशत (₹4.99 लाख) की कटौती की, जो अनुबंध के नियमों एवं शर्तों के अनुरूप नहीं थी।

आगे, निम्न स्तरीय आपूर्ति को अस्वीकार करने के बजाय, विश्वविद्यालय ने सामग्री को स्वीकार कर लिया, जो गुणवत्ता में गिरावट तथा क्रय मानकों को लागू करने में चूक दर्शाता है।

कुलसचिव ने उत्तर दिया (दिसंबर 2024) कि समिति के निर्णय के अनुसार कटौती की गई थी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि दंड आरोपित करने के सम्बन्ध में अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन किया गया था तथा उत्तर के साथ सहायक अभिलेख अर्थात समिति के निर्णय की प्रति संलग्न नहीं थी।

2.2.2.6 (ii) परीक्षा का संचालन

विश्वविद्यालय के अध्यादेश-5 में प्रावधान है कि परीक्षा अधीक्षक, आवश्यकता पड़ने पर, परीक्षा के संचालन के बारे में परीक्षा नियंत्रक को एक गोपनीय प्रतिवेदन प्रेषित करेगा, जिसमें निरीक्षकों के कार्य-निष्पादन एवं परीक्षार्थियों के सामान्य व्यवहार का उल्लेख होगा।

प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर परीक्षा अधीक्षक प्रश्न पत्रों एवं उसे भेजी गई उत्तर पुस्तिकाओं की सुरक्षित अभिरक्षा के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार है तथा उसे विश्वविद्यालय कार्यालय को प्रयुक्त एवं अप्रयुक्त प्रश्न पत्रों एवं उत्तर पुस्तिकाओं का पूर्ण विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक है। यदि आवश्यक हो, तो प्रश्न पत्रों को विश्वविद्यालय के निर्देशों के अनुसार संबंधित पुलिस स्टेशन/कोषागार की सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जाना चाहिए।

आगे, विभाग (एच.ई.डी.) ने प्रत्येक शैक्षणिक सत्र 2021-24[97] के लिए एक शैक्षणिक कैलेंडर जारी किया, जिसमें परीक्षाओं के संचालन एवं परिणामों की घोषणा के लिए निर्धारित समयसीमा को रेखांकित किया गया था।

परीक्षा सामग्री के प्रबंधन से संबंधित टिप्पणियों का सार नीचे ***तालिका-2.2.6*** में दिया गया है:

तालिका 2.2.6: परीक्षा सामग्री की अभिरक्षा एवं जवाबदेही में अनियमितताएं

विवरण	प्रेक्षण	प्रभाव
प्रश्न पत्रों का भंडारण	विश्वविद्यालय द्वारा कोई निर्देश जारी नहीं किया गया था। 22 नमूना जांच किए गए महाविद्यालयों में से केवल दो महाविद्यालयों[98] ने इसे पुलिस स्टेशन में रखा था, 17 महाविद्यालयों ने प्रश्नपत्रों को स्ट्रांग रूम/कंट्रोल रूम अथवा लॉकर में रखा था तथा शेष तीन महाविद्यालयों[99] ने कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई।	आयोजित परीक्षाओं की विश्वसनीयता को प्रभावित करता है
गोपनीय प्रतिवेदन एवं लेखों का प्रस्तुतीकरण	परीक्षा नियंत्रक को नहीं भेजा गया।	परीक्षा प्रक्रिया में जवाबदेही का अभाव

[97] वर्ष 2021-22 (15/07/2021), वर्ष 2022-23 (12/05/2022) तथा वर्ष 2023-24 (17/05/2023)

[98] शासकीय छत्रसाल महाविद्यालय, पिछोर एवं शासकीय महाविद्यालय, कराहल, श्योपुर

[99] शासकीय महाविद्यालय, बसई, दतिया, शासकीय विधि महाविद्यालय, दतिया एवं शासकीय महाविद्यालय बडौदा, श्योपुर

विवरण	प्रेक्षण	प्रभाव
	5.40 लाख प्रश्न पत्रों, 22.05 लाख मुख्य उत्तर पुस्तिकाओं एवं 3.71 लाख प्रायोगिक उत्तर पुस्तिकाओं के उपयोग के सन्दर्भ में लेखे विश्वविद्यालय को प्रस्तुत नहीं किए गए थे।	
परीक्षा परिणामों का पुनर्मूल्यांकन	6,255 आवेदनों के अनुपालन में, 828 परीक्षा परिणामों (13 प्रतिशत) का पुनर्मूल्यांकन किया गया था।	बेहतर मूल्यांकन मानकों तथा अधिक पारदर्शिता की आवश्यकता को इंगित करता है
परीक्षा आयोजित करने एवं परिणाम घोषित करने में विलंब	परीक्षाओं के संचालन में निर्धारित समय सीमा से चार दिवसों से 161 दिवसों का विलंब हुआ। परीक्षा परिणामों की घोषणा में भी विलंब हुआ, जो निर्धारित समय-सीमा से 19 दिवसों से 380 दिवसों तक अधिक रही (***परिशिष्ट-2.2.9***)।	शैक्षणिक कैलेंडर को बाधित करता है, तथा छात्रों के भविष्य का करियर अथवा उच्च शिक्षा योजनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है

स्रोत: लेखापरीक्षा को प्रदान किए गए अभिलेख एवं जानकारी

इसके अतिरिक्त, परीक्षा अनुभाग द्वारा प्राप्त, उपयोग किए गए एवं अप्रयुक्त शेष प्रश्नपत्रों, उत्तर पुस्तिकाओं एवं प्रायोगिक उत्तर पुस्तिकाओं का विवरण नीचे ***तालिका-2.2.7*** में दिया गया है, जिसकी जवाबदेही पारदर्शिता, उचित अभिलेख संधारण एवं दुरुपयोग अथवा हानि की रोकथाम सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है।

तालिका 2.2.7: प्राप्त, उपयोग किए गए एवं अप्रयुक्त प्रश्न पत्रों, उत्तर पुस्तिकाओं एवं प्रायोगिक उत्तर पुस्तिकाओं का विवरण

(आंकड़े लाख में)

प्रपत्रों का प्रकार	प्राप्त	प्रयुक्त	अप्रयुक्त शेष	टिप्पणियां
प्रश्न पत्र	17.23	13.75	3.48	
उत्तर पुस्तिकाएं	20.66	19.09	2.01	उपयोग में पिछले वर्ष की शेष उत्तर पुस्तिकाएं एवं प्रायोगिक उत्तर पुस्तिकाएं भी शामिल हैं।
प्रायोगिक उत्तर पुस्तिका	3.02	2.06	0.92	

स्रोत: नमूना-जांच किए गए महाविद्यालयों के अभिलेख

ए.सी.एस. ने निर्गम सम्मेलन में उत्तर दिया (जुलाई 2025) कि केंद्रों पर परीक्षा सामग्री की सुरक्षित अभिरक्षा सुनिश्चित करने एवं किसी भी दुरुपयोग को रोकने के लिए उत्तर पुस्तिकाओं के प्रति उचित जवाबदेही बनाए रखने के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए जाएंगे।

परीक्षाओं का समय पर आयोजन एवं परिणामों की घोषणा भी सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।

2.2.2.6 (iii) छात्रों को डिग्री जारी करना

कार्य परिषद् के निर्देशों (जून 2008) के अनुसार, छात्रों को दीक्षांत समारोह अथवा बसंत पंचमी के बाद अंतिम डिग्री जारी की जानी थी। आगे, एच.ई.डी. ने परिणाम घोषित होने के सात दिनों के भीतर डिजीलॉकर में अंकसूची तथा डिग्री प्रमाण पत्र अपलोड करने का निर्देश (जून 2023) दिया।

यह देखा गया कि विश्वविद्यालय ने डिजीलॉकर में डिग्री प्रमाण पत्रों को अपलोड करने की सुविधा लागू नहीं की थी। 2.43 लाख उत्तीर्ण छात्रों में से 14,870 छात्रों को वर्ष 2021-24 के दौरान डिग्री जारी की गई। शेष छात्रों को उनसे आवेदन प्राप्त नहीं होने के कारण डिग्री जारी नहीं की गई थी।

कुलसचिव ने उत्तर दिया (दिसंबर 2024) कि डिग्री केवल उन छात्रों को जारी की गई थी जिन्होंने आवेदन प्रस्तुत किए थे, एवं डिग्री वितरण के लिए डिजीलॉकर प्रणाली को लागू करने के प्रयास किए जा रहे थे।

तथ्य यह है कि डिजीलॉकर में अंकसूची एवं डिग्री प्रमाण पत्र अपलोड करने की कार्रवाई कार्यान्वयन हेतु लंबित है।

2.2.2.7 विश्वविद्यालय फैलोशिप

अध्यादेश 9 फैलोशिप, शोध छात्रवृत्ति एवं अन्य छात्रवृत्तियों को प्रदान करने से संबंधित प्रावधानों को रेखांकित करता है। इसके अनुसार, चार सदस्यीय समिति द्वारा विश्वविद्यालय फेलोशिप का चयन किया जाना अपेक्षित है, जिसमें कुलपति अथवा इनके नामित सदस्य अध्यक्ष होते हैं।

यह देखा गया कि शैक्षणिक वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 के लिए मई 2024 में एक संयुक्त समिति का गठन किया गया था, एवं केवल वर्ष 2024-25 के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे, जिससे वर्ष 2023-24 के पात्र छात्र फेलोशिप लाभ के लिए आवेदन करने से वंचित रह गए।

कुलसचिव ने उत्तर दिया (दिसंबर 2024) कि समिति ने वर्ष 2024-25 के लिए आवेदन आमंत्रित करने की अनुशंसा की।

तथ्य यह है कि शैक्षणिक वर्ष 2023-24 के लिए फैलोशिप प्रदान करने हेतु समिति का गठन विलंब से किए जाने के कारण, पात्र छात्र अपने अधिकारप्राप्त लाभों से वंचित रह गए ।

2.2.2.8 छात्र बीमा

एच.ई.डी. ने समय-समय पर विश्वविद्यालयों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि सभी नए प्रवेशित छात्र सामूहिक जीवन बीमा योजना के अंतर्गत आते हैं एवं प्रवेश के समय तदनुरूप बीमा शुल्क एकत्र करें।

यह देखा गया कि विश्वविद्यालय ने किफायती लागत पर छात्र जीवन बीमा का प्रावधान सुनिश्चित नहीं किया एवं शैक्षणिक सत्र 2021-22 एवं 2023-24 के दौरान स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के अंतर्गत बीमा कवरेज के लिए प्रत्येक छात्र से ₹100 का शुल्क लिया गया। आगे, हमने पाया कि शैक्षणिक सत्र 2022-23 के 4,265 छात्र बीमा के अंतर्गत कवर नहीं किए गए थे। इसके अलावा, विश्वविद्यालय ने इस उद्देश्य के लिए प्रत्येक छात्र से ₹100 के संग्रह के बावजूद छात्रों के बीमा कवरेज के लिए केवल ₹50 का व्यय किया।

नमूना जांच किये गए 22 महाविद्यालयों में देखा गया कि इस अवधि के दौरान 12 महाविद्यालयों ने 1.02 लाख छात्रों का बीमा नहीं किया एवं 32,798 छात्रों के लिए ₹1.44 लाख प्रीमियम का भुगतान करने के बावजूद नौ महाविद्यालयों ने संबंधित बीमा कंपनियों से बीमा पॉलिसी प्राप्त नहीं की, जैसा कि ***परिशिष्ट-2.2.10*** में विवरणित है।

इस प्रकार, विश्वविद्यालय एवं नमूना जांच किए गए महाविद्यालयों ने छात्रों के कल्याण एवं वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की।

निर्गम सम्मेलन में, अपर मुख्य सचिव ने विश्वविद्यालय को सलाह दी (जुलाई 2025) कि बीमा एजेंसियों का चयन प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया के माध्यम से किया जाना चाहिए एवं सभी छात्रों को बीमा कवरेज के अंतर्गत लाया जाना चाहिए।

2.2.2.9 प्लेसमेंट सेल की कार्यप्रणाली

यू.जी.सी. के मानदंडों के अनुसार, विश्वविद्यालय में एक प्लेसमेंट सेल होना चाहिए। सेल का प्राथमिक लक्ष्य, भर्ती प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना एवं छात्रों को उपयुक्त रोजगार प्राप्त करने में सहायता करना है।

यह देखा गया कि विश्वविद्यालय में प्लेसमेंट सेल कार्यशील नहीं था। हालांकि एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया था परन्तु, सेल अस्तित्व में नहीं था। आगे, विश्वविद्यालय ने एक प्लेसमेंट नीति तैयार की थी, किन्तु सेल के निष्क्रिय होने के कारण उसका

क्रियान्वयन नहीं हो सका, जिससे प्लेसमेंट सेल के निर्धारित उद्देश्य पूर्ण नहीं किए जा सके। हालांकि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि नौ महाविद्यालयों ने, कैंपस चयन प्रक्रिया के माध्यम से, वर्ष 2021-24 के दौरान 874 छात्रों को प्लेसमेंट की सुविधा प्रदान की, जो इन महाविद्यालयों में छात्रों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने की दिशा में एक सकारात्मक पहल को दर्शाता है।

कुलसचिव ने उत्तर दिया (दिसंबर 2024) कि प्लेसमेंट सेल के संचालन के लिए कार्रवाई की जाएगी।

2.2.3 मानव संसाधन प्रबंधन एवं अवसंरचना

2.2.3.1 कर्मचारियों की उपलब्धता

विश्वविद्यालय को अपनी स्वीकृत संवर्ग संख्या का कड़ाई से पालन करना आवश्यक है एवं यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मानवशक्ति की सभी भर्ती तथा पदस्थापना स्वीकृत सीमाओं के भीतर ही हो । विश्वविद्यालय की स्वीकृत संख्या एवं वर्तमान कार्यरत कर्मचारियों की स्थिति की समीक्षा करने पर, निम्नलिखित टिप्पणियां की गईं है:

2.2.3.1 (i) यू.जी. पाठ्यक्रमों के लिए शिक्षक-छात्र अनुपात

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मानदंडों के अनुसार, स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए निर्धारित शिक्षक-छात्र अनुपात कला संकाय के लिए 1:30 एवं विज्ञान संकाय के लिए 1:25 है।

लेखापरीक्षा ने नमूना जांच किए गए महाविद्यालयों[100] में स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए शिक्षक-छात्र अनुपात में कमी देखी, जैसा कि नीचे ***तालिका-2.2.8*** में संक्षेप में बताया गया है:

तालिका 2.2.8: स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए शिक्षक-छात्र अनुपात में कमी

विवरण	कला संकाय	विज्ञान संकाय	टिप्पणियां
जानकारी प्रदान करने वाले महाविद्यालयों की संख्या	10	10	10 महाविद्यालयों ने संकाय-वार आंकड़ा नहीं दिया
यू.जी.सी. मानदंडों से परे अनुपात वाले महाविद्यालयों की संख्या	6[101]	6[102]	
उपरोक्त महाविद्यालयों में शिक्षक-छात्र अनुपात का रेंज	1:56 से 1:413	1:30 से 1:224	

स्रोत: नमूना जांच किए गए महाविद्यालयों द्वारा दी गई जानकारी

निर्धारित मानदंडों से कम शिक्षक-छात्र अनुपात अपर्याप्त संकाय उपलब्धता को इंगित करता है, जो शिक्षण गुणवत्ता एवं छात्र को मिलने वाले व्यक्तिगत ध्यानाकर्षण को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकता है।

[100] विधि के पाठ्यक्रमों के लिए विशेष रूप से संचालित दो महाविद्यालयों को छोड़कर (शासकीय विधि महाविद्यालय, दतिया एवं शासकीय विधि महाविद्यालय, मुरैना)

[101] पी.जी. शासकीय वी.आर.जी. कन्या महाविद्यालय (1:56), ग्वालियर, शासकीय पी.जी. महाविद्यालय, दतिया (1:117), शासकीय छत्रशाल महाविद्यालय, पिछोर, शिवपुरी (1:65), शासकीय महाविद्यालय, ईशागढ़ (1:195), शासकीय पी.एम. एक्सीलेंस पी.जी. महाविद्यालय, अशोकनगर (1:318), शासकीय पी.एम. एक्सीलेंस पी.जी. महाविद्यालय, गुना (1:413)

[102] पी.जी. शासकीय वी.आर.जी. कन्या महाविद्यालय (1:70), ग्वालियर, शासकीय पी.जी. महाविद्यालय, दतिया (1:55), शासकीय छत्रशाल महाविद्यालय, पिछोर, शिवपुरी (1:61), शासकीय पी.एम. एक्सीलेंस पी.जी. महाविद्यालय, अशोकनगर (1:224), शासकीय पी.एम. एक्सीलेंस पी.जी. महाविद्यालय, गुना (1:90) एवं शासकीय पी.जी. महाविद्यालय, मुरैना (1:30)

2.2.3.1 (ii) विश्वविद्यालय एवं नमूना-जांच किए गए महाविद्यालयों में शिक्षण मानवशक्ति की उपलब्धता

लेखापरीक्षा में यह भी अवलोकित किया गया कि विश्वविद्यालय एवं नमूना-जांच किए गए महाविद्यालयों में स्वीकृत पदों की तुलना में शिक्षण मानवशक्ति में कमी पाई गई, जिसका विवरण ***परिशिष्ट-2.2.11*** में दिया गया है एवं इसका सार नीचे ***तालिका-2.2.9*** में प्रस्तुत है।

तालिका 2.2.9: स्वीकृत पदों के विरुद्ध शिक्षण मानवशक्ति की उपलब्धता

विवरण	अवलोकन	प्रभाव
विश्वविद्यालय में शिक्षण पदों की उपलब्धता		
स्वीकृत	128	
भरे हुए	36 (28 प्रतिशत)	शिक्षण की गुणवत्ता को प्रभावित करता है
नियमित शिक्षण स्टाफ के बिना विभाग	4 विभाग (16 स्वीकृत पद)	अस्थायी संकायों पर निर्भरता
संवर्ग-वार रिक्तियाँ	प्राध्यापक (78 प्रतिशत); सह-प्राध्यापक (83 प्रतिशत) तथा सहायक प्राध्यापक (66 प्रतिशत)	कमजोर शैक्षणिक नेतृत्व तथा अनुसंधान एवं उच्च अध्ययन के लिए खराब मार्गदर्शन
नमूना-जांच किए गए महाविद्यालयों में शिक्षण पदों की उपलब्धता		
स्वीकृत	702	
भरे हुए	407 (58 प्रतिशत)	शिक्षण गुणवत्ता को प्रभावित करता है
रिक्तियां	295 (42 प्रतिशत)	
नियमित शिक्षण स्टाफ के बिना महाविद्यालय	18 महाविद्यालय (1-14 विषयों के लिए 142 स्वीकृत पद)	अतिथि संकायों पर महाविद्यालयों की पूरी निर्भरता

रिक्त शिक्षण पद शैक्षिक गुणवत्ता में बाधा डालते हैं तथा मौजूदा संकायों पर कार्यभार बढ़ाते हैं, जैसा कि ***प्रकरण अध्ययन-2.2.2*** में दर्शाया गया है। नियमित स्टाफ की इस कमी को पूरा करने के लिए, विश्वविद्यालय ने लेखापरीक्षा अवधि के दौरान नियमित एवं एस.एफ.सी. पाठ्यक्रमों के लिए 334 से 343[103] के बीच अतिथि संकाय एवं संविदा शिक्षकों को सलग्न किया।

लेखापरीक्षा में यह अवलोकित किया गया कि शिक्षण स्टाफ की अपर्याप्त उपलब्धता छात्रों के नामांकन में गिरावट का एक कारण थी, जैसा कि नीचे दिए ***चार्ट-2.2.4*** में वर्ष-वार प्रवृत्ति में दर्शाया गया है:

103 वर्ष 2021-22 (336), वर्ष 2022-23 (334) एवं वर्ष 2023-24 (343)

चार्ट 2.2.4: विश्वविद्यालय एवं नमूना-जांच किए गए महाविद्यालयों में छात्रों के नामांकन की वर्ष-वार प्रवृत्ति

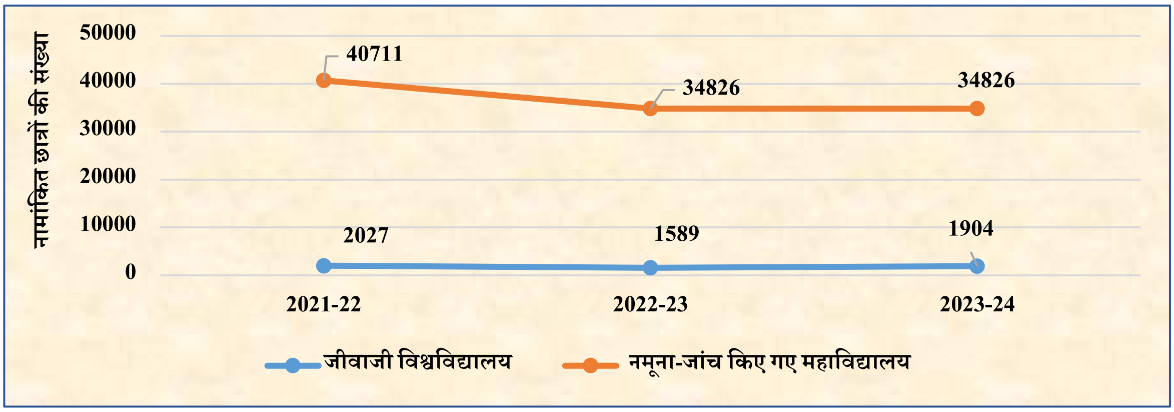

स्रोत: लेखापरीक्षा को प्रस्तुत अभिलेख

कुलसचिव ने उत्तर दिया (दिसंबर 2024) कि विश्वविद्यालय में भर्ती प्रक्रिया चल रही थी एवं इस अवधि के दौरान अतिथि संकाय एवं संविदा शिक्षकों की नियुक्ति की गई।

तथ्य यह है कि विश्वविद्यालय एवं नमूना-जांच किए गए महाविद्यालयों में पर्याप्त शिक्षण स्टाफ का अभाव रहा, जो छात्रों को प्रदान की जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है।

प्रकरण अध्ययन-2.2.2: पदों की स्वीकृति एवं पूर्ति में अनियमितताएँ

(क) शासकीय महाविद्यालय पिछोर, शिवपुरी

एच.ई.डी., मध्य प्रदेश शासन के आदेश (मार्च 2018) के अनुसार, स्नातक पाठ्यक्रमों के विज्ञान संकाय में प्रत्येक विषय हेतु दो शिक्षण पद स्वीकृत किए जाने थे। महाविद्यालय, जिसमें 13 विषयों में स्नातक एवं 10 विषयों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम संचालित थे, विशेषकर विज्ञान संकाय में शिक्षकों की अत्यधिक कमी थी, जहाँ चार विषयों में प्रत्येक के लिए निर्धारित दो पदों के स्थान पर केवल एक पद ही स्वीकृत किया गया था। लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, स्वीकृत 23 पदों में से 11 पद रिक्त रहे एवं जिन्हें अस्थायी रूप से अतिथि संकाय के माध्यम से भरा गया। तथापि, महाविद्यालय द्वारा विषय-वार पदस्थापना सुनिश्चित नहीं की गयी।

पदों की स्वीकृति एवं भरे जाने में इन अनियमितताओं के परिणामस्वरूप विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मानकों क्रमशः 1:30 एवं 1:25 के विरुद्ध, कला संकाय में शिक्षक-छात्र अनुपात 1:165 से 1:276 एवं विज्ञान संकाय में 1:61 से 1:81 तक कमी थी। इसके अतिरिक्त, इतिहास विषय में एक ही शिक्षक द्वारा स्नातक एवं स्नातकोत्तर दोनों कक्षाओं को संभाला गया, जिनमें छात्रों की संख्या 418 से 1448 तक रही, जो अवधि के दौरान संकाय की गंभीर कमी को दर्शाता है।

(ख) शासकीय महाविद्यालय बड़ोदा, श्योपुर

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत उच्च शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित (सितंबर 2021) पाठ्यक्रम के अनुसार, स्नातक पाठ्यक्रमों को पूर्ण करने हेतु प्रति पेपर 90 व्याख्यान आवश्यक है। यह देखा गया कि महाविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2023-24 से कला एवं विज्ञान संकाय में स्नातक पाठ्यक्रम प्रारंभ किए गए। कला संकाय में सात विषयों के लिए सात शिक्षण पद स्वीकृत थे, जबकि विज्ञान संकाय में छः विषयों के लिए 12 पद स्वीकृत थे। चूँकि कोई भी नियमित शिक्षक पदस्थ नहीं था, अतः आंतरिक व्यवस्था के तहत जिले के दो अन्य महाविद्यालयों से 15 शिक्षकों की कला विषयों के अध्यापन हेतु एवं 10 शिक्षकों की पाँच विज्ञान विषयों के अध्यापन हेतु व्यवस्था की गई।

लेखापरीक्षा में यह अवलोकित किया गया कि महाविद्यालय में शिक्षण पदों की पूर्ति में कमी के कारण प्रति पेपर 12 से 37 तक अपर्याप्त व्याख्यान दिए जा रहे थे, जो 90 व्याख्यान प्रति पेपर के निर्धारित मानकों से काफी कम थे। इसके अतिरिक्त, महाविद्यालय में 10 छात्रों के लाभार्थी सर्वेक्षण के दौरान पाँच छात्रों ने बताया कि पाठ्यक्रम पूर्ण नहीं कराया गया।

प्राचार्य ने रिक्तियों के कारण उत्पन्न कमी को स्वीकार किया (जनवरी 2025), जिसके परिणामस्वरूप पाठ्यक्रम पूरा नहीं हो पाया।

2.2.3.1 (iii) विश्वविद्यालय एवं नमूना-जांच किए गए महाविद्यालयों में गैर-शिक्षण मानवशक्ति की उपलब्धता

विश्वविद्यालय के अभिलेखों की नमूना-जांच के दौरान निम्नलिखित अवलोकन किए गए:

विश्वविद्यालय में गैर-शिक्षण स्टाफ की श्रेणी-वार स्थिति एवं गैर-शिक्षण प्रमुख पदों की रिक्ति का सारांश नीचे ***तालिका-2.2.10*** एवं ***2.2.11*** में प्रस्तुत है।

तालिका 2.2.10: गैर-शिक्षण स्टाफ की श्रेणी-वार स्थिति (दिसंबर 2024 तक)

श्रेणी	स्वीकृत पद	कार्यरत कार्मिक	कमी (प्रतिशत)
नियमित	366	249	117 (32)
स्व-वित्तपोषित	80	45	35 (44)
अन्य (प्रशासनिक अधिकारी)	17	11	06 (35)
योग	**463**	**305**	**158 (34)**

स्रोत: विश्वविद्यालय द्वारा दी गई जानकारी

तालिका 2.2.11: विश्वविद्यालय में गैर-शिक्षण प्रमुख पदों की रिक्ति

पद	से रिक्त	प्रभाव
वित्त अधिकारी	18 मार्च 2023	वित्तीय प्रबंधन को प्रभावित करता है
उप-कुलसचिव - 1	सितम्बर 2021	शैक्षणिक एवं प्रशासनिक प्रक्रियाओं में समन्वय का अभाव
उप-कुलसचिव - 2	सितम्बर 2022	शैक्षणिक एवं प्रशासनिक प्रक्रियाओं में समन्वय का अभाव
सहायक कुलसचिव	लेखापरीक्षा अवधि के दौरान रिक्त	सामान्य प्रशासनिक कार्यों को प्रभावित करता है
विश्वविद्यालय अभियंता	5 वर्ष से अधिक	अवसंरचना के रखरखाव एवं विकास कार्यों में विलंब
अधिष्ठाता, छात्र कल्याण	5 वर्ष से अधिक	छात्रों के विकास एवं भलाई पर ध्यान केंद्रित करने को प्रभावित करता है

लेखापरीक्षा में यह भी अवलोकित किया गया कि 22 नमूना-जांच किए गए महाविद्यालयों में स्वीकृत पदों के विरूद्ध गैर-शिक्षण मानवशक्ति में कमी पाई गई, जिसका विवरण ***परिशिष्ट-2.2.12*** में दिया गया है एवं सारांश नीचे ***तालिका-2.2.12*** में प्रस्तुत है:

तालिका 2.2.12: नमूना-जांच किए गए महाविद्यालयों में गैर-शिक्षण मानवशक्ति की उपलब्धता

विवरण	विस्तृत विवरण	प्रभाव
स्वीकृत पद	653	—
भरे हुए पद	335	—
रिक्त पद	318 (49%) 17 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक की सीमा में	सामान्य प्रशासनिक एवं शैक्षणिक सहायता प्रभावित हुई
नियमित प्राचार्य रहित महाविद्यालयों की संख्या	19	नेतृत्व एवं शैक्षणिक पर्यवेक्षण की कमी

रिक्त गैर-शिक्षण पद प्रशासनिक दक्षता एवं संस्थागत सहायता में व्यवधान उत्पन्न करते हैं।

2.2.3.1 (iv) शिक्षण एवं गैर-शिक्षण स्टाफ की समग्र रिक्ति की स्थिति

दिसंबर 2024 तक विश्वविद्यालय एवं नमूना-जांच किए गए महाविद्यालयों में शिक्षण/गैर-शिक्षण स्टाफ की समग्र रिक्ति की स्थिति नीचे ***चार्ट-2.2.5*** में प्रदर्शित है:

चार्ट-2.2.5: विश्वविद्यालय एवं नमूना-जाँच किए गए महाविद्यालयों में शिक्षण एवं गैर-शिक्षण स्टाफ की समग्र रिक्तियों की स्थिति का विवरण

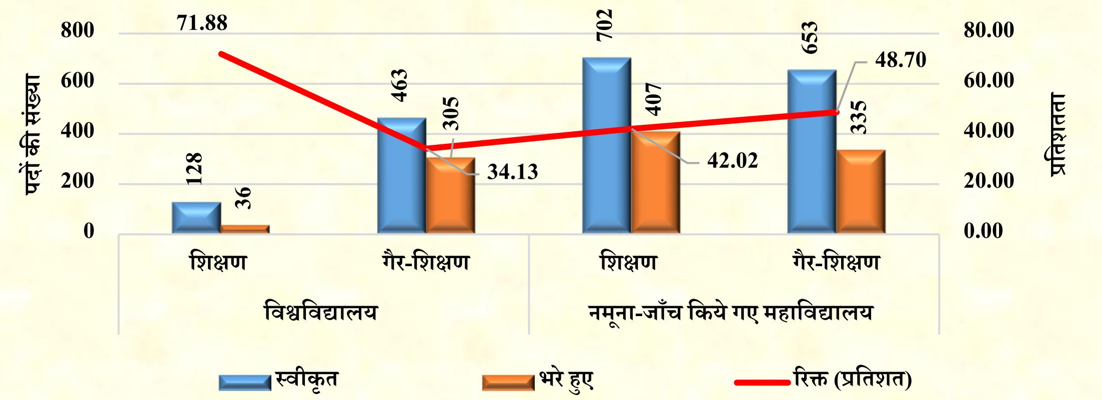

स्रोत: लेखापरीक्षा को प्रस्तुत अभिलेख

यह देखा गया कि कमी को पूरा करने के लिए विश्वविद्यालय ने शिक्षण एवं गैर-शिक्षण स्टाफ की भर्ती हेतु विज्ञापन प्रकाशित किए (फरवरी 2021 एवं मार्च 2022), लेकिन वाद[104] एवं अन्य कारणों से भर्ती प्रक्रिया निरस्त कर दी गई।

ए.सी.एस. ने निर्गम सम्मलेन में कुलपति को निर्देश दिया (जुलाई 2025) कि शिक्षण एवं गैर-शिक्षण स्टाफ की भर्ती हेतु विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

विश्वविद्यालय समय पर शिक्षण एवं गैर-शिक्षण स्टाफ की भर्ती सुनिश्चित करे, ताकि अतिथि संकाय पर अत्यधिक निर्भरता कम हो एवं संचालन की निरंतरता बनी रहे।

2.2.3.2 संपत्ति प्रबंधन एवं अवसंरचना

2.2.3.2 (i) विश्वविद्यालय भूमि का अतिक्रमण

विश्वविद्यालय के परिनियम संख्या 21 के प्रावधानानुसार, कुलपति के नियंत्रण के अधीन, विश्वविद्यालय का वित्त अधिकारी विश्वविद्यालय की संपत्ति के स्वामित्व एवं प्रबंधन करने के लिए जिम्मेदार है।

भूमि सीमांकन[105] (मई 2005) के दौरान यह पता चला कि एक निजी कॉलोनाइज़र[106] ने विश्वविद्यालय की भूमि पर 48 आवासीय प्लॉट विकसित करने के लिए अवैध रूप से अतिक्रमण किया। उल्लेखित भूमि पर कोई चारदीवारी नहीं थी। अपने प्रत्युत्तर में, सीमांकन के विरोध में, कॉलोनाइज़र ने विश्वविद्यालय के विरूद्ध अपर कलेक्टर एवं अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग की अदालतों में विधिक वाद दायर किए। दोनों अदालतों ने क्रमशः जुलाई 2007 एवं मई 2010 में विश्वविद्यालय के पक्ष में निर्णय दिए। कॉलोनाइज़र, प्रकरण को राजस्व बोर्ड, ग्वालियर तक ले गया, जिसने अप्रैल 2012 में पड़ोसी भूमिधारकों की उपस्थिति में नए सीमांकन कराने का निर्देश दिया।

---

[104] रोस्टर एवं ओ.बी.सी. आरक्षण से संबंधित

[105] भू-अभिलेख कार्यालय, ग्वालियर द्वारा

[106] कैलाश गृह निर्माण समिति

तदनुसार, अप्रैल 2016 में गठित सीमांकन दल ने अपना प्रतिवेदन (मई 2017) प्रस्तुत की, जिसमें बताया गया कि लगभग 6715.86 वर्ग मीटर भूमि[107], जिसमें 65 आवासीय प्लॉट शामिल हैं एवं जिसका मूल्य लगभग ₹16.12 करोड़ है, को कॉलोनाइज़र द्वारा अवैध रूप से कब्जे में लिया हुआ पाया गया। इसके बाद, विश्वविद्यालय द्वारा कई अवसरों पर अतिक्रमण के प्रकरण को जिला कलेक्टर के संज्ञान में लाया गया, लेकिन नवंबर 2024 तक इस पर कार्रवाई लंबित रही।

निर्गम सम्मलेन में, ए.सी.एस. ने कुलपति को इस प्रकरण को अत्यंत गंभीरता से लेने की सलाह दी (जुलाई 2025) एवं अतिक्रमित भूमि को पुनः प्राप्त करने हेतु किए गए प्रयासों को रेखांकित करते हुए एक विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

तथ्य यह रहा कि चारदीवारी का निर्माण न होने के कारण, कॉलोनाइज़र द्वारा विश्वविद्यालय की 6715.86 वर्ग मीटर भूमि पर अतिक्रमण किया गया।

2.2.3.2 (ii) छात्रावास का प्रबंधन एवं अवसंरचना की पर्याप्तता

शासकीय महाविद्यालय के छात्रावास नियम, 1976 के नियम 5 (क) के अनुसार, वार्डन/सहायक वार्डन के पद को शासन द्वारा स्वीकृत किया जाना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, उक्त नियमों का नियम 10 शासकीय महाविद्यालय से जुड़े छात्रावासों के प्रबंधन के लिए मूलभूत सुविधाएँ एवं प्रक्रिया प्रदान करता है। भारतीय विधिज्ञ परिषद् (बी. सी. आई.) के मानदंडों के अनुसार, विधि महाविद्यालयों के पास आवश्यक अवसंरचनात्मक सुविधाएँ[108] होनी आवश्यक हैं।

आगे, मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973, महाविद्यालयों, शिक्षण विभागों, अनुसंधान अथवा विशेष अध्ययन संस्थानों, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों, संग्रहालयों एवं सभागारों की स्थापना, रखरखाव एवं प्रबंधन के प्रावधान करता है।

(अ) छात्रावास :

यह देखा गया कि विश्वविद्यालय, चार छात्रावास संचालित करता है, जिनमें से दो छात्रावास बालकों एवं दो छात्रावास बालिकाओं के लिए हैं। 22 नमूना जांच किए गए महाविद्यालयों में से दो[109] महाविद्यालयों में आवासीय छात्रावास उपलब्ध थे। लेखापरीक्षा ने इन छात्रावासों के प्रबंधन एवं सुविधाओं में कमियों का अवलोकन किया, जिसका सार नीचे ***तालिका 2.2.13*** में दिया गया है।

तालिका 2.2.13: छात्रावासों में उपलब्ध अपर्याप्त सुविधाएं

विवरण	प्रेक्षण	प्रभाव
विश्वविद्यालय के छात्रावासों में पाई गई कमियाँ		
छात्रावास प्रशासन	वार्डन एवं सहायक वार्डन के लिए कोई पद स्वीकृत नहीं	अप्रभावी प्रबंधन एवं पर्यवेक्षण
सफाई एवं रखरखाव	अपर्याप्त सफाई कर्मचारी (354 कमरों एवं 154 शौचालयों की सफाई के लिए 1 से 3 व्यक्ति लगे हुए थे)	स्वच्छता एवं साफ-सफाई के मानकों में गिरावट
पुस्तकालय एवं फर्नीचर	सभी छात्रावासों में उपलब्ध नहीं है; छात्रावासों में फर्नीचर अपर्याप्त थे	सीमित अध्ययन अवसंरचना

107 सर्वे नंबर 869, 871 एवं 872

108 एक शैक्षणिक भवन, 60 छात्रों की क्षमता के साथ अलग-अलग कक्षाएं, प्रशिक्षण कक्ष, काल्पनिक न्यायालय कक्ष, पुरुष एवं महिला छात्रों के लिए अलग-अलग कॉमन रूम, एक कानूनी सहायता क्लिनिक, एक अच्छी तरह से सुसज्जित पुस्तकालय भवन, छात्रावास सुविधाएं एवं एक खेल का मैदान सहित सुविधाएं।

109 शासकीय श्रीमंत माधवराव सिंधिया पी.जी. महाविद्यालय शिवपुरी (बालक) एवं शासकीय कमला राजा कन्या स्वायत्त पी.जी. महाविद्यालय ग्वालियर (कन्या)

विवरण	प्रेक्षण	प्रभाव
मूलभूत सुविधाएं	दो छात्रावासों में जनरेटर, सी.सी.टी.वी., सुरक्षा, अध्ययन कक्ष, आर.ओ. जल, मच्छरदानी एवं कूलर की कमी थी; साथ ही शौचालयों, रसोईघरों, व्यायामशाला तथा अध्ययन कक्षों के नवीनीकरण की आवश्यकता थी।	रहने की खराब स्थिति एवं सुरक्षा संबंधी चिंताएँ
नमूना जांच किए गए छात्रावासों एवं महाविद्यालयों में पाई गई कमियाँ		
छात्रावास प्रशासन	दो छात्रावासों में वार्डन एवं सहायक वार्डन के पद स्वीकृत नहीं किए गए।	अप्रभावी प्रबंधन एवं पर्यवेक्षण
महाविद्यालयों में अध्ययन कक्ष एवं पुस्तकालय	11 महाविद्यालयों में पृथक अध्ययन कक्ष का अभाव था। 6 महाविद्यालयों में पुस्तकालयाध्यक्ष नहीं थे।	सीमित अध्ययन अवसंरचना
मूलभूत सुविधाएं	6 महाविद्यालयों में सी.सी.टी.वी., दिव्यांगों के अनुकूल शौचालय तथा पृथक कॉमन रूम का अभाव था।	सीमित अवसंरचना
आई.सी.टी. एवं पावर बैकअप	8 महाविद्यालयों में कंप्यूटर सुविधाओं की कमी थीं, 12 में जनरेटर एवं 5 में इंटरनेट सुविधा की कमी थी।	डिजिटल शिक्षा को प्रभावित करता है
कॉमन एवं सम्मेलन कक्ष	10 महाविद्यालयों में सम्मेलन कक्ष एवं महिला स्टाफ के लिए कॉमन रूम की कमी थी।	बैठकों एवं कर्मचारियों के उपयोग के लिए अपर्याप्त सुविधाएँ
मनोरंजन एवं अवसंरचनात्मक सुविधाएँ	9 महाविद्यालयों में खेल के मैदान/अध्ययन कक्ष का अभाव था; 7 में वाहन पार्किंग की व्यवस्था नहीं थी।	सीमित मनोरंजन क्षेत्र
सफाई एवं रखरखाव	अपर्याप्त सफाई कर्मचारी (के.आर.जी. महाविद्यालय, ग्वालियर के छात्रावास के 70 कमरों एवं 60 शौचालयों /वाशरूम की सफाई के लिए 2 व्यक्ति लगे हुए थे)	स्वच्छता एवं साफ-सफाई के मानकों में गिरावट

महाविद्यालय-वार विवरण ***परिशिष्ट 2.2.13*** में दर्शाया गया है।

(ब) विश्वविद्यालय के नमूना-जांच किए गए शिक्षण विभाग

लेखापरीक्षा ने विश्वविद्यालय शिक्षण विभागों (यू.टी.डी.) की अवसंरचना सुविधाओं में कमियां देखीं, जैसे अध्ययन कक्ष, कॉमन रूम की अपर्याप्तता, दिव्यांग अनुकूल शौचालयों की कमी, बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय, महिला कर्मचारियों के लिए कॉमन रूम एवं रैंप सुविधाओं की कमी आदि, जैसा कि ***परिशिष्ट 2.2.14*** में विवरण दिया गया है।

इसके अतिरिक्त, चयनित छात्रों के सर्वेक्षण से यह पाया गया कि 45 प्रतिशत से 50 प्रतिशत छात्रों ने प्रयोगशाला एवं उसके उपकरणों की उपलब्धता को औसत के रूप में आंका; एवं 40 प्रतिशत से 63 प्रतिशत छात्रों ने संबंधित कॉमन रूम की उपलब्धता की सूचना दी, जो मध्यम असंतोष एवं सुविधाओं में सुधार की आवश्यकता को दर्शाता है। अवसंरचना सुविधाओं की अपर्याप्तता को नीचे दिए गए **प्रकरण अध्ययन-2.2.3** में स्पष्ट किया गया है।

प्रकरण अध्ययन-2.2.3: अवसंरचना सुविधाओं की अपर्याप्तता

(अ) शासकीय एस.एम.एस. महाविद्यालय, कोलारस, शिवपुरी में प्रायोगिक कार्य हेतु प्रयोगशाला का अभाव

प्रारंभ में महाविद्यालय की शुरुआत कला संकाय से हुई थी। बिना अवसंरचना उन्नयन किए ही जून 2018 में प्रारंभ किए गए, विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय का उसी भवन में समायोजित किया गया।

विज्ञान के प्रायोगिक कार्यों के संचालन के लिए समर्पित प्रयोगशाला कक्ष उपलब्ध नहीं थे। प्रयोगशाला उपकरण अनुपयुक्त कक्षों में रखे गए थे, जहाँ प्रयोग के लिए पर्याप्त स्थान नहीं था। कंप्यूटर प्रयोगशाला उपलब्ध नहीं थी एवं कंप्यूटर भी क्रय नहीं गए थे, जिससे कंप्यूटर साइंस के प्रयोग करना कठिन हो गया। विज्ञान पाठ्यक्रम के छात्र[110] बुनियादी प्रयोगशाला की कमी के कारण प्रभावित हुए।

प्राचार्य ने उत्तर दिया (जनवरी 2025) कि कोई विज्ञान प्रयोगशाला नहीं थी एवं प्रायोगिक कार्य कक्षा में ही संपन्न किए जाते थे। कंप्यूटर के प्रायोगिक कार्य कंप्यूटर शिक्षक के लैपटॉप/कंप्यूटर का उपयोग करके किए जाते थे।

तथ्य यह है कि महाविद्यालय में विज्ञान तथा वाणिज्य संकाय संचालित करने के लिए आधारभूत अवसंरचना की कमी थी।

(ब) शासकीय महाविद्यालय कराहाल, श्योपुर

महाविद्यालय, वर्ष 2018-19 से शासकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय, कराहाल के भवन में संचालित हो रहा था। महाविद्यालय के लिए तीन कक्ष आवंटित किए गए थे, एक प्राचार्य के लिए एवं दो कक्षाओं के लिए। महाविद्यालय समयसारणी के अनुसार, सात विषयों[111] की तीन बी.ए. कक्षाएं (प्रथम से तृतीय वर्ष) एक साथ निर्धारित की गई थीं, जिससे केवल दो उपलब्ध कक्षों के साथ सभी कक्षाओं के लिए व्याख्यान आयोजित करना अव्यावहारिक हो गया।

इसके अतिरिक्त, भूगोल विषय के लिए आवश्यक प्रायोगिक कार्य हेतु कोई पृथक कक्ष उपलब्ध नहीं था। कक्षाओं में पर्याप्त फर्नीचर एवं ब्लैकबोर्ड जैसी मूलभूत सुविधाओं का भी अभाव था, जिससे शिक्षण की स्थिति मानक स्तर से निम्न हो गयी थीं।

प्राचार्य ने उत्तर दिया (जनवरी 2025) कि परीक्षाओं के दौरान विद्यालय का फर्नीचर उपयोग में लिया जाता था।

प्रशिक्षण अथवा प्रायोगिक कक्षाओं के प्रबंधन के संबंध में दिया गया उत्तर मौन है।

(स) शासकीय विधि महाविद्यालय, शिवपुरी

विधि महाविद्यालयों के संचालन हेतु बी.सी.आई. के मानकों के अनुसार एच.ई.डी. द्वारा पृथक व्यवस्था स्थापित (अगस्त 2013) की गई थी। एच.ई.डी. ने शिवपुरी में विधि महाविद्यालय के लिए पृथक भवन निर्माण हेतु ₹7.60 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति (सितंबर 2022) प्रदान की तथा इस उद्देश्य के लिए छ: हेक्टेयर भूमि आवंटित (मई 2023) की गई। लेखापरीक्षा में पाया गया कि निर्माण कार्य प्रारंभ (फरवरी 2025) नहीं किया गया था। स्वयं का भवन उपलब्ध न होने के कारण, विधि पाठ्यक्रमों का संचालन शासकीय श्रीमंत माधवराव सिंधिया स्नातकोत्तर महाविद्यालय, शिवपुरी के परिसर में अन्य शैक्षणिक कार्यक्रमों के साथ किया जा रहा था।

यद्यपि, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा शासकीय विधि महाविद्यालय, शिवपुरी के प्राचार्य को कार्यालय प्रमुख के रूप में नामित (फरवरी 2024) किया गया था, फिर भी, जिले में विधि शिक्षा के लिए पृथक केंद्र स्थापित नहीं किया गया था। लेखापरीक्षा में यह अवलोकित किया गया कि स्वतंत्र भवन के अभाव में आवश्यक अवसंरचना, जैसे समर्पित शैक्षणिक ब्लॉक, छात्रावास, आवश्यक सुविधाओं सहित पृथक पुस्तकालय भवन एवं विधि छात्रों के लिए कंप्यूटर प्रयोगशाला उपलब्ध नहीं थी। यद्यपि विधिक सहायता केंद्र एवं मूट कोर्ट[112] हेतु कक्ष चिह्नित किए गए थे, उनकी स्थिति उप-इष्टतम नहीं पाई गई।

अपर मुख्य सचिव ने निर्गम सम्मलेन (जुलाई 2025) में शासकीय महाविद्यालयों में शैक्षणिक मानकों को बनाए रखने हेतु पर्याप्त अवसंरचना एवं आवश्यक सुविधाओं के रखरखाव के महत्व पर जोर दिया।

विश्वविद्यालय यह सुनिश्चित करे कि संबद्ध महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालय में पर्याप्त अवसंरचना एवं आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध हों, ताकि शैक्षणिक मानकों को बनाए रखा जा सके।

2.2.4 वित्तीय प्रबंधन

विश्वविद्यालय ने मध्य प्रदेश शासन एवं भारत सरकार से अनुदान प्राप्त किया। इसके अतिरिक्त, प्रवेशित छात्रों से प्राप्त शुल्क, महाविद्यालयों से प्राप्त संबद्धता शुल्क, छात्रावासों से प्राप्त होने वाला किराया एवं जमा राशि पर अर्जित ब्याज विश्वविद्यालय के

---

[110] वर्ष 2021-22 में 233, 2022-23 में 233 एवं 2023-24 में 244

[111] अर्थशास्त्र, अंग्रेजी, भूगोल, हिंदी, इतिहास, राजनीति शास्त्र एवं समाजशास्त्र

[112] एक नकली अदालत जहां छात्र शैक्षिक उद्देश्यों के लिए कानूनी मामलों पर बहस करने का अभ्यास करते हैं।

राजस्व के स्रोत हैं। लेखापरीक्षा अवधि 2021-22 से 2023-24 के दौरान विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त संबद्धता शुल्क, कुल प्राप्तियों का 4.84 से 6.17 प्रतिशत के बीच रहा। आगे, इस अवधि में विश्वविद्यालय को कोई शोध अनुदान प्राप्त नहीं हुआ।

व्यय वेतन एवं भत्तों, स्थापना, परीक्षा, निर्माण एवं रखरखाव कार्य आदि पर किया जाता है।

2.2.4.1 बजट में निर्धारित तथा वास्तविक आय एवं व्यय

लेखापरीक्षा अवधि के दौरान विश्वविद्यालय के बजट तथा व्यय की अनुमानित एवं वास्तविक स्थिति नीचे ***चार्ट-2.2.6*** एवं ***चार्ट-2.2.7*** में प्रदर्शित है:

चार्ट-2.2.6: बजट में निर्धारित बनाम वास्तविक आय

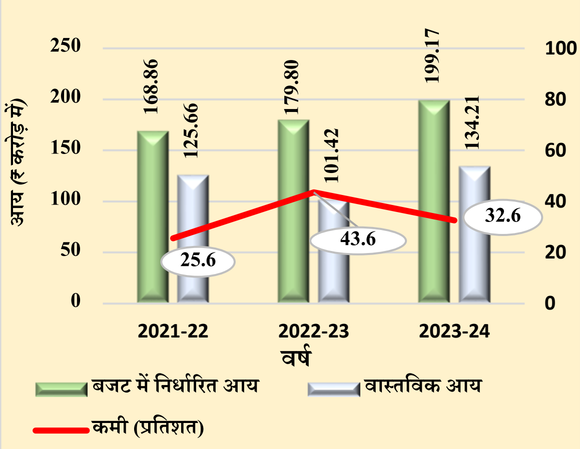

चार्ट-2.2.7: बजट में निर्धारित बनाम वास्तविक व्यय

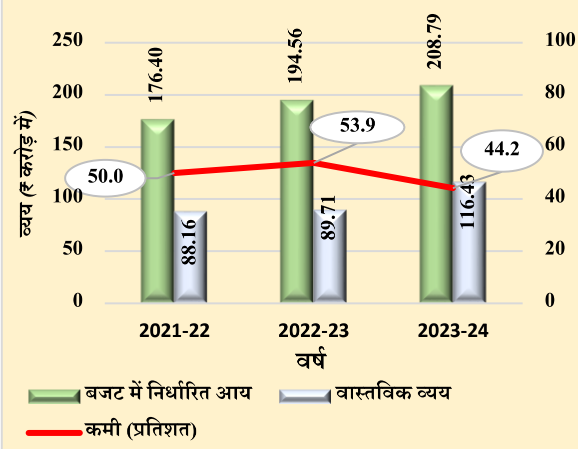

डेटा स्रोत: लेखापरीक्षित वार्षिक लेखा एवं बजट अनुमान दस्तावेज

आय एवं व्यय का वर्ष-वार तथा शीर्षवार विवरण ***परिशिष्ट-2.2.15*** में दिया गया है।

- यह देखा गया कि अनुमानित आय में 26 प्रतिशत से 44 प्रतिशत तक की कमी थी तथा अनुमानित व्यय में 44 प्रतिशत से 54 प्रतिशत तक विविधता रही। साथ ही, विश्वविद्यालय की वास्तविक आय व्यय से निरंतर अधिक रही। हालाँकि, यह अवलोकित किया गया कि शुल्क एवं अन्य प्राप्तियों[113] में कमी के कारण वर्ष 2022-23 में विश्वविद्यालय की आय में ₹ 24.24 करोड़ की कमी आई। वहीं, परीक्षा एवं मुद्रण कार्य, सामान्य एवं अन्य व्ययों तथा पूंजीगत व्यय में वृद्धि के कारण वर्ष 2023-24 में विश्वविद्यालय के व्यय में 30 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

- वर्ष 2021-22 में कुल 15 विभागों अथवा अनुभागों ने अपने बजटीय मांग पत्र प्रस्तुत नहीं किए। यह संख्या वर्ष 2022-23 में 21 तक बढ़ गई एवं वर्ष 2023-24 में बढ़कर 25 हो गई। उक्त विभागों द्वारा बजटीय मांग पत्र प्रस्तुत न करने के कारणों की जानकारी विश्वविद्यालय द्वारा नहीं दी गई। अतः विभागों से आय एवं व्यय की बजटीय मांग प्राप्त किए बिना बजट अनुमान तैयार करना विश्वविद्यालय के अवास्तविक बजट निर्माण को दर्शाता है।

- विश्वविद्यालय ने अवधि के दौरान कुछ मदों जैसे वेतन, मुद्रण, स्टेशनरी, आवास निर्माण, रखरखाव आदि के तहत मूल आवंटन ₹89.10 करोड़[114] के विरूद्ध संशोधित आवंटन ₹31.08 करोड़[115] का उपयोग नहीं किया।

---

[113] आयोजनेत्तर शीर्ष के तहत नियमित पाठ्यक्रम शुल्क, परीक्षा शुल्क, संबद्धता शुल्क आदि, एवं विशेष प्रयोजनार्थ शीर्ष के तहत खेल शुल्क, राष्ट्रीय सेवा योजना, छात्रवृत्ति आदि।

[114] वर्ष 2021-22 (₹13.78 करोड़), वर्ष 2022-23 (₹36.23 करोड़) एवं वर्ष 2023-24 (₹39.09 करोड़)

[115] वर्ष 2021-22 (₹8.80 करोड़), वर्ष 2022-23 (₹12.36 करोड़) एवं वर्ष 2023-24 (₹9.92 करोड़)

- अवधि के दौरान आयोजनेत्तर[116] (43 प्रतिशत से 47 प्रतिशत), योजना[117] (69 प्रतिशत से 99 प्रतिशत), विशेष प्रयोजनार्थ योजना (83 प्रतिशत से 89 प्रतिशत) एवं वर्ष 2022-23 में स्व-वित्तपोषित (71 प्रतिशत) के तहत निधियों के पर्याप्त उपयोग न होने का उल्लेखनीय प्रकरण देखा गया, जैसा कि ***परिशिष्ट-2.2.16*** में दर्शाया गया है। मुख्य कारणों में वास्तविक कार्यरत कर्मियों की संख्या के स्थान पर, स्वीकृत पदों की संख्या के आधार पर अनुमान लगाना, अनुदान का उपयोग न करना एवं राशि का आगामी वर्ष (2023-24) में विश्वविद्यालय कोष में स्थानांतरण शामिल थे।

निर्गम सम्मेलन में, अपर मुख्य सचिव ने कुलसचिव को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया (जुलाई 2025) कि बजट सभी संबंधित विभागों से परामर्श कर एवं वास्तविक उपलब्ध मानवशक्ति के आधार पर तैयार किया जाए।

विश्वविद्यालय द्वारा निधि के अधिकतम उपयोग को सुनिश्चित करना आवश्यक है।

2.2.4.2 वार्षिक खाता तैयार करना

मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, उच्च शिक्षा विभाग के शैक्षणिक संस्थानों में लेखांकन मानकों के कार्यान्वयन पर प्रतिवेदन में कहा गया है कि शैक्षणिक संस्थानों के वित्तीय विवरण (जैसे, तुलन पत्र तथा आय एवं व्यय लेखा) को निर्धारित प्रारूपों में उपार्जन आधार पर तैयार किया जाना चाहिए।

मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 24-क में प्रावधान है कि विश्वविद्यालय की वित्त समिति का यह कर्तव्य होगा कि वह विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखों एवं वार्षिक लेखापरीक्षा को समय पर पूरा कराए। विश्वविद्यालय के परिनियम संख्या 21 में यह प्रावधान है कि वित्त अधिकारी को निवेश की स्थिति पर निगरानी रखना आवश्यक है।

इसके अतिरिक्त, धारा 48 में कहा गया है कि विश्वविद्यालय के लेखाओं की संपरीक्षा, राज्य के स्थानीय निधि लेखापरीक्षक द्वारा की जाएगी एवं कार्यपरिषद द्वारा संपरीक्षा किये गए लेखाओं की तथा उसके साथ संपरीक्षा प्रतिवेदन की प्रति राज्य शासन को प्रस्तुत की जाएगी, जिसे राज्य विधान सभा के पटल पर रखा जाएगा।

विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखे वर्ष 2023-24 तक मैनुअली तैयार किए गए एवं स्थानीय निधि लेखापरीक्षक द्वारा उनकी संपरीक्षा की गई। हालांकि, निम्नलिखित खामियां/कमियां देखी गई:

- वार्षिक लेखे तैयार करने के लिए आवश्यक मानक प्रारूप राज्य शासन द्वारा निर्धारित नहीं किए गए थे। विश्वविद्यालय ने आय एवं व्यय विवरण को वार्षिक लेखे के रूप में तैयार किया, जिसमें प्राप्ति एवं भुगतान लेखा, आय एवं व्यय लेखा तथा तुलन पत्र शामिल नहीं थे। इसके अलावा, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स द्वारा तैयार किए गए विश्वविद्यालय के तुलन पत्र का उपयोग केवल आयकर विवरणियां दाखिल करने के लिए किया जाता है, लेकिन आय एवं व्यय विवरण के साथ राज्य विधान सभा को प्रस्तुत नहीं किया गया।
- विश्वविद्यालय का आय एवं व्यय लेखा आवश्यकतानुसार उपार्जन आधार के स्थान पर नगद आधार पर तैयार किया गया। आय एवं व्यय लेखा को उपार्जन आधार पर तैयार न करने एवं इसके शेष को तुलन पत्र में अंतरण न करने के कारण विश्वविद्यालय की वित्तीय स्थिति का अनुचित प्रस्तुतीकरण हुआ।
- मार्च 2024 तक 29 सावधि जमा प्राप्तियों (एफ.डी.आर.) में ₹ 306.31 करोड़ का निवेश किया गया था। हालांकि, विश्वविद्यालय के पास वित्तीय निर्णय लेने की रणनीति सुनिश्चित करने के लिए अधिशेष निधियों के निवेश हेतु कोई नीति नहीं थी।

[116] आयोजनेत्तर व्यय में वेतन, कार्यालय व्यय, निर्माण कार्य एवं रखरखाव आदि पर होने वाला व्यय शामिल है।

[117] योजना व्यय में आर.यू.एस.ए., विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं आयुर्वेदिक परामर्शदात्री केन्द्र से संबंधित व्यय शामिल हैं।

निर्गम सम्मेलन में, अपर मुख्य सचिव ने कुलसचिव को निर्देश दिया (जुलाई 2025) कि उपार्जन आधार के अनुसार लेखा समय पर तैयार किया जाना सुनिश्चित किया जाए। ए.सी.एस. ने विश्वविद्यालय को यह भी सलाह दी कि पर्याप्त निधि संलग्न होने के कारण अपनी निवेश नीति को सुदृढ़ करने हेतु तत्काल कदम उठाए जाएँ तथा निवेश केवल सावधि जमा पर निर्भर रहने के बजाय व्यवस्थित रूप से किए जाएँ।

विश्वविद्यालय यह सुनिश्चित करे कि उपार्जन आधारित वार्षिक लेखाओं के लिए मानकीकृत प्रारूपों का उपयोग करते हुए वित्तीय प्रबंधन अनुप्रयोग को लागू किया जाए।

विश्वविद्यालय यह सुनिश्चित करे कि अधिशेष निधि के निवेश हेतु एक नीति का निर्माण एवं कार्यान्वयन किया जाए, ताकि रणनीतिक वित्तीय निर्णय सुनिश्चित किए जा सकें।

2.2.4.3 बकाया अग्रिमों का समायोजन न किया जाना

विश्वविद्यालय वित्तीय संहिता (यू.एफ.सी.) के नियम 166 से 179, विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को विभिन्न उद्देश्यों हेतु दिए गए अग्रिमों के समायोजन के विनियमन का प्रावधान करते हैं। विश्वविद्यालय के अध्यादेश 05 में परीक्षा हेतु दिए गए अग्रिमों के लेखों की प्रस्तुति का प्रावधान है। विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को दिए गए सभी लंबित अग्रिमों का समायोजन वित्तीय वर्ष के 31 मार्च से पूर्व किया जाना है। परीक्षा संचालन से संबंधित अग्रिमों के संबंध में खातों के संधारण एवं प्रस्तुति का उत्तरदयित्व केंद्र अधीक्षक/प्राचार्य की होती है।

अग्रिमों से संबंधित अभिलेखों की जांच के दौरान, निम्नलिखित अवलोकन किए गए:

- जनवरी 2019 से मार्च 2024 के बीच विश्वविद्यालय के 79 कर्मचारियों द्वारा आहरित ₹ 82.40 लाख दिसंबर 2024 तक लंबित रहे। विश्वविद्यालय द्वारा अग्रिमों की आवधिक समीक्षा नहीं की गई।
- अवधि के दौरान 142 परीक्षा केंद्रों को दिए गए ₹4.92 करोड़ में से ₹4.55 करोड़ समायोजित नहीं (दिसंबर 2024 तक) किए गए। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2021-22 से पूर्व 24 केंद्रों को दिए गए ₹0.45 करोड़ के अग्रिम भी समायोजन हेतु लंबित रहे।

कुलसचिव ने निर्गम सम्मेलन में बताया (जुलाई 2025) कि अग्रिमों के समय पर समायोजन के लिए प्रयास किए जाएंगे।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि पूर्व में दिए गए अग्रिमों के समायोजन में दीर्घकालीन विलंब, विश्वविद्यालय की समय पर अनुवर्ती कार्रवाई एवं निपटान सुनिश्चित करने में अक्षमता को दर्शाता है।

2.2.4.4 केंद्रीय अभिकरणों से प्राप्त निधि का उपयोग

2.2.4.4 (i) सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस (सी.ओ.ई.) हेतु विश्व बैंक सहायता प्राप्त परियोजना की पूर्णता

एच.ई.डी., मध्यप्रदेश शासन ने विश्वविद्यालय के सात विभागों एवं एक प्लेसमेंट सेल में आठ घटकों[118] के सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस (सी.ओ.ई.) की स्थापना के लिए ₹16.49 करोड़ स्वीकृत (नवंबर 2019) किए। इन गतिविधियों को दिसंबर 2020 तक पूरा किया जाना था। सी.ओ.ई. का उद्देश्य विशेष विषय क्षेत्रों में विशिष्ट सुविधाओं की स्थापना करना तथा उन क्षेत्रों में शोध करना है जिन्हें शैक्षणिक, व्यावसायिक एवं शोध उन्नति के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है।

---

[118] ई-संसाधन, फर्नीचर, अवसंरचना विकास, पुस्तकालय का ई-लाइब्रेरी संवर्धन एवं अन्तर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं की सदस्यता, राष्ट्रीय-अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन/राष्ट्रीय संगोष्ठी के लिए भागीदारी, छात्रों के लिए व्यावहारिक प्रशिक्षण के लिए अध्ययन दौरा, राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति के अतिथि संकाय, उन्नत उपकरणों का क्रय

यह देखा गया कि ₹16.49 करोड़ के विरुद्ध एच.ई.डी. द्वारा ₹8.35 करोड़ (51 प्रतिशत) जारी किए गए, जिनमें से विश्वविद्यालय ने दिसंबर 2024 तक ₹2.40 करोड़ का ही उपयोग किया। शेष ₹5.95 करोड़ (71 प्रतिशत) की राशि अप्रयुक्त रही। निधि का कम उपयोग मुख्य रूप से क्रय प्रक्रिया में विलम्ब के कारण था। विश्वविद्यालय द्वारा पाँच वर्ष बीत जाने तथा अनेकों बार समय-वृद्धि[119] दिए जाने के बावजूद परियोजना पूर्ण नहीं की गई। परियोजना पूर्ण करने के लिए अंतिम समय-वृद्धि मार्च 2025 तक थी। इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा में निम्नलिखित कमियाँ पाई गईं:

- वर्ष 2021-23 के दौरान ई-लाइब्रेरी पर व्यय करने के बजाय मुद्रित पुस्तकों/पत्रिकाओं के क्रय के लिए सात यू.टी.डी. में से पांच में ₹65 लाख के आवंटन के विरुद्ध ₹42.61 लाख व्यय किए गए।
- प्राणीशास्त्र विभाग के लिए ₹35.20 लाख मूल्य के तीन उन्नत उपकरण[120] क्रय (सितंबर तथा नवंबर 2021) किए गए। तथापि, लॉगबुक में दर्शाया गया (दिसंबर 2024) कि ये उपकरण अक्टूबर 2023 से उपयोग में नहीं थे।
- वनस्पति शास्त्र विभागों के लिए दो उन्नत उपकरणों के क्रय पर ₹25.60 लाख (सितंबर तथा नवंबर 2023) व्यय किए गए, जिन्हें उपयोग में नहीं लिया गया।

यह निधि के नियोजन एवं उपयोग में कमियों को दर्शाता है।

कुलसचिव ने आश्वासन दिया (दिसंबर 2024) कि प्राणीशास्त्र विभाग हेतु क्रय किए गए उपकरणों का उपयोग आगामी शैक्षणिक सत्र में सुनिश्चित किया जाएगा। आगे यह भी अवगत कराया गया कि वनस्पति शास्त्र विभाग हेतु क्रय किए गए उपकरणों का उपयोग आवश्यक कांच के उपकरण एवं रसायनों की अनुपलब्धता के कारण नहीं किया जा सका। अपर मुख्य सचिव ने निर्गम सम्मेलन में उच्च शिक्षा विभाग के विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी को इन परियोजनाओं की कड़ी निगरानी करने तथा समयबद्ध पूर्णता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए (जुलाई 2025)।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि आवश्यक उपभोग्य सामग्रियों की उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना उपकरणों के क्रय से निवेश निष्प्रभावी हो जाता है एवं अपेक्षित शैक्षणिक एवं शोध लाभों में विलंब होता है।

2.2.4.4 (ii) मधुमेह निवारण योजना का क्रियान्वयन न होने के कारण अप्रयुक्त निधि

आयुष मंत्रालय, भारत सरकार ने ग्वालियर में टाइप-II मधुमेह एवं डिस्लिपिडीमिया के प्रबंधन में आयुर्वेदिक उपचार परियोजना हेतु ₹ 1.50 करोड़ की स्वीकृति (जनवरी 2020) प्रदान की। परियोजना की अवधि तीन वर्ष थी। विश्वविद्यालय को तीन किस्तों के विरुद्ध प्रथम किस्त के रूप में ₹60 लाख प्राप्त (फरवरी 2020) हुए एवं यह परियोजना मार्च 2021 में शुरू की गई थी।

यह देखा गया कि विश्वविद्यालय ने वर्ष 2021-24 के दौरान ₹ 24.34 लाख[121] उपयोग किये थे तथा ₹ 35.66 लाख विश्वविद्यालय के पास अप्रयुक्त (दिसंबर 2024) पड़ी रही। चिकित्सकों एवं पैरामेडिकल कर्मचारी की नियुक्ति फरवरी 2021 से सितंबर 2022 के बीच की गई थी तथा उसके बाद कोई मानवशक्ति नियुक्त नहीं की गई। प्रथम किस्त ₹ 60 लाख के विरुद्ध ₹ 23.84 लाख का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रेषित (जून 2023) किया गया। निधि का उपयोग न होने के कारण दूसरी किस्त जारी नहीं की गई। परियोजना की गतिविधियाँ स्वीकृत प्रस्ताव के अनुसार संचालित नहीं की गईं एवं परियोजना पूर्णता अवधि (मार्च 2024 तक) भी समाप्त हो गई। परिणामस्वरूप, परियोजना के अपेक्षित उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं हो सकी एवं निधि ₹ 35.66 लाख निष्क्रिय पड़ी रही।

[119] 24/08/2021, 02/06/2022, 08/12/2022, 28/04/2023 एवं 04/09/2023

[120] उपकरण प्रायोगिक उपयोग एवं प्रायोगिक किट तथा रसायनों के भंडारण के लिए था।

[121] वेतन– ₹ 15.00 लाख, औषधियाँ – ₹ 3.12 लाख, उपकरण – ₹ 4.99 लाख, पुस्तकें – ₹ 0.83 लाख, एवं विविध व्यय–₹ 0.40 लाख

कुलसचिव ने संबंधित प्रधान अन्वेषक (पी.आई.) के निधन को निधि के उपयोग न होने का कारण बताया (दिसंबर 2024) एवं अवगत कराया कि अप्रयुक्त निधि शासन को वापस की जा रही है।

यह उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि परियोजना के क्रियान्वयन की निरंतरता सुनिश्चित करने हेतु विश्वविद्यालय द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित की जानी अपेक्षित थी।

2.2.4.5 परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना का कार्यान्वयन न होना

वित्त विभाग ने निर्देश दिए (अप्रैल एवं दिसंबर 2005 में) कि 1 जनवरी 2005 अथवा उसके बाद नियुक्त सभी शासकीय कर्मचारियों को परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना (डी.सी.पी.एस.) के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, दिशानिर्देशों (मई 2011) के अनुसार प्रत्येक कर्मचारी का नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एन.एस.डी.एल.), मुंबई से पंजीकरण किया जाना अनिवार्य है।

यह देखा गया कि विश्वविद्यालय ने उक्त अवधि के दौरान विश्वविद्यालय के 429 कर्मचारियों के लिए कर्मचारी एवं नियोक्ता अंशदान के रूप में ₹11.43 करोड़ की राशि संकलित की तथा इसे ग्वालियर के एक बैंक में 429 व्यक्तिगत संयुक्त बचत खातों (कर्मचारी एवं कुलसचिव) में रखा। इस अवधि के दौरान 2.80 प्रतिशत से तीन प्रतिशत की दर से ब्याज जमा किया गया, जो कि डी.सी.पी.एस. के अंतर्गत उपलब्ध प्रतिफल की तुलना में काफी कम था। विश्वविद्यालय ने डी.सी.पी.एस. को लागू नहीं किया, जिससे डी.सी.पी.एस. का आरम्भ के 20 वर्ष बीत जाने के बाद भी कर्मचारियों को योजना के तहत अपेक्षित लाभों से वंचित कर दिया गया। लेखापरीक्षा में आकलन किया गया कि वर्ष 2021-24 के दौरान अंशदान को एन.एस.डी.एल. में जमा न करने के कारण 429 कर्मचारियों को ₹1.08 करोड़ की संभावित हानि[122] हुई।

आगे, विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध (अगस्त 2025) कराई गई जानकारी के अनुसार, वर्ष 2021-24 के दौरान तीन कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए, चार कर्मचारियों का निधन हुआ एवं एक कर्मचारी ने सेवा से त्यागपत्र दिया। डी.सी.पी.एस. के अंतर्गत उनके द्वारा अंशदान की राशि ₹1.04 करोड़ विश्वविद्यालय द्वारा एफ.डी.आर. एवं बचत खातों में रखी गई तथा इसे संबंधित कर्मचारियों अथवा उनके विधिक उत्तराधिकारियों को भुगतान (अगस्त 2025) नहीं किया गया।

कुलसचिव ने बताया (दिसंबर 2024 में) कि कर्मचारियों को डी.सी.पी.एस. के अंतर्गत लाने हेतु कार्रवाई की जा रही है एवं पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पी.एफ.आर.डी.ए.) को सहमति पत्र मई 2024 में जारी किया गया है।

निर्गम सम्मेलन में अपर मुख्य सचिव ने विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, उच्च शिक्षा विभाग को अब तक योजना के क्रियान्वयन न होने के कारणों का सत्यापन करने के निर्देश (जुलाई 2025) दिए।

विश्वविद्यालय को कर्मचारियों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु पी.एफ.आर.डी.ए. को अंशदान के समयबद्ध स्थानांतरण के लिए एक तंत्र स्थापित करना चाहिए।

2.2.4.6 बैंक शेष का मिलान

बैंक लेन-देन एवं नगद का मिलान करना बैंक एवं नकद शेष की पुष्टि करने का एक महत्वपूर्ण तंत्र है।

[122] हानि = डी.सी.पी.एस. के अंतर्गत कुल प्रतिफल तथा बचत खाते पर कुल ब्याज के बीच का अंतर। वर्ष 2021-22 में जमा पर प्रतिफल की गणना तीन वर्षों के लिए अनुमानित दर (8.24 प्रतिशत) लागू करके की गई है, इसी प्रकार, वर्ष 2022-23 में जमा पर प्रतिफल (दो वर्षों के लिए 10.41 प्रतिशत) तथा वर्ष 2023-24 में (एक वर्ष के लिए 9.88 प्रतिशत) संबंधित दरों को लागू करके गणना की गई है। पूर्व वर्षों तथा सेवानिवृत्त कर्मचारियों के प्रतिफल में हुई हानि का मूल्यांकन नहीं किया जा सका, क्योंकि संबंधित विवरण लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराए गए।

विश्वविद्यालय ने पांच अलग-अलग रोकड़ बहियों[123] से जुड़े 36 बैंक खाते[124] संचालित किए। इन दोनों के बीच कोई मिलान नहीं किया गया तथा मार्च 2024 तक बैंक खातों के विवरण एवं संबंधित रोकड़ बहियों के आंकड़ों में ₹ 7.79 करोड़ का अंतर पाया गया।

राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान योजना (आर.यू.एस.ए.) के लिए संधारित बैंक खाते[125] से अप्रैल से जून 2021 के बीच ₹ 14.74 लाख की धोखाधड़ीपूर्ण निकासी के संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज (दिसंबर 2022) की गई। यह निकासी 15 चेक के आधार पर हुई थी, जो विश्वविद्यालय द्वारा या तो निरस्त किए गए थे अथवा जारी ही नहीं किए गए थे।

आगे, विश्वविद्यालय ने इस अवधि के दौरान छात्र प्रवेश अभिलेखों के आधार पर वास्तविक प्राप्ति योग्य राशि के साथ एम.पी. ऑनलाइन पोर्टल[126] के माध्यम से प्राप्त ₹ 233.04 करोड़ के शुल्क का मिलान नहीं किया। इसी तरह, इस अवधि के दौरान चालान अथवा डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से एकत्र की गई ₹ 56.93 करोड़[127] शुल्क को विश्वविद्यालय के अभिलेखों के साथ मिलान किए बिना, बैंक स्टेटमेंट के आधार पर स्वीकार किया गया। परिणामस्वरूप, विश्वविद्यालय ने सत्यापन के बिना सूचित की गई राशियों को स्वीकार कर लिया, जिससे कम प्राप्तियों अथवा विसंगतियों के अनदेखे रहने का जोखिम उत्पन्न हुआ।

यह भी देखा गया कि नमूना जाँच किए गए 22 में से आठ महाविद्यालयों ने संकलित शुल्क का अपने अभिलेखों के साथ मिलान नहीं किया। इनमें से तीन महाविद्यालयों के पास उस अवधि के लिए देय एवं वास्तव में प्राप्त शुल्क की जानकारी ही नहीं थी, जबकि अन्य पांच ने ₹ 3.10 करोड़ की विसंगतियों का मिलान नहीं किया। आगे, नमूना जाँच किए गए 14 महाविद्यालयों ने एम.पी. ऑनलाइन के माध्यम से एकत्र किए गए शुल्क के लिए अलग बही खाता का संधारण नहीं किया।

निर्गम सम्मेलन में, अपर मुख्य सचिव ने विश्वविद्यालय के मिलान तंत्र के संचालन में कमजोरियों के प्रति चिंता व्यक्त (जुलाई 2025) की एवं कुलपति को यह सलाह दी कि मिलान सही तरीके से किया जाए तथा वास्तविक समय में राशि प्राप्त करने एवं एम.पी. ऑनलाइन पोर्टल से प्राप्त राशि की सटीकता सत्यापित करने के लिए एक मजबूत तंत्र विकसित किया जाए।

2.2.4.7 कॉशन मनी लेखा का रखरखाव एवं उसकी वापसी

प्राचार्य मार्गदर्शिका की कंडिका 66 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार, प्रवेश के समय छात्रों से संग्रहित कॉशन मनी, जो छात्र के अंतिम रूप से महाविद्यालय छोड़ने के तीन वर्ष के भीतर वापस नहीं किया जाता, उसे व्यपगत जमाराशि माना जाएगा। प्रत्येक वर्ष छात्रों के लिए संग्रहित कॉशन मनी जमा एवं उसकी वापसी का अभिलेख रखने वाली पंजी का संधारण किया जाना आवश्यक है। आगे, वित्त विभाग के निर्देशों (फरवरी, 1971) के अनुसार, छात्र के महाविद्यालय छोड़ने के तीन वर्ष पूर्ण होने के पश्चात्, जो कॉशन मनी वापस नहीं की गई, उसे शासकीय खाते में जमा किया जाना था।

यह देखा गया कि विश्वविद्यालय ने पाठ्यक्रम पूर्ण होने के पश्चात् कॉशन मनी स्वतः लौटाने का कोई तंत्र विकसित नहीं किया। विश्वविद्यालय केवल छात्रों से प्राप्त आवेदन के आधार पर ही राशि वापस करता था। विश्वविद्यालय ने मार्च 2024 तक तुलन पत्र में वापसी योग्य कॉशन मनी को ₹1.15 करोड़[128] की देयता के रूप में दर्शाया। ये देयताएं छात्रों के व्यक्तिगत विवरण वाले सहायक अभिलेखों द्वारा समर्थित नहीं थे।

---

[123] 1. चेक के लिए, 2. नकद के लिए, 3. रूसा के लिए, 4. सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी के लिए एवं 5. स्व-वित्तपोषित के लिए

[124] विश्वविद्यालय निधि के लिए 33 खाते, स्व-वित्तपोषित निधि के लिए 3 खाते तथा डी.सी.पी.एस. अंशदान हेतु संचालित खातों को छोड़कर।

[125] खाता संख्या 3910132000012

[126] मध्य प्रदेश के लिए एक व्यापक ई-गवर्नेंस पोर्टल एवं सेवा वितरण प्रणाली

[127] ₹29.48 करोड़ (वर्ष 2021-22), ₹11.40 करोड़ (वर्ष 2022-23) एवं ₹16.05 करोड़ (वर्ष 2023-24)

[128] स्व-वित्तपोषित पाठ्यक्रम – ₹ 0.84 करोड़ तथा नियमित पाठ्यक्रम – ₹ 0.31 करोड़।

इसके आलावा यह भी देखा गया कि लेखा अनुभाग एवं तीन चयनित विभागों ने एक वापसी पंजी का संधारण किया था, जिसमें केवल वापसी के विवरण को दर्शाया गया था, संबंधित छात्रों से कॉशन मनी की प्राप्तियों से संबंधित अभिलेख उनके पास उपलब्ध नहीं थे।

आगे, नमूना जांच किए गए 13 महाविद्यालयों[129] द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर देखा गया कि 0.76 लाख छात्रों (मार्च 2021[130]) से संग्रहित ₹77.05 लाख की कॉशन मनी शासकीय खाते में जमा नहीं की गई थी।

अपर मुख्य सचिव ने निर्गम सम्मेलन में कुलपति को यह सलाह दी (जुलाई 2025 में) कि विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण होने के बाद छात्रों को, इसके लिए आवेदन किए बिना, स्वतः कॉशन मनी की वापसी सुनिश्चित करने हेतु एक उचित तंत्र स्थापित किया जाए।

2.2.5 आंतरिक नियंत्रण तथा निगरानी तंत्र

2.2.5.1 आंतरिक लेखापरीक्षा का अभाव

विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद ने एक आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली लागू करने का निर्णय (अगस्त 2011) लिया, जिसके अंतर्गत एक आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा की स्थापना की जानी थी, जिसका प्रतिवेदन कुलपति के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

यह प्रेक्षण किया गया कि विश्वविद्यालय में आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा की स्थापना नहीं की गई थी। आंतरिक लेखापरीक्षा तंत्र के अभाव में, विश्वविद्यालय के पास वित्तीय गतिविधियों की निगरानी के लिए एक व्यवस्थित तंत्र का अभाव था, जिसके परिणामस्वरूप वित्तीय अनियमितताओं को रोकने अथवा उनका पता लगाने की उसकी क्षमता सीमित हो गई, जैसा कि ***कंडिका 2.2.2.6 (i), 2.2.4.4 (i)*** एवं ***2.2.4.6*** में उल्लिखित है।

कुलसचिव ने उत्तर दिया (दिसंबर 2024) कि आंतरिक लेखापरीक्षा तंत्र की स्थापना के लिए कार्रवाई की जाएगी। अपर मुख्य सचिव ने निर्गम सम्मेलन में आंतरिक नियंत्रण तंत्र को सुदृढ़ करने हेतु एक मजबूत आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की स्थापना का समर्थन किया (जुलाई 2025)।

विश्वविद्यालय यह सुनिश्चित करे कि आंतरिक नियंत्रण तंत्र को सुदृढ़ करने हेतु आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली स्थापित हो।

2.2.5.2 केंद्रीय मूल्यांकन समिति का गठन न किया जाना

विश्वविद्यालय के स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रम विनियम, 1997 की कंडिका 11(क) के अनुसार, प्रत्येक स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रम के निष्पादन की समीक्षा करने तथा उनकी वित्तीय स्थिति की जांच करने हेतु एक केंद्रीय मूल्यांकन समिति का गठन किया जाना था।

हालांकि, हमने यह देखा कि केंद्रीय मूल्यांकन समिति का गठन नहीं किया गया था। समिति का गठन न होना यह दर्शाता है कि स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों के निष्पादन की समीक्षा एवं परीक्षण नहीं किया गया।

कुलसचिव ने बताया (दिसंबर 2024) कि समिति के गठन हेतु निर्देश जारी किए जाएंगे।

---

[129] छह महाविद्यालयों ने वापसी योग्य कॉशन मनी से संबंधित आवश्यक जानकारी उपलब्ध नहीं कराई। तीन महाविद्यालय कॉशन मनी जमा करने के लिए पात्र नहीं हैं, क्योंकि उनकी स्थापना वर्ष 2019-24 के दौरान हुई थी।

[130] जिन यू.जी. छात्रों का नामांकन शैक्षणिक सत्र 2017-18 तक तथा पी.जी. छात्रों का नामांकन शैक्षणिक सत्र 2018-19 तक हुआ था, उन्हें गणना में लिया गया। ये छात्र शैक्षणिक सत्र 2020-21 में अपना पाठ्यक्रम पूर्ण कर चुके होंगे।

2.2.5.3 शैक्षणिक योजना तथा मूल्यांकन बोर्ड की कार्यप्रणाली

मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 30 के अंतर्गत शैक्षणिक योजना एवं मूल्यांकन बोर्ड के कर्तव्यों का प्रावधान किया गया है, जिसमें विश्वविद्यालय की अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन योजनाओं का निर्माण करना, संकायों को नए शैक्षणिक कार्यक्रम का सुझाव देना एवं समय-समय पर विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालयों का शैक्षणिक मूल्यांकन करना शामिल है।

यह पाया गया कि शैक्षणिक योजना एवं मूल्यांकन बोर्ड द्वारा न तो संबद्ध महाविद्यालयों का शैक्षणिक मूल्यांकन किया गया एवं न ही यू.टी.डी. एवं स्कूल ऑफ स्टडीज (एस.ओ.एस.) की कार्यप्रणाली का समय-समय पर मूल्यांकन किया गया। यद्यपि विश्वविद्यालय ने अपनी बैठक (6 मार्च 2018) में अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन लक्ष्य निर्धारित किए थे, तथापि निर्धारित लक्ष्यों के विरुद्ध उपलब्धियों का विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः मूल्यांकन के अभाव में, विश्वविद्यालय द्वारा सुधार हेतु आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की जा सकी।

निर्गम सम्मेलन में, ए.सी.एस. ने संबद्ध महाविद्यालयों के संबंध में सत्यापन करने हेतु विश्वविद्यालय स्तर पर शैक्षणिक योजना एवं मूल्यांकन बोर्ड की स्थापना कर आंतरिक नियंत्रणों को सुदृढ़ करने की आवश्यकता पर बल (जुलाई 2025) दिया।

2.2.5.4 भंडार एवं केंद्रीय पुस्तकालय का भौतिक सत्यापन

विश्वविद्यालय वित्तीय संहिता में भंडार का वार्षिक भौतिक सत्यापन किये जाने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त, विश्वविद्यालय की पुस्तकालय नीति के अनुसार, जिन पुस्तकालयों में पचास हजार से अधिक पुस्तकों का संकलन है, उनमें अधिकतम तीन वर्ष के अंतराल पर नमूना आधारित भौतिक सत्यापन किया जाना चाहिए।

यह देखा गया कि विश्वविद्यालय ने वर्ष 2020-21 से भंडार का वार्षिक भौतिक सत्यापन नहीं किया। इसके अतिरिक्त, ₹23.63 लाख मूल्य की 46 अप्रयोज्य/अप्रयुक्त वस्तुएं तीन विभागीय भंडारों में पड़ी थीं तथा छ: वाहन एक से दस वर्षों से निष्क्रिय अवस्था में थे। विश्वविद्यालय ने इन अनुपयोगी उपकरणों एवं वाहनों की मरम्मत, नीलामी अथवा बट्टे खाते डालने के संबंध में कोई अनुवर्ती कार्रवाई नहीं की। यह भी देखा गया कि विश्वविद्यालय की पुस्तकालय नीति के अनुरूप विश्वविद्यालय के केंद्रीय पुस्तकालय, जिसमें 73,291 मुद्रित पुस्तकें उपलब्ध थी, वर्ष 2016 से कोई भौतिक सत्यापन नहीं किया गया था|

कुलसचिव ने उत्तर दिया (दिसंबर 2024) कि केंद्रीय पुस्तकालय के भौतिक सत्यापन के संचालन हेतु आवश्यक निर्देश जारी किए जाएंगे। अपर मुख्य सचिव ने निर्गम सम्मेलन में विश्वविद्यालय के भंडार एवं केंद्रीय पुस्तकालय के भौतिक सत्यापन किए जाने पर बल (जुलाई 2025) दिया।

2.2.5.5 रैगिंग को रोकने के लिए की गई कार्रवाई

उच्च शैक्षणिक संस्थानों में रैगिंग की समस्या पर नियंत्रण हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियमन, 2009 का उद्देश्य विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों एवं अन्य शैक्षणिक संस्थानों से रैगिंग के सभी रूपों को जड़ से समाप्त करना है। यू.जी.सी. विनियमनों के प्रावधानों के अनुसार, विश्वविद्यालय स्तर पर एंटी रैगिंग समिति, एंटी रैगिंग दस्ते तथा रैगिंग संबंधी निगरानी प्रकोष्ठ का गठन किया जाना है। साथ ही, प्रवेश से पूर्व, प्रवेश के समय तथा शैक्षणिक सत्र के बाद विनियमन में निर्धारित उपायों का पालन विश्वविद्यालय द्वारा किया जाना अपेक्षित है।

विश्वविद्यालय द्वारा एंटी रैगिंग समिति, दस्ते एवं निगरानी प्रकोष्ठ का गठन (अक्टूबर 2023) किया गया तथा मार्च 2024 में एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति की गई। यू.जी.सी. विनियमनों[131] के अनुसार आवश्यक अनुपालन उपाय विश्वविद्यालय एवं नमूना जांच किए गए महाविद्यालयों में पर्याप्त रूप से नहीं पाए गए, जिसका सारांश नीचे ***तालिका-2.2.14*** में दिया गया है:

तालिका 2.2.14: एंटी-रैगिंग समितियों के कामकाज में पाई गई अनियमितताएं

विवरण	टिप्पणियां	प्रभाव
एंटी-रैगिंग समितियों का गठन	22 में से 18 महाविद्यालयों में समितियों का गठन किया गया, परंतु यू.जी.सी. मानकों के अनुसार अभिभावक एवं छात्र सदस्य शामिल नहीं थे।	प्रतिनिधित्व एवं प्रभावशीलता में कमी
वचन-पत्र प्राप्त करना	विश्वविद्यालय तथा नमूना जांच किए गए 22 में से 17 महाविद्यालयों ने छात्रों एवं अभिभावकों से वचन-पत्र प्राप्त नहीं किए।	जवाबदेही का अभाव एवं रैगिंग रोधी उपायों का कमजोर क्रियान्वयन
यू.जी.सी. पोर्टल पर ऑनलाइन अनुपालन	विश्वविद्यालय तथा 22 में से 14 महाविद्यालयों ने यू.जी.सी निर्दिष्ट पोर्टल पर ऑनलाइन अनुवर्ती कार्यवाही सुनिश्चित नहीं की।	अनिवार्य रिपोर्टिंग तंत्र का पालन न करना
जागरूकता गतिविधियाँ	विश्वविद्यालय तथा 11 महाविद्यालयों ने कार्यशालाएं, सेमिनार अथवा जागरूकता अभियान आयोजित नहीं किए।	छात्रों में जागरूकता का अभाव

कुलसचिव ने उत्तर दिया (दिसंबर 2024) कि यू.जी.सी. के निर्देशों के अनुपालन हेतु आवश्यक निर्देश जारी किए जाएंगे।

2.2.6. अच्छी प्रथा

विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली पर उपर्युक्त अवलोकनों के अतिरिक्त, लेखापरीक्षा में कुछ अच्छी प्रथाओं का भी पता चला, जिनमें छात्रों की शिकायतों के समाधान के लिए टोल-फ्री नंबर[132] प्रदान करना शामिल है। विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रवेश एवं शुल्क, शैक्षणिक, शोध, छात्र जीवन, पूर्व छात्र एवं नोटिस बोर्ड से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त, स्वास्थ्य केंद्र में प्रत्येक रविवार को मधुमेह स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य समुदाय में मधुमेह का शीघ्र पता लगाना, प्रभावी प्रबंधन एवं जागरूकता बढ़ाना है।

2.2.7 निष्कर्ष एवं अनुशंसाएं

निष्कर्ष:

जीवाजी विश्वविद्यालय की लेखापरीक्षा में प्रशासन, अनुपालन एवं आंतरिक नियंत्रण तंत्र में महत्वपूर्ण कमियां पाई गई, जो विश्वविद्यालय के समग्र कार्यप्रणाली में प्रणालीगत दुर्बलताओं को दर्शाती है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि विश्वविद्यालय ने निरीक्षण समिति का गठन नहीं किया था, फिर भी निर्धारित मानदंडों के अनुसार भूमि की उपलब्धता, अवसंरचना, सुविधाओं तथा योग्य शिक्षकों एवं प्राचार्यों की नियुक्ति जैसी आवश्यक पूर्व शर्तों की जांच किए बिना महाविद्यालयों के निरीक्षण किए एवं संबद्धता प्रदान की। इसके अलावा, मौजूदा नियमों का उल्लंघन करते हुए संबद्धता प्रदान करने एवं सशर्त संबद्धता जारी रखने में विलंब एवं अनियमितताएं पाई गईं।

भारतीय विधिज्ञ परिषद् (बी.सी.आई.) के अनुमोदन के बिना एवं एन.ए.ए.सी. से मान्यता प्राप्त किए बिना विधि महाविद्यालय संचालित पाए गए, जो कि शैक्षणिक मानकों के आश्वासन को कम करता है। इसके अलावा, विश्वविद्यालय ने पर्याप्त शिक्षण एवं गैर-शिक्षण स्टाफ की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं की, जिससे अतिथि एवं संविदा संकायों की नियुक्ति पर निर्भरता बढ़ गई।

[131] उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों में रैगिंग की समस्या पर नियंत्रण हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का विनियमन, 2009।

[132] 1800-233-1964

अवसंरचना में भी कमियां देखीं गई, जिसमें अपर्याप्त फर्नीचर, प्रयोगशाला उपकरण एवं सुरक्षा उपाय शामिल थे। डिजिलॉकर में मार्कशीट एवं डिग्री प्रमाण पत्र अपलोड करने, समूह बीमा का प्रावधान, प्लेसमेंट सहायता तथा एंटी रैगिंग उपायों जैसी प्रमुख छात्र सेवाएं भी अपर्याप्त रूप से क्रियान्वित पाई गई।

विश्वविद्यालय की वित्तीय प्रबंधन प्रथाएँ कमजोर पाई गई एवं स्थापित लेखांकन मानकों का अनुपालन नहीं किया जाता था। विश्वविद्यालय ने सटीक एवं प्रभावी बजट अनुमान तैयार करने, उपार्जन आधार पर वार्षिक लेखे प्रस्तुत करने, लंबित अग्रिम राशि का समय पर समायोजन करने, बैंक खातों का मिलान करने, परिभाषित अंशदान पेंशन योजना के तहत नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एन.एस.डी.एल.) में कर्मचारी एवं नियोक्ता अंशदान को जमा करने एवं केंद्रीय अभिकरणों से प्राप्त निधि का निर्धारित उद्देश्य के अनुसार इष्टतम उपयोग सुनिश्चित नहीं किया।

लेखापरीक्षा द्वारा समर्पित आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा का अभाव, भंडार एवं स्टॉक का आवधिक भौतिक सत्यापन न होना एवं प्रभावी आंतरिक जाँच का अभाव भी प्रेक्षण किया गया, ये सभी अपर्याप्त आंतरिक नियंत्रण एवं निगरानी तंत्र को दर्शाते हैं।

समग्र रूप से, लेखापरीक्षा का निष्कर्ष है कि विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली, कमजोर संस्थागत प्रशासन, नियामक मानदंडों के अनुपालन में कमी एवं अप्रभावी वित्तीय तथा प्रशासनिक नियंत्रणों से ग्रस्त है। ये कमियाँ अनुपालन तंत्र को सुदृढ़ करने, पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व में सुधार करने तथा मजबूत आंतरिक लेखापरीक्षा एवं निगरानी तंत्र स्थापित करने की आवश्यकता को उजागर करती हैं, जिससे सुनिश्चित किया जा सके कि विश्वविद्यालय का संचालन प्रभावी ढंग से तथा सांविधिक एवं शैक्षणिक मानकों के अनुरूप हो रहा है।

छात्रों की शिकायतों को दूर करने के लिए एक टोल-फ्री नंबर के प्रावधान के साथ, शैक्षणिक जानकारी की ऑनलाइन उपलब्धता एवं स्वास्थ्य शिविरों के आयोजन, विश्वविद्यालय द्वारा अपनाई गई अच्छी प्रथाओं को प्रदर्शित करता है।

अनुशंसाएं:

विश्वविद्यालय यह सुनिश्चित करे कि

- *अतिथि संकाय पर अत्यधिक निर्भरता को कम करने एवं संचालन की निरंतरता बनाए रखने के लिए शिक्षण तथा गैर-शिक्षण स्टाफ की समयोचित भर्ती की जाए **(कंडिका 2.2.3.1 (i) से (iv) के संदर्भ में)***
- *संबद्ध महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक मानकों को बनाए रखने के लिए पर्याप्त अवसंरचना तथा आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध हैं **(कंडिका 2.2.3.2 (ii) के संदर्भ में)***
- *उपार्जन आधारित वार्षिक लेखों के लिए मानकीकृत प्रपत्रों का उपयोग करते हुए वित्तीय प्रबंधन अनुप्रयोग का क्रियान्वयन किया जाए **(कंडिका 2.2.4.2 के संदर्भ में)***
- *अधिशेष निधियों के निवेश के लिए नीति का निर्माण एवं कार्यान्वयन, ताकि रणनीतिक वित्तीय निर्णय लेने की प्रक्रिया सुनिश्चित हो सके **(कंडिका 2.2.4.2 के संदर्भ में)***
- *कर्मचारियों के हितों की सुरक्षा के लिए पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण को अंशदानों के समयोचित अंतरण को सुनिश्चित करने हेतु एक तंत्र स्थापित किया जाए **(कंडिका 2.2.4.5 के संदर्भ में)***
- *आंतरिक नियंत्रण तंत्र को सुदृढ़ करने हेतु आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली स्थापित की जाए **(कंडिका 2.2.5.1 के संदर्भ में)***

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मध्य प्रदेश शासन

SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

लेखापरीक्षा सार

श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन की लेखापरीक्षा

हमने यह लेखापरीक्षा क्यों की ?

- भारत सरकार ने फरवरी 2016 में ग्रामीण क्षेत्रों को आर्थिक विकास प्रदान करने और भूमि सुधारों के उन्नत प्रवर्तन के उद्देश्य से राष्ट्रीय रूर्बन मिशन (एन.आर.यू.एम.) शुरू किया था।
- लेखापरीक्षा में योजना के अनुपालन, परियोजनाओं के कार्यान्वयन और सेवा वितरण-उन्मुख परियोजना घटकों पर क्रिटिकल गैप फंडिंग (सी.जी.एफ.) के उपयोग का आकलन किया गया।

महत्वपूर्ण तथ्य

- ✓ *मध्य प्रदेश शासन ने पांच वर्ष की अवधि में मिशन क्रियान्वयन के लिए 19 (11 जनजातीय और 8 गैर-जनजातीय) विकास क्लस्टरों का चयन किया।*
- ✓ *भारत सरकार द्वारा 2022 में, उस तिथि तक स्वीकृत अथवा प्रतिबद्ध परियोजनाओं को पूर्ण करने के निर्देशों के साथ मिशन को बंद कर दिया गया था।*
- ✓ *मिशन के अंतर्गत निर्धारित प्रदर्शन-आधारित संकेतकों के आधार पर, मध्य प्रदेश सभी प्रतिभागी राज्यों में 22वें स्थान पर है।*

श्रेणी-वार कार्यों के निष्पादन की स्थिति

श्रेणी	चिन्हित कार्य	पूर्ण कार्य	पूर्णता का प्रतिशत	प्रभाव
अवसरंचना	933	291	31.19	अपर्याप्त अवसंरचना एवं सेवा वितरण
कृषि-सेवाएं, प्रसंस्करण तथा संबद्ध गतिविधियां	886	150	16.93	आजीविका एवं कृषि संबंधी गतिविधियों में कम प्रगति
नागरिक सेवाएं, डिजिटल साक्षरता, शिक्षा और कौशल विकास	1,267	513	40.49	शिक्षा एवं डिजिटल सेवा वितरण में अंतराल
पर्यावरण, एल.पी.जी., पर्यटन, खेल तथा सामाजिक कल्याण	40	0	0	कोई प्रगति नहीं
अन्य घटक	336	120	35.71	मूलभूत सुविधाओं में सीमित सुधार
कुल	**3,462**	**1,074**	**31.02**	

हमने क्या पाया?

- शासन ने मिशन के अंतर्गत, भूमि उपयोग के स्थानिक मानचित्रण और सेवा लिंकेज के बिना विभिन्न अवसंरचना परियोजनाओं को निष्पादित किया।
- मिशन को बंद होने के दो वर्ष बाद भी लगभग 48 प्रतिशत स्वीकृत कार्य, अपूर्ण थे अथवा अप्रारंभ थे।
- शासन ने मिशन के अंतर्गत कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के एकीकृत विकास को बढ़ावा देना सुनिश्चित नहीं किया, जिसने क्लस्टर के भीतर आय सृजन और सतत आर्थिक विकास के अवसरों को सीमित कर दिया गया।
- राजस्व सृजक परिसंपत्तियों को स्व-सहायता समूहों (एस.एच.जी.), क्लस्टर लेवल फेडरेशन (सी.एल.एफ.) अथवा ग्राम संगठनों (वी.ओ.) को नहीं सौंपा गया था, जिसके परिणामस्वरूप उनके संचालन और रखरखाव की गतिविधियां शुरू नहीं हो सकी।
- जिला स्तरीय समितियों (डी.एल.सी.) की अपर्याप्त बैठकें तथा कार्यों के निष्पादन में प्रयुक्त सामग्री का प्रयोगशाला परीक्षण न कराना, कमजोर आंतरिक नियंत्रण तंत्र दर्शाता है, जिसकी पुष्टि लेखापरीक्षा द्वारा किए गए कार्यों के संयुक्त भौतिक सत्यापन के निष्कर्षों से होती है ।

हम क्या अनुशंसा करते हैं?

शासन सुनिश्चित करे

- *मिशन के अंतर्गत प्रतिबद्ध प्रगतिरत परियोजनाओं को पूर्ण करना,*
- *निर्मित परिसंपत्तियों का उचित स्वामित्व सुनिश्चित कर राजस्व सृजन करने वाली परियोजनाओं के संचालन एवं रखरखाव गतिविधियों को आरंभ करना, एवं*
- *अपर्याप्त योजना, क्रियान्वयन, निगरानी एवं वित्तीय प्रबंधन के लिए उत्तरदायित्व निर्धारित करना।*

श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन वित्तीय प्रदर्शन - अनुमोदित, जारी एवं व्यय की तुलना

(₹ करोड़ में)

चरण	क्लस्टरों की संख्या	क्लस्टर में ग्राम पंचायतों की संख्या	अभिसरण		सी.जी.एफ.					कुल निवेश (4+6)	कुल व्यय	
						जारी किया						
			अनुमोदित	व्यय	अनुमोदित	केंद्रांश	राज्यांश	कुल (7+8)	व्यय		धनराशि	प्रतिशत (12/11 x 100)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**
I	7	80	554.24	385.77	180.00	56.70	37.80	94.50	71.68	734.24	457.45	62.30
II	6	48	417.07	272.43	135.00	28.35	18.90	47.25	32.80	552.07	305.23	55.29
III	6	39	320.84	246.00	90.00	21.60	14.40	36.00	32.33	410.84	278.33	67.75
कुल	**19**	**167**	**1292.15**	**904.20**	**405.00**	**106.65**	**71.10**	**177.75**	**136.81**	**1697.15**	**1041.01**	**61.34**

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

2.3 “श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन” की लेखापरीक्षा

2.3.1 परिचय

भारत सरकार (जी.ओ.आई.) ने फरवरी 2016 में ग्रामीण क्षेत्रों को आर्थिक विकास प्रदान करने और भूमि सुधारों के उन्नत प्रवर्तन के उद्देश्य से राष्ट्रीय रुर्बन मिशन (एन.आर.यू.एम.) शुरू किया । मिशन का दृष्टिकोण ग्रामों के एक क्लस्टर (रुर्बन क्लस्टर) का विकास करना था, जो समानता और समावेशन पर ध्यान केंद्रित करते हुए शहरी प्रकृति की सुविधाओं को प्रदान कर ग्रामीण सामुदायिक जीवन के मूल को संरक्षित और पोषित करे। परियोजना घटकों[133] के कार्यान्वयन को एकीकृत और अभिसरण करके चिन्हित किए गए क्लस्टर (रुर्बन क्लस्टर)[134] को तीन वर्षों में एक परियोजना के रूप में क्रियान्वित किया जाना था।

मध्य प्रदेश शासन (जी.ओ.एम.पी.) ने पांच वर्ष की अवधि में परियोजना के क्रियान्वयन के लिए 19 विकास क्लस्टरों (11 जनजातीय तथा आठ गैर-जनजातीय), जिसमें 167 ग्राम पंचायतें (जी.पी.) (***परिशिष्ट-2.3.1***) शामिल हैं**,** का चयन किया। क्लस्टरों का चयन फरवरी 2016 से अगस्त 2018 के दौरान तीन चरणों में किया गया था, जैसा कि नीचे ***मानचित्र-2.3.1*** में दर्शाया गया है:

मानचित्र 2.3.1: तीन चरणों में चयनित 19 विकास कलस्टर

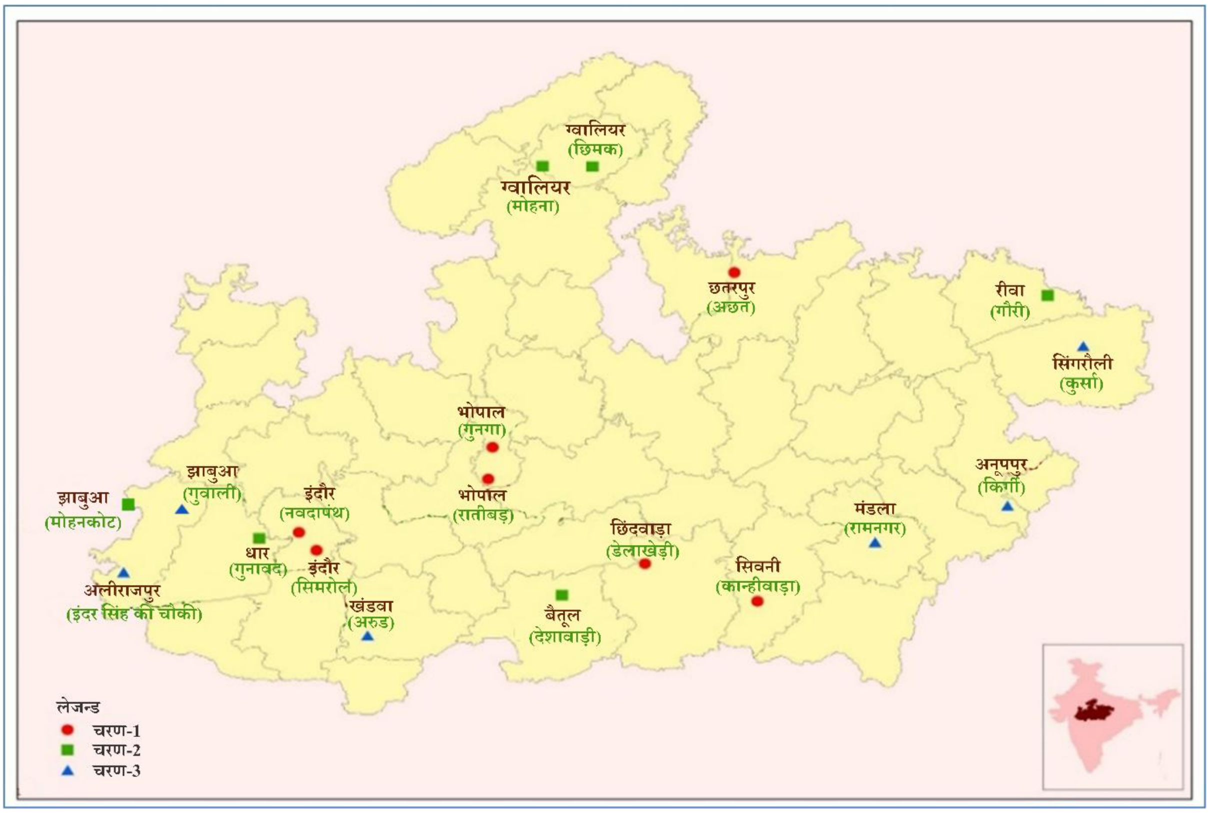

---

133 (i) आर्थिक कार्यकलापों से जुड़ा कौशल विकास प्रशिक्षण (ii) कृषि प्रसंस्करण, कृषि सेवाएं, भंडारण एवं भंडार गृह (iii) पूर्ण रूप से सुसज्जित चलित स्वास्थ्य इकाई (iv) स्कूल/उच्च शिक्षा सुविधाओं का उन्नयन (v) स्वच्छता (vi) पाइप द्वारा जलापूर्ति की व्यवस्था (vii) ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन (viii) गांव की सड़कें एवं नालियां (ix) स्ट्रीट लाइट (x) अंतर-ग्राम सड़क संपर्क (xi) सार्वजनिक परिवहन (xii) एल.पी.जी. गैस कनेक्शन (xiii) डिजिटल साक्षरता (xiv) नागरिक सेवा केन्द्र (सी.एस.सी.) (xv) पर्यटन संवर्धन, (xvi) खेल अवसंरचना (xvii) समाज कल्याण (xviii) सामाजिक अवसंरचना (xix) ग्रामीण आवास (xx) पर्यावरण (xxi) रोजगार सृजन एवं स्व-सहायता समूहों का गठन।

134 'रुर्बन क्लस्टर' भौगोलिक रूप से सन्निहित ग्रामों का एक समूह है, जिसकी आबादी, मैदानी और तटीय क्षेत्रों में 25000 से 50000 एवं रेगिस्तानी, पहाड़ी अथवा आदिवासी क्षेत्रों में 5000 से 15000 के बीच है।

मिशन क्रियान्वयन के लिए संगठनात्मक संरचना को नीचे ***चार्ट-2.3.1*** में संक्षेपित किया गया है:

चार्ट-2.3.1: संगठनात्मक संरचना

मिशन के अंतर्गत निर्धारित प्रदर्शन-आधारित संकेतकों के आधार पर, मध्य प्रदेश, सभी प्रतिभागी राज्यों में 22वें स्थान पर है, जो मिशन को क्रियान्वित करने में राज्य के अपेक्षाकृत ख़राब प्रदर्शन को दर्शाता है।

2.3.1.1 योजना एवं कार्यान्वयन प्रक्रिया

संभावित उप-जिलों की पहचान, क्लस्टरों का चयन, समेकित क्लस्टर कार्य योजना (आई.सी.ए.पी.)/विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डी.पी.आर.) तैयार करने तथा परियोजनाओं के क्रियान्वयन से संबंधित संपूर्ण प्रक्रिया को नीचे ***चार्ट-2.3.2*** में दर्शाया गया है:

चार्ट-2.3.2: मिशन के कार्यान्वयन की प्रक्रिया

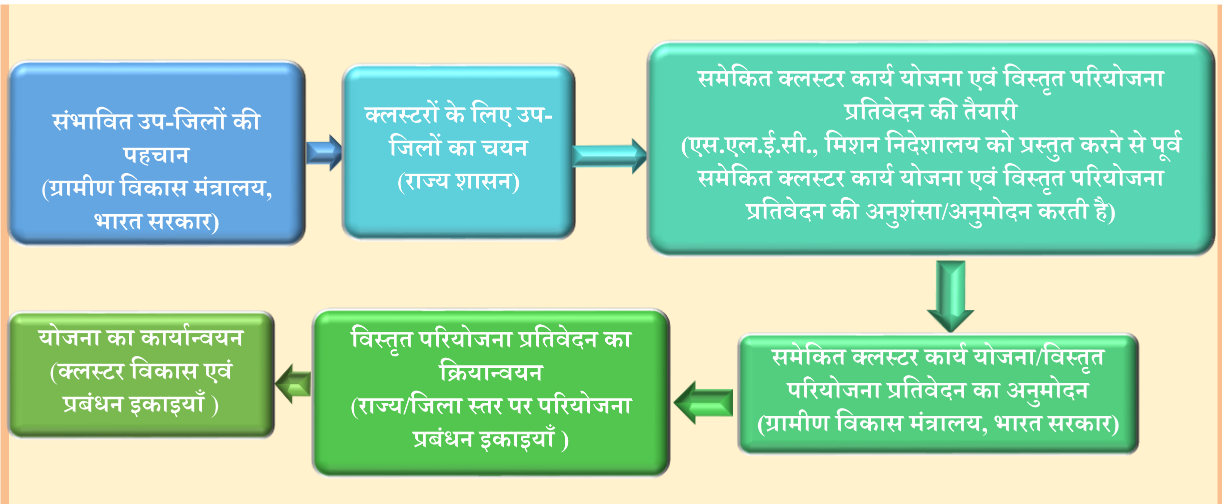

मिशन के अंतर्गत, परियोजना लागत का लगभग 70 प्रतिशत अन्य योजनाओं से निधि के अभिसरण के माध्यम से वित्तपोषित किया जाता है, जबकि 30 प्रतिशत क्रिटिकल गैप फंडिंग (सी.जी.एफ.) के माध्यम से पूर्ण किया जाता है, जिसे केंद्र और राज्य सरकारों के बीच 60:40 के अनुपात में साझा किया जाता है। राज्य ने मार्च 2024 तक, ₹1041.01 करोड़ का व्यय किया, जिसमें से ₹ 904.20 करोड़ (86.86 प्रतिशत) अभिसरण के माध्यम से तथा ₹ 136.81 करोड़ (13.14 प्रतिशत) को सी.जी.एफ. के माध्यम से वहन किया गया था। अभिसरण एवं सी.जी.एफ. से वित्त पोषण तथा उसके उपयोग का विवरण प्रतिवेदन की

कंडिका 2.3.4.1 में दिया गया है। मिशन फ्रेमवर्क के अनुसार, प्रमुख घटकों एवं उनकी संबंधित अभिसरण योजनाओं की सूची ***परिशिष्ट-2.3.2*** में दी गई है।

आर्थिक मामलों के विभाग (डी.ई.ए.), वित्त मंत्रालय ने 31 मार्च 2022 को मिशन की समाप्ति तिथि के रूप में निर्दिष्ट किया तथा उन कार्यों को पूर्ण करने की अनुमति दी जो उस तिथि तक, पूर्व में ही स्वीकृत अथवा प्रतिबद्ध थे।

2.3.1.2 लेखापरीक्षा क्षेत्र एवं पद्धति

हमने (अ) परियोजनाओं की योजना एवं क्रियान्वयन तथा (ब) सेवा वितरण-उन्मुख परियोजना घटकों पर सी.जी.एफ. के उपयोग के संबंध में आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा की।

मिशन के लिए भारत सरकार के दिशा-निर्देशों, राज्य शासन द्वारा जारी आदेशों/परिपत्रों, अनुमोदित समेकित क्लस्टर कार्य योजना तथा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन से मानदंड लिए गए थे।

हमने सांख्यिकीय टूल्स[135] के माध्यम से चयनित 19 क्लस्टरों में से पांच[136] (तीन जनजातीय क्लस्टरों एवं दो गैर-जनजातीय क्लस्टरों) में वर्ष 2016-17 से 2023-24 तक की अवधि को कवर किया। इसके अलावा, चयनित क्लस्टरों की 57 में से 30 (53 प्रतिशत) ग्राम पंचायतों (जी.पी.) को शामिल किया गया था। कवरेज में चयनित ग्राम पंचायतों की सभी परियोजनाएं (275 कार्य[137]) शामिल थीं। कार्यों/परियोजनाओं की प्रगति का निर्धारण करने के लिए चयनित 140 कार्यों के संबंध में संयुक्त भौतिक सत्यापन और चयनित ग्राम पंचायतों के 330 व्यक्तियों को शामिल करते हुए लाभार्थी सर्वेक्षण भी किया गया। लेखापरीक्षा में विकास आयुक्त, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग एवं चयनित जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को शामिल किया गया था। आगे, विकास आयुक्त, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत संचालक, रुर्बन मिशन के अभिलेखों की भी समीक्षा की गई।

लेखापरीक्षा उद्देश्यों, कार्यक्षेत्र और कार्यप्रणाली पर चर्चा करने के लिए अक्टूबर 2024 में, अपर मुख्य सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के साथ एक प्रवेश सम्मेलन आयोजित किया गया था। प्रारुप प्रतिवेदन 01/07/2025 को शासन को भेजा गया था। शासन के निर्गम सम्मेलन (04/08/2025) की प्रतिक्रिया एवं उत्तरों (28/08/2025) को इस प्रतिवेदन में उपयुक्त रूप से शामिल किया गया और उनका खंडन किया गया है।

2.3.2 योजना

मिशन के लिए भारत सरकार के दिशा-निर्देशों में यह निर्धारित है कि क्लस्टरों के चयन, समेकित क्लस्टर कार्य योजनाओं एवं स्थानिक आयोजनाओं को तैयार करने तथा इन प्रक्रियाओं में राज्यों को सहायता प्रदान करने के लिए सुझाव प्रदान करने हेतु राज्य तकनीकी सहायता एजेंसियों (एस.टी.एस.ए.) को भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय (एम.ओ.आर.डी.) द्वारा सूचीबद्ध किया जाएगा। तदनुसार, राज्य नोडल एजेंसी द्वारा राज्य शासन, जिला कलेक्टरों/जिला पंचायतों एवं संबंधित पंचायती राज संस्थाओं के परामर्श से सभी संबंधित हितधारकों की भागीदारी एवं स्वामित्व के साथ प्रत्येक क्लस्टर के लिए समेकित क्लस्टर कार्य योजना तैयार की जानी थी। समेकित क्लस्टर कार्य योजना एक आधार अभिलेख थी, जिसमें क्लस्टर की आवश्यकताओं तथा उन आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए आवश्यक प्रमुख घटकों को चिन्हित करने वाले आधारभूत अध्ययनों को शामिल किया जाना था। समेकित क्लस्टर कार्य योजना में, क्लस्टर के विकास के लिए अनुमानित लागत एवं विभिन्न योजनाओं के अभिसरण के माध्यम से लागत को पूर्ण करने के लिए आवश्यक संसाधन योजना के अनुमान को शामिल करना भी अपेक्षित था। इसके अतिरिक्त,

[135] आकार-आधारित प्रायिकता तथा बिना प्रतिस्थापन नमूना चयन विधि (पी.पी.एस.डब्ल्यू.ओ.आर.)

[136] रातीबड़ (भोपाल), डेलाखेड़ी (छिंदवाड़ा), कान्हीवाडा (सिवनी), छिमक (ग्वालियर) एवं गुनावाद (धार)।

[137] इसमें 249 पूर्ण, 15 प्रगति पर और 11 निरस्त किए गए कार्य शामिल हैं।

समेकित क्लस्टर कार्य योजना के क्रियान्वयन के लिए, अभिसरण के लिए उपयुक्त योजना दिशा-निर्देशों के मानदंडों और आवश्यकताओं के अनुसार, परियोजना घटकों के व्यापक डिजाइन और लागत अनुमानों को शामिल करने वाले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, तैयार किये जाने थे।

2.3.2.1 समेकित क्लस्टर कार्य योजना तैयार करना

समेकित क्लस्टर कार्य योजना के क्रियान्वयन सम्बन्धी फ्रेमवर्क में समेकित क्लस्टर कार्य योजना (एक क्लस्टर के लिए) में दो घटक जैसे सामाजिक आर्थिक एवं अवसंरचना योजना घटक तथा स्थानिक आयोजना की शुरुआत, का प्रावधान किया गया है। रुर्बन क्लस्टर के चयन और समरेखन के बाद समेकित क्लस्टर कार्य योजना के स्थानिक आयोजना घटक को शुरू किया जाना था और यह प्रक्रिया मध्य प्रदेश शासन की संबंधित संविधियों में लागू योजना मानदंडों के अनुरूप होनी थी। स्थानिक आयोजना तैयार करने और मिशन के क्रियान्वयन के लिए आयोजना क्षेत्र की अधिसूचना एक आवश्यक शर्त है।

राज्य के 19 क्लस्टरों के लिए समेकित क्लस्टर कार्य योजना तीन चरणों में तैयार की गई थी, जैसा कि नीचे ***तालिका-2.3.1*** में संक्षेप में बताया गया है**:**

तालिका-2.3.1: समेकित क्लस्टर कार्य योजनाओं को तैयार करने में शामिल संस्थान तथा भुगतान विवरण

चरण	समेकित क्लस्टर कार्य योजनाओं की संख्या	संस्था	चयन का वर्ष	भुगतान की गई राशि *(₹ लाख में)*
चरण- I	7	स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर (एस.पी.ए.), भोपाल	2016	49.15
चरण- II	6[138]	भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान (ई.डी.आई.आई.) अहमदाबाद	2017	67.96
चरण- III	6	समेकित क्लस्टर कार्य योजनाओं को विभाग द्वारा युवा विशेषज्ञों के माध्यम से आंतरिक रूप से तैयार किया गया था।	--	--
			कुल	**117.11**

स्रोत: लेखापरीक्षा को प्रस्तुत अभिलेख

तालिका दर्शाती है कि चरण I एवं II में, योजनाओं को तैयार करने के लिए बाह्य एजेंसियों (एस.पी.ए., भोपाल और ई.डी.आई.आई.) को कुल ₹1.17 करोड़ की लागत पर नियुक्त किया गया था। शासन द्वारा दी गई जानकारी (अगस्त 2025) के अनुसार, इन एजेंसियों द्वारा तैयार की गई समेकित क्लस्टर कार्य योजनाओं को युवा विशेषज्ञों द्वारा समीक्षा करने पर काफी हद तक अव्यवहार्य पाया गया। तदनुसार, चरण III समेकित क्लस्टर कार्य योजनाओं को आंतरिक रूप से तैयार किया गया, जिसके परिणामस्वरूप समयबद्धता, प्रभावशीलता और मितव्ययिता में सुधार हुआ।

2.3.2.2 स्थानिक आयोजना एवं विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डी.पी.आर.) तैयार करना

2.3.2.2 (i) स्थानिक आयोजना का तैयार न किया जाना

मिशन क्रियान्वयन सम्बन्धी फ्रेमवर्क में, नियोजित और समन्वित विकास सुनिश्चित करने के लिए, समेकित क्लस्टर कार्य योजना के भाग के रूप में एक स्थानिक आयोजना तैयार करने पर जोर दिया गया था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि मध्य प्रदेश शासन ने निर्णय लिया (अप्रैल 2021) कि सभी क्लस्टरों की स्थानिक आयोजना तैयार करने का कार्य स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, भोपाल (एस.पी.ए.) के युवा विशेषज्ञों और विभाग के अनुभवी अधिकारियों के माध्यम से किया जाना था, और तदनुसार भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त किया। भारत सरकार ने एस.पी.ए. तथा मौलाना आजाद

[138] मोहना क्लस्टर को 6 सितंबर 2019 को नगर परिषद के रूप में घोषित किया गया था। परिणामस्वरूप, यह रुर्बन मिशन के अंतर्गत वित्त पोषण के लिए अपात्र हो गया, जिससे पात्र क्लस्टरों की संख्या घटकर 18 हो गई।

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एम.ए.एन.आई.टी.) भोपाल को स्थानिक आयोजना तैयार करने के लिए सूचीबद्ध (अक्टूबर 2021) किया। परियोजना से युवा विशेषज्ञों के बाहर हो जाने के कारण, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने ग्रामीण विकास मंत्रालय से स्थानिक आयोजना तैयार करने हेतु दिसंबर 2022 से 31 मार्च 2023 तक समयवृद्धि के लिए अनुरोध (सितंबर 2022) किया। इसके बाद, 31 मार्च 2024 तक स्थानिक आयोजना तैयार करने के लिए शासन द्वारा कोई वैकल्पिक तंत्र स्थापित नहीं किया गया।

इस प्रकार, मिशन के अंतर्गत कार्यों के निष्पादन से पूर्व कोई स्थानिक आयोजना तैयार नहीं की गई थी। इसके बावजूद, विभिन्न अवसंरचना परियोजनाओं को भूमि उपयोग के स्थानिक मानचित्रण एवं सेवा लिंकेज के बिना निष्पादित किया गया था। अनिवार्य स्थानिक आयोजना के बिना कार्यों के क्रियान्वयन ने मिशन फ्रेमवर्क का उल्लंघन किया और रुर्बन क्लस्टरों के नियोजित और सतत विकास को प्राप्त करने के उद्देश्य को कमजोर कर दिया। स्थानिक आयोजना की अनुपस्थिति ने कार्यों के असमन्वित निष्पादन और निर्मित परिसंपत्तियों के अतिव्यापी अथवा उप-इष्टतम उपयोग का जोखिम पैदा किया।

शासन ने स्थानिक योजना तैयार न करने के तथ्य को स्वीकार (अगस्त 2025) किया।

2.3.2.2 (ii) विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन की तैयारी तथा उस पर व्यय

दिशा-निर्देशों में निर्धारित है कि परियोजना लागत का अधिकतम 30 प्रतिशत अथवा मैदानी क्षेत्रों के लिए ₹ 30 करोड़ और जनजातीय क्षेत्रों के लिए ₹15 करोड़, जो भी कम हो, को तीन वर्षों की अवधि में तीन किस्तों में केंद्र और राज्य के बीच 60:40 के अनुपात में साझा किए गए सी.जी.एफ. के रूप में प्रदान किया जाना था और एस.एन.ए. के अधिकृत बैंक खाते में जमा किया जाना था। भारत सरकार के पत्र (20 मार्च 2018) के अनुसार, समेकित क्लस्टर कार्य योजना और विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन के बीच भिन्नता, समेकित क्लस्टर कार्य योजना के अंतर्गत अनुमोदित लागत से 20 प्रतिशत कम अथवा अधिक स्वीकार्य[139] थी।

कुल 19 समेकित क्लस्टर कार्य योजनाएँ तैयार की गयी थी, प्रत्येक क्लस्टर के लिए एक, जिनमें 12 से 21 तक के घटक एवं निष्पादन के लिए कुल 3,462 कार्य शामिल थे। हालांकि, केवल 2,078 कार्यों के लिए ही विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार किए गए। 19 क्लस्टरों की विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनों में प्रावधानित सी.जी.एफ. तथा उसके व्यय[140] का विवरण नीचे ***चार्ट-2.3.3*** में दर्शाया गया है:

चार्ट-2.3.3: विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन में प्रावधान किए गए सी.जी.एफ. एवं उसके व्यय का विवरण

(₹ करोड़ में)

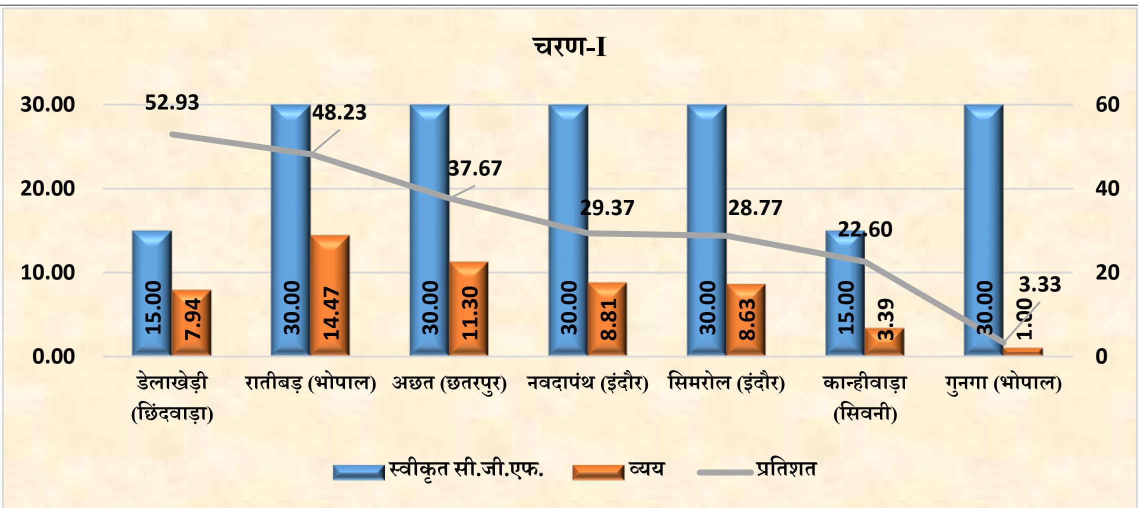

139 ठोस, तरल अपशिष्ट प्रबंधन को छोड़कर, जिसे अभिसरण वित्त पोषण के अंतर्गत कवर किया जा रहा है।

140 क्लस्टर मोहना, ग्वालियर को नगर परिषद (6 सितंबर 2019) के रूप में घोषित किया गया था। इसलिए, मोहना क्लस्टर के व्यय को शून्य के रूप में दर्शाया गया है।

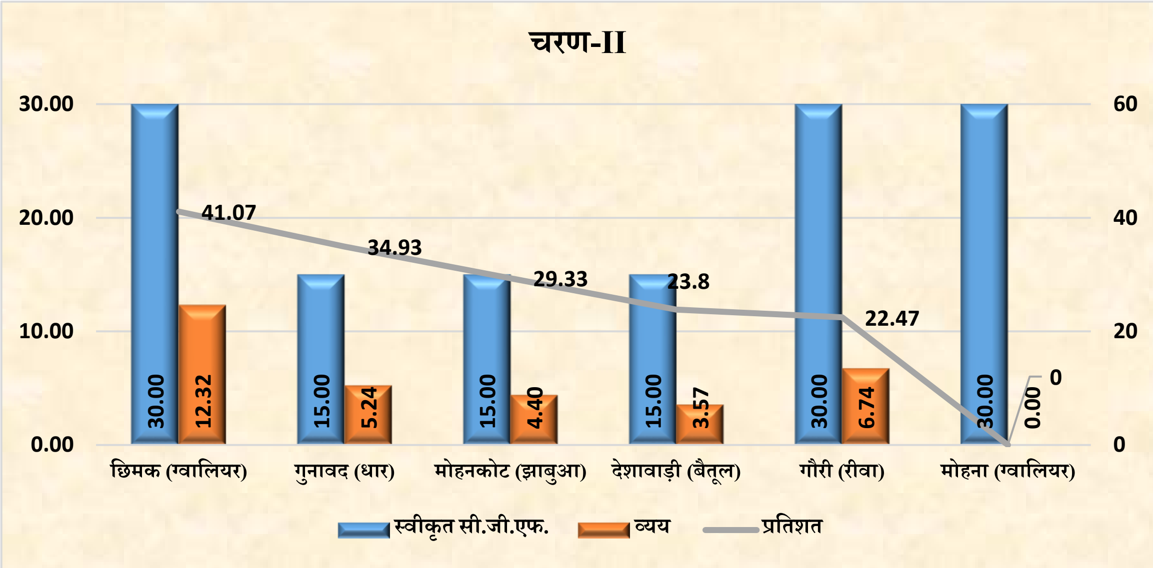

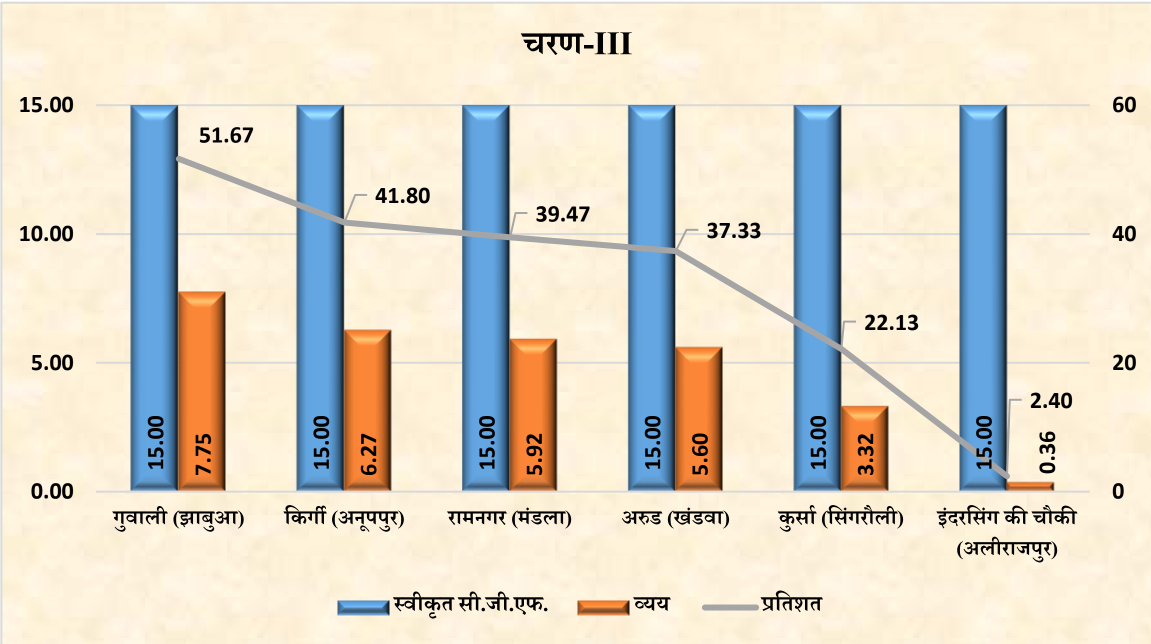

स्रोत: मिशन पोर्टल में उपलब्ध जानकारी

ऊपर दिया गया चार्ट दर्शाता है कि तीन चरणों में चयनित क्लस्टरों में आवंटित सी.जी.एफ. के विरुद्ध स्वीकृत सी.जी.एफ. का 2.40 से 52.93 प्रतिशत तक ही व्यय किया गया था। यह दर्शाता है कि अनुमोदित निधि का एक बड़ा हिस्सा अप्रयुक्त रहा**,** जो क्लस्टरों के बीच असमान क्रियान्वयन प्रगति को प्रतिबिंबित करता है।

आगे, 12 प्रकरणों[141] में, समेकित क्लस्टर कार्य योजना में अनुमोदित लागत और विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन में अनुमानित लागत के बीच अंतर 20 प्रतिशत की अनुमेय सीमा से अधिक था, जैसा कि ***परिशिष्ट-2.3.3*** में वर्णित है। यह समेकित क्लस्टर कार्य योजना में नियोजित आवंटन और विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन में आकलित आवश्यकता के बीच एक विसंगति को दर्शाता है।

निर्गम सम्मेलन में, शासन ने कहा (अगस्त 2025) कि मूल समेकित क्लस्टर कार्य योजनाओं में प्रस्तावित कुछ गतिविधियों को अव्यवहार्य पाया गया एवं तदनुसार संशोधित किया गया, जिसके परिणामस्वरूप कार्यों की संख्या में कमी आई। आगे, संशोधित समेकित क्लस्टर कार्य योजनाओं तथा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनों को राज्य स्तरीय सशक्त समिति द्वारा अनुमोदित किया

[141] 19 में से सात क्लस्टरों के संबंध में 85.29 प्रतिशत तक तथा चयनित पांच क्लस्टरों में से दो के संबंध में 28.67 प्रतिशत तक।

(20 मार्च 2018) गया था तथा मूलभूत एवं सामाजिक सुविधाओं से संबंधित कार्य तदनुसार प्रारंभ किए गए थे। आगे, उत्तर में (अगस्त 2025) कहा गया कि एस.पी.ए. भोपाल ने विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने से इंकार कर दिया, जिसके बाद इन्हें अन्य विभागों द्वारा तैयार किया गया लेकिन वे निम्न स्तर के पाए गए। 26 जुलाई 2017 को राज्य स्तरीय सशक्त समिति की बैठक में, पहली किस्त प्राप्त करने के बाद मूलभूत तथा सामाजिक सुविधाओं पर कार्य शुरू करने का निर्णय लिया गया; संशोधित समेकित क्लस्टर कार्य योजना-सह-विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन को भारत सरकार द्वारा 20 मार्च 2018 को स्वीकृति दी गई थी, एवं बाद में भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार 18 अक्टूबर 2019 को राज्य स्तरीय सशक्त समिति द्वारा घटक गतिविधियों में संशोधन स्वीकृत किए गए।

तथ्य यह है कि मूल समेकित क्लस्टर कार्य योजना से महत्वपूर्ण विचलन प्रारंभिक योजना एवं व्यवहार्यता के आकलन की अपर्याप्तता को दर्शाते हैं। यद्यपि संशोधित समेकित क्लस्टर कार्य योजना तथा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बाद में स्वीकृत किए गए थे, किन्तु कार्यों के क्षेत्र एवं संख्या में कमी ने मिशन के इच्छित उद्देश्यों को कमजोर कर दिया तथा नियोजित घटकों के प्रभाव को कम कर दिया।

2.3.3 कार्यान्वयन, परिणाम, संचालन एवं रखरखाव

2.3.3.1 सेवा वितरण उन्मुख परियोजना घटकों का भौतिक क्रियान्वयन

मार्च 2024 की स्थिति में समेकित क्लस्टर कार्य योजनाओं में शामिल सभी 21 घटकों के विरुद्ध कार्यों की प्रगति की घटक-वार स्थिति नीचे ***चार्ट-2.3.4*** में दी गई है:

चार्ट 2.3.4 समग्र कार्यों की प्रगति

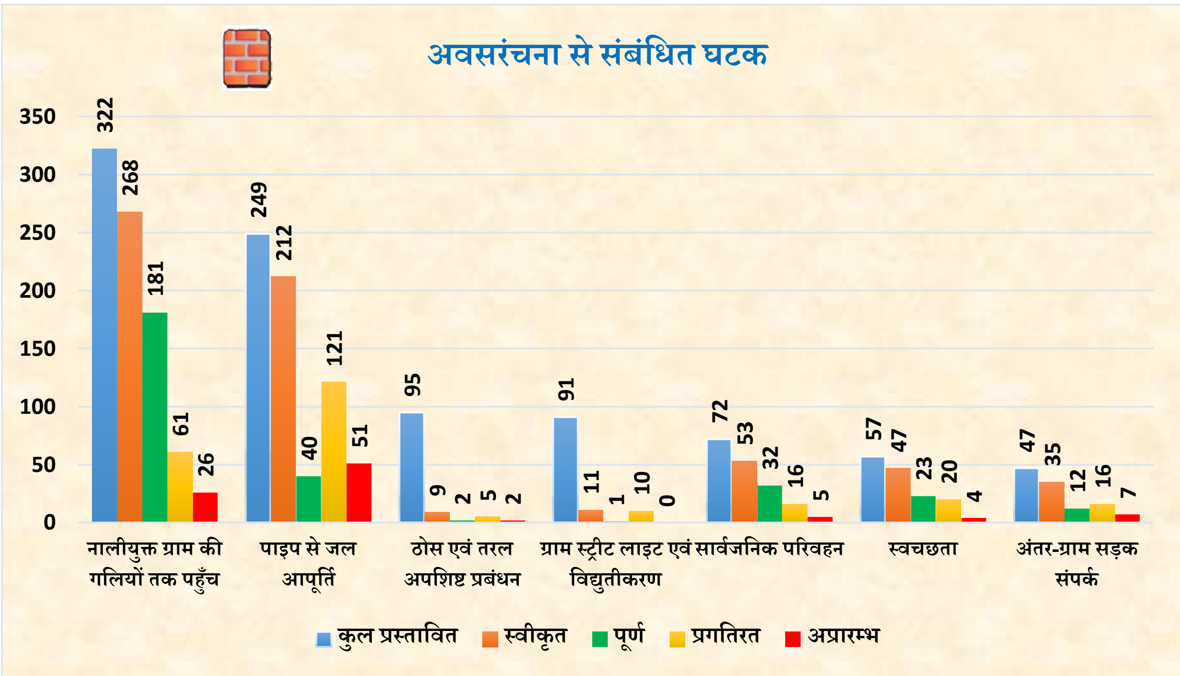

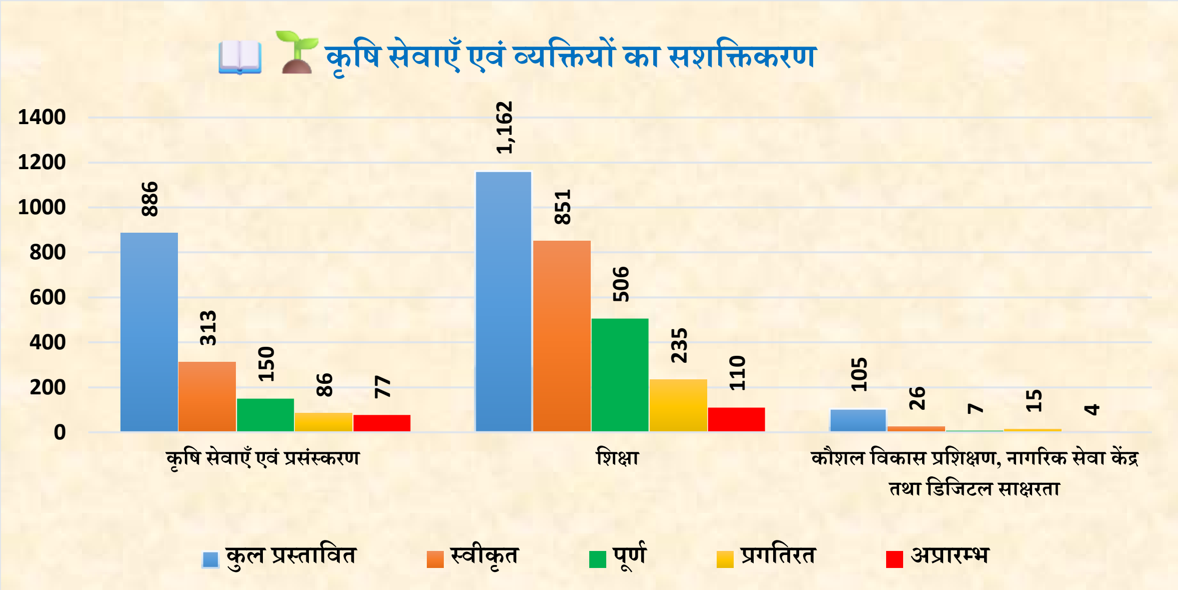

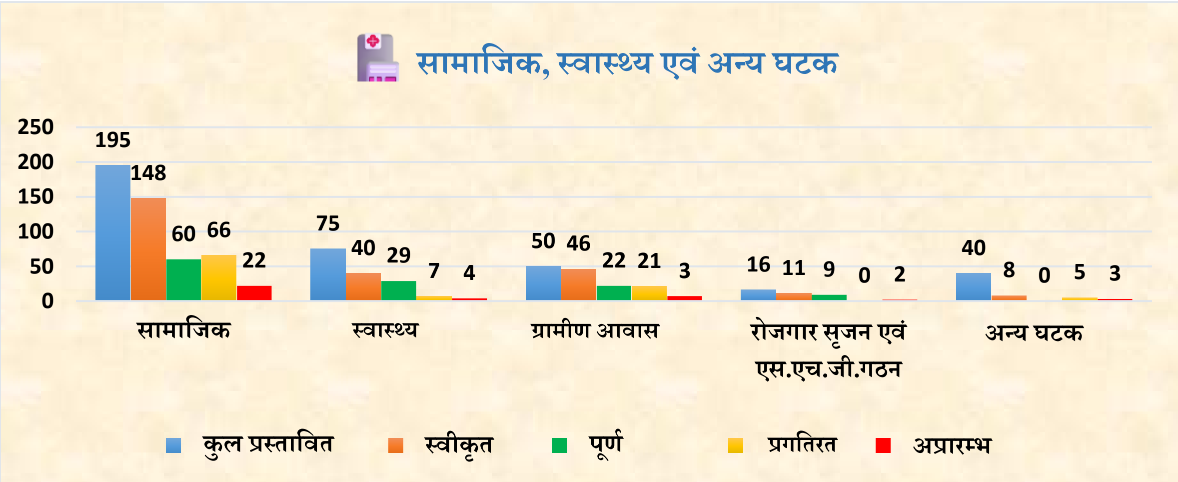

स्रोत: विभाग द्वारा प्रदान किया गया विवरण

यह देखा गया कि 3,462 चिन्हित कार्यों में से परियोजना के 2,078 कार्य (60 प्रतिशत) स्वीकृत किए गए थे। इनमें 1,074 (52 प्रतिशत) पूर्ण, 684 (33 प्रतिशत) अपूर्ण तथा 320 (15 प्रतिशत) ऐसे कार्य शामिल थे जो प्रारंभ ही नहीं किए गए।

मिशन के अंतर्गत निष्पादित श्रेणी-वार कार्यों की स्थिति नीचे ***तालिका-2.3.2*** में संक्षेप में दी गई है:

तालिका-2.3.2: श्रेणी-वार कार्यों के निष्पादन की स्थिति

श्रेणी	चिन्हित कार्य	पूर्ण कार्य	पूर्णता का प्रतिशत	प्रभाव
अवसरंचना	933	291	31.19	अपर्याप्त अवसंरचना एवं सेवा वितरण
कृषि-सेवाएं, प्रसंस्करण तथा संबद्ध गतिविधियां	886	150	16.93	आजीविका एवं कृषि संबंधी गतिविधियों में कम प्रगति
नागरिक सेवाएं, डिजिटल साक्षरता, शिक्षा और कौशल विकास	1,267	513	40.49	शिक्षा एवं डिजिटल सेवा वितरण में अंतराल
पर्यावरण, एल.पी.जी., पर्यटन, खेल तथा सामाजिक कल्याण	40	0	0	कोई प्रगति नहीं
अन्य घटक	336	120	35.71	मूलभूत सुविधाओं में सीमित सुधार
कुल	**3,462**	**1,074**	**31.02**	

उपरोक्त स्थिति, राज्य में मिशन के सभी घटकों में खराब प्रदर्शन को दर्शाती है, जिससे इच्छित उद्देश्यों और परिणामों की प्राप्ति अत्यंत सीमित रही।

शासन ने कहा (अगस्त 2025) कि 684 अपूर्ण कार्यों में से अधिकांश कार्य, अन्य योजनाओं के अभिसरण से नियोजित किये गए थे, जिससे विलंब हुआ, हालांकि कुछ कार्य अब पूर्ण हो चुके हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि रुर्बन के अंतर्गत विभागीय निधियों की कमी वाली महत्वपूर्ण गतिविधियों को शुरू किया गया था, जबकि अन्य को स्वच्छ भारत मिशन (एस.बी.एम.), प्रधानमंत्री आवास योजना (पी.एम.ए.वाई.) तथा उज्ज्वला जैसी विद्यमान योजनाओं के माध्यम से लागू किया गया था।

यह तर्क कि विलंब अभिसरण के कारण हुआ था, स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि अभिसरण, कार्यक्रम के डिजाइन का अभिन्न अंग था और इसे प्रभावी ढंग से प्रबंधित किया जाना चाहिए था। अपूर्ण कार्यों की बड़ी संख्या ने मिशन के एकीकृत दृष्टिकोण को कमजोर कर दिया, जो योजना, समन्वय तथा निगरानी में कमियों की पुष्टि करता है।

शासन मिशन के अंतर्गत प्रतिबद्ध, प्रगतिरत परियोजनाओं को पूर्ण करना सुनिश्चित करे।

2.3.3.2 प्रमुख परियोजना घटकों के कार्यान्वयन में कमी

कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों, लक्षित घरों में पाइप से जल आपूर्ति, स्कूलों में स्मार्ट कक्षाओं का क्रियान्वयन तथा सामाजिक एवं मूलभूत अवसंरचना से संबंधित कार्यों सहित मिशन के प्रमुख घटकों में महत्वपूर्ण विलंब तथा क्रियान्वयन न होना पाया गया। ये अंतराल, कमजोर योजना, विलंबित निष्पादन तथा कमजोर निगरानी को दर्शाते हैं, जिसने मिशन के इच्छित उद्देश्यों की प्राप्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डाला। इस प्रकार के घटकों की स्थिति निम्नानुसार वर्णित है:

2.3.3.2 (i) कृषि और संबद्ध गतिविधियों के अंतर्गत आय सृजन पहलों का निष्पादन न करना

मिशन के दिशा-निर्देशों के अनुसार, चिन्हित क्लस्टरों को विकसित करते समय कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों से संबंधित घटकों पर विशेष जोर दिया जाना अपेक्षित था। इस प्रकार मिशन फ्रेमवर्क में क्लस्टरों के अंतर्गत आय सृजन बढ़ाने एवं सतत आर्थिक विकास सुनिश्चित करने के लिए कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के एकीकृत विकास की परिकल्पना की गई है। इस घटक के अंतर्गत 83 गतिविधियों/कार्यों (***परिशिष्ट-2.3.4***) को वर्गीकृत किया गया था।

जैसा कि **चार्ट-*2.3.4*** में दर्शाया गया है, राज्य में इस श्रेणी के अंतर्गत 313 कार्यों के निष्पादन के प्रावधान स्वीकृत किए गए थे, जिनमें से 150 (47.92 प्रतिशत) पूर्ण किए जा चुके थे, 86 (27.48 प्रतिशत) प्रगतिरत थे, एवं शेष कार्य प्रारंभ नहीं किए गए थे।

यह देखा गया कि इस श्रेणी के अंतर्गत, मुख्यतः चेक डैम, स्टॉप डैम और रिचार्ज शाफ्ट के निर्माण जैसी गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित किया गया था। हालाँकि, मधुमक्खी पालन एवं शहद प्रसंस्करण संयंत्रों, डेयरी विकास अथवा प्रसंस्करण इकाइयों, बल्क मिल्क चिलिंग मशीनों, कृषि-प्रसंस्करण इकाइयों (आटा, दालों, सब्जियों, फलों, शहद आदि के लिए), स्वदेशी बीज बैंकों का निर्माण, सब्जी खेती केन्द्रों, सब्जियों/दूध के लिए संग्रहण केन्द्रों तथा समुदाय आधारित कृषि जैसी आय-सृजक पहलों को या तो चयन से बाहर रखा गया था अथवा चयन के बाद भी प्रारंभ नहीं किया गया था। परिणामस्वरूप, मिशन के अंतर्गत क्रियान्वयन ने आय-सृजक गतिविधियों को बढ़ावा देने के अपने इच्छित उद्देश्य को प्राप्त नहीं किया।

लाभार्थी सर्वेक्षण में भी, 62 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि उपरोक्त सेवाएं उपलब्ध नहीं कराई गई थीं। इस प्रकार, मिशन के अंतर्गत कृषि सेवाओं एवं प्रसंस्करण, भंडारण तथा वेयरहाउसिंग कार्यों के निष्पादन न किए जाने के कारण, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी कम करने और रोजगार सृजन करने के मिशन के उद्देश्य को पूर्ण नहीं किया जा सका।

शासन ने इन गतिविधियों के प्रारंभ न होने का कारण भूमि उपलब्धता के मुद्दों और मिशन के समय से पहले बंद होने को बताया (अगस्त 2025), आगे यह भी कहा गया कि जबकि चेक डैम बड़े पैमाने पर पूर्ण हो गए थे एवं लाभकारी थे, कृषि पार्क, गोदाम तथा प्रसंस्करण इकाईयां जैसे प्रमुख अवसंरचना चुनावों एवं कोविड-19 के कारण भूमि आवंटन में विलंब के कारण प्रगति नहीं कर सके।

हालांकि डिजाइन, प्राक्कलन तथा निविदाएं तैयार की गई थीं, लेकिन मिशन के बंद होने से पहले अधिकांश कार्य शुरू नहीं किए जा सके थे, तथा 2022 के बाद केवल कुछ जिलों में ही सीमित प्रगति हुई।

भूमि की समस्या तथा चुनावों के कारण विलंब का औचित्य स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि विभाग ने पहले ही विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन स्तर पर भूमि की उपलब्धता का आश्वासन दिया था तथा योजना के दौरान आकस्मिकताओं का समाधान किया जाना चाहिए था। प्रारंभिक कार्य होने के बावजूद प्रमुख अवसंरचना का पूर्ण न होना, कमजोर योजना एवं खराब निष्पादन को दर्शाता है।

2.3.3.2 (ii) लक्षित घरों में पाइप से जल आपूर्ति

प्रत्येक ग्रामीण व्यक्ति को 2022 तक सामाजिक अथवा वित्तीय भेदभाव की बाधाओं के बिना, अपने घर के परिसर के भीतर अथवा अपने घर से अधिकतम 50 मीटर क्षैतिज अथवा ऊर्ध्वाधर दूरी पर, 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन (एल.पी.सी.डी.) स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने हेतु, पेयजल तथा स्वच्छता मंत्रालय (एम.ओ.डी.डब्ल्यू.एस.), भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी.), क्रियान्वित किया गया है।

जैसा कि ***चार्ट-2.3.4*** में दर्शाया गया है, राज्य के 19 क्लस्टरों में हर समय जल आपूर्ति के लिए 212 कार्य स्वीकृत किए गए थे। इसके क्रियान्वयन के लिए ₹ 73.81 करोड़ के सी.जी.एफ. का प्रावधान किया गया था। इनमें से 40 कार्य (18.87 प्रतिशत) पूर्ण हो चुके थे, 121 कार्य (57.08 प्रतिशत) प्रगतिरत थे और शेष कार्य प्रारंभ नहीं किए गए थे।

लेखापरीक्षा में गुनावाद (धार) को छोड़कर, जहां जल आपूर्ति संचालित थी, चयनित क्लस्टरों में निष्पादित जल आपूर्ति कार्यों में कमियां पाई गईं, जैसा कि नीचे सार दिया गया है:

- **रातीबड़ क्लस्टर (भोपाल):** ₹ 8.69 करोड़ की स्वीकृति के विरुद्ध 16 कार्यों पर ₹ 5.36 करोड़ व्यय किए गए। इनमें से 14 कार्य पूर्ण हो चुके थे, एक (बरखेड़ा नाथू) अपूर्ण था, और एक (खरपा-गर्म पंचायत सेमरी बाज्याफ्ट) निरस्त कर दिया गया था।
- **छिमक क्लस्टर (ग्वालियर):** सभी 12 कार्यों को पूर्ण दर्शाया गया था, जिसमें से 10 ग्राम पंचायत को सौंप दिए गए थे। शेष दो कार्यों[142] में न तो पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किए गए थे एवं न ही उन्हें ग्राम पंचायतों को सौंपा गया था।
- **डेलाखेड़ी क्लस्टर (छिंदवाड़ा):** बंगई में ₹ 17.42 लाख एवं प्रतापगढ़ बदला में ₹ 26.51 लाख के दो ओवरहेड टैंक जनवरी 2021 में पूर्ण किए गए थे। पूर्णता के चार वर्ष बाद भी पानी के रिसाव (ग्राम पंचायत बंगई) तथा खराब बोरवेल (ग्राम पंचायत प्रतापगढ़) के कारण पानी की आपूर्ति के लिए उनका उपयोग नहीं किया जा रहा था।
- **कान्हीवाड़ा (सिवनी):** निर्मित ओवरहेड टैंक में रिसाव हो रहा था एवं उसकी रेलिंग टूटी हुई थी, जो निर्माण की गुणवत्ता में समस्या को दर्शाती है। दो नलकूप के खोदे जाने के बावजूद, जल आपूर्ति टैंकरों के माध्यम से की जा रही है।

पाइप द्वारा जल आपूर्ति में उपर्युक्त कमियों से पता चलता है कि घरों को अपेक्षित जल आपूर्ति लाभ सुनिश्चित नहीं किया गया था, जैसा कि लाभार्थी सर्वेक्षण में, 42 प्रतिशत लाभार्थियों ने पाइप द्वारा जल की अनुपलब्धता प्रतिवेदित की थी।

शासन ने कहा (अगस्त 2025) कि हालांकि समेकित क्लस्टर कार्य योजनाओं (2016-18) के दौरान, सभी क्लस्टरों में पाइप से जल आपूर्ति को एक प्रमुख मांग के रूप में चिन्हित किया गया था, लेकिन भारत सरकार द्वारा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (पी.एच.ई.) विभाग, अधिकृत क्रियान्वयन एजेंसी, को कोई निधि प्रदान नहीं की गई थी। परिणामस्वरूप, अछत (छतरपुर) और कुरसा (सिंगरौली)

[142] ग्राम पंचायत- महाराजपुर-1 और छिमक-1

क्लस्टर में प्रस्तावित कार्यों को निरस्त कर दिया गया, क्योंकि बाद में इन आवश्यकताओं को जल जीवन मिशन तथा अन्य शासकीय योजनाओं के अंतर्गत शामिल किया गया था।

एक प्रमुख मांग के रूप में चिन्हित किए जाने के बावजूद, पाइप द्वारा जल आपूर्ति कार्यों को निरस्त करना अथवा प्रारंभ न करना, साथ ही पूर्ण हो चुकी परियोजनाओं को हस्तांतरित न करना तथा ऊपर चिन्हित कार्यों की निम्न स्तरीय गुणवत्ता, कार्य निष्पादन की कमजोर योजना तथा अपर्याप्त निगरानी को दर्शाते है।

2.3.3.2 (iii) विद्यालयों में स्मार्ट कक्षाओं का कार्यान्वयन

जैसा कि मिशन फ्रेमवर्क में परिकल्पना की गई है, शिक्षा, व्यक्तियों के सक्षम एवं सशक्तिकरण विषयगत क्षेत्र के अंतर्गत एक घटक है। यह फ्रेमवर्क क्लस्टरों के भीतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच में सुधार एवं डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य को इंगित करता है। आगे, राज्य शिक्षा केंद्र, भोपाल ने विकास आयुक्त, भोपाल को निर्देश (जनवरी 2022) दिया कि चयनित शासकीय माध्यमिक विद्यालयों (कक्षा 6 से 8) में प्रत्येक स्मार्ट क्लास में एक एल.ई.डी. टीवी, लैपटॉप और 1.0 के.वी.ए. का यू.पी.एस., समर्पित प्रशिक्षित शिक्षक, विद्युत कनेक्शन, सुरक्षित भवन, बीमा, इंटरनेट सुविधा आदि होना चाहिए।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि राज्य में इस श्रेणी के अंतर्गत 35[143] कार्यों के निष्पादन के लिए ₹ 40.63 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई थी। इनमें से 18 कार्य स्थगित कर दिए गए थे, 11 निरस्त कर दिए गए थे तथा ₹ 13.90 लाख के व्यय के बाद छह कार्य प्रगतिरत थे। इस प्रकार, स्कूलों में स्मार्ट कक्षाओं की स्थापना से संबंधित कोई भी कार्य पूर्ण नहीं किया गया था, जो मिशन के अंतर्गत शैक्षिक अवसंरचना पहलों के अप्रभावी क्रियान्वयन तथा क्लस्टरों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने एवं लक्षित बच्चों के मानसिक विकास को बढ़ावा देने के इसके उद्देश्यों की अप्राप्ति को दर्शाता है।

शासन ने कहा (अगस्त 2025) कि कोविड-19 अवधि के दौरान लंबे समय तक स्कूल बंद रहने के कारण स्मार्ट कक्षाओं के लिए निधि जारी नहीं की गई अथवा वापस कर दी गई, जिसके परिणामस्वरूप मिशन बंद होने के बाद कार्यों को स्थगित अथवा निरस्त कर दिया गया। हालांकि सभी समेकित क्लस्टर कार्य योजना चरणों में स्मार्ट कक्षाओं को स्वीकृति दी गई थी, लेकिन उपकरणों का क्रय केवल चरण-I के सात क्लस्टरों में किया गया था, जबकि चरण II एवं III तथा चरण I के कुछ भागों में गतिविधियों को रोक दिया गया था, एवं अप्रयुक्त निधि राज्य नोडल एजेंसी को वापस कर दी गई थी।

कोविड पूर्व स्वीकृतियों के बावजूद, स्मार्ट कक्षाओं के क्रियान्वयन में विलंब तथा अप्रयुक्त निधि की वापसी, मिशन क्रियान्वयन की खराब योजना एवं कमजोर निगरानी को दर्शाती है।

2.3.3.2 (iv) सामाजिक एवं मूलभूत अवसंरचना के अपूर्ण/स्थगित/निरस्त किए गए कार्य

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने जिला स्तर पर विभिन्न अधिकारियों एवं पंचायती राज संस्थाओं आदि को नए निर्माण कार्यों के तकनीकी अनुमोदन, प्रशासकीय स्वीकृति, वित्तीय अनुमोदन तथा निधि जारी करने, निर्मित अवसंरचना के हस्तांतरण, अवसंरचना/परियोजनाओं के संचालन एवं रखरखाव आदि के लिए शक्तियों के प्रत्यायोजन संबंधी आदेश जारी (सितंबर 2021) किए। आगे, अक्टूबर 2021 से, सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पी.एफ.एम.एस.) में क्रियान्वयन एजेंसी को कोई अग्रिम राशि नहीं दी जानी थी।

यह पाया गया कि 19 क्लस्टरों में, सामाजिक एवं मूलभूत अवसंरचना घटक के अंतर्गत 171 निर्माण कार्य लिए गए थे, जिनमें से 42 कार्य या तो प्रारंभ नहीं किए गए थे, निरस्त कर दिए गए थे, अपूर्ण थे, स्थगित कर दिए गए थे, अथवा बलपूर्वक बंद कर दिए गए थे, जो क्रियान्वयन में विलंब को दर्शाता है। इस घटक के अंतर्गत कार्यों में बस स्टैंड, खेल मैदान, स्टेडियम, पशु चिकित्सा औषधालय, प्रशिक्षण केन्द्र, आंगनवाड़ी भवन, स्कूलों में चारदीवारी, हाट बाजार, पार्किंग शेड आदि के निर्माण शामिल थे।

143 रातीबड़ (भोपाल-12), सिमरोल (इंदौर-5), कान्हीवाड़ा (सिवनी-7) और अछत (छतरपुर-11) क्लस्टर।

क्रियान्वयन एजेंसी (ग्रामीण यांत्रिकी सेवाएं) द्वारा इन कार्यों के निष्पादन में कमी, आवश्यक सामुदायिक परिसंपत्तियों के सृजन में कमियों को दर्शाती है, जिससे क्लस्टरों में सामाजिक सेवाओं की प्रदायगी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। आगे, लेखापरीक्षा में चयनित क्लस्टरों में सामाजिक तथा मूलभूत अवसंरचना के घटक के निष्पादित कार्यों में कमियां पाई गई, जिनका सार नीचे दिया गया है:

(अ) अपूर्ण कार्य

कान्हीवाड़ा, सिवनी: कौशल विकास घटक के अंतर्गत कुम्हार की कार्यशाला, मृदा परीक्षण प्रयोगशाला सह प्रशिक्षण केंद्र तथा जलपान गृह के निर्माण कार्य के लिए अक्टूबर 2021 में ₹ 1.04 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई थी। निविदा को स्वीकृति दी (मार्च 2022) गई तथा अप्रैल 2022 में अर्थात प्रशासकीय स्वीकृति के छह माह पश्चात कार्य आदेश जारी किया गया था। निर्माण पर ₹ 34.16 लाख का व्यय किया गया था, जिसका भुगतान शेष था। इन सभी कार्यों को पूर्ण किया जाना शेष है, जिसकी पुष्टि नीचे दिए गए ***चित्र -2.3.1*** से होती है:

चित्र-2.3.1: अपूर्ण कुम्हार कार्यशाला, मृदा परीक्षण प्रयोगशाला सह प्रशिक्षण केंद्र एवं जलपान गृह

यह पाया गया कि यद्यपि पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने मिशन के उन कार्यों के लिए कार्य आदेश जारी नहीं करने के निर्देश (अप्रैल 2022) जारी किए थे, जिन्हें प्रारंभ नहीं किया गया था, उपरोक्त कार्यों के कार्य आदेश उसी माह जारी किये गए थे।

इस प्रकार, निविदा को अंतिम रूप देने में लगने वाले समय एवं कार्य आदेशों को जारी करने से रोकने के निर्देशों के उल्लंघन के कारण परियोजना लंबित रह गई तथा इच्छित उद्देश्य प्राप्त नहीं हो सका।

रातीबड़, भोपाल:

विभिन्न घटकों (सी.सी. रोड, स्कूलों का उन्नयन, सार्वजनिक परिवहन, विशेष सामाजिक अवसंरचना) के निर्माण के लिए ₹ 1.72 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति जारी (जनवरी 2019) की गई थी, जिसके लिए संबंधित ग्राम पंचायतें, क्रियान्वयन एजेंसी थीं। तदनुसार, 13 ग्राम पंचायतों को ₹ 1.39 करोड़ की पहली किस्त प्रदान की गई।

यह देखा गया कि इनमें से पांच[144] कार्य पूर्ण होने बाकी थे, जिसके लिए जिला पंचायतों को ₹ 49.56 लाख की राशि प्राप्त हुई तथा 31 मार्च 2024 तक ₹ 47.60 लाख का व्यय किया गया। हालांकि, किए गए कार्य का मूल्यांकन ₹ 37.20 लाख था, जो संबंधित ग्राम पंचायतों को अधिक भुगतान को दर्शाता है। ***चित्र-2.3.2***, कार्यों के पूर्ण न होने को दर्शाता है:

144 ₹ 80.21 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति

चित्र-2.3.2: अपूर्ण सामुदायिक भवन

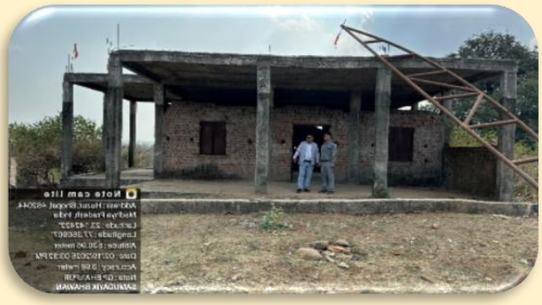

(क) अपूर्ण सामुदायिक भवन, ग्राम पंचायत-भानपुर केकड़िया

(ख) अपूर्ण सामुदायिक भवन, ग्राम पंचायत-मालीखेड़ी (कालखेड़ा)

(ग) अपूर्ण सामुदायिक भवन, ग्राम पंचायत-नरेला (नंदानी)

पांच वर्ष बीत जाने के बावजूद, उपर्युक्त कार्य पूर्ण न होना, क्रियान्वयन एजेंसियों की कमजोर निगरानी तथा कार्यान्वयन प्राधिकारियों द्वारा कमजोर पर्यवेक्षण को दर्शाता है।

जिला पंचायत भोपाल ने उत्तर दिया (जनवरी 2025) कि संबंधित पंचायतों के सचिवों/सरपंचों को आहरित अग्रिम राशि की वापसी के संबंध में सूचना जारी की गई थी। निधि प्राप्त होते ही कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।

गुनावद, धार (क) उप-स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण के लिए ₹ 7.62 लाख सहित संबंधित एजेंसियों को पहली किस्त के रूप में ₹16.63 लाख की राशि प्रदान की गई थी। हालांकि केंद्र का निर्माण नहीं किया गया था, लेकिन अग्रिम की वसूली सुनिश्चित नहीं की गई थी, (ख) माध्यमिक स्कूल, जामांडा में चारदीवारी के निर्माण के लिए ₹ 4.83 लाख की राशि स्वीकृत की गई थी, ₹ 1.44 लाख व्यय किए गए थे, एवं कार्य को पूर्ण दर्शाया गया था, हालांकि निर्माण कार्य अपूर्ण था तथा (ग) ग्राम पंचायत उटावाड के ग्राम पीपलखेड़ा के माध्यमिक स्कूल की चारदीवारी के निर्माण के लिए स्वीकृत ₹ 9.33 लाख के विरुद्ध ₹ 3.66 लाख व्यय किए गए थे तथा कार्य अपूर्ण था।

निम्नलिखित ***चित्र-2.3.3***, उपरोक्त तथ्यों की पुष्टि करते हैं:

चित्र-2.3.3: अपूर्ण चारदीवारी

जमांडा, क्लस्टर- गुनावद (धार) में माध्यमिक स्कूल में अपूर्ण चारदीवारी

माध्यमिक स्कूल ग्राम-पीपलखेड़ा, ग्राम पंचायत- उटावाड, क्लस्टर-गुनावद (धार) में अपूर्ण चारदीवारी

जिला पंचायत धार ने बताया (जनवरी 2025) कि माध्यमिक स्कूल पीपलखेड़ा में चारदीवारी का कार्य वर्तमान में प्रगतिरत है तथा शीघ्र ही पूर्ण कर लिया जाएगा। स्थानीय विवाद के कारण जामांडा माध्यमिक स्कूल में चारदीवारी का कार्य रोक दिया गया तथा उसे पूर्ण दिखाते हुए पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किया गया।

- **डेलाखेड़ी, छिंदवाड़ा:** डेलाखेड़ी क्लस्टर में पांच स्थानों पर स्टॉप डैम[145] के निर्माण हेतु सितंबर 2020 में ₹ 1.45 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई थी। चार स्टॉप डैम के निर्माण पर ₹ 25.28 लाख का व्यय किया गया था, लेकिन अक्टूबर 2022 से कार्य बंद पड़ा है। इस प्रकार, इन सभी स्टॉप डैम का निर्माण अपूर्ण रहा। ***चित्र-2.3.4***, उपरोक्त तथ्य की पुष्टि करता है**:**

चित्र-2.3.4: अपूर्ण चेक डैम

ग्राम-दौरिया खेड़ क्लस्टर-डेलाखेड़ी (छिंदवाड़ा) में अपूर्ण हर्राधना चेक डैम

जनपद पंचायत छिंदवाड़ा ने उत्तर दिया (जनवरी 2025) कि उपरोक्त सभी कार्य वर्तमान में प्रगतिरत हैं। पांच कार्यों के पूर्ण होने के पश्चात उपयोगकर्ता समूहों को हस्तांतरित किया जाएगा।

- **कान्हीवाड़ा-सिवनी**: ₹ 28.54 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति (जनवरी 2020) के विरुद्ध, कान्हीवाड़ा क्लस्टर के जटलापुर में कुल्हर नदी पर चेक डैम निर्माण के लिए, विभाग ने पहली किस्त में ₹ 8.56 लाख जारी किये। ग्रामीण यांत्रिकी सेवा (आर.ई.एस.) सिवनी ने मैसर्स मां लक्ष्मी कंस्ट्रक्शन को 90 दिनों के भीतर कार्य पूर्ण करने के लिए ₹ 22.46 लाख का कार्य आदेश जारी (अगस्त 2020) किया। दिनांक 27/10/2021 तक, इस कार्य, जिसे पूर्ण किया जाना शेष था, पर ₹ 6.69 लाख व्यय किया जा चुका था।

(ब) निरस्त किए गए कार्य

लेखापरीक्षा में पाया गया कि चयनित क्लस्टरों में, ₹ 6.39 करोड़[146] की प्रशासकीय स्वीकृति जारी होने के बाद 36 निर्माण कार्य निरस्त कर दिए गए थे।

जिला पंचायत, भोपाल ने उत्तर दिया (जनवरी 2025) कि पी.एफ.एम.एस. के लागू होने से पूर्व, प्राप्त सभी राशि राज्य स्तर पर वापस कर दी गई थी। इसके पश्चात, ग्राम पंचायतों ने कार्यों को पूर्ण करने के लिए कोई पहल नहीं की।

लाभार्थी सर्वेक्षण में, 35 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि उपरोक्त सेवाएं उपलब्ध नहीं थीं।

शासन ने कहा (अगस्त 2025) कि कुम्हार की कार्यशाला का निर्माण विभागीय निधि के माध्यम से पूर्ण किया जाएगा, जबकि गुनावद उप-स्वास्थ्य केंद्र की निधि को अन्य सुविधा के लिए स्थानांतरित कर दिया गया था। कार्यों के निष्पादन में विलंब के लिए,

145 जल का भंडारण करने, बाढ़ को नियंत्रित करने तथा मृदा अपरदन (कटाव) को रोकने के लिए एक छोटी संरचना जो किसी धारा अथवा जल निकासी चैनल पर बनाई जाती है |

146 तीन क्लस्टरों के लिए: छिमक (ग्वालियर) ₹3.85 करोड़, गुनावद (धार) ₹1.87 करोड़ एवं रातीबड़ (भोपाल) ₹0.67 करोड़।

अप्रयुक्त शेष राशि की वापसी तथा पी.एफ.एम.एस. में परिवर्तन को भी जिम्मेदार ठहराया गया था। इसके अतिरिक्त, मिशन बंद होने (31 मार्च 2022) के समय 36 अप्रारंभ कार्यों को निरस्त कर दिया गया था, तथा कुछ अन्य कार्यों को जल जीवन मिशन के लागू होने एवं कोविड-19 के प्रभाव के कारण छोड़ दिया गया था।

पी.एफ.एम.एस. परिवर्तन, अव्ययित शेष राशि की वापसी और मिशन को बंद करने को विलंब का कारण बताने वाला उत्तर संतोषजनक नहीं है, क्योंकि ये सभी पूर्वानुमानित प्रशासनिक पहलू थे जिन्हें उचित योजना के साथ प्रबंधित किया जाना चाहिए था। आगे, 36 अप्रारंभ कार्यों को निरस्त करना तथा निधि का व्यपवर्तन, कमजोर वित्तीय प्रबंधन एवं अपर्याप्त निगरानी को दर्शाता है। इसके अलावा, जल जीवन मिशन जैसी समानांतर योजनाओं के कारण स्वीकृत कार्यों को छोड़ना, रुर्बन मिशन के अंतर्गत लक्षित परिणामों की प्राप्ति हेतु अपर्याप्त समन्वय को दर्शाता है।

2.3.3.3 स्थानीय अवसंरचना एवं कौशल विकास पहल

समेकित क्लस्टर कार्य योजनाओं के अनुमोदन के अनुसार, मिशन क्रियान्वयन के लिए 19 क्लस्टर्स में ₹ 405 करोड़ का सी.जी.एफ. प्रदान किया जाना था। 31 मार्च 2022 तक ₹ 177.75 करोड़ का सी.जी.एफ. प्रदान किया गया, जिनमें से 31 मार्च 2024 तक ₹ 136.81 करोड़ का उपयोग किया गया। 31 मार्च 2022 से केंद्र सरकार ने सी.जी.एफ. विंडो बंद कर दी, जिसके परिणामस्वरूप मध्य प्रदेश शासन को अपूर्ण एवं अप्रारंभ परियोजनाओं/कार्यों को संभालना पड़ा।

पाँच चयनित क्लस्टर्स में सी.जी.एफ. के उपयोग की स्थिति के अनुसार रातीबड़, भोपाल में ₹ 30 करोड़ के प्रावधान में से ₹ 14.47 करोड़ (48.23 प्रतिशत) का उपयोग हुआ। इसी तरह छिमक (ग्वालियर) में ₹ 12.32 करोड़ (41.07 प्रतिशत), कान्हीवाड़ा (सिवनी) में ₹ 3.39 करोड़ (22.60 प्रतिशत), गुनावद (धार) में ₹ 5.24 करोड़ (34.93 प्रतिशत) और डेलाखेड़ी (छिंदवाड़ा) क्लस्टर में ₹7.94 करोड़ (52.93 प्रतिशत) का उपयोग हुआ, जैसा कि प्रतिवेदन के ***चार्ट-2.3.3*** में भी देखा जा सकता है।

₹ 10 करोड़ से अधिक व्यय वाले दो चयनित क्लस्टरों द्वारा सी.जी.एफ. के उपयोग में पाई गई कमियां नीचे दी गई हैं:

2.3.3.3 (i) रातीबड़, भोपाल

रातीबड़, भोपाल क्लस्टर में अनुमोदित राशि के विरुद्ध सी.जी.एफ. उपयोग का सारांश नीचे ***चार्ट-2.3.5*** में दर्शाया गया है:

चार्ट-2.3.5: रातीबड़, भोपाल क्लस्टर में कार्यों को निष्पादित करने के लिए सी.जी.एफ. का उपयोग

(₹ करोड़ में)

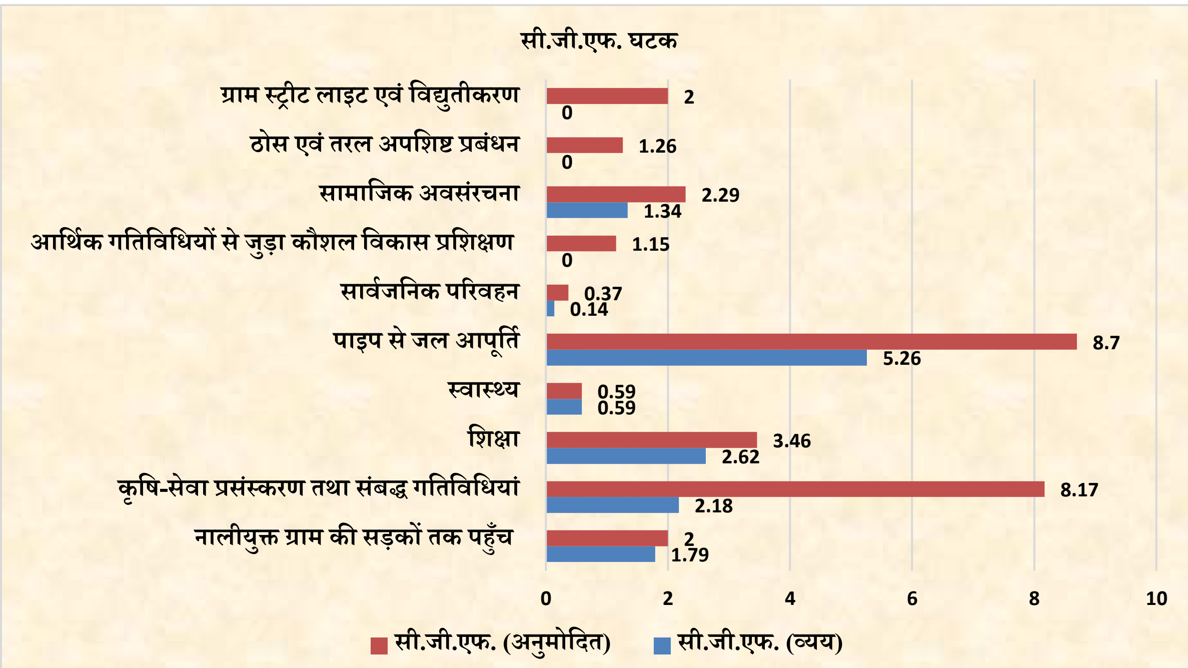

यह देखा गया कि ग्राम स्ट्रीट लाइट एवं विद्युतीकरण, ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन तथा कौशल विकास प्रशिक्षण के क्षेत्र में सी.जी.एफ. के अंतर्गत कोई व्यय नहीं हुआ। ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाओं में बैटरी-ऑपरेटेड अपशिष्ट संग्रह वाहन, कंपोस्टिंग गड्ढे, पृथक्करण शेड तथा ई.वी. चार्जिंग स्टेशन शामिल थे। इसके अलावा, कृषि-सेवाएं एवं प्रसंस्करण परियोजनाएं (जैसे, प्याज/लहसुन/गेहूं भंडारण और प्रसंस्करण केंद्र, ग्रेडिंग केंद्र, कोल्ड चैंबर, निर्यात पैक हाउस के लिए चलित ठंडा कमरा सहित वाहन) भी प्रभावी रूप से क्रियान्वित नहीं की गई हैं।

जिला पंचायत भोपाल ने उत्तर दिया (जुलाई 2024) कि उपरोक्त कार्य मिशन के बंद होने के कारण शुरू नहीं किए जा सके। इसके अतिरिक्त, कृषि-सेवाएं एवं प्रसंस्करण तथा ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के कार्य विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन में शामिल थे, लेकिन राज्य स्तरीय सशक्त समिति में अनुमोदन न होने के कारण प्रारंभ नहीं किए जा सके।

2.3.3.3 (ii) छिमक, ग्वालियर

छिमक, ग्वालियर क्लस्टर में अनुमोदित राशि के विरुद्ध सी.जी.एफ. उपयोग का सार नीचे ***चार्ट-2.3.6*** में दर्शाया गया है:

चार्ट-2.3.6: छिमक, ग्वालियर क्लस्टर में कार्यों के निष्पादन हेतु सी.जी.एफ. का उपयोग

(₹ करोड़ में)

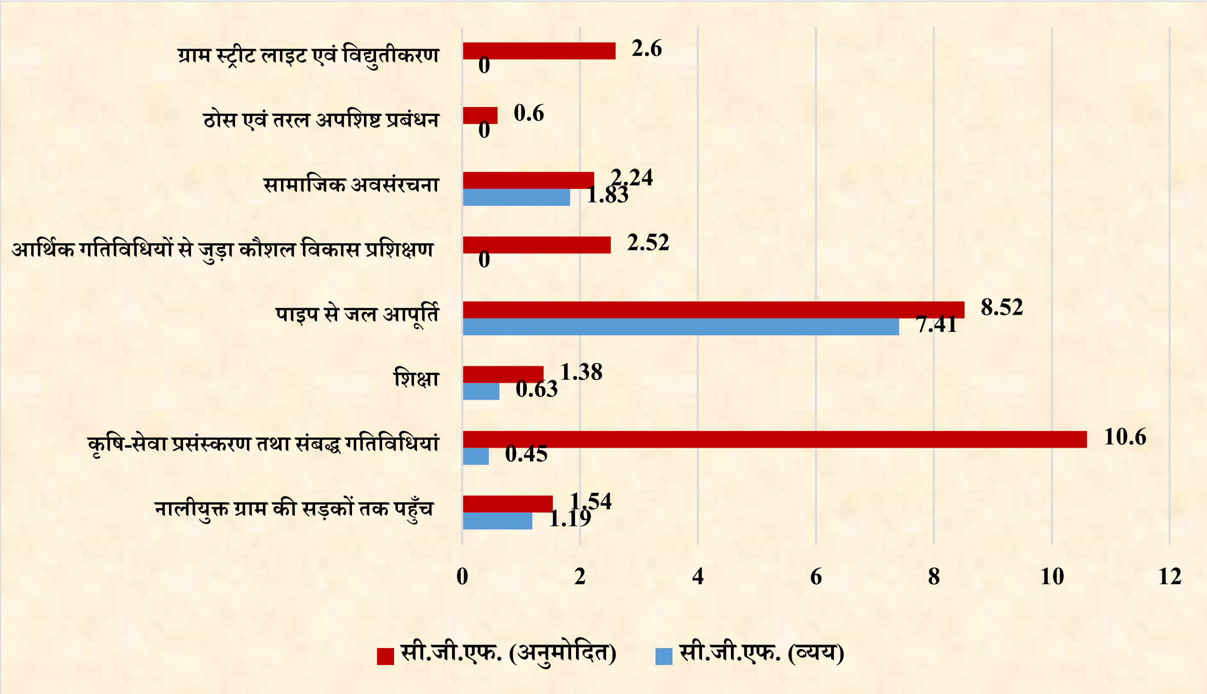

यह देखा गया कि कौशल विकास प्रशिक्षण के अंतर्गत आर्थिक गतिविधियों, ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन (एस.एल.डब्ल्यू.एम.) तथा ग्राम स्ट्रीट लाइटों एवं विद्युतीकरण से संबद्ध कोई कार्य/गतिविधि पूर्ण नहीं की गई थी। कृषि-सेवाएं एवं प्रसंस्करण कार्य जैसे राइस मिल, गेहूं ग्रेडिंग इकाई, डेयरी तथा बल्क मिल्क चिलिंग उपकरण, वेयरहाउस को प्रारंभ किया जाना/पूर्ण किया जाना शेष था।

कार्य पूर्ण न होने के परिणामस्वरूप व्यय निष्फल रहा तथा लक्षित लाभार्थियों को अपेक्षित लाभों से वंचित होना पड़ा।

शासन ने बताया (अगस्त 2025) कि स्ट्रीटलाइट घटक में राज्य स्तरीय सशक्त समिति द्वारा बार-बार किये गए परिवर्तनों जैसे सौर ऊर्जा से पारंपरिक एवं फिर वापस सौर ऊर्जा, के कारण क्रियान्वयन में बाधा आई; वहीं भूमि आवंटन और चुनावों ने प्रगति को और भी धीमा कर दिया। कोविड-19 एवं मिशन के समय से पहले बंद होने के कारण कार्य निष्पादित नहीं हो सके।

शासन का स्पष्टीकरण विलंब को पूर्णतः उचित नहीं ठहराता है, क्योंकि स्ट्रीटलाइट योजनाओं में बार-बार परिवर्तन, प्रारंभिक योजना में कमजोरी को दर्शाता है। साथ ही, भूमि आवंटन एवं चुनाव जैसी समस्याएं सामान्य हैं तथा महत्वपूर्ण कार्यों में विलंब से बचने के लिए इनका बेहतर प्रबंधन किया जाना चाहिए था।

2.3.3.4 सेवा स्तर मानक

रुर्बन क्लस्टरों के लिए आदर्श योजना दिशा-निर्देशों में, भारत सरकार ने मिशन के विभिन्न घटकों के लिए विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत मानक निर्धारित करने का सुझाव दिया था। प्रस्तावित मानक को परियोजना अवधि की निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्राप्त किया जाना है, जैसा कि समेकित क्लस्टर कार्य योजनाओं अथवा प्रस्तावित क्लस्टर स्थानिक विकास योजनाओं में उल्लेखित है, जो राज्य शासन की अधिसूचना के अनुसार पाँच से दस वर्ष तक हो सकती है।

यह पाया गया कि इस संबंध में राज्य शासन द्वारा कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई थी। अधिसूचित सेवा स्तर मानक के अभाव के कारण मिशन के घटकों के प्रदर्शन के मूल्यांकन और परिणामों के मापन के लिए एकरूप मानकों का अभाव रहा, जिसके परिणामस्वरूप विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत मिशन के विभिन्न घटकों का आकलन नहीं किया जा सका।

निर्गम सम्मेलन (अगस्त 2025) में शासन ने यह तथ्य स्वीकार किया कि सेवा स्तर मानक अधिसूचित नहीं किए गए थे।

2.3.3.5 निर्मित संपत्तियों का संचालन एवं रखरखाव (ओ एंड एम)

राज्य स्तरीय सशक्त समिति ने अप्रैल 2021 में निर्णय लिया कि ग्राम पंचायतें, सभी राजस्व सृजन करने वाली अवसंरचना के रखरखाव एवं संचालन के लिए ग्राम संगठन (वी.ओ.) तथा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (एस.आर.एल.एम.) के स्व-सहायता समूहों के क्लस्टर लेवल फेडरेशन (सी.एल.एफ.) के साथ एक समझौता ज्ञापन (एम.ओ.यू.) करेंगी। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने 15 जिला पंचायतों (रुर्बन क्लस्टर वाले) के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को निर्मित/निर्माणाधीन दुकानों के संचालन एवं रखरखाव के संबंध में निर्देश जारी (अक्टूबर 2021 तथा नवंबर 2021) किए। इन दुकानों का स्वामित्व पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पास होना था तथा इन्हें एक समिति द्वारा[147] सी.एल.एफ. को बारी बारी से आवंटित किया जाना था।

यह देखा गया कि मिशन के अंतर्गत चयनित क्लस्टरों में विभिन्न क्रियान्वयन एजेंसियों के माध्यम से जनवरी 2019 से अक्टूबर 2024 के बीच ₹ 38.71 करोड़ की लागत से 499 कार्य (सभी 19 क्लस्टरों में 1074 कार्य) पूर्ण किए गए। तथापि, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जारी निर्देशों के चार वर्ष व्यतीत होने के पश्चात भी इन निर्मित परिसंपत्तियों का संचालन एवं रखरखाव सुनिश्चित नहीं किया गया।

चयनित क्लस्टरों में निष्पादित कार्यों[148] का क्लस्टर-वार सार नीचे ***चार्ट-2.3.7*** में दर्शाया गया है, जबकि घटक-वार विवरण ***परिशिष्ट-2.3.5*** में दिया गया है:

[147] जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, क्लस्टर स्तर पर ब्लॉक प्रबंधक, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, संबंधित ग्राम पंचायतों के सरपंच तथा जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के प्रतिनिधि।

[148] राजस्व/आय-सृजन करने वाली अवसंरचनात्मक परियोजनाओं सहित

चार्ट-2.3.7: चयनित क्लस्टरों में सृजित परिसंपत्तियों का सारांश

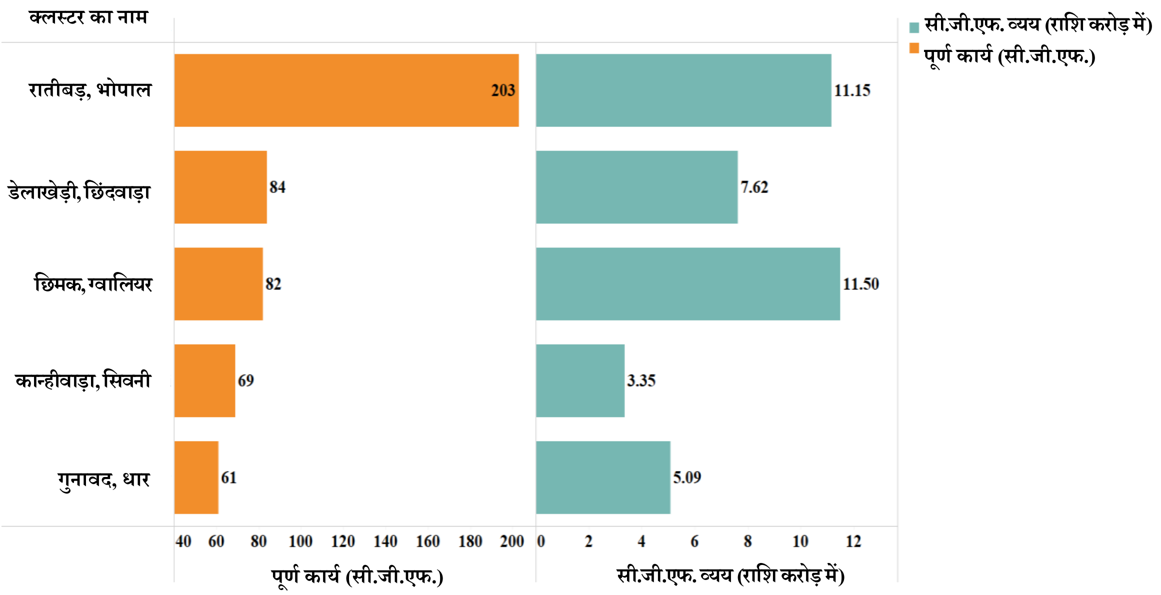

यह देखा गया कि चयनित क्लस्टरों में यात्री प्रतीक्षालयों एवं सामुदायिक भवनों से जुड़ी 18 दुकानें (₹ 82.34 लाख) तथा 27 दुकानों सहित तीन बस स्टैंड (₹1.06 करोड़) निर्मित किए गए एवं संबंधित ग्राम पंचायतों को 05/10/2020 से 19/07/2024 के बीच हस्तान्तरित कर दिए गए। तथापि, इन 45 दुकानों में से कोई भी किराए पर आवंटित नहीं की गई एवं खाली पड़ी रही। इसके अतिरिक्त, बस स्टैंड का संचालन एवं रखरखाव नहीं किया गया। प्रबंधन समिति के गठन के संबंध में जानकारी के अभाव से स्पष्ट होता है कि इन परिसंपत्तियों के संचालन के लिए कोई स्व-सहायता समूह/क्लस्टर लेवल फेडरेशन/ग्राम संगठन शामिल नहीं किए गए। इस प्रकार, निर्माण के चार वर्ष बाद भी, न तो संचालन एवं रखरखाव गतिविधियां शुरू हुई और न ही किराए से राजस्व प्राप्ति ग्राम पंचायतों द्वारा प्रारंभ की गई, जैसा कि नीचे ***चित्र-2.3.5*** में प्रदर्शित है।

चित्र-2.3.5: खाली पड़ी दुकानें

ग्राम पंचायत बेखेड़ा, क्लस्टर गुनावद, धार में यात्री प्रतीक्षालय में खाली दुकानें

ग्वालियर के ग्राम पंचायत सिरसा क्लस्टर-छिमक में खाली पी.डी.एस. की दुकान

शासन ने बताया (अगस्त 2025) कि कुछ परिसंपत्तियों को किराए पर दे दिया गया है, जबकि शेष का उपयोग शीघ्र किया जाएगा, एवं ये परिसंपत्तियाँ पंचायत राज अधिनियम, 1994 के तहत ग्राम पंचायतों के अधिकार क्षेत्र में हैं। इसके अतिरिक्त, एक बार अवसंरचना पूर्ण होने पर, इसे राजस्व सृजन के लिए ग्राम पंचायतों के साथ समझौता ज्ञापन करने के बाद स्व-सहायता समूह/क्लस्टर लेवल फेडरेशन/ग्राम संगठन को सौंप दिया जाएगा।

प्रत्युत्तर से स्पष्ट होता है कि संचालन एवं अनुरक्षण के लिए समझौता ज्ञापन करने के निर्देशों का कड़ाई से पालन नहीं किया गया, जिसके परिणामस्वरूप चार वर्षों तक राजस्व का नुकसान हुआ।

शासन, निर्मित परिसंपत्तियों का उचित स्वामित्व सुनिश्चित कर राजस्व-सृजन करने वाली परियोजनाओं के संचालन एवं रखरखाव गतिविधियों को प्रारंभ करना सुनिश्चित करे।

2.3.3.6 लाभार्थी सर्वेक्षण

मूलभूत सुविधाओं (ग्रामों के बीच सड़क संपर्क, हर समय पाइप से जल आपूर्ति, नालियों सहित ग्राम की सड़को तक पहुँच, ग्राम की स्ट्रीटलाइट, स्वच्छता एवं सार्वजनिक परिवहन) से संबंधित अवसंरचना कार्यों को सीमित हद तक पूर्ण किया गया।

लाभार्थी सर्वेक्षण के दौरान, पाँच चयनित क्लस्टरों के 330 लाभार्थियों से 23 घटकों पर 86 प्रश्न पूछे गए। सेवा वितरण की उपलब्धता एवं अनुपलब्धता का प्रतिशत नीचे ***चार्ट-2.3.8*** में दर्शाया गया है।

चार्ट 2.3.8: लाभार्थी सर्वेक्षण की प्रतिक्रियाओं का सारांश

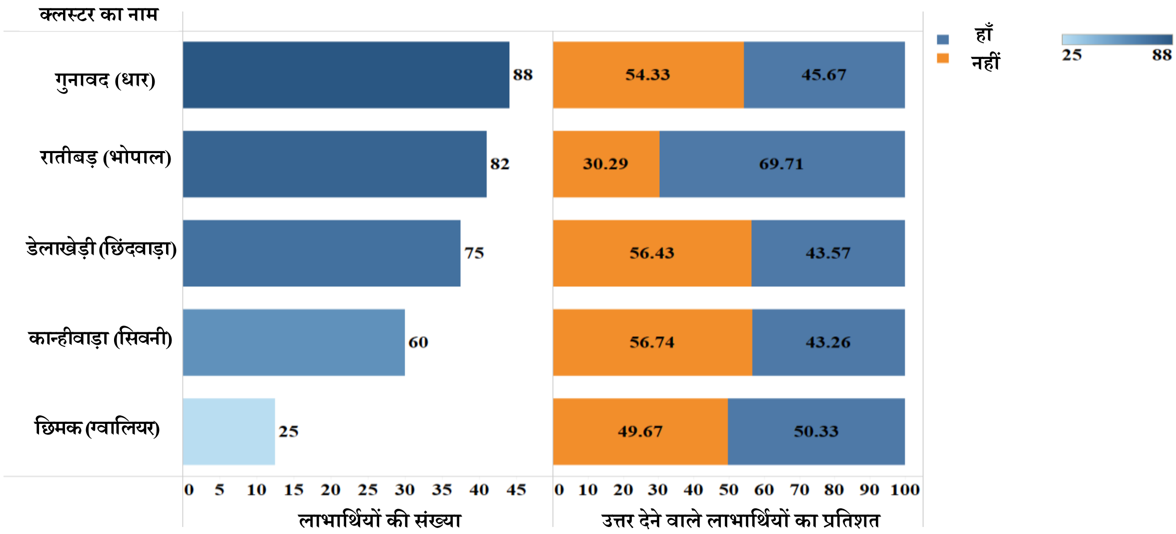

उपरोक्त निष्कर्ष दर्शाते हैं कि 51.08 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने मिशन के अंतर्गत सेवा वितरण-उन्मुख सुविधाओं की उपलब्धता को स्वीकार किया, जबकि 48.92 प्रतिशत ने विपरीत विचार व्यक्त किया, जो यह संकेत देता है कि लगभग आधे लक्षित लाभार्थियों ने इन सेवाओं तक पहुँच में कोई उल्लेखनीय सुधार नहीं देखा।

2.3.4 वित्तीय प्रबंधन

2.3.4.1 रुर्बन मिशन के अंतर्गत निधि जुटाना एवं क्रिटिकल गैप फंडिंग

परियोजना के लिए निधि, संबंधित योजना दिशानिर्देशों के अनुसार विभिन्न केंद्रीय एवं राज्य प्रायोजित योजनाओं के अभिसरण के माध्यम से जुटाई जानी थी जिन्हें राज्य तथा जिला स्तर पर बैंक खातों के माध्यम से भेजा जाना था एवं परियोजना लागत का अधिकतम 30 प्रतिशत (केंद्र और राज्य के बीच 60:40 के अनुपात में साझा) सी.जी.एफ. के रूप में तीन किस्तों में प्रदान किया जाना था। पहली दो किस्तों, प्रत्येक 30 प्रतिशत, का भुगतान क्रमशः भारत सरकार द्वारा समेकित क्लस्टर कार्य योजनाओं की स्वीकृति एवं राज्य स्तरीय सशक्त समिति द्वारा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन की स्वीकृति से सम्बद्ध था। योजना के लिए राज्य नोडल एजेंसी (एस.एन.ए.) को, उपयोगिता प्रमाण पत्र (यू.सी.) प्रस्तुत करने एवं भारत सरकार के अधिकारी द्वारा क्षेत्र का दौरा करने के बाद, तीसरी किस्त के रूप में प्राप्त सी.जी.एफ. के 35 प्रतिशत को परियोजना में हस्तांतरित करना था एवं शेष पांच प्रतिशत सभी परियोजना घटकों के निर्माण के पूर्ण होने के बाद प्रदान किया जाना था।

तीन चरणों में, 19 क्लस्टरों को अभिसरण एवं सी.जी.एफ. से प्राप्त निधि तथा उसके उपयोग का विवरण ***तालिका-2.3.3*** में दिया गया है:

तालिका-2.3.3: श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन वित्तीय प्रदर्शन - अनुमोदित, जारी एवं व्यय की तुलना

(₹ करोड़ में)

चरण	क्लस्टरों की संख्या	क्लस्टर में ग्राम पंचायतों की संख्या	अभिसरण		सी.जी.एफ.					कुल निवेश (4+6)	कुल व्यय	
						जारी किया						
			अनुमोदित	व्यय	अनुमोदित	केंद्रांश	राज्यांश	कुल (7+8)	व्यय		धनराशि	प्रतिशत (12/11 x 100)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**
I	7	80	554.24	385.77	180.00	56.70	37.80	94.50	71.68	734.24	457.45	62.30
II	6	48	417.07	272.43	135.00	28.35	18.90	47.25	32.80	552.07	305.23	55.29
III	6	39	320.84	246.00	90.00	21.60	14.40	36.00	32.33	410.84	278.33	67.75
कुल	**19**	**167**	**1292.15**	**904.20**	**405.00**	**106.65**	**71.10**	**177.75**	**136.81**	**1697.15**	**1041.01**	**61.34**

डेटा स्रोत: rurban.gov.in, दिनांक 16/04/2024 के अनुसार

उपरोक्त से स्पष्ट है कि अभिसरण के अंतर्गत ₹ 1,292.15 करोड़ की स्वीकृत राशि के विरुद्ध ₹ 904.20 करोड़ (70 प्रतिशत) का व्यय किया गया, जबकि ₹ 405 करोड़ के स्वीकृत सी.जी.एफ. घटक के विरुद्ध ₹ 136.81 करोड़ (33.78 प्रतिशत) का व्यय हुआ। इस प्रकार, योजना के तृतीय चरण तक ₹ 1,697.15 करोड़ की कुल स्वीकृति के विरुद्ध ₹ 1,041.01 करोड़ (61.34 प्रतिशत) का व्यय किया गया, जिसमें से ₹ 904.20 करोड़ (86.86 प्रतिशत) अभिसरण के माध्यम से तथा ₹136.81 करोड़ (13.14 प्रतिशत) सी.जी.एफ. के माध्यम से व्यय किया गया। यह राज्य की, अभिसरण निधि पर अधिक निर्भरता को दर्शाता है, जबकि सी.जी.एफ. संसाधनों का अपेक्षाकृत सीमित उपयोग हुआ, जिसके परिणामस्वरूप स्वीकृत निधियों का एक महत्वपूर्ण भाग अव्ययित रह गया। इसके अतिरिक्त, यह धीमी क्रियान्वयन प्रगति को भी दर्शाता है तथा योजना के समापन से पूर्व गतिविधियों के समयबद्ध पूर्णता में बाधा उत्पन्न करने वाली योजना निर्माण, क्रियान्वयन और निगरानी में विद्यमान कमियों की ओर संकेत करता है।

शासन ने बताया (अगस्त 2025) कि प्रारंभ में निधि, आवंटित क्रिटिकल गैप फंड (गैर-जनजातीय के लिए ₹30 करोड़ एवं जनजातीय के लिए ₹ 15 करोड़) के अनुसार क्लस्टर-वार जारी की गई थी, दूसरी किस्त पहली किस्त के 60 प्रतिशत उपयोग के बाद जारी की गई। बाद में, भारत सरकार ने प्रक्रिया में संशोधन किया तथा क्लस्टर-वार आवंटन के बजाय एक सामान्य पूल के माध्यम से निधि के उपयोग के निर्देश दिए।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि निधि जारी करने की प्रक्रिया में बदलाव, विलंब तथा अव्ययित शेष राशि को उचित नहीं ठहराता, जो कमजोर वित्तीय योजना और खराब निगरानी को दर्शाता है।

2.3.4.2 सी.जी.एफ. निधियों का अनियमित उपयोग

क्लस्टरों के विकास हेतु प्राप्त सी.जी.एफ. को एस.एन.ए. द्वारा जिला स्तर पर अधिकृत बैंक खातों में स्थानांतरित किया जाना था। इन निधियों का उपयोग समेकित क्लस्टर कार्य योजनाओं के उन घटकों के लिए किया जाना था, जिन्हें सी.जी.एफ. से वित्तपोषित करने का प्रस्ताव किया गया था।

यह देखा गया कि संचालक, रुर्बन मिशन, भोपाल द्वारा फरवरी 2018 में ₹ 30.00 करोड़ की राशि अनियमित रूप से मध्य प्रदेश रोजगार गारंटी योजना (एम.पी.ई.जी.एस.) को हस्तांतरित की गई। इस राशि की प्रतिपूर्ति दो किश्तों अर्थात् ₹ 24.58 करोड़ (जनवरी 2019) एवं ₹ 5.42 करोड़ (मार्च 2019) के माध्यम से की गई। यह अनियमित हस्तांतरण, निधि प्रबंधन में अनियमितताओं

को दर्शाता है, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 78.26 लाख के ब्याज की हानि हुई तथा योजना गतिविधियों का समयबद्ध क्रियान्वयन प्रभावित हुआ।

शासन ने कहा (अगस्त 2025) कि निधियों पर कोई ब्याज अर्जित नहीं हुआ, क्योंकि इनका उपयोग एम.जी.एन.आर.ई.जी.एस. के कर्मचारियों के वेतन एवं मानदेय के भुगतान में किया गया, जो कि अनियमित उपयोग नहीं था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि मिशन की निधियों का स्वीकृत गतिविधियों के अतिरिक्त अन्य उद्देश्यों के लिए व्यपवर्तन पाया गया, जो सुदृढ़ वित्तीय अनुशासन की आवश्यकता को रेखांकित करता है।

2.3.4.3 उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न किया जाना

दिशा-निर्देशों में यह निर्धारित किया गया है कि, सामान्य वित्तीय नियम (जी.एफ.आर.) मानकों के अनुसार उपयोगिता प्रमाण-पत्र (यू.सी.) को प्रस्तुत किए जाने तथा भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय (एम.ओ.आर.डी.) द्वारा स्थल के दौरे के उपरांत सी.जी.एफ. की 40 प्रतिशत की तृतीय किश्त जारी की जानी थी। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा स्थलों का निरीक्षण कर परियोजना की पूर्णता का सत्यापन किया जाना था। पूर्णता प्रतिवेदन की एक प्रति मंत्रालय को सूचना एवं अभिलेख हेतु भेजी जानी थी।

यह देखा गया (जुलाई 2024) कि परियोजना व्यय के लिए योजना के अंतर्गत एस.एन.ए. को भारत सरकार एवं मध्य प्रदेश शासन से ₹ 177.75 करोड़ प्राप्त हुए। ₹ 120.41 करोड़ के परियोजना व्यय के विरुद्ध, वर्ष 2020-21 तक की अवधि के लिए ₹ 90.20 करोड़ के उपयोगिता प्रमाण-पत्र भारत सरकार को भेजे गए, जिससे 30 सितंबर 2021 की स्थिति में ₹ 30.21 करोड़ के उपयोगिता प्रमाण-पत्र लंबित थे। वर्ष 2021-22 से 2023-24 तक की अवधि के लिए एस.एन.ए. के बहीखाते लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किए गए। इसलिए, लेखापरीक्षा, व्यय एवं बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र की वर्तमान स्थिति सुनिश्चित नहीं कर सकी।

यह भी देखा गया कि एस.एन.ए. द्वारा ₹ 11.08 करोड़ की प्राप्ति के विरुद्ध प्रशासनिक व्यय पर ₹ 6.15 करोड़ (वर्ष 2016-17 से 2020-21 के दौरान) व्यय किए गए। इस घटक के संबंध में ₹ 3.14 करोड़ के उपयोगिता प्रमाण-पत्र भारत सरकार को भेजे गए, जबकि ₹ 3.01 करोड़ के उपयोगिता प्रमाण-पत्र लंबित रहे। भारत सरकार को इसके पश्चात कोई और उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किए गए तथा मिशन के अंतर्गत तृतीय किश्त के रूप में कोई निधि जारी नहीं की गई।

शासन ने कहा (अगस्त 2025) कि वर्ष 2020-21 तक के लेखापरीक्षित उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर दिए गए थे, जबकि वर्ष 2021-24 के उपयोगिता प्रमाण-पत्र तैयार हैं, परंतु अक्टूबर 2021 में शक्तियों के प्रत्यायोजन के पश्चात जिलों से लेखापरीक्षित उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त होने में विलंब के कारण उनके प्रस्तुतिकरण में विलंब हुआ।

शक्तियों का प्रत्यायोजन उपयोगिता प्रमाण-पत्रों के विलंबित प्रस्तुतिकरण को उचित नहीं ठहरा सकता, क्योंकि यह मूलभूत जवाबदेही आवश्यकता है। लंबित स्थिति, कमजोर वित्तीय नियंत्रण एवं अपर्याप्त निगरानी को दर्शाती है, जो लेखापरीक्षा टिप्पणी को सही साबित करता है। इसके अतिरिक्त, विभाग द्वारा बाद में प्रस्तुत किए गए उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की प्रतियां उपलब्ध नहीं कराई गई तथा लेखापरीक्षा को बहीखाते प्रस्तुत न किए जाने के संबंध में कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया।

2.3.5 आंतरिक, गुणवत्ता नियंत्रण एवं निगरानी

रुर्बन मिशन के अंतर्गत राज्य स्तर पर निम्नलिखित समितियों का गठन किया जाना था। इन समितियों के गठन की स्थिति ***तालिका-2.3.4*** में दर्शाई गई है:

तालिका-2.3.4: विभिन्न समितियों के कर्तव्य

स.क्र.	दिशानिर्देशों की कंडिका संख्या	समिति का नाम	समिति के कर्तव्य	गठन किया गया अथवा नहीं
1.	9.1.2	राज्य स्तरीय सशक्त समिति (एस.एल.ई.सी.)	राज्य स्तरीय सशक्त समिति, अभिसरण एवं क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए, मिशन निदेशालय को प्रस्तुत करने से पहले समेकित क्लस्टर कार्य योजना एवं विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डी.पी.आर.) की अनुशंसा/अनुमोदन करती है	गठित
2.	9.1.3	जिला स्तरीय समिति (डी.एल.सी.)	जिला स्तरीय समिति को जिला स्तर पर निर्णय, विशेष रूप से अभिसरण एवं समन्वय के संबंध में, लेने का अधिकार है।	चयनित क्लस्टरों के जिलों में गठित
3.	8.1.2	राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई (एस.पी.एम.यू.)	विभाग/एस.एन.ए. को एक राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी, जिसे विभाग/एस.एन.ए. में स्थापित किया जाएगा।	गठित
4.	8.1.3	जिला परियोजना प्रबंधन इकाई (डी.पी.एम.यू.)	जिला कलेक्टर के कार्यालय में स्थापित। जिला परियोजना प्रबंधन इकाई में क्षेत्रीय योजना, समवर्ती क्रियाएँ एवं ग्रामीण विकास के विशेषज्ञ होते हैं, जो जिला कलेक्टर को रिपोर्ट करते हैं।	चयनित क्लस्टरों के जिलों में गठित
5.	8.1.4	क्लस्टर विकास एवं प्रबंधन इकाई (सी.डी.एम.यू.)	क्लस्टर विकास एवं प्रबंधन इकाई में ऐसे विशेषज्ञ शामिल हैं जो स्थानिक आयोजना, समेकित क्लस्टर कार्य योजना की तैयारी एवं परियोजना की प्रगति की निगरानी करते हैं, जो जिला परियोजना प्रबंधन इकाई अथवा राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई को अपडेट प्रदान करते हैं।	चयनित क्लस्टरों में गठित

इन समितियों की कार्यप्रणाली में देखी गई अनियमितताओं को अगली कंडिकाओं में उल्लिखित किया गया है।

2.3.5.1 एस.एन.ए. द्वारा अपर्याप्त निगरानी एवं मूल्यांकन

दिशा-निर्देशों के अनुसार, इस योजना में प्रभावी निगरानी एवं मूल्यांकन तंत्र होना अपेक्षित था। सी.जी.एफ. की तृतीय किश्त जारी होने से पहले क्षेत्र का भ्रमण किया जाना था। इस टीम में मंत्रालय के साथ-साथ राज्य नोडल एजेंसी के अधिकारी भी शामिल होने थे।

राज्य नोडल एजेंसी द्वारा किये गए किसी भी क्षेत्र के भ्रमण के संबंध में एस.एन.ए. अथवा चयनित जिला पंचायतों द्वारा कोई विवरण प्रदान नहीं किया गया था। इसलिए, लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित नहीं कर सकी कि एस.एन.ए. द्वारा कितनी बार निरीक्षण किए गए। हालांकि, लेखापरीक्षा पृच्छा के उत्तर में, जिला पंचायत भोपाल और धार ने बताया (जनवरी 2025) कि राज्य स्तर पर कोई निरीक्षण नहीं किया गया। जिला पंचायत छिंदवाड़ा ने उत्तर (जनवरी 2025) दिया कि तृतीय किश्त जारी होने से पहले राज्य स्तरीय प्राधिकारी द्वारा निरीक्षण किया गया था, लेकिन निरीक्षण का कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया। जियो-टैगिंग के माध्यम से वेब आधारित निगरानी भी किए जाने की जानकारी दी गई।

शासन ने कहा (अगस्त 2025) कि युवा विशेषज्ञों एवं जिला कलेक्टरों द्वारा निगरानी की गई थी, जिसमें विलंब के लिए ग्रामीण यांत्रिकी सेवा (आर.ई.एस.) एवं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (पी.एच.ई.) को जिम्मेदार ठहराया गया। वर्ष 2020 तक एस.एन.ए. में सीमित मानवशक्ति के कारण भ्रमण बाधित रहे, लेकिन वर्ष 2021 में अतिरिक्त स्टाफ पदस्थापना के बाद, कार्यों में तेजी लाने हेतु कुछ जिलों के भ्रमण एवं अपर मुख्य सचिव समीक्षा बैठकें आयोजित की गईं।

निगरानी को सुदृढ़ करने में विलंब और सीमित कर्मचारियों पर अधिक निर्भरता अपर्याप्त पर्यवेक्षण को दर्शाती है। कमजोर निगरानी के कारण कार्यों की प्रगति धीमी रही एवं निम्न गुणवत्ता वाले कार्य हुए, जैसा कि ***कंडिका 2.3.3.1*** और ***2.3.5.4*** में उल्लेख किया गया है।

इस प्रकार, ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा-प्रदाय केंद्रित सुविधाओं के विकास से संबंधित लक्ष्यों एवं अपेक्षित परिणामों की प्राप्ति का मूल्यांकन नहीं किया गया।

2.3.5.2 जिला स्तरीय समिति (डी.एल.सी.) द्वारा अपर्याप्त निगरानी

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के आदेश (अगस्त 2018) के अनुसार जिला स्तरीय समिति का गठन किया गया था, जो मिशन के क्रियान्वयन की प्रगति पर निगरानी रखने, निधियों के निर्गमन, निधियों के उपयोग की समीक्षा, स्थल निरीक्षण, विभिन्न क्षेत्रों के बीच अभिसरण स्थापित करने तथा कार्यों की निगरानी के लिए उत्तरदायी थी। जिला स्तरीय समिति की बैठक प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार आयोजित की जानी थी।

आवश्यक 14 बैठकों[149] के विरुद्ध, प्रत्येक चयनित क्लस्टर में जिला स्तरीय समिति की केवल एक बैठक[150] आयोजित की गई, जो क्लस्टर को योजना क्षेत्र के रूप में अधिसूचित करने हेतु थी। जिला स्तरीय समिति की नियमित बैठकों के अभाव में योजना के अंतर्गत गतिविधियों की निगरानी अपर्याप्त रही।

शासन ने स्वीकार किया (अगस्त 2025) कि जिला स्तरीय समिति द्वारा निगरानी अपर्याप्त थी, तथापि राज्य कार्यालय द्वारा जिला प्राधिकारियों को नियमित निर्देश जारी कर समीक्षा एवं स्थल स्तर पर निगरानी सुनिश्चित किए जाने की बात कही गई।

2.3.5.3 विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा किए गए निर्माण कार्यों पर नियंत्रण

भारत सरकार ने मिशन के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को सौंपी थी। मिशन के अंतर्गत कार्यों पर व्यय की जाने वाली राशि संबंधित विभागों की योजनाओं से की जानी थी तथा इसे सी.जी.एफ. घटक के माध्यम से प्रतिपूर्ति किया जाना था। राज्य स्तरीय सशक्त समिति ने निर्णय लिया (दिसंबर 2021) कि लेखापरीक्षा हेतु अभिलेख/आंकड़े उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी जिला पंचायत की होगी।

यह देखा गया कि ***परिशिष्ट-2.3.6*** में वर्णित (जिसका सारांश नीचे ***तालिका 2.3.5*** में दिया गया है) 527 कार्य विभिन्न विभागों द्वारा सी.जी.एफ. घटक से कराए गए। निधियां संचालक, रुर्बन मिशन के माध्यम से सीधे क्रियान्वयन एजेंसियों को प्रदान की गई। परिणामस्वरूप, जिला पंचायतों के पास इन कार्यों से संबंधित पूर्ण अभिलेख उपलब्ध नहीं थे, जिसके कारण लेखापरीक्षा सत्यापन हेतु आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं हो सके।

तालिका 2.3.5 : सी.जी.एफ. से कराए गए कार्यों का विवरण

(₹ करोड़ में)

	राज्य स्तर			चयनित क्लस्टरों में		
विभाग का नाम	**कार्यों की संख्या**	**सी.जी.एफ.-प्रशासकीय स्वीकृति**	**सी.जी.एफ.-व्यय**	**कार्यों की संख्या**	**सी.जी.एफ.-प्रशासकीय स्वीकृति**	**सी.जी.एफ.-व्यय**
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	161	73.81	56.36	52	24.16	18.94
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	39	6.67	4.16	20	2.68	1.64
ग्रामीण यांत्रिकी सेवाएं (आर.ई.एस.)	155	39.27	20.99	36	7.43	3.40
राजीव गांधी मिशन (आर.जी.एम.)	172	23.71	15.57	66	5.27	3.47
कुल	**527**	**143.46**	**97.08**	**174**	**39.54**	**27.45**

[149] अगस्त 2018 से मार्च 2024 के दौरान

[150] भोपाल-08/09/2020, धार-07/12/2020, सिवनी- 07/09/2020, छिंदवाड़ा-28/09/2020 एवं ग्वालियर-27/03/2021

शासन ने कहा (अगस्त 2025) कि राज्य कार्यालय द्वारा जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को नियमित रूप से निर्देश दिए जाते रहे कि वे क्रियान्वयन एजेंसियों के साथ समीक्षा बैठकें आयोजित करें तथा क्षेत्र के भ्रमण के दौरान कार्यों की निगरानी करें।

2.3.5.4 संयुक्त भौतिक सत्यापन

विभागीय अधिकारियों के साथ ग्राम पंचायतों द्वारा निष्पादित 140 कार्यों का संयुक्त भौतिक सत्यापन (जे.पी.वी.) किया गया (विवरण ***परिशिष्ट-2.3.7*** में दिया गया है)। इसमें पाया गया कि छह कार्य अपूर्ण थे। आगे यह भी देखा गया कि 84 कार्य[151] ***(परिशिष्ट-2.3.8)*** ग्राम पंचायतों द्वारा बिना सामग्री परीक्षण के निष्पादित किए गए, जबकि पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अगस्त 2005 के आदेश के अनुसार यह आवश्यक था। सामग्री का प्रयोगशाला परीक्षण न किए जाने से निर्माण कार्यों की निम्न गुणवत्ता का जोखिम बना रहता है। संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान लेखापरीक्षा ने 12 कार्यों में निम्न गुणवत्ता भी पाई। निम्न गुणवत्ता वाले तीन स्थलों के चित्र नीचे दर्शाए गए हैं:

चित्र-2.3.6: संयुक्त भौतिक सत्यापन में चिन्हित निम्न गुणवत्ता वाले कार्य

आंगनवाड़ी, बड़ा बाजार, ग्राम पंचायत सिकंदराबाद, रातीबड़ क्लस्टर, भोपाल के निम्न गुणवत्ता वाले कार्य

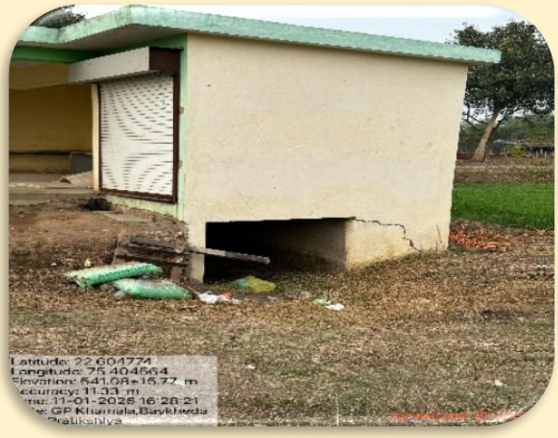

यात्री प्रतीक्षालय, ग्राम पंचायत बायखेड़ा, गुनावद क्लस्टर, धार

आंगनवाड़ी, नई बस्ती, ग्राम पंचायत सिकंदराबाद, केदड़िया, रातीबड़ क्लस्टर, भोपाल के निम्न गुणवत्ता वाले कार्य

[151] रातीबड़-28, छिमक-22, गुनावद-10, डेलाखेड़ी-24

शासन ने कहा (अगस्त 2025) कि संबंधित जिलों को अपूर्णता के कारण स्पष्ट करने और आवश्यक परीक्षण के साथ कार्यों की शीघ्र पूर्णता सुनिश्चित करने हेतु पत्र जारी किए गए थे।

उक्त चिन्हित किये गए प्रकरण पर विस्तृत उत्तर लेखापरीक्षा में प्रतीक्षित (अक्टूबर 2025) था।

2.3.6 निष्कर्ष

श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन की लेखापरीक्षा में शासन व्यवस्था, अनुपालन एवं आंतरिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण कमियां पाई गईं, जो सम्पूर्ण राज्य में मिशन के क्रियान्वयन में अंतर्निहित अक्षमताओं का संकेत देती हैं।

लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि यद्यपि मिशन को 31/03/2022 को बंद कर दिया गया था एवं भारत सरकार के निर्देश थे कि सभी स्वीकृत अथवा प्रतिबद्ध कार्य पूर्ण किए जाएँ, फिर भी इसके बंद होने के दो वर्ष बाद भी 48 प्रतिशत कार्य अपूर्ण रहे अथवा प्रारंभ नहीं किए गए थे।

शासन ने मिशन के अंतर्गत भूमि उपयोग एवं सेवा लिंकेज के स्थानिक मानचित्रण के बिना विभिन्न अवसंरचना परियोजनाओं को निष्पादित किया, जिसने रुर्बन क्लस्टरों के नियोजित एवं सतत विकास को प्राप्त करने के उद्देश्य को कमजोर कर दिया।

इसके अतिरिक्त, शासन ने मिशन के अंतर्गत कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रों का समेकित विकास सुनिश्चित नहीं किया, जिससे क्लस्टरों में आय सृजन तथा सतत आर्थिक विकास के अवसर सीमित रहे। इसी तरह, लक्षित परिवारों को पाइप द्वारा जल आपूर्ति प्रदान करने एवं लक्षित बच्चों को बेहतर शिक्षा एवं मानसिक विकास के लिए स्मार्ट कक्षाएँ स्थापित करने जैसे उद्देश्यों को अपेक्षित रूप से प्राप्त नहीं किया गया था। यह भी देखा गया कि स्थानीय अवसंरचना एवं कौशल विकास के लिए प्रावधान किए गए थे, लेकिन उनका क्रियान्वयन अपर्याप्त रहा, जिसके परिणामस्वरूप निर्धारित उद्देश्यों और वास्तविक परिणामों के बीच अंतर उत्पन्न हुआ।

संबंधित ग्राम पंचायतों द्वारा समझौता ज्ञापन (एम.ओ.यू.) न किए जाने के कारण, आय-सृजन करने वाली संपत्तियों को स्व-सहायता समूहों (एस.एच.जी.), क्लस्टर लेवल फेडरेशन (सी.एल.एफ.) अथवा ग्राम संगठनों (वी.ओ.) को हस्तांतरित नहीं किया गया, जिसके परिणामस्वरूप उनके संचालन एवं रखरखाव की गतिविधियाँ प्रारंभ नहीं हो सकीं।

लेखापरीक्षा ने आगे यह भी देखा कि राज्य द्वारा किए गए कुल व्यय का 86.86 प्रतिशत अभिसरण के माध्यम से किया गया, जबकि केवल 13.14 प्रतिशत व्यय क्रिटिकल गैप फंड (सी.जी.एफ.) से किया गया, जो अभिसरण संसाधनों पर अधिक निर्भरता एवं सी.जी.एफ. निधि के सीमित उपयोग को दर्शाता है। जिला स्तरीय समिति (डी.एल.सी.) की बैठकों का अपर्याप्त आयोजन एवं निष्पादित कार्यों में प्रयुक्त सामग्री का प्रयोगशाला परीक्षण न किया जाना, मिशन के क्रियान्वयन में आंतरिक नियंत्रण तंत्र की कमजोरी को प्रदर्शित करता है, जिसकी, लेखापरीक्षा द्वारा किए गए संयुक्त भौतिक सत्यापन के निष्कर्षों द्वारा भी, पुष्टि होती है।

कुल मिलाकर, लेखापरीक्षा का निष्कर्ष है कि मध्य प्रदेश में मिशन की सफलता सीमित रही, एवं उपलब्धियाँ मुख्यतः अन्य योजनाओं के साथ अभिसरण के माध्यम से वित्तपोषित परियोजनाओं के क्रियान्वयन तक ही सीमित रहीं।

2.3.7 अनुशंसाएं

शासन सुनिश्चित करे

- *मिशन के अंतर्गत प्रतिबद्ध प्रगतिरत परियोजनाओं को पूर्ण किया जाना **(कंडिका 2.3.3.1 एवं 2.3.3.2(iv) के संदर्भ में)**,*
- *निर्मित परिसंपत्तियों का उचित स्वामित्व सुनिश्चित कर राजस्व-सृजन करने वाली परियोजनाओं के संचालन एवं रखरखाव गतिविधियों को आरंभ करना **(कंडिका 2.3.3.5 के संदर्भ में)**,*
- *अपर्याप्त योजना, क्रियान्वयन, निगरानी एवं वित्तीय प्रबंधन के लिए उत्तरदायित्व निर्धारित करना **(कंडिका 2.3.2.2, 2.3.3.1, 2.3.4.1, 2.3.5.2 एवं 2.3.5.3 के संदर्भ में)**।*

ग्वालियर
दिनांक: 16 अप्रैल 2026

(सिद्धार्थ बोन्दाडे)
महालेखाकार (लेखापरीक्षा-प्रथम),
मध्य प्रदेश

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक: 22 अप्रैल 2026

(के. संजय मूर्ति)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

परिशिष्ट

परिशिष्ट-1.1

लेखापरीक्षा-प्रथम के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अंतर्गत विभाग द्वारा उपयोग किए जाने वाले आई.टी. अनुप्रयोगों का विवरण

[संदर्भ: कंडिका संख्या 1.2, पृष्ठ संख्या 2]

क्रम संख्या	विभाग का नाम	प्रयुक्त आई.टी. अनुप्रयोगों की संख्या	आई.टी. अनुप्रयोग का नाम	आई.टी. अनुप्रयोग का स्वामी	क्या सुरक्षा प्रमाणपत्र CERT-IN में सूचीबद्ध विक्रेता द्वारा जारी किया गया है या राज्य स्तर पर नामित इकाई द्वारा?
1.	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	08	ऑनलाइन प्रबंधन, निगरानी एवं लेखा प्रणाली (ओ.एम.एम.एस.) (एम.पी.आर.आर.डी.ए.) (omms.nic.in)	जानकारी प्रतीक्षित है	
			ऑनलाइन कार्य प्रबंधन प्रणाली (ओ.डब्ल्यू.एम.एस.) (आर.ई.एस.)		
			पंचायत दर्पण 2.0 (पी.आर.आई. के लिए जी.ओ.एम.पी. पोर्टल) (mppanchayatdarpan.gov.in)	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	सी.ई.आर.टी.-इन पैनल में शामिल विक्रेता एम.पी.एस.ई.डी.सी. द्वारा जारी
			ई-ग्रामेश्वर (पी.आर.आई. के लिए भारत सरकार का पोर्टल) (egramswaraj.gov.in)	जानकारी प्रतीक्षित है	
			sbm.gov.in		
			आवास सॉफ्ट (awaassoft.nic.in)		
			पी.एम.के.एस.वाई. डब्ल्यू.डी.सी. 2.5 एम.आई.एस. एंट्री सॉफ्टवेयर (wdcpmksy.dolr.gov.in)		
			मनरेगा एम.आई.एस. (nreganarep.nic.in)		
2.	नगरीय विकास एवं आवास विभाग	05	ई-नगरपालिका 2.0 (यू.एल.बी.) enagarpalika.mp.gov.in	जानकारी प्रतीक्षित है	
			Mphidbonline.com (एम.पी.एच.आई.डी.बी.)		
			ए.एल.पी.ए.एस.एस. (स्वचालित लेआउट प्रक्रिया अनुमोदन एवं जांच प्रणाली)		
			टी.डी.आर. (हस्तांतरणीय विकास अधिकार) dtcp.mp.gov.in		
			mptownplan.gov.in		
3.	जेल विभाग	01	ई-कारागार (केंद्र सरकार)	जानकारी प्रतीक्षित है	
4.	विधि एवं विधायी प्रकरणों का विभाग	14	एफ.टी.एम.एस. (एल एवं एल.ए. विभाग)	जानकारी प्रतीक्षित है	
			www.law.mp.gov.in (एल एवं एल.ए. विभाग)		
			एम.पी. ई-ऑफिस (राज्य शासन)		
			आई.एफ.एम.आई.एस. (राज्य शासन)		
			एम.पी. ई-टेंडर (राज्य शासन)		
			जी.ई.एम. (केंद्र सरकार)		
			एम.पी. कोड (राज्य शासन)		
			सी.एम. डैशबोर्ड (राज्य शासन)		
			एम.एम.एस. (राज्य शासन)		
			एन.आई.सी.-ई-ग्रंथालय (राज्य शासन)		
			एम.पी. संकल्प पोर्टल (राज्य शासन)		
			विज्ञापन प्रबंधन प्रणाली (राज्य शासन)		
			मुख्यमंत्री हेल्पलाइन (राज्य शासन)		

क्रम संख्या	विभाग का नाम	प्रयुक्त आई.टी. अनुप्रयोगों की संख्या	आई.टी. अनुप्रयोग का नाम	आई.टी. अनुप्रयोग का स्वामी	क्या सुरक्षा प्रमाणपत्र CERT-IN में सूचीबद्ध विक्रेता द्वारा जारी किया गया है या राज्य स्तर पर नामित इकाई द्वारा?
			ई-आवास, सम्पदा (राज्य शासन)		
5.	गृह विभाग	18	सी.सी.टी.एन.एस. एम.पी. (सी.आई.आई.)	जानकारी प्रतीक्षित है	
			ई-विवेचना (सी.आई.आई.)		
			ई-रक्षक (सी.आई.आई.)		
			ई-एफ.आई.आर. (सी.आई.आई.)		
			ई-साक्ष्य , (सी.आई.आई.)		
			आई.टी.एस.एस.एस.ओ. (सी.आई.आई.)		
			आई.सी.जे.एस. (सी.आई.आई.)		
			एन.डी.एस.ओ. (सी.आई.आई.)		
			क्रि-मैक (सी.आई.आई.)		
			ई-ऑफिस (उपयोगकर्ता स्तर तक पहुंच)		
			IFMIS (उपयोगकर्ता स्तर तक पहुंच)		
			जीईएम पोर्टल (उपयोगकर्ता स्तर तक पहुंच)		
			जीएसटी पोर्टल (उपयोगकर्ता स्तर तक पहुंच)		
			एम.पी.संपदा (उपयोगकर्ता स्तर तक पहुंच)		
			एम.पी. पुलिस (www.mppolice.gov.in)		
			एन.ए.एफ.आई.एस. (सी.आई.आई.)		
			एम.पी. पुलिस ई-मेल		
			एफ.पी. पोर्टल		
6.	महिला एवं बाल विकास विभाग	14	विभागीय एम.आई.एस. पोर्टल (https://mpwcdmis.gov.in)	महिला एवं बाल विकास संचालनालय मध्य प्रदेश	एम.पी.एस.ई.डी.सी. (राज्य स्तरीय निर्धारित इकाई)
			मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना (https://cmladlibahna.mp.gov.in)	महिला एवं बाल विकास संचालनालय मध्य प्रदेश	एम.पी.एस.ई.डी.सी. (राज्य स्तरीय निर्धारित इकाई)
			मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना (https://ladlilaxmi.mp.gov.in)	महिला एवं बाल विकास संचालनालय मध्य प्रदेश	एम.पी.एस.ई.डी.सी. (राज्य स्तरीय निर्धारित इकाई)
			संपर्क अनुप्रयोग	जानकारी प्रतीक्षित है	
			संबल आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 (https://poshantracker.in)		
			प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (https://pmrvy.wcd.gov.in)		
			मिशन शक्ति पोर्टल (https://missionshakti.wcd.gov.in)		
			मिशन वात्सल्य पोर्टल (https://missionvatsalya.wcd.gov.in)		
			पी.एम. केयर्स पोर्टल (https://pmcaresforchildren.in)		
			केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण पोर्टल (https://cara.wcd.gov.in)		
			मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना पोर्टल (https://services.mp.gov.in)		
			मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना पोर्टल (https://scps.mp.gov.in)		
			बाल स्वराज पोर्टल (https://ncpcr.gov.in/baalswaraj)		
			घर' (घर जाओ एवं फिर से एकजुट हो) पोर्टल (https://ncpcr.gov.in)		

क्रम संख्या	विभाग का नाम	प्रयुक्त आई.टी. अनुप्रयोगों की संख्या	आई.टी. अनुप्रयोग का नाम	आई.टी. अनुप्रयोग का स्वामी	क्या सुरक्षा प्रमाणपत्र CERT-IN में सूचीबद्ध विक्रेता द्वारा जारी किया गया है या राज्य स्तर पर नामित इकाई द्वारा?
7.	जनजातीय कल्याण विभाग	11	ई-एच.आर.एम.एस.	जानकारी प्रतीक्षित है	
			विभागीय वेबसाइट (http://www.tribal.mp.gov.in/MPTAASC)		
			ई-ऑफिस		
			आई.एफ.एम.आई.एस.		
			पी.एफ.एम.एस.		
			सी.एम. मोनिट		
			सी.एस. मोनिट		
			सी.एम. हेल्पलाइन		
			आदि संस्कृति पोर्टल		
			आदि कलाकार		
			एम.ए.पी.सी.ई.टी. पोर्टल		
8.	विमुक्त घुमंतू एवं अर्ध घुमंतू विभाग	शून्य	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	
9.	पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	शून्य	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	
10.	अनुसूचित जाति विकास विभाग	शून्य	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	
11.	आयुष विभाग	03	सी.एम.एस आधारित आयुष विभाग की वेबसाइट	आयुष विभाग	राज्य स्तरीय निर्धारित इकाई
			ऑनलाइन ड्रग लाइसेंसिंग पोर्टल	आयुष विभाग	CERT-IN पैनल में शामिल
			ई-संजीवनी	एम.ओ.डब्ल्यू.एफ.एच.	-
12.	सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन कल्याण	09	सामाजिक सुरक्षा पोर्टल	एन.आई.सी. द्वारा विकसित एवं प्रबंधित	एम.पी.एस.ई.डी.सी. द्वारा 02.05.2025 को जारी सुरक्षा प्रमाण पत्र
			स्पर्श पोर्टल	एन.आई.सी. द्वारा विकसित एवं प्रबंधित	एम.पी.एस.ई.डी.सी. द्वारा 02.05.2025 को जारी सुरक्षा प्रमाण पत्र
			विवाह पोर्टल	एन.आई.सी. द्वारा विकसित एवं प्रबंधित	एम.पी.एस.ई.डी.सी. द्वारा 02.05.2025 को जारी सुरक्षा प्रमाण पत्र
			विभागीय पोर्टल	एन.आई.सी. द्वारा विकसित एवं प्रबंधित	एम.पी.एस.ई.डी.सी. द्वारा 02.05.2025 को जारी सुरक्षा प्रमाण पत्र
			ई-अनुदान (केंद्रीय पोर्टल)	जानकारी प्रतीक्षित है	
			विशिष्ट विकलांगता आई.डी. (केंद्रीय पोर्टल)		
			ट्रांसजेंडर सामुदायिक पोर्टल (केंद्रीय पोर्टल)		
			राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (केंद्रीय (पोर्टल)		
			पी.एफ.एम.एस.		
13.	भोपाल गैस त्रासदी एवं पुनर्वास विभाग	03	विभागीय वेबसाइट (http://www.bgtrrdmp.gov.in)	विभागीय	एम.पी.एस.ई.डी.सी.
			eHospital@NIC	विभागीय	नहीं (यह स्थानीय मेजबान एप्लिकेशन है जो केवल विभाग के अधिकृत व्यक्तियों के लिए सुलभ है)
			इंटरलिंकिंग पोर्टल (http://gasrahat-hospitals.nic.in/gasrahatwebportal/) विकास के	विभागीय	एम.पी.एस.ई.डी.सी.

क्रम संख्या	विभाग का नाम	प्रयुक्त आई.टी. अनुप्रयोगों की संख्या	आई.टी. अनुप्रयोग का नाम	आई.टी. अनुप्रयोग का स्वामी	क्या सुरक्षा प्रमाणपत्र CERT-IN में सूचीबद्ध विक्रेता द्वारा जारी किया गया है या राज्य स्तर पर नामित इकाई द्वारा?
			तहत नया डोमेन URL- http://www.gasrahathospitals.mp.gov.in		
14.	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	10	डी.एच.एस.-सिविल कार्य प्रबंधन प्रणाली	जानकारी प्रतीक्षित है	
			सार्थक ऐप (बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली)		
			ई-एच.आर.एम.एस.		
			ई-ऑफिस		
			मेड एल.ई.पी.आर. एम.पी.-3.0		
			विभागीय वेबसाइट (www.health.mp.gov.in)		
			एम.पी. ई-सेवा पोर्टल		
			सी.टी. स्कैन सॉफ्टवेयर		
			बॉन्ड पोस्टिंग		
			एम.पी.पी.एच.एस.सी.एल. – आई.एम.सी.एस.		
15.	चिकित्सा शिक्षा विभाग	05	विभाग की वेबसाइट (https://medicaleducation.mp.gov.in)	जानकारी प्रतीक्षित है	
			इंटर्नशिप एवं बॉन्ड पोर्टल		
			नीट यू.जी./पी.जी. काउंसलिंग एवं एडमिशन पोर्टल		
			ई-ऑफिस		
			ई-सहायता		
16.	उच्च शिक्षा विभाग	11	उच्च शिक्षा पोर्टल	जानकारी प्रतीक्षित है	
			ई-एच.आर.एम.एस.		
			सार्थक		
			सार्थक विश्लेषणात्मक डैशबोर्ड		
			जी.आई.एस.		
			ई.आर. शीट		
			अतिथि संकाय प्रबंधन		
			पी.एम.सी.ओ.ई. के लिए आवेदन पोस्ट करना		
			ई-प्रवेश		
			ए.सी.आर.		
			ई-ऑफिस		
17.	स्कूल शिक्षा विभाग	09	शिक्षा पोर्टल 3.0	जानकारी प्रतीक्षित है	
			अतिथि संकाय पोर्टल		
			आर.टी.ई. पोर्टल		
			यू..डी.आई.एस.ई. पोर्टल		
			आर.एस.के. पोर्टल		
			शिक्षा पोर्टल 2.0		
			शिक्षा पोर्टल		
			समग्र छात्रवृत्ति		
			विमर्श पोर्टल		
18.	श्रम विभाग	09	श्रम शेवा पोर्टल	जानकारी प्रतीक्षित है	
			धनवंतरी अनुप्रयोग		
			आई.एफ.एम.आई.एस. सॉफ्टवेयर		
			ई.पी.एफ.ओ.		
			ई.एस.आई.सी.		
			lcms.mponline.gov.in		
			sambal.mp.gov.in		
			labour.mp.gov.in		
			shramkalyanmandal.mponline.gov.in		
19.	खेल एवं युवा कल्याण विभाग	शून्य	-	जानकारी प्रतीक्षित है	

क्रम संख्या	विभाग का नाम	प्रयुक्त आई.टी. अनुप्रयोगों की संख्या	आई.टी. अनुप्रयोग का नाम	आई.टी. अनुप्रयोग का स्वामी	क्या सुरक्षा प्रमाणपत्र CERT-IN में सूचीबद्ध विक्रेता द्वारा जारी किया गया है या राज्य स्तर पर नामित इकाई द्वारा?
20.	तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग	12	तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग की वेबसाइट		जानकारी प्रतीक्षित है
			म.प्र. रोजगार पोर्टल		
			कौशल विकास निदेशालय की वेबसाइट		
			मध्य प्रदेश कौशल		
			मध्य प्रदेश राज्य कौशल विकास एवं रोजगार सृजन बोर्ड		
			मध्य प्रदेश कौशल विकास परियोजना		
			तकनीकी शिक्षा निदेशालय		
			मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना		
			ग्लोबल स्किल्स पार्क		
			हर्ष		
			मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना पोर्टल		
			मुख्यमंत्री जनकल्याण (शिक्षा प्रोत्साहन)		
21.	सामान्य प्रशासन विभाग	शून्य	-		जानकारी प्रतीक्षित है
22.	संसदीय कार्य (राज्य विधानमंडल) विभाग	शून्य	-		जानकारी प्रतीक्षित है
23.	जनसंपर्क विभाग	शून्य	-		जानकारी प्रतीक्षित है
24.	राजस्व विभाग	05	एम.पी.भूलेख		जानकारी प्रतीक्षित है
			एम-आर.सी.एम.एस		
			संपदा (ई-पंजीकरण)		
			एस.ए.ए.आर.ए. (राजस्व अनुप्रयोगों का एम.पी. सूट)		
			साइबर तहसील		
25.	लोक सेवा प्रबंधन	शून्य	-		जानकारी प्रतीक्षित है
	कुल	**147**			

परिशिष्ट-1.2

विभाग-वार लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं कंडिकाओं का विवरण

[संदर्भ: कंडिका संख्या 1.6.1, पृष्ठ संख्या 5]

क्रम संख्या	विभाग का नाम	31 मार्च 2024 की स्थिति में लंबित निरीक्षण प्रतिवेदन/कंडिकाओं की संख्या	
		आई.आर.	कंडिका
1.	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	1583	6437
2.	नगरीय विकास एवं आवास विभाग	1551	12288
3.	जेल विभाग	98	379
4.	विधि एवं विधायी कार्यों का विभाग	176	381
5.	गृह विभाग	278	659
6.	महिला एवं बाल विकास विभाग	925	2976
7.	आदिम जाति कल्याण विभाग	674	2124
8.	विमुक्त घुमंतू एवं अर्ध घुमंतू विभाग	06	18
9.	पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	123	496
10.	अनुसूचित जाति विकास विभाग	198	888
11.	आयुष विभाग	160	436
12.	सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन कल्याण	324	1071
13.	भोपाल गैस त्रासदी एवं पुनर्वास विभाग	12	26
14.	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	920	4231
15.	चिकित्सा शिक्षा विभाग	195	966
16.	उच्च शिक्षा विभाग	659	2886
17.	स्कूल शिक्षा विभाग	2360	8246
18.	श्रम विभाग	236	548
19.	खेल एवं युवा कल्याण विभाग	123	426
20.	तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग	345	1182
21.	सामान्य प्रशासन विभाग	138	386
22.	संसदीय कार्य (राज्य विधानसभा) विभाग	07	17
23.	जनसंपर्क विभाग	30	71
24.	राजस्व विभाग	2649	9105
25.	लोक सेवा प्रबंधन	01	01
	योग	**13771**	**56244**

परिशिष्ट-1.3
ई.एन. के लिए लंबित कंडिकाओं का विभाग-वार विवरण

[संदर्भ: कंडिका संख्या 1.6.3, पृष्ठ संख्या 6]

क्रम संख्या	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	विभाग का नाम	31/03/2025 की स्थिति में लंबित ई.एन.	राज्य विधानसभा में प्रस्तुति की तिथि	विभागीय उत्तर प्राप्त होने की नियत तिथि
01	2020-21 (लेखापरीक्षा-प्रथम)	राजस्व विभाग	01	08/02/2024	08/05/2024
		स्कूल शिक्षा विभाग	01		
		तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग	01		
02	वर्ष 2020-21 (लेखापरीक्षा-प्रथम) वर्ष 2024 की प्रतिवेदन संख्या 08	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	01	18/12/2024	18/03/2025
		महिला एवं बाल विकास	01		
03	वर्ष 2021-22 (लेखापरीक्षा-प्रथम) वर्ष 2024 की प्रतिवेदन संख्या 06	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	132	18/12/2024	18/03/2025
		चिकित्सा शिक्षा विभाग	54		
		आयुष विभाग	36		
योग			**227**		

परिशिष्ट 1.4

31 मार्च 2025 की स्थिति में मध्य प्रदेश शासन से प्राप्त किए जाने वाले पी.ए.सी. की अनुशंसाओं पर कार्यवाही टिप्पणियाँ (ए.टी.एन.)

[संदर्भ: कंडिका संख्या 1.6.4, पृष्ठ संख्या 6]

क्रम संख्या	विभाग का नाम	14 वीं विधान सभा 2013-2018		15 वीं विधान सभा 2018 – वर्तमान तक		योग	
		ए.टी.एन. की संख्या	ए.टी.एन. में सम्मिलित कंडिका	ए.टी.एन. की संख्या	ए.टी.एन. में सम्मिलित कंडिका	ए.टी.एन. की संख्या	ए.टी.एन. में सम्मिलित कंडिका
1.	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	02	02	01	02	03	04
2.	राजस्व विभाग	07	24	-	-	07	24
3.	जनजाति कल्याण विभाग	01	01	-	-	01	01
4.	गृह विभाग	01	01	-	-	01	01
5.	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	02	06	01	01	03	07
6.	सामाजिक न्याय विभाग	01	01	-	-	01	01
7.	महिला एवं बाल विकास विभाग	-	-	04	05	04	05
8.	नगरीय विकास एवं आवास विभाग	01	02	01	02	02	04
	योग	**15**	**37**	**07**	**10**	**22**	**47**

परिशिष्ट 2.1.1

लेखापरीक्षा के लिए चयनित जिलों एवं अस्पतालों तथा नमूनाकरण पद्धति को दर्शाने वाला विवरण

[संदर्भ: कंडिका संख्या 2.1.3, पृष्ठ संख्या 17]

क्रम संख्या	चयनित जिले का नाम	जिले के चयन की विधि	शासकीय मानसिक अस्पताल का नाम	शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय का नाम	चयनित सी.एच.सी. का नाम (एस.आर.एस.डब्ल्यू.ओ.आर. विधि का उपयोग करके चयनित)
1	भोपाल	प्रवेश सम्मेलन के दौरान प्रधान सचिव, पी.एच. एवं एम.ई. विभाग, मध्य प्रदेश की सलाह पर गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल के मनोचिकित्सा विभाग को कवर करने के लिए चुना गया।	--	शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल	1. गांधीनगर
					2. कोलार रोड
2	ग्वालियर	राज्य के शासकीय मानसिक अस्पतालों को कवर करने के लिए चुना गया।	शासकीय मानसिक अस्पताल, ग्वालियर	गजरा राजा चिकित्सा महाविद्यालय	1. दीनदयाल नगर
					2. चिनोर
3	इंदौर	-पूर्वोक्त-	शासकीय मानसिक अस्पताल, इंदौर	महात्मा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय	1. मानपुर
					2. बाणगंगा
4	खंडवा	प्रतिस्थापन के बिना सरल रैंडम नमूनाकरण (एस.आर.एस.डब्ल्यू.ओ.आर.) विधि के माध्यम से चयनित।	--	नंदकुमार सिंह चौहान चिकित्सा महाविद्यालय	1. पुनासा
					2. सिंगोट
5	रतलाम	-पूर्वोक्त-	--	शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय	1. बाजना
					2. खारवाकलां

परिशिष्ट-2.1.2

एम.एच. एक्ट के धारा 46 के अनुसार एस.एम.एच.ए. के सदस्यों का विवरण एवं मध्य प्रदेश शासन द्वारा एस.एम.एच.ए के सदस्यों के नामांकन की स्थिति

[संदर्भ: कंडिका संख्या 2.1.5.2, पृष्ठ संख्या 19]

क्रम संख्या	एम.एच. एक्ट की धारा 46 के अनुसार नामांकित किए जाने वाले सदस्य	संख्या	नामांकन की स्थिति
1	राज्य शासन के स्वास्थ्य विभाग में मानसिक स्वास्थ्य के प्रभारी संयुक्त सचिव,- पदेन सदस्य;	1	राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से नामित (सितंबर 2020)
2	स्वास्थ्य सेवा अथवा चिकित्सा शिक्षा के निदेशक – पदेन सदस्य	1	राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से नामित (सितंबर 2020)
3	राज्य शासन के समाज कल्याण विभाग में संयुक्त सचिव - पदेन सदस्य;	1	राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से नामित (सितंबर 2020)
4	राज्य के किसी भी मानसिक अस्पताल के प्रमुख अथवा किसी भी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय में मनोचिकित्सा विभाग के प्रमुख, राज्य शासन द्वारा नामित किए जाने वाले - सदस्य;	1	राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से नामित (सितंबर 2020)
5	राज्य के एक प्रलिखित मनोचिकित्सक जो शासकीय सेवा में नहीं हैं, को राज्य शासन द्वारा नामित किया जाएगा- सदस्य	1	नामित नहीं
6	धारा 2 की उप-धारा (1) के खंड (क्यू) के उपखंड (iii) में परिभाषित एक मानसिक स्वास्थ्य प्रोफेशनल, जिसके पास क्षेत्र में कम से कम पंद्रह वर्ष का अनुभव हो, को राज्य शासन द्वारा नामित किया जाएगा-सदस्य;	1	नामित नहीं
7	एक मनोचिकित्सीय सामाजिक कार्यकर्ता जिसके पास इस क्षेत्र में कम से कम पंद्रह वर्ष का अनुभव हो, को राज्य शासन द्वारा नामित किया जाएगा-सदस्य;	1	नामित नहीं
8	एक नैदानिक मनोवैज्ञानिक, जिसके पास इस क्षेत्र में कम से कम पंद्रह वर्ष का अनुभव हो, को राज्य शासन द्वारा नामित किया जाएगा-सदस्य;	1	नामित नहीं
9	मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में कम से कम पंद्रह वर्षों का अनुभव रखने वाली एक मानसिक स्वास्थ्य नर्स को राज्य शासन द्वारा नामित किया जाएगा - सदस्य	1	नामित नहीं
10	मानसिक बीमारी वाले या मानसिक बीमारी वाले व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करने वाले दो व्यक्तियों को राज्य शासन द्वारा नामित किया जाएगा-सदस्य;	2	नामित नहीं
11	मानसिक बीमारी वाले व्यक्तियों की देखभाल करने वाले या देखभाल करने वालों का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठनों का प्रतिनिधित्व करने वाले दो व्यक्तियों को राज्य शासन द्वारा नामित किया जाएगा-सदस्य;	2	नामित नहीं
12	मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों को सेवाएं प्रदान करने वाले गैर-सरकारी संगठनों का प्रतिनिधित्व करने वाले दो व्यक्तियों को राज्य शासन द्वारा नामित किया जाएगा-सदस्य।	2	नामित नहीं
योग		**15**	**चार सदस्यों को नामित किया गया तथा 11 सदस्यों को नामित नहीं किया गया।**

परिशिष्ट-2.1.3

अपंजीकृत एम.एच.ई का विवरण

[संदर्भ: कंडिका संख्या 2.1.5.6, पृष्ठ संख्या 21]

क्र. सं.	एम.एच.ई का नाम	संख्या
1	महात्मा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, इंदौर	1
2	श्रीमंत राजमाता विजयराजे सिंधिया चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, शिवपुरी	1
3	आर.डी.गार्डी चिकित्सा महाविद्यालय, उज्जैन	1
4	महावीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, भोपाल	1
5	अजंता ललित कला एवं समाज कल्याण समिति, विदिशा	1
6	न्यू शिक्षा प्रसार एवं समाज कल्याण समिति, जबलपुर	1
7	जिला नशामुक्ति अभियान संगठन, सिवनी	1
8	जिला नशामुक्ति अभियान संगठन, बालाघाट	1
9	भारतीय रेडक्रॉस सोसायटी, नीमच	1
10	अंकुर प्रगतिशील महिला केंद्र इंदौर (आउटरीच ड्रॉप इन सेंटर)	1
11	अहिंसा महिला बाल कल्याण एवं स्वास्थ्य शिक्षा प्रसार समिति, दतिया	1
12	अहिंसा महिला बाल कल्याण एवं स्वास्थ्य शिक्षा प्रसार समिति, ग्वालियर	1
13	निवेदिता कल्याण समिति, रीवा	1
14	अजंता ललित कला एवं समाज कल्याण समिति, सागर	1
15	अंकुर प्रगतिशील महिला केंद्र इंदौर (एडिक्ट्स के लिए एकीकृत पुनर्वास केंद्र)	1
16	अजंता ललित कला एवं समाज कल्याण समिति, भोपाल	1
17	न्यू शिक्षा प्रसार एवं समाज कल्याण समिति जबलपुर (आउटरीच ड्रॉप इन सेंटर)	1
18	रमन शिक्षा समिति, ग्वालियर	1
19	अंकुर प्रगतिशील महिला केंद्र शाजापुर	1
20	न्यू शिक्षा प्रसार एवं समाज कल्याण समिति जबलपुर (कम्यूनिटी बेस्ड पियर लेड इन्टरवेंशन कार्यक्रम)	1
21	मातृ सेवा संघ, छिंदवाड़ा	1
22	निवेदिता कल्याण समिति, सतना	1
23	जिला नशामुक्ति अभियान संगठन बालाघाट, नरसिंहपुर	1
24	अहिंसा महिला बाल कल्याण स्वास्थ्य शिक्षा प्रसार समिति, ग्वालियर	1
25	अंकुर प्रगतिशील महिला केंद्र, शाजापुर	1
26	अजंता ललित कला एवं समाज कल्याण समिति, रायसेन	1
27	महिला हाफ-वे-होम ग्वालियर मानसिक आरोग्यशाला कैंपस	1
28	महिला लॉन्ग स्टे होम, ग्वालियर	1
29	लॉन्ग स्टे होम, इंदौर	1
30	मानसिक स्वास्थ्य विंग, जेल ग्वालियर	1
31	राज्य के जिला अस्पतालों में मनकक्ष	51
कुल		**81**

परिशिष्ट-2.1.4

एम.एच.ई के पंजीकरण में विलंब (निर्धारित 10 दिवसों से अधिक) को दर्शाने वाला विवरण

[संदर्भ: कंडिका संख्या 2.1.5.7, पृष्ठ संख्या 21]

क्रम संख्या	आवेदक का विवरण	पंजीकरण के लिए आवेदन की तिथि	एस.एम.एच.ए द्वारा पंजीकरण के अनुमोदन की तिथि	अनुमोदन के लिए लिया गया समय (दिनों में)	विलंब (दिनों में)
1	2	3	4	5 (4-3)	6
1	शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, विदिशा	16-12-2022	19-01-2023	34	24
2	बरजी बाई मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी, इंदौर	20-12-2022	19-01-2023	30	20
3	चिरायु चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, भोपाल	22-12-2022	19-01-2023	28	18
4	अंकुर रिहैब सेंटर, इंदौर	20-12-2022	19-01-2023	30	20
5	स्वाध्याय न्यूरो साइकियाट्रिक हॉस्पिटल, इंदौर	06-01-2023	19-01-2023	13	3
6	श्री अरबिंदो चिकित्सा महाविद्यालय एवं पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट, इंदौर	04-01-2023	19-01-2023	15	5
7	बिरसा मुंडा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय , शहडोल	04-01-2023	01-02-2023	28	18
8	शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय स्वशासी, दतिया	10-01-2023	01-02-2023	22	12
9	जे.के. अस्पताल, भोपाल 462042	25-01-2023	13-02-2023	19	9
10	ग्वालियर मानसिक आरोग्यशाला, ग्वालियर	07-02-2023	20-02-2023	13	3
11	परिवर्तन नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र, उज्जैन	16-02-2023	03-03-2023	15	5
12	श्री जी.के.एस. नशा मुक्ति पुनर्वास केंद्र, ग्वालियर	16-02-2023	03-03-2023	15	5
13	जी.के.एस. नशा मुक्ति पुनर्वास केंद्र, भोपाल	16-02-2023	03-03-2023	15	5
14	डॉ. शुभांशु अवस्थी विस्तार रिहैबिलिटेशन एंड डी-एडिक्शन सेंटर, इंदौर	27-02-2023	20-03-2023	21	11
15	शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, रतलाम	14-02-2023	29-03-2023	43	33
16	ज्योति नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र, इंदौर	14-03-2023	29-03-2023	15	5
17	ट्रू विजन वेलफेयर सोसाइटी, दतिया	16-03-2023	29-03-2023	13	3
18	सेकर्ड नर्मदा नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र, धार	17-03-2023	29-03-2023	12	2
19	अहिंसा नशा मुक्ति केंद्र, भिंड	11-05-2023	25-05-2023	14	4

क्रम संख्या	आवेदक का विवरण	पंजीकरण के लिए आवेदन की तिथि	एस.एम.एच.ए द्वारा पंजीकरण के अनुमोदन की तिथि	अनुमोदन के लिए लिया गया समय (दिनों में)	विलंब (दिनों में)
20	मन मेंटल हेल्थ अवेयरनेस एंड नेटवर्किंग सोसाइटी, गुना	15-06-2023	27-06-2023	12	2
21	ममता मनोचिकित्सा एवं नशामुक्ति केंद्र, भोपाल	07-07-2023	20-07-2023	13	3
22	जी.ए.एस.वी.एस. होम अगेन सेंटर, लिंबोदी इंदौर	14-12-2023	03-01-2024	20	10
23	जी.ए.एस.वी.एस. होम अगेन सेंटर, शिवधाम कॉलोनी, लिंबोदी, इंदौर	22-12-2023	03-01-2024	12	2
24	जी.ए.एस.वी.एस. होम अगेन सेंटर, पीस प्वाइंट कॉलोनी, लिंबोदी इंदौर	22-12-2023	03-01-2024	12	2
25	जी.ए.एस.वी.एस. होम अगेन सेंटर, श्री कृष्णा एवेन्यू, लिंबोदी, इंदौर	22-12-2023	03-01-2024	12	2
26	सुदर्शन नशा मुक्ति केंद्र बालाजी, ग्वालियर	15-01-2024	21-02-2024	37	27
27	जे.ए. अस्पताल, ग्वालियर	25-01-2024	21-02-2024	27	17
28	सागर चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, जबलपुर	29-01-2024	13-03-2024	44	34
29	आयुर्विज्ञान संस्थान छिंदवाड़ा	30-01-2024	13-03-2024	43	33
30	अंबिका शैक्षणिक एवं माहिरा समाज कल्याण समिति, उज्जैन	22-02-2024	13-03-2024	20	10
31	शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, खंडवा	22-02-2024	13-03-2024	20	10
32	महाकाल हेल्थ केयर सेंटर, उज्जैन	22-02-2024	13-03-2024	20	10
33	एन.एस.सी.बी. चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.)	27-02-2024	13-03-2024	15	5
34	गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल	07-03-2024	05-04-2024	29	19
35	जन जागरण एवं समाज उत्थान परिषद, पन्ना	11-03-2024	05-04-2024	25	15
36	संकल्प नशा मुक्ति केंद्र, नर्मदापुरम	02-04-2024	18-04-2024	16	6
37	संकल्प नशा मुक्ति केंद्र, भोपाल	02-04-2024	18-04-2024	16	6
38	निदान नशा मुक्ति केंद्र, ग्वालियर	05-04-2024	18-04-2024	13	3

परिशिष्ट-2.1.5

एम.एच.ई की सूचना के प्रकाशन में विलंब (एम.एच. एक्ट के अनुसार 45 दिवसों की निर्धारित अवधि से परे) को दर्शाने वाला विवरण

[संदर्भ: कंडिका संख्या 2.1.5.7, पृष्ठ संख्या 21]

क्र.सं.	मौजूदा मानसिक स्वास्थ्य संस्थान का नाम	एस.एम.एच.ए. द्वारा पंजीकरण के अनुमोदन की तिथि	प्रकाशन की तिथि	प्रकाशन में लगने वाला समय (दिवसों में)	विलंब (दिवसों में)
1	2	3	4	5 (4-3)	6
1	श्री सनफ्लावर इंस्टीट्यूट ऑफ़ मेडिकल साइंसेज, उज्जैन	21-11-2022	29-03-2023	128	83
2	सद्भाव नशमुक्ति केंद्र, इंदौर	28-11-2022	29-03-2023	121	76
3	सद्भाव नशमुक्ति केंद्र, जबलपुर	28-11-2022	29-03-2023	121	76
4	प्रयास नशा मुक्ति एवं मनोचिकित्सा केंद्र, भोपाल	28-11-2022	29-03-2023	121	76
5	सुमन प्रेरणा सेवा समिति लश नशा मुक्ति केंद्र, कटनी एम.पी.	13-12-2022	29-03-2023	106	61
6	श्रद्धा भक्ति सेवा समिति, भोपाल	13-12-2022	29-03-2023	106	61
7	न्यू प्रताब शिक्षा समिति संकल्प नशा मुक्ति केंद्र, सीहोर	13-12-2022	29-03-2023	106	61
8	श्रद्धा भक्ति सेवा समिति, सीहोर	13-12-2022	29-03-2023	106	61
9	सुमन प्रेरणा सेवा समिति लश नशा मुक्ति केंद्र, इटारसी	13-12-2022	29-03-2023	106	61
10	अमलतास इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, देवास	20-12-2022	29-03-2023	99	54
11	इंडेक्स मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, इंदौर	20-12-2022	29-03-2023	99	54
12	शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय हॉस्पिटल, विदिशा	19-01-2023	29-03-2023	69	24
13	बर्जी बाई मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी, इंदौर	19-01-2023	29-03-2023	69	24
14	चिरायु मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, भोपाल	19-01-2023	29-03-2023	69	24
15	अंकुर रिहैब सेंटर, इंदौर-453551	19-01-2023	29-03-2023	69	24
16	एम.एच. इंदौर	03-01-2023	29-03-2023	85	40
17	एल.एन.सी.टी. मेडिकल कॉलेज एंड एसोसिएटेड सेवा कुंज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, इंदौर	03-01-2023	29-03-2023	85	40
18	एस.जी.एम.एच., रीवा	03-01-2023	29-03-2023	85	40
19	न्यूरोसाइकियाट्रिक हॉस्पिटल, मर्दाना, इंदौर	19-01-2023	29-03-2023	69	24
20	श्री अरबिंदो मेडिकल कॉलेज एंड पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट भावरसाला, इंदौर	19-01-2023	29-03-2023	69	24
21	बिरसा मुंडा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, शहडोल	01-02-2023	29-03-2023	56	11
22	शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय स्वशासी, दतिया	01-02-2023	29-03-2023	56	11
23	उमंग नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र, भोपाल	01-02-2023	29-03-2023	56	11
24	निवेदिता कल्याण समिति, रीवा	12-06-2023	18-10-2023	128	83
25	मन इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजिकल थेरेपी एंड डीएडिक्शन नर्सिंग होम, गुना	27-06-2023	18-10-2023	113	68

क्र.सं.	मौजूदा मानसिक स्वास्थ्य संस्थान का नाम	एस.एम.एच.ए. द्वारा पंजीकरण के अनुमोदन की तिथि	प्रकाशन की तिथि	प्रकाशन में लगने वाला समय (दिवसों में)	विलंब (दिवसों में)
26	मनोचिकित्सा एवं नशामुक्ति केंद्र, भोपाल	20-07-2023	18-10-2023	90	45
27	प्रभात श्री मनोचिकित्सा एवं नशामुक्ति केंद्र, भोपाल	27-07-2023	18-10-2023	83	38
28	ग्रीन सिटी मनोचिकित्सा एवं नशामुक्ति केंद्र, भोपाल	27-07-2023	18-10-2023	83	38
29	मेटेनियम हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, भोपाल	27-07-2023	18-10-2023	83	38
30	पीपुल्स कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च सेंटर, भनूर, भोपाल	01-09-2023	18-10-2023	47	2
31	डॉ. ऋतु सिंह (प्रोफेसर) आर.के.डी.एफ. मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, भोपाल	08-11-2023	16-04-2024	160	115
32	गसव्स होम अगेन सेंटर, इंदौर	03-01-2024	16-04-2024	104	59
33	होम अगेन सेंटर, शिवधाम कॉलोनी लिंवोदि, इंदौर एम.पी. 452020	03-01-2024	16-04-2024	104	59
34	गसस्व होम अगेन सेंटर, पीस प्वाइंट कॉलोनी, इंदौर एम.पी. 452020	03-01-2024	16-04-2024	104	59
35	गसस्व होम अगेन सेंटर, श्री कृष्णा एवेन्यू, लिंबोदी इंदौर	03-01-2024	16-04-2024	104	59
36	सुदर्शन नशा मुक्ति केंद्र, ग्वालियर	21-02-2024	16-04-2024	55	10
37	न्यू जे.ए. हॉस्पिटल, ग्वालियर	21-02-2024	16-04-2024	55	10

परिशिष्ट-2.1.6

एन.एम.एच.पी. के अंतर्गत गतिविधि-वार निधि उपयोग का विवरण

[संदर्भ: कंडिका संख्या 2.1.6.2, पृष्ठ संख्या 22]

(राशि ₹ में)

गतिविधि कोड	गतिविधि का नाम	2021-22		2022-23		2023-24		कुल आवंटन	कुल व्यय	कुल उपयोग प्रतिशत
		आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय			
जे.1	एन.एम.एच.पी. के अंतर्गत काम कर रहे डी.एच. और सी.एच.सी. चिकित्सा अधिकारियों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मचारियों का प्रशिक्षण	7100000	4433400	7150000	3796996	7150000	8071985	21400000	16302381	76
जे.1.6.बी.1	एन.जी.ओ. आधारित गतिविधियां (प्रतिबद्ध 2020-21)	500000	473019	0	0	0	0	500000	473019	95
जे.2	एन.एम.एच.पी. के लिए औषधि तथा आपूर्ति	2579994	1887702	3360000	2735335.73	4100000	3848123	10039994	8471160.73	84
जे.3	आई.ई.सी./बी.सी.सी. गतिविधियाँ	0	0	1275000	1089331.78	1300000	1111897	2575000	2201228.78	85
जे.4.ए	सी.एच.सी. में साप्ताहिक मनोचिकित्सीय ओपीडी	1188000	965477.05	2200000	1885921	3000000	2142297	6388000	4993695.05	78
जे.4.बी	यू.पी.एच.सी. में मानसिक स्वास्थ्य जांच सह जागरूकता सृजन शिविर	1359945	1213017	1410000	1133257	1410000	938668	4179945	3284942	79
जे.4.सी	प्रत्येक जिले में 10 कॉलेजों/स्कूलों/जिला जेलों/पुलिस	2550000	2277786	2550000	2165657	2600000	1987711	7700000	6431154	84

गतिविधि कोड	गतिविधि का नाम	2021-22		2022-23		2023-24		कुल आवंटन	कुल व्यय	कुल उपयोग प्रतिशत
		आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय			
	विभाग/स्थानीय नागरिक निकायों आदि में मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता सेमिनार									
जे.4.डी	विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 अक्टूबर को जिला अस्पताल में स्वास्थ्य एवं जागरूकता पैदा करने वाले शिविरों का आयोजन	510000	453611	510000	457499	4750000	3821185	5770000	4732295	82
जे.4.ई	स्कूलों में बच्चों के लिए परामर्श	50000	31125	50000	25000	650000	148747	750000	204872	27
जे.4.एफ	विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस 10 सितंबर पर जागरूकता गतिविधियों के कार्यक्रम	0	0	510000	456664	0	0	510000	456664	90
जे.4.जी	जिले के लिए फेथ हीलर्स के लिए मानसिक स्वास्थ्य पर जिला स्तर पर एक दिवसीय कार्यशाला	299988	191602	240000	197163	280000	233923	819988	622688	76
जे.4.एच	विविध/यात्रा	1200000	222421	600000	290727	650000	126202	2450000	639350	26
जे.4.आई	एन.एम.एच.पी. के अंतर्गत आकस्मिकता	510000	417642	510000	421176	520000	474247	1540000	1313065	85

गतिविधि कोड	गतिविधि का नाम	2021-22		2022-23		2023-24		कुल आवंटन	कुल व्यय	कुल उपयोग प्रतिशत
		आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय			
जे.4.जे	एन.एम.एच.पी. के अंतर्गत आई.ई.सी. सामग्री का मुद्रण (पोस्टर, पैम्फलेट, फोल्डर आदि)	0	0	2000000	0	0	0	2000000	0	0
जे.4.के	दिवसों का आयोजन तथा आई.ई.सी.	0	0	2389000	0	0	0	2389000	0	0
जे.4.के.1	मानसिक स्वास्थ्य परामर्श हेल्पलाइन स्थापना	0	0	0	0	3600000	0	3600000	0	0
जे.4.के.2	मानसिक स्वास्थ्य परामर्श हेल्पलाइन आई.ई.सी.	0	0	0	0	1720000	0	1720000	0	0
के.1.2.1	एन.पी.एच.सी.ई. के अंतर्गत सी.एच.सी. स्तर पर डॉक्टर एवं स्टाफ का प्रशिक्षण	1323700	942765	0	0	0	0	1323700	942765	71
के.2.2	अनावर्ती जी.आई.ए.: सी.एच.सी. के लिए मशीनरी तथा उपकरण	232875	144454	0	0	0	0	232875	144454	62
महायोग		**19404502**	**13654021.05**	**24754000**	**14654727.51**	**31730000**	**22904985**	**75888502**	**51213733.56**	**67**

परिशिष्ट-2.1.7

उन जिलों का विवरण जहां जागरूकता सेमिनार आयोजित नहीं किए गए थे

[संदर्भ: कंडिका संख्या 2.1.6.4, पृष्ठ संख्या 24]

गतिविधि का नाम	गतिविधि आयोजित नहीं पाई गई (ए.डब्ल्यू.पी. का वर्ष)
पुलिस कर्मियों के लिए सेमिनार	जिला अस्पताल, ग्वालियर (2021-22), जिला अस्पताल, खंडवा (2021-22), जिला अस्पताल, रतलाम (2021-22)
जिला जेल के लिए सेमिनार	जिला अस्पताल, ग्वालियर (2021-22), जिला अस्पताल, रतलाम (2021-22)
विद्यालय में सेमिनार	जिला अस्पताल, रतलाम (2021-22)
महाविद्यालय में सेमिनार	जिला अस्पताल, रतलाम (2021-22)
ब्लॉक स्तर के विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए सेमिनार	सभी परीक्षण जाँच किए गए सी.एम.एच.ओ.
देखभाल करने वालों के लिए सेमिनार	जिला अस्पताल, खंडवा (2022-24)
वृद्धाश्रम के लिए सेमिनार	जिला अस्पताल, खंडवा (2023-24)

परिशिष्ट-2.1.8

2021-24 के दौरान नमूना-जांच किए गए एम.एच.ई में आवश्यक औषधियों की अनुपलब्धता को दर्शाने वाला विवरण

[संदर्भ: कंडिका संख्या 2.1.7.1, पृष्ठ संख्या 25]

तृतीयक देखभाल एम.एच.ई का नाम	आवश्यक दवाएं उपलब्ध नहीं रहीं			
	1 से 6 माह	7 से 12 माह	13 से 24 माह	24 से अधिक (36 माह तक)
मानसिक अस्पताल				
एम.एच. ग्वालियर	3	0	4	1 (36 माह)
एम.एच. इंदौर	2	1	5	0
शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय				
जी.एम.सी भोपाल	5	3	10	0
जी.एम.सी ग्वालियर	3	0	5	1 (36 माह)
जी.एम.सी इंदौर	0	2	12	3 (36 माह)
जी.एम.सी खंडवा	0	0	13	5 (34-36 माह)
जी.एम.सी रतलाम	4	3	8	0
जिला अस्पताल				
डी.एच. भोपाल	6	1	6	1 (30 माह)
डी.एच. ग्वालियर	9	2	4	3 (30 माह)
डी.एच. इंदौर	8	5	5	2 (26-28 माह)
डी.एच. खंडवा	7	2	7	2 (30 माह)
डी.एच. रतलाम	0	3	7	7 (36 माह)
सी.एच.सी.				
सी.एच.सी गांधी नगर, भोपाल	8	7	1	0
सी.एच.सी कोलार रोड, भोपाल	4	8	0	0
सी.एच.सी. दीनदयाल नगर, ग्वालियर	0	13	2	1 (36 माह)
सी.एच.सी. चिनोर, ग्वालियर	0	10	2	2 (36 माह)
सी.एच.सी मानपुर, इंदौर	1	11	1	0
सी.एच.सी. बंगंगा, इंदौर	1	14	1	0
सी.एच.सी पुनसा, खंडवा	2	11	0	0
सी.एच.सी. सिंगोट, खंडवा	1	13	2	0
सी.एच.सी बजना, रतलाम	0	15	1	0
सी.एच.सी खारवाकला, रतलाम	2	12	1	1 (36 माह)

स्रोत: दवा वितरण रजिस्टर

परिशिष्ट-2.1.9

2021-24 के दौरान चयनित जी.एम.सी में न्यूनतम आवश्यक उपकरणों की अनुपलब्धता को दर्शाने वाला विवरण

[संदर्भ: कंडिका संख्या 2.1.7.2, पृष्ठ संख्या 26]

क्रम संख्या	उपकरण का नाम	एम.एस.आर. के अनुसार आवश्यक उपकरण	उपलब्ध उपकरण	कमी
1. शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल (250 सीटें)				
1	इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी (ई.सी.टी.) मशीन विशेषत: ई.सी.जी. मॉनिटरिंग के साथ	5	3	2
2	ई.ई.जी. मॉनिटरिंग	1	0	1
3	ई.सी.जी. मशीन	1	1	0
4	ई.ई.जी. मशीन	1	0	1
5	लिथियम एनलाइजर	1	0	1
6	बायोफीड-बैक उपकरण (सेट)	1	1	0
7	थिन लेयर क्रोमैटोग्राफी (दवा निर्भरता उपचार के लिए)	1	0	1
8	अल्कोहल ब्रीद एनलाइजर	1	0	1
मनोवैज्ञानिक परीक्षण उपकरण				
9	परियोजना परीक्षण	6	3	3
10	बुद्धि परीक्षण	6	6	0
11	व्यक्तित्व परीक्षण	6	3	3
12	न्यूरो मनोवैज्ञानिक परीक्षण	6	2	4
	कुल	**36**	**19**	**17**
2. शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय ग्वालियर (200 सीटें)				
1	इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी (ई.सी.टी.) मशीन विशेषत: ई.सी.जी. मॉनिटरिंग के साथ	4	0	4
2	ई.ई.जी. मॉनिटरिंग	1	0	1
3	ई.सी.जी. मशीन	1	1	0
4	ई.ई.जी. मशीन	1	1	0
5	लिथियम एनलाइजर	1	1	0
6	बायोफीड-बैक उपकरण (सेट)	1	0	1
7	थिन लेयर क्रोमैटोग्राफी (दवा निर्भरता उपचार के लिए)	1	0	1
8	अल्कोहल ब्रीद एनलाइजर	1	0	1
मनोवैज्ञानिक परीक्षण उपकरण				
9	परियोजना परीक्षण	5	0	5
10	बुद्धि परीक्षण	5	0	5
11	व्यक्तित्व परीक्षण	5	0	5
12	न्यूरो मनोवैज्ञानिक परीक्षण	5	0	5
	कुल	**31**	**3**	**28**

3. शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय इंदौर (250 सीटें)				
1	इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी (ई.सी.टी.) मशीन विशेषतः ई.सी.जी. मॉनिटरिंग के साथ	5	4	1
2	ई.ई.जी. मॉनिटरिंग	1	1	0
3	ई.सी.जी. मशीन	1	1	0
4	ई.ई.जी. मशीन	1	1	0
5	लिथियम एनलाइजर	1	1	0
6	बायोफीड-बैक उपकरण (सेट)	1	1	0
7	थिन लेयर क्रोमैटोग्राफी (दवा निर्भरता उपचार के लिए)	1	1	0
8	अल्कोहल ब्रीद एनलाइजर	1	1	0
मनोवैज्ञानिक परीक्षण उपकरण				
9	परियोजना परीक्षण	6	1	5
10	बुद्धि परीक्षण	6	1	5
11	व्यक्तित्व परीक्षण	6	1	5
12	न्यूरो मनोवैज्ञानिक परीक्षण	6	1	5
	कुल	**36**	**15**	**21**
4. शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय खंडवा (100 सीटें)				
1	इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी (ईसीटी) मशीन विशेषतः ई.सी.जी. मॉनिटरिंग के साथ	2	1	1
2	ई.ई.जी. मॉनिटरिंग	1	0	1
3	ई.सी.जी. मशीन	1	0	1
4	ई.ई.जी. मशीन	1	0	1
5	लिथियम एनलाइजर	1	0	1
6	बायोफीड-बैक उपकरण (सेट)	1	0	1
7	थिन लेयर क्रोमैटोग्राफी (दवा निर्भरता उपचार के लिए)	1	0	1
8	अल्कोहल ब्रीद एनलाइजर	1	0	1
मनोवैज्ञानिक परीक्षण उपकरण				
9	परियोजना परीक्षण	3	0	3
10	बुद्धि परीक्षण	3	0	3
11	व्यक्तित्व परीक्षण	3	0	3
12	न्यूरो मनोवैज्ञानिक परीक्षण	3	0	3
	कुल	**21**	**1**	**20**

5. शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय रतलाम (150 सीटें)				
1	इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी (ईसीटी) मशीन विशेषतः ईसीजी मॉनिटरिंग के साथ	3	0	3
2	ई.ई.जी. मॉनिटरिंग	1	0	1
3	ई.सी.जी. मशीन	1	0	1
4	ई.ई.जी. मशीन	1	0	1
5	लिथियम एनलाइजर	1	0	1
6	बायोफीड-बैक उपकरण (सेट)	1	0	1
7	थिन लेयर क्रोमैटोग्राफी (दवा निर्भरता उपचार के लिए)	1	0	1
8	अल्कोहल ब्रीद एनलाइजर	1	0	1
मनोवैज्ञानिक परीक्षण उपकरण				
9	परियोजना परीक्षण	3	0	3
10	बुद्धि परीक्षण	3	0	3
11	व्यक्तित्व परीक्षण	3	0	3
12	न्यूरो मनोवैज्ञानिक परीक्षण	3	0	3
	कुल	**22**	**0**	**22**

परिशिष्ट-2.1.10

जी.एम.एच., जी.एम.सी. एवं जिला अस्पताल-वार पदों का विवरण जहां रिक्तियां मौजूद थी (मार्च 2024 तक)

[संदर्भ: कंडिका संख्या 2.1.7.3, पृष्ठ संख्या 27]

1. जी.एम.एच. ग्वालियर

क्रम संख्या	पद का नाम	स्वीकृत	कार्यरत	कमी
1	डायरेक्टर सह प्रोफेसर (मनोचिकित्सा)	1	0	**1**
2	सहायक प्रोफेसर (मनोचिकित्सा)	5	2	**3**
3	सहायक प्रोफेसर (नैदानिक मनोविज्ञान)	2	1	**1**
4	सहायक प्रोफेसर (मनो.सामाजिक कार्य)	2	1	**1**
5	सहायक प्रोफेसर (पैथोलॉजी)	1	0	**1**
6	सहायक प्रोफेसर (रेडियोलॉजी)	1	0	**1**
7	सहायक प्रोफेसर (एनेस्थीसिया)	1	0	**1**
8	चिकित्सा अधिकारी	17	3	**14**
9	उप रजिस्ट्रार	1	0	**1**
10	अस्पताल प्रबंधक	1	0	**1**
11	सहायक अस्पताल प्रबंधक	1	0	**1**
12	नैदानिक मनोवैज्ञानिक	2	0	**2**
13	मनोचिकित्सीय सामाजिक कार्यकर्ता	2	0	**2**
14	नर्सिंग अधीक्षक	1	0	**1**
15	मुख्य परिचारिका	3	0	**3**
16	नर्सिंग सिस्टर	6	4	**2**
17	स्टाफ नर्स	60	33	**27**
18	सहायक ग्रेड-01	1	0	**1**
19	स्टोर कीपर	1	0	**1**
20	सहायक ग्रेड-02	1	0	**1**
21	स्टिवर्ड	1	0	**1**
22	सहायक ग्रेड-03/सहायक स्टिवर्ड	4	3	1
23	लैब तकनीशियन	2	0	**2**
24	रेडियोग्राफर	1	0	**1**
25	फार्मासिस्ट ग्रेड -2	4	1	**3**
26	ड्रेसर	3	1	**2**
27	इलेक्ट्रीशियन/सह प्लंबर/सह मेकेनिक	1	0	**1**
28	हेड अटेंडर	1	0	**1**
29	अटेंडर	42	24	**18**
30	गेट अटेंडर	3	2	**1**
31	खल्लासी	2	1	**1**
32	सफाईकर्मी	6	3	**3**
33	प्रोफेसर, मनोचिकित्सा (सी.ओ.ई.)	1	0	**1**
34	एसोसिएट प्रोफेसर, मनोचिकित्सा (सी.ओ.ई.)	1	0	**1**
35	सहायक प्रोफेसर, मनोचिकित्सा (सी.ओ.ई.)	1	0	**1**
36	सहायक प्रोफेसर, नैदानिक मनोविज्ञान (सी.ओ.ई.)	1	0	**1**
37	नैदानिक मनोवैज्ञानिक (सी.ओ.ई.)	4	0	**4**

क्रम संख्या	पद का नाम	स्वीकृत	कार्यरत	कमी
38	एसोसिएट प्रोफेसर, मनोचिकित्सीय सामाजिक कार्य (सी.ओ.ई.)	1	0	**1**
39	सहायक प्रोफेसर, मनोचिकित्सीय सामाजिक कार्य (सी.ओ.ई.)	1	0	**1**
40	मनोचिकित्सीय सामाजिक कार्यकर्ता (सी.ओ.ई.)	2	0	**2**
41	सहायक प्रोफेसर, मनोचिकित्सीय नर्सिंग (सी.ओ.ई.)	1	0	**1**
42	प्रशिक्षक, मनोचिकित्सीय नर्सिंग (सी.ओ.ई.)	1	0	**1**
43	वरिष्ठ सलाहकार (सी.ओ.ई.)	01	00	**01**
44	सलाहकार (टेली मानस)	02	01	**01**
45	परामर्शदाता (टेली मानस)	20	09	**11**
46	नैदानिक मनोवैज्ञानिक / मनोवैज्ञानिक / मनोचिकित्सीय सामाजिक कार्यकर्ता / मनोचिकित्सीय नर्स (टेली मानस)	03	00	**03**
47	डाटा एंट्री ऑपरेटर (टेली मानस)	02	01	**01**
	कुल			**132**

2. जी.एम.एच. इंदौर

क्रम संख्या	पद का नाम	स्वीकृत	कार्यरत	कमी
1	एसोसिएट प्रोफेसर	1	0	**1**
2	सहायक प्रोफेसर (रेडियोलॉजी)	1	0	**1**
3	सहायक प्रोफेसर (एनेस्थीसिया)	1	0	**1**
4	सहायक प्रोफेसर (पैथोलॉजी)	1	0	**1**
5	सहायक प्रोफेसर (बायोकेमिस्ट)	1	0	**1**
6	मुख्य परिचारिका	1	0	**1**
7	नैदानिक मनोवैज्ञानिक	2	0	**2**
8	नर्सिंग सिस्टर	4	0	**4**
9	नर्सिंग अधिकारी	68	64	**4**
10	मनोचिकित्सीय सामाजिक कार्यकर्ता	5	3	**2**
11	आहार विशेषज्ञ	1	0	**1**
12	स्टोर कीपर	2	1	**1**
13	रिकॉर्ड कीपर	2	0	**2**
14	प्रधान लिपिक	1	0	**1**
15	लेखाकार	2	1	**1**
16	कंप्यूटर ऑपरेटर	2	0	**2**
17	लैब तकनीशियन	3	1	**2**
18	फार्मासिस्ट ग्रेड- II	7	2	**5**
19	लैब अटेंडर	1	0	**1**
20	एक्स-रे अटेंडर	1	0	**1**
21	वार्ड बॉय	10	0	**10**
22	चपरासी	6	4	**2**
23	एसोसिएट प्रोफेसर, मनोचिकित्सा (सी.ओ.ई.)	1	0	**1**
24	सहायक प्रोफेसर, मनोचिकित्सा (सी.ओ.ई.)	1	0	**1**

क्रम संख्या	पद का नाम	स्वीकृत	कार्यरत	कमी
25	एसोसिएट प्रोफेसर, क्लिनिकल साइकोलॉजी (सी.ओ.ई.)	1	0	**1**
26	सहायक प्रोफेसर, नैदानिक मनोविज्ञान (सी.ओ.ई.)	1	0	**1**
27	नैदानिक मनोवैज्ञानिक (सी.ओ.ई.)	2	0	**2**
28	एसोसिएट प्रोफेसर, मनोचिकित्सीय सामाजिक कार्य (सी.ओ.ई.)	1	0	**1**
29	सहायक प्रोफेसर, मनोचिकित्सीय सामाजिक कार्य (सी.ओ.ई.)	1	0	**1**
30	मनोचिकित्सीय सामाजिक कार्यकर्ता (सी.ओ.ई.)	2	0	**2**
31	एसोसिएट प्रोफेसर, मनोचिकित्सीय नर्सिंग (सी.ओ.ई.)	1	0	**1**
32	सहायक प्रोफेसर, मनोचिकित्सीय नर्सिंग (सी.ओ.ई.)	1	0	**1**
33	ट्यूटर, मनोचिकित्सीय नर्सिंग (सी.ओ.ई.)	1	0	**1**
34	परामर्शदाता (टेली मानस)	20	10	**10**
35	नैदानिक मनोवैज्ञानिक / मनोवैज्ञानिक / मनोचिकित्सीय सामाजिक कार्यकर्ता / मनोचिकित्सीय नर्स (टेली मानस)	03	00	**03**
36	परिचारक (टेली मानस)	02	01	**01**
	कुल			**74**

3. जी.एम.सी, ग्वालियर

क्रम संख्या	पद का नाम	स्वीकृत	कार्यरत	कमी
1	मनोचिकित्सीय सामाजिक कार्यकर्ता	1	0	**1**
	कुल			**1**

4. जी.एम.सी, इंदौर

क्रम संख्या	पद का नाम	स्वीकृत	कार्यरत	कमी
1	एसोसिएट प्रोफेसर	1	0	**1**
	कुल			**1**

5. जी.एम.सी, खंडवा

क्रम संख्या	पद का नाम	स्वीकृत	कार्यरत	कमी
1	नैदानिक मनोवैज्ञानिक	1	0	**1**
2	मनोचिकित्सीय सामाजिक कार्यकर्ता	1	0	**1**
	कुल			2

6. जी.एम.सी, रतलाम

क्रम संख्या	पद का नाम	स्वीकृत	कार्यरत	कमी
1	सहायक प्रोफेसर	1	0	**1**
2	जूनियर रेजीडेंट	2	1	**1**
3	मनोचिकित्सीय सामाजिक कार्यकर्ता	2	1	**1**
	कुल			**3**

7. जिला अस्पताल, ग्वालियर

क्रम संख्या	पद का नाम	स्वीकृत	कार्यरत	कमी
1	मनोचिकित्सीय नर्स	1	0	1
	कुल			**1**

8. जिला अस्पताल, खंडवा

क्रम संख्या	पद का नाम	स्वीकृत	कामचलाऊ	कमी
1	नैदानिक मनोवैज्ञानिक	1	0	**1**
2	मनोचिकित्सीय नर्स	1	0	**1**
	कुल			**2**

परिशिष्ट-2.1.11

एम.एस.आर. 2020 के अनुसार आवश्यक पदों की स्थिति, मध्य प्रदेश शासन द्वारा स्वीकृत पद तथा उनके विरूद्ध मार्च 2024 तक जी.एम.सी में पदस्थापना

[संदर्भ: कंडिका संख्या 2.1.7.3, पृष्ठ संख्या 28]

जी.एम.सी. का नाम	पद का नाम	एम.एस.आर. के अनुसार आवश्यक पद	मध्य प्रदेश शासन द्वारा स्वीकृत पद	स्वीकृति में कमी	तैनाती	पदस्थापना में कमी
भोपाल	नैदानिक मनोवैज्ञानिक	1	0	1	0	0
	मनोचिकित्सीय सामाजिक कार्यकर्ता	2	2	0	2	0
ग्वालियर	नैदानिक मनोवैज्ञानिक	1	0	1	0	0
	मनोचिकित्सीय सामाजिक कार्यकर्ता	2	1	1	0	1
इंदौर	नैदानिक मनोवैज्ञानिक	1	0	1	0	0
	मनोचिकित्सीय सामाजिक कार्यकर्ता	2	0	2	0	0
खंडवा	नैदानिक मनोवैज्ञानिक	1	1	0	0	1
	मनोचिकित्सीय सामाजिक कार्यकर्ता	2	1	1	0	1
रतलाम	नैदानिक मनोवैज्ञानिक	1	1	0	1	0
	मनोचिकित्सीय सामाजिक कार्यकर्ता	2	2	0	1	1
	कुल	**15**	**8**	**7**	**4**	**4**

स्रोत: एम.एस.आर. 2020 और जी.एम.सी द्वारा प्रदान की गई जानकारी

परिशिष्ट-2.1.12

संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान चयनित एम.एच.ई में अनुपलब्ध सुविधाओं का विवरण

[संदर्भ: कंडिका संख्या 2.1.7.5, पृष्ठ संख्या 29]

क्रम संख्या	सुविधा का नाम	एम.एच/जी.एम.सी/जिला अस्पताल (डी.एच.) का नाम जिसमें सुविधा नहीं मिली है
1	कूलर	जी.एम.सी. इंदौर तथा रतलाम, डी.एच. भोपाल, खंडवा तथा रतलाम
2	हीटर	जी.एम.सी. भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, और रतलाम, डी.एच. खंडवा, रतलाम तथा भोपाल
3	मरीजों के लिए अलग शैय्या	एम.एच. ग्वालियर तथा डी.एच. खंडवा
4	मरीजों के लिए अलग तकिए	एम.एच. ग्वालियर, जी.एम.सी. भोपाल तथा रतलाम, डी.एच. खंडवा
5	मरीजों के लिए अलग कंबल	डी.एच. खंडवा तथा रतलाम
6	शौचालय और बाथरूम में स्वच्छता	एम.एच. ग्वालियर तथा इंदौर, जी.एम.सी. ग्वालियर, डी.एच. भोपाल, खंडवा तथा रतलाम
7	लिनन की नियमित सफाई और बदलाव	एम.एच. इंदौर, डी.एच. खंडवा तथा रतलाम.
8	विशेष पोषण संबंधी आवश्यकताओं के आधार पर विशेष आहार	एम.एच. इंदौर, जी.एम.सी. ग्वालियर, इंदौर तथा रतलाम, डी.एच. भोपाल, खंडवा तथा रतलाम
9	मनोरंजन कार्यक्रम, सामाजिक कार्यक्रम एवं भ्रमण	जी.एम.सी. भोपाल, ग्वालियर, इंदौर तथा रतलाम, डी.एच. भोपाल, खंडवा तथा रतलाम
10	सुसज्जित आगंतुक कमरा	एम.एच. इंदौर, जी.एम.सी. भोपाल, ग्वालियर, इंदौर तथा रतलाम, डी.एच. भोपाल, खंडवा तथा रतलाम.
11	बहुउद्देशीय श्रमिक पर्याप्त नहीं थे (प्रत्येक दस बिस्तरों के लिए एक)	जी.एम.सी. ग्वालियर, इंदौर तथा रतलाम, डी.एच. भोपाल, खंडवा तथा रतलाम.
12	मानसिक रूप से बीमार महिला और पुरुष रोगियों के लिए अलग-अलग वार्ड	जी.एम.सी. भोपाल, इंदौर तथा रतलाम, डी.एच. भोपाल, ग्वालियर, खंडवा तथा रतलाम.
13	आपात स्थिति के मामले में सहज मार्ग और सुरक्षित निकासी सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त आयाम	जी.एम.सी. इंदौर, डी.एच. खंडवा तथा रतलाम.
14	वार्ड बेड एवं आसपास की जगह (सभी तरफ एक मीटर से कम)	एम.एच. ग्वालियर तथा इंदौर, जी.एम.सी. इंदौर, डी.एच. खंडवा तथा रतलाम.
15	मरीजों एवं परिवार के सदस्यों के साथ बैठने की व्यवस्था	एम.एच. ग्वालियर, जी.एम.सी. इंदौर तथा रतलाम, डी.एच. खंडवा तथा रतलाम.
16	पीने के पानी की सुविधा	जी.एम.सी. इंदौर, रतलाम तथा डी.एच. रतलाम
17	पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग-अलग शौचालय	जी.एम.सी. भोपाल तथा इंदौर,
18	सहायक सीढ़ी के साथ परीक्षण मेज	जी.एम.सी. भोपाल, इंदौर, डी.एच. भोपाल, खंडवा और इंदौर
19	पर्याप्त संख्या में सुरक्षा कर्मी, जिनमें समान संख्या में महिला गार्ड शामिल हों	सभी परीक्षण जांच किए गए एम.एच.ई
20	स्वतंत्र लॉकर	एम.एच. ग्वालियर तथा इंदौर, जी.एम.सी. इंदौर तथा रतलाम, डी.एच. भोपाल, खंडवा तथा रतलाम.

परिशिष्ट-2.1.13

15 मिनट के निर्धारित न्यूनतम समय के भीतर डिस्कनेक्ट की गई कॉल का विवरण

[संदर्भ: कंडिका संख्या 2.1.7.13 (अ), पृष्ठ संख्या 36]

टेली मानस सेल का नाम	अटेंड किए गए कॉल की कुल संख्या	निर्धारित मिनट अर्थात 15 मिनट से अधिक या उसके बराबर के अनुसार अटेंडेड कॉल की संख्या (प्रतिशत)	न्यूनतम 15 मिनट के निर्धारित समय से कम समय में डिसकनेक्ट की गई कॉलों की संख्या (प्रतिशत)			15 मिनट के निर्धारित न्यूनतम समय से कम समय के भीतर डिसकनेक्ट की गई कॉल की संख्या (प्रतिशत)
			पांच मिनट से कम (प्रतिशत में)	पांच मिनट से अधिक 10 मिनट से कम (प्रतिशत में)	10 मिनट से अधिक 15 मिनट से कम (प्रतिशत में)	
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	
जी.एम.एच. ग्वालियर	20083	3845 (19)	10600 (65)	3676 (23)	1962 (12)	16238 (81)
जी.एम.एच. इंदौर	41453	9398 (23)	21246 (66)	6645 (21)	4164 (13)	32055 (77)
कुल	**61536**	**13243 (22)**	**31846 (66)**	**10321 (21)**	**6126 (13)**	**48293 (78)**

स्रोत: टेली मानस सेल द्वारा प्रदान की गई जानकारी

परिशिष्ट-2.1.14

मार्च 2024 तक एस.एम.एच.ए . में मानव संसाधन की स्थिति

[संदर्भ: कंडिका संख्या 2.1.8.2, पृष्ठ संख्या 38]

क्रम संख्या	पद का नाम	स्वीकृत	पदस्थ व्यक्ति	रिक्त
1	सी.ई.ओ.	1	1	0
2	उप संचालक	3	2 (एक पद उप निदेशक, वित्त, एन.एच.एम., मध्य प्रदेश (अतिरिक्त प्रभार)	1
3	सलाहकार	2	1 (एन.एच.एम. एम.पी. से संलग्न)	1
4	लेखाकार	1	1 (एन.एच.एम. एम.पी. से संलग्न)	0
5	कार्यालय सहायक सह कंप्यूटर ऑपरेटर	3	2	1
	कुल	**10**	**7**	**3**

स्रोत: एस.एम.एच.ए द्वारा प्रदान की गई जानकारी

परिशिष्ट-2.2.1

चयनित विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग तथा शासकीय महाविद्यालयों की सूची

[संदर्भ: कंडिका 2.2.1.2, पृष्ठ संख्या 43]

क्र. सं.	जिले का नाम	विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग एवं शासकीय महाविद्यालयों का नाम
		चयनित शासकीय महाविद्यालयों का विवरण
1	अशोकनगर	शासकीय महाविद्यालय, ईशागढ़
2		शासकीय महाविद्यालय, पिपराई
3	भिंड	शासकीय श्री गांधी महाविद्यालय, बालाजी-मिहोना
4		शासकीय महाविद्यालय, आलमपुर
5		महर्षि अरविंद शासकीय महाविद्यालय, गोहद
6	दतिया	शासकीय महाविद्यालय, बसई
7		शासकीय विधि महाविद्यालय, दतिया
8		शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, दतिया
9	गुना	शासकीय महाविद्यालय, राघोगढ़
10		शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, गुना
11	ग्वालियर	श्रीमंत माधवराव सिंधिया शासकीय आदर्श विज्ञान महाविद्यालय
12		विजया राजे शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मुरार
13		शासकीय श्यामलाल पाण्डवीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मुरार
14		शासकीय कमलाराजा कन्या स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय
15	मुरैना	शासकीय स्नातकोत्तर उत्कृष्ट महाविद्यालय, मुरैना
16		शासकीय विधि महाविद्यालय, मुरैना
17		शासकीय कन्या महाविद्यालय, मुरैना
18	श्योपुर	शासकीय महाविद्यालय, कराहल
19		शासकीय महाविद्यालय, बडौदा
20	शिवपुरी	शासकीय श्रीमंत महाराज माधवराव सिंधिया महाविद्यालय, कोलारस
21		शासकीय श्रीमंत माधवराव सिंधिया स्नातकोत्तर महाविद्यालय, शिवपुरी
22		शासकीय छत्रसाल महाविद्यालय, पिछोर
		चयनित विश्वविद्यालय शिक्षण विभागों का विवरण
1	जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर	पत्रकारिता एवं जनसंचार केंद्र
2		खाद्य प्रौद्योगिकी अध्ययन केंद्र
3		इंदिरा गांधी पर्यावरण शिक्षा अनुसंधान एवं पर्यावरण-योजना अकादमी
4		संस्कृति एवं विरासत हेतु क्षेत्रीय अध्ययन केंद्र
5		जैव प्रौद्योगिकी अध्ययन केंद्र
6		वाणिज्य अध्ययन केंद्र
7		अर्थशास्त्र अध्ययन केंद्र
8		भाषा अध्ययन केंद्र
9		प्रबंधन अध्ययन केंद्र

परिशिष्ट-2.2.2
नमूना जाँच किए गए संबद्धता का विवरण (2021-24)
[संदर्भः कंडिका 2.2.2.1, पृष्ठ संख्या 44]

क्रमांक	जिले का नाम	महाविद्यालयों के नाम	निजी/शासकीय
1.	अशोकनगर	इंस्टिट्यूट ऑफ़ मैनेजमेंट स्टडीज	निजी
2.		सिटी पब्लिक महाविद्यालय	निजी
3.	भिंड	एस.आर. डिग्री महाविद्यालय, मखोरी	निजी
4.		गालव ऋषि इंस्टिट्यूट ऑफ़ एजुकेशन, मालनपुर, गोहद	निजी
5.		विद्यादेवी महाविद्यालय, गोरमी,	निजी
6.		आयुषी महाविद्यालय	निजी
7.		श्री गोकुल सिंह महाविद्यालय, गोरमी	निजी
8.		मां त्रिमुखा विधि महाविद्यालय	निजी
9.		स्वयं प्रभा महाविद्यालय, लहार	निजी
10.		शासकीय महाविद्यालय, गोरमी	शासकीय
11.	दतिया	शासकीय महाविद्यालय, बसई	शासकीय
12.	गुना	आदित्यराज महाविद्यालय, मकसुदनगढ	निजी
13.	ग्वालियर	नारायण महाविद्यालय	निजी
14.		अंश कॉलेज ऑफ एजुकेशन	निजी
15.		इंस्टिट्यूट ऑफ़ प्रोफेशन एंड टेक्निकल एजुकेशन, चिरवाई	निजी
16.		देव नारायण तानसेन महाविद्यालय	निजी
17.		अनंत इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, सिथौली	निजी
18.		टेक्नोक्रेट इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, बड़ागांव, चित्तौरा रोड	निजी
19.		विंग्स महाविद्यालय, चित्तौरा रोड	निजी
20.		शासकीय महाविद्यालय, पिछोर	शासकीय
21.	मुरैना	मान सिंह इंस्टिट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, अम्बाह	निजी
22.		एच.एन.एस. महाविद्यालय, पोरसा	निजी
23.		महाराजा अनंगपाल डिग्री महाविद्यालय, पोरसा	निजी
24.		आई.पी.एस. कॉलेज ऑफ एजुकेशन, जौरा	निजी
25.		श्रीराम स्कूल ऑफ बिजनेस स्टडीज, बामोर	निजी
26.		सावित्री देवी महाविद्यालय, जौरा	निजी
27.		सरवानी महाविद्यालय, सीकरपुर	निजी
28.	मुरैना	श्री कृष्णा महाविद्यालय, कैलारस	निजी
29.		दानवीर महाविद्यालय, खेड़ा मेवड़ा	निजी
30.		माँ विद्यादेवी शिक्षा महाविद्यालय	निजी
31.		श्री अर्जुन सिंह शिक्षा महाविद्यालय, अंबाह	निजी
32.		सैनिक डिग्री कॉलेज, ए.बी. रोड	निजी
33.		श्री बालाजी कॉलेज ऑफ एजुकेशन	निजी
34.		जय श्री कृष्णा महाविद्यालय	निजी
35.		शासकीय महाविद्यालय, रिथौरा	शासकीय
36.		शासकीय महाविद्यालय, डिमनी	शासकीय
37.		शासकीय महाविद्यालय, राजोधा	शासकीय
38.	श्योपुर	शासकीय विधि महाविद्यालय	शासकीय
39.		शासकीय महाविद्यालय, डोडर	शासकीय
40.	शिवपुरी	शासकीय महाविद्यालय, दिनारा	शासकीय

परिशिष्ट-2.2.3

वर्ष 2021-24 के दौरान निरीक्षण दल द्वारा निजी महाविद्यालयों के निरीक्षण का विवरण

[संदर्भ: कंडिका 2.2.2.1 (i), पृष्ठ संख्या 44]

क्रमांक	महाविद्यालय का नाम	निरीक्षण दल द्वारा महाविद्यालय का निरीक्षण (वर्ष 2021-22)		निरीक्षण दल द्वारा महाविद्यालय का निरीक्षण (वर्ष 2022-23)		निरीक्षण दल द्वारा महाविद्यालय का निरीक्षण (वर्ष 2023-24)	
		सदस्यों की संख्या	पद	सदस्यों की संख्या	पद	सदस्यों की संख्या	पद
1	आयुषी महाविद्यालय, भिंड	3	प्राध्यापक	3	प्राध्यापक	3	प्राध्यापक
2	विद्यादेवी महाविद्यालय, गोरमी, भिंड	4	1 प्राध्यापक	3	पद उल्लिखित नहीं है	निरंक	निरंक
3	नारायण महाविद्यालय, ग्वालियर	3	पद उल्लिखित नहीं है	निरंक	निरंक	3	प्राध्यापक
4	अंश कॉलेज ऑफ एजुकेशन, ग्वालियर	4	पद उल्लिखित नहीं है	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
5	गालव ऋषि शिक्षा संस्थान, मालनपुर, गोहद, भिंड	3	पद उल्लिखित नहीं है	निरंक	निरंक	3	प्राध्यापक
6	महाराजा अनंगपाल डिग्री कॉलेज, पोरसा, मुरैना	3	पद उल्लिखित नहीं है	3	प्राध्यापक	3	प्राध्यापक
7	माँ विद्यादेवी शिक्षा महाविद्यालय, मुरैना	3	पद उल्लिखित नहीं है	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
8	श्री अर्जुन सिंह शिक्षा महाविद्यालय, अंबाह, मुरैना	3	पद उल्लिखित नहीं है	निरंक	निरंक	3	पद उल्लिखित नहीं है
9	श्री गोकुल सिंह महाविद्यालय, गोरमी, भिंड	निरंक	निरंक	3	पद उल्लिखित नहीं है	निरंक	निरंक
10	श्री बालाजी कॉलेज ऑफ एजुकेशन, मुरैना	3	पद उल्लिखित नहीं है	3	02 प्राध्यापक, 01 सहायक प्राध्यापक	3	03 प्राध्यापक
11	आई.पी.एस. कॉलेज ऑफ एजुकेशन, जौरा, मुरैना			4	पद उल्लिखित नहीं है	3	पद उल्लिखित नहीं है
12	श्रीराम स्कूल ऑफ बिजनेस स्टडीज, बानमोर, मुरैना			3	पद उल्लिखित नहीं है	3	प्राध्यापक
13	सावित्री देवी महाविद्यालय, जौरा, मुरैना			3	पद उल्लिखित नहीं है	3	प्राध्यापक
14	इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, अशोकनगर			3	पद उल्लिखित नहीं है	3	पद उल्लिखित नहीं है

क्रमांक	महाविद्यालय का नाम	निरीक्षण दल द्वारा महाविद्यालय का निरीक्षण (वर्ष 2021-22)		निरीक्षण दल द्वारा महाविद्यालय का निरीक्षण (वर्ष 2022-23)		निरीक्षण दल द्वारा महाविद्यालय का निरीक्षण (वर्ष 2023-24)	
		सदस्यों की संख्या	पद	सदस्यों की संख्या	पद	सदस्यों की संख्या	पद
15	इंस्टिट्यूट ऑफ प्रोफेशन एंड टेक्निकल एजुकेशन, चिरवई, ग्वालियर			3	पद उल्लिखित नहीं है	अभिलेखों में नहीं मिला	अभिलेखों में नहीं मिला
16	सरवानी महाविद्यालय, सिकरपुर, मुरैना			अभिलेखों में नहीं मिला	अभिलेखों में नहीं मिला	3	प्राध्यापक
17	सिटी पब्लिक कॉलेज, अशोकनगर			अभिलेखों में नहीं मिला	अभिलेखों में नहीं मिला	3	पद उल्लिखित नहीं है
18	सैनिक डिग्री कॉलेज, ए.बी. रोड, मुरैना			3	पद उल्लिखित नहीं है	3	पद उल्लिखित नहीं है
19	टेक्नोक्रेट इंस्टिट्यूट ऑफ़ प्रोफेशनल स्टडीज, बड़ागांव, चितौरा रोड, ग्वालियर			3	2 प्राध्यापक एवं 1 सहायक प्राध्यापक	3	पद उल्लिखित नहीं है
20	जय श्री कृष्णा, महाविद्यालय, मुरैना			3	पद उल्लिखित नहीं है	3	पद उल्लिखित नहीं है
21	स्वयं प्रभा महाविद्यालय, लहार, भिंड			3	पद उल्लिखित नहीं है	3	पद उल्लिखित नहीं है
22	विंग्स महाविद्यालय चितौरा रोड, ग्वालियर			4	सभी प्राध्यापक	3	2 प्राध्यापक, 1 सहायक प्राध्यापक
23	मान सिंह इंस्टिट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, अंबाह, मुरैना					3	1 प्राध्यापक
24	एस.आर. डिग्री कॉलेज, मखोरी, भिंड					4	पद उल्लिखित नहीं है
25	एच.एन.एस. महाविद्यालय, पोरसा, मुरैना					3	1 प्राध्यापक
26	देव नारायण तानसेन महाविद्यालय, बेहट, मुरार, ग्वालियर					3	पद उल्लिखित नहीं है
27	श्री कृष्णा महाविद्यालय, कैलारस, मुरैना					3	2 प्राध्यापक
28	दानवीर महाविद्यालय, खेड़ा मेवड़ा, मुरैना					3	1 प्राध्यापक

क्रमांक	महाविद्यालय का नाम	निरीक्षण दल द्वारा महाविद्यालय का निरीक्षण (वर्ष 2021-22)		निरीक्षण दल द्वारा महाविद्यालय का निरीक्षण (वर्ष 2022-23)		निरीक्षण दल द्वारा महाविद्यालय का निरीक्षण (वर्ष 2023-24)	
		सदस्यों की संख्या	पद	सदस्यों की संख्या	पद	सदस्यों की संख्या	पद
29	आदित्यराज महाविद्यालय, मकसुदनगढ, गुना					4	पद उल्लिखित नहीं है
30	माँ त्रिमुखा विधि महाविद्यालय, भिंड					4	1 प्राध्यापक, 3 सहायक प्राध्यापक

परिशिष्ट-2.2.4

निजी महाविद्यालयों में बुनियादी सुविधाओं का विवरण

[संदर्भ: कंडिका 2.2.2.1 (ii), पृष्ठ संख्या 45]

महाविद्यालय का नाम	भूमि	भवन	व्याख्यान/संगोष्ठी कक्ष	पुस्तकालय			प्रयोगशाला	
	कोई भूमि नहीं	कम भूमि	10000 वर्ग फुट से कम	हाँ/ नहीं	हाँ/नहीं	पुस्तकें 1000 या अधिक हाँ/ नहीं	हाँ/ नहीं	उपकरण
वर्ष 2021-22 से 2023-24								
आयुषी महाविद्यालय, भिंड		हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ	आवश्यक नहीं	आवश्यक नहीं
विद्यादेवी महाविद्यालय, गोरमी, भिंड		हाँ	नहीं	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	उल्लिखित नहीं
नारायण महाविद्यालय, ग्वालियर		नहीं	नहीं	नहीं	हाँ	हाँ	आवश्यक नहीं	आवश्यक नहीं
अंश कॉलेज ऑफ एजुकेशन, ग्वालियर		नहीं	नहीं	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	लागू नहीं
गालव ऋषि इंस्टिट्यूट ऑफ़ एजुकेशन, मालनपुर, गोहद, भिंड		हाँ	नहीं	नहीं	हाँ	नहीं	आवश्यक नहीं	आवश्यक नहीं
महाराजा अनंगपाल डिग्री कॉलेज, पोरसा, मुरैना		हाँ	निर्दिष्ट नहीं	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ
माँ विद्यादेवी शिक्षा महाविद्यालय, मुरैना		नहीं	नहीं	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	उल्लिखित नहीं
श्री अर्जुन सिंह शिक्षा महाविद्यालय, अंबाह, मुरैना		हाँ	नहीं	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	उल्लिखित नहीं
श्री गोकुल सिंह महाविद्यालय, गोरमी, भिंड		नहीं	निर्दिष्ट नहीं	नहीं	हाँ	नहीं	उल्लिखित नहीं	हाँ
अनंत इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, सिथौली, ग्वालियर		नहीं	निर्दिष्ट नहीं	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	उल्लिखित नहीं
श्री बालाजी कॉलेज ऑफ एजुकेशन, मुरैना		हाँ	निर्दिष्ट नहीं	उल्लेख नहीं	हाँ	हाँ	हाँ	उल्लिखित नहीं
वर्ष 2022-23 से 2023-24								
आई.पी.एस. कॉलेज ऑफ एजुकेशन, जौरा, मुरैना		हाँ	नहीं	नहीं	हाँ	नहीं	नहीं	लागू नहीं
श्रीराम स्कूल ऑफ बिजनेस स्टडीज, बानमोर, मुरैना		नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ	हाँ	अभिलेखों में नहीं मिला
सावित्री देवी महाविद्यालय, जौरा, मुरैना		नहीं	नहीं	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	अभिलेखों में नहीं मिला
इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, अशोकनगर		हाँ	नहीं	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	अभिलेखों में नहीं मिला
इंस्टिट्यूट ऑफ प्रोफेशन एंड टेक्निकल एजुकेशन, चिरवई, ग्वालियर		नहीं	नहीं	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	अभिलेखों में नहीं मिला
सरवानी महाविद्यालय, सिकरपुर, मुरैना	पट्टा	हाँ	नहीं	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	अभिलेखों में नहीं मिला
सिटी पब्लिक कॉलेज, अशोकनगर		हाँ	नहीं	नहीं	हाँ	नहीं	नहीं	लागू नहीं
सैनिक डिग्री कॉलेज, ए.बी. रोड, मुरैना		हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	उल्लिखित नहीं

महाविद्यालय का नाम	भूमि	भवन	व्याख्यान/संगोष्ठी कक्ष	पुस्तकालय			प्रयोगशाला	
	कोई भूमि नहीं	कम भूमि	10000 वर्ग फुट से कम	हाँ/ नहीं	हाँ/नहीं	पुस्तकें 1000 या अधिक हाँ/ नहीं	हाँ/ नहीं	उपकरण
टेक्नोक्रेट इंस्टिट्यूट ऑफ़ प्रोफेशनल स्टडीज, बड़ागांव, चतौ रा रोड, ग्वालियर		हाँ	निर्दिष्ट नहीं	नहीं	नहीं	---	हाँ	उल्लिखित नहीं
जय श्री कृष्णा महाविद्यालय, मुरैना		हाँ	नहीं	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	उल्लिखित नहीं
स्वयं प्रभा महाविद्यालय, लहार, भिंड		हाँ	नहीं	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	निर्दिष्ट नहीं
विंग्स महाविद्यालय चितौरा रोड, ग्वालियर		हाँ	नहीं	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	निर्दिष्ट नहीं
वर्ष 2023-24								
मानसिंह इंस्टिट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, अंबाह, मुरैना	निर्दिष्ट नहीं		उल्लिखित नहीं	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	उल्लिखित नहीं
एस.आर. डिग्री कॉलेज, मखोरी, भिंड		हाँ	हाँ	नहीं	नहीं	----	नहीं	लागू नहीं
एच.एन.एस. महाविद्यालय, पोरसा, मुरैना	निर्दिष्ट नहीं		उल्लिखित नहीं	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	उल्लिखित नहीं
देव नारायण तानसेन महाविद्यालय, बेहट, मुरार, ग्वालियर		हाँ	नहीं	नहीं	हाँ	नहीं	आवश्यक नहीं	आवश्यक नहीं
श्री कृष्णा महाविद्यालय, कैलारस, मुरैना		अभिलेखों में नहीं मिला	अभिलेखों में नहीं मिला	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	उल्लिखित नहीं
दानवीर महाविद्यालय, खेड़ा मेवड़ा, मुरैना		अभिलेखों में नहीं मिला	अभिलेखों में नहीं मिला	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	उल्लिखित नहीं
आदित्यराज महाविद्यालय, मकसुदनगढ, गुना		अभिलेखों में नहीं मिला	अभिलेखों में नहीं मिला	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	उल्लिखित नहीं
माँ त्रिमुखा विधि महाविद्यालय, भिंड		हाँ	नहीं	हाँ	हाँ	नहीं	आवश्यक नहीं	आवश्यक नहीं

परिशिष्ट-2.2.5

वर्ष 2021-22 से 2023-24 के दौरान निजी महाविद्यालयों में बुनियादी सुविधाओं का विवरण

[संदर्भ:कंडिका 2.2.2.1(ii), पृष्ठ संख्या 45]

महाविद्यालयों के नाम	खेल	कैंटीन	स्वास्थ्य देखरेख	बालकों एवं बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय	निर्धारित पार्किंग सुविधा	सुरक्षा एवं संरक्षा प्रतिवेदित किये गए
वर्ष 2021-22 से 2023-24						
आयुषी महाविद्यालय, भिंड	नहीं	नहीं	नहीं	हाँ	हाँ	नहीं
विद्यादेवी महाविद्यालय, गोरमी, भिंड	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	हाँ	नहीं
नारायण महाविद्यालय, ग्वालियर	नहीं	नहीं	नहीं	हाँ	हाँ	नहीं
अंश कॉलेज ऑफ एजुकेशन, ग्वालियर	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
गालव ऋषि इंस्टिट्यूट ऑफ़ एजुकेशन, मालनपुर, गोहद, भिंड	नहीं	नहीं	नहीं	हाँ	हाँ	नहीं
महाराजा अनंगपाल डिग्री कॉलेज , पोरसा, मुरैना	हाँ	नहीं	नहीं	हाँ	हाँ	नहीं
माँ विद्यादेवी शिक्षा महाविद्यालय, मुरैना	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	हाँ	नहीं
श्री अर्जुन सिंह शिक्षा, महाविद्यालय अम्बाह, मुरैना	हाँ	नहीं	नहीं	हाँ	हाँ	नहीं
श्री गोकुल सिंह महाविद्यालय, गोरमी, भिंड	नहीं	नहीं	नहीं	हाँ	हाँ	हाँ
अनंत इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, सिथौली, ग्वालियर	नहीं	नहीं	नहीं	हाँ	नहीं	नहीं
श्री बालाजी कॉलेज ऑफ एजुकेशन, मुरैना	हाँ	नहीं	नहीं	हाँ	हाँ	हाँ
वर्ष 2022-23 से 2023-24						
आई.पी.एस. कॉलेज ऑफ एजुकेशन, जौरा, मुरैना	नहीं	नहीं	नहीं	हाँ	हाँ	नहीं
श्रीराम स्कूल ऑफ बिजनेस स्टडीज, बानमोर, मुरैना	हाँ	नहीं	नहीं	हाँ	हाँ	हाँ
सावित्री देवी महाविद्यालय, जौरा, मुरैना	नहीं	नहीं	नहीं	हाँ	हाँ	नहीं
इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, अशोकनगर	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	हाँ	हाँ
इंस्टिट्यूट ऑफ प्रोफेशन एंड टेक्निकल एजुकेशन, चिरवई, ग्वालियर	हाँ	नहीं	नहीं	हाँ	हाँ	नहीं
सरवानी महाविद्यालय, सिकरपुर, मुरैना	नहीं	नहीं	नहीं	हाँ	हाँ	नहीं
सिटी पब्लिक कॉलेज, अशोकनगर	नहीं	नहीं	नहीं	हाँ	हाँ	नहीं
सैनिक डिग्री कॉलेज , ए.बी. रोड, मुरैना	नहीं	नहीं	नहीं	हाँ	हाँ	नहीं
टेकनोक्रेट इंस्टिट्यूट ऑफ़ प्रोफेशनल स्टडीज, बडागांव, चितौरा रोड, ग्वालियर	नहीं	नहीं	नहीं	हाँ	हाँ	नहीं
जय श्री कृष्णा, महाविद्यालय, मुरैना	प्रस्तुत नहीं	प्रस्तुत नहीं	प्रस्तुत नहीं	प्रस्तुत नहीं	प्रस्तुत नहीं	प्रस्तुत नहीं
स्वयं प्रभा महाविद्यालय, लहार, भिंड	नहीं	नहीं	नहीं	हाँ	हाँ	हाँ
विंग्स महाविद्यालय चितौरा रोड, ग्वालियर	नहीं	नहीं	नहीं	हाँ	हाँ	प्रस्तुत नहीं
वर्ष 2023-24						
मानसिंह इंस्टिट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, अंबाह, मुरैना	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
एस.आर. डिग्री महाविद्यालय, मखोरी, भिंड	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं

महाविद्यालयों के नाम	खेल	कैंटीन	स्वास्थ्य देखरेख	बालकों एवं बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय	निर्धारित पार्किंग सुविधा	सुरक्षा एवं संरक्षा प्रतिवेदित किये गए
एच.एन.एस. महाविद्यालय, पोरसा, मुरैना	नहीं	नहीं	नहीं	हाँ	हाँ	नहीं
देव नारायण तानसेन महाविद्यालय, बेहट, मुरार, ग्वालियर	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
श्री कृष्णा महाविद्यालय, कैलारस, मुरैना	नहीं	नहीं	नहीं	हाँ	हाँ	नहीं
दानवीर महाविद्यालय, खेड़ा मेवड़ा, मुरैना	नहीं	नहीं	नहीं	हाँ	हाँ	नहीं
आदित्यराज महाविद्यालय, मकसुदनगढ, गुना	नहीं	नहीं	नहीं	हाँ	हाँ	नहीं
माँ त्रिमुखा विधि महाविद्यालय, भिंड	हाँ	नहीं	नहीं	हाँ	हाँ	हाँ
योग "नहीं"	**24**	**30**	**30**	**7**	**5**	**23**

परिशिष्ट-2.2.6

वर्ष 2021-22 से 2023-24 के दौरान जीवाजी विश्वविद्यालय द्वारा निरीक्षण दिनांक से विलम्ब के साथ संबद्धता प्रदान किए गए महाविद्यालयों का विवरण

[संदर्भ: कंडिका 2.2.2.1(iv), पृष्ठ संख्या 46]

क्रमांक	जिले का नाम	महाविद्यालयों के नाम	वर्ष 2021-22			वर्ष 2022-23			वर्ष 2023-24		
			निरीक्षण दिनांक	संबद्धता दिनांक	विलम्ब	निरीक्षण दिनांक	संबद्धता दिनांक	विलम्ब	निरीक्षण दिनांक	संबद्धता दिनांक	विलम्ब
1.	अशोकनगर	इंस्टिट्यूट ऑफ़ मैनेजमेंट स्टडीज	----	---	----	----	---	----	27-04-2023	10-10-2023	76
2.	भिंड	एस.आर. डिग्री कॉलेज, मखोरी	----	---	----	----	---	----	25-04-2023	06-10-2023	74
3.	भिंड	गालव ऋषि इंस्टिट्यूट ऑफ़ एजुकेशन, मालनपुर, गोहद	16-06-2021	02-11-2021	49	----	---	----	20-04-2023	06-10-2023	79
4.	भिंड	विद्यादेवी महाविद्यालय, गोरमी,	16-06-2021	02-11-2021	49	----	---	----	---	----	---
5.	भिंड	आयुषी महाविद्यालय	17-07-2021	06-12-2022	417	----	---	---	24-04-2023	06-10-2023	75
6.	भिंड	श्री गोकुल सिंह महाविद्यालय, गोरमी	16-06-2021	02-11-2021	49	----	----	----	----	----	----
7.	भिंड	स्वयं प्रभा महाविद्यालय, लहार	----	---	----	03-08-2022	09-02-2023	100	20-04-2023	06-10-2023	79
8.	गुना	आदित्यराज महाविद्यालय, मकसुदनगढ	----	---	----	----	---	----	27-04-2023	06-10-2023	72
9.	ग्वालियर	नारायण महाविद्यालय	16-06-2021	02-11-2021	49	----	---	----	27-04-2023	06-10-2023	72
10.	ग्वालियर	अंश कॉलेज ऑफ एजुकेशन	16-06-2021	02-11-2021	49	----	---	----	---	----	---
11.	ग्वालियर	इंस्टिट्यूट ऑफ़ प्रोफेशनल एंड एप्लिकल एजुकेशन, चिरवई	----	---	----	03-08-2022	09-02-2023	100	----	---	----
12.	ग्वालियर	देव नारायण तानसेन महाविद्यालय	----	---	----	----	---	----	19-04-2023	06-10-2023	80
13.	ग्वालियर	अनंत इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, सिथौली	07-08-2021	06-12-2022	396	----	---	----	19-04-2023	10-10-2023	84
14.	ग्वालियर	टेक्नोक्रेट इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, बड़ागांव, चितौरा रोड	----	---	----	----	---	----	22-04-2023	06-10-2023	77
15.	ग्वालियर	विंग्स महाविद्यालय, चितौरा रोड	----	---	----	03-08-2022	09-02-2023	100	21-04-2023	06-10-2023	78

क्रमांक	जिले का नाम	महाविद्यालयों के नाम	वर्ष 2021-22			वर्ष 2022-23			वर्ष 2023-24		
			निरीक्षण दिनांक	संबद्धता दिनांक	विलम्ब	निरीक्षण दिनांक	संबद्धता दिनांक	विलम्ब	निरीक्षण दिनांक	संबद्धता दिनांक	विलम्ब
16.	मुरैना	मानसिंह इंस्टिट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, अंबाह	----	---	----	----	---	----	24-04-2023	06-10-2023	75
17.	मुरैना	एच.एन.एस. महाविद्यालय, पोरसा	----	---	----	----	---	----	24-04-2023	06-10-2023	75
18.	मुरैना	महाराजा अनंगपाल डिग्री महाविद्यालय, पोरसा	16-06-2021	02-11-2021	49	----	----	---	27-04-2023	06-10-2023	72
19.	मुरैना	आई.पी.एस. कॉलेज ऑफ एजुकेशन, जौरा	----	----	----	04-08-2022	09-02-2023	99	26-04-2023	06-10-2023	73
20.	मुरैना	श्रीराम स्कूल ऑफ बिजनेस स्टडीज, बानमोर	----	----	----	----	----	----	26-04-2023	06-10-2023	73
21.	मुरैना	सावित्री देवी महाविद्यालय, जौरा	----	----	----	04-08-2022	09-02-2023	99	----	----	----
22.	मुरैना	सरवानी महाविद्यालय,सीकरपुर	----	---	----	----	---	----	26-04-2023	06-10-2023	75
23.	मुरैना	श्री कृष्णा महाविद्यालय, कैलारस	----	---	----	----	---	----	24-04-2023	06-10-2023	75
24.	मुरैना	दानवीर महाविद्यालय खेड़ा मेवड़ा	----	---	----	----	---	----	24-04-2023	06-10-2023	75
25.	मुरैना	माँ विद्यादेवी शिक्षा महाविद्यालय	16-06-2021	02-11-2021	49	----	---	----	----	---	----
26.	मुरैना	श्री अर्जुन सिंह शिक्षा महाविद्यालय, अंबाह	17-07-2021	06-12-2022	**417**	----	---	----	26-04-2023	06-10-2023	73
27.	मुरैना	सैनिक डिग्री कॉलेज कॉलेज, ए.बी. रोड	----	---	----	04-08-2022	09-02-2023	99	23-04-2023	06-10-2023	76
28.	मुरैना	श्री बालाजी कॉलेज ऑफ एजुकेशन	16-06-2021	02-11-2021	49	----	---	----	26-04-2023	06-10-2023	73
29.	मुरैना	जय श्री कृष्णा महाविद्यालय				04-08-2022	09-02-2023	99	26-04-2023	06-10-2023	73

परिशिष्ट-2.2.7

जीवाजी विश्वविद्यालय द्वारा वर्ष 2021-22 से 2023-24 के दौरान महाविद्यालयों को बार-बार सशर्त संबद्धता प्रदान की गई

[संदर्भ: कंडिका 2.2.2.1(v), पृष्ठ संख्या 47]

क्रमांक	जिले का नाम	महाविद्यालयों के नाम
1.	अशोकनगर	इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज
2.	भिंड	एस.आर. डिग्री कॉलेज, मखोरी
3.		गालव ऋषि इंस्टिट्यूट ऑफ़ एजुकेशन, मालनपुर, गोहद
4.		विद्यादेवी महाविद्यालय, गोरमी,
5.		आयुषी महाविद्यालय
6.		श्री गोकुल सिंह महाविद्यालय, गोरमी
7.		स्वयं प्रभा महाविद्यालय, लहार
8.	गुना	आदित्यराज महाविद्यालय, मकसुदनगढ
9.	ग्वालियर	नारायण महाविद्यालय
10.		अनंत इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, सिथौली
11.		टेक्नोक्रेट इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, बड़ागांव, चितौरा रोड
12.		विंग्स महाविद्यालय, चितौरा रोड
13.	मुरैना	मानसिंह इंस्टिट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, अम्बाह
14.		एच.एन.एस. महाविद्यालय, पोरसा
15.		महाराजा अनंगपाल डिग्री महाविद्यालय, पोरसा
16.		आई.पी.एस. कॉलेज ऑफ एजुकेशन, जौरा
17.		श्रीराम स्कूल ऑफ बिजनेस स्टडीज, बामोर
18.		सरवानी महाविद्यालय, सीकरपुर
19.		श्री कृष्णा महाविद्यालय, कैलारस
20.		दानवीर महाविद्यालय, खेड़ा मेवड़ा
21.		माँ विद्यादेवी शिक्षा महाविद्यालय
22.		श्री अर्जुन सिंह शिक्षा महाविद्यालय, अम्बाह
23.		सैनिक डिग्री कॉलेज , ए.बी. रोड
24.		श्री बालाजी कॉलेज ऑफ एजुकेशन
25.		जय श्री कृष्णा महाविद्यालय

परिशिष्ट-2.2.8
नमूना जांच किए गए महाविद्यालयों की समय सारणी के अनुसार व्याख्यान की महाविद्यालय-वार अवधि को दर्शाने वाला विवरण
[संदर्भ: कंडिका 2.2.2.2(ii), पृष्ठ संख्या 48]

क्रमांक	जिले का नाम	महाविद्यालयों के नाम	एक व्याख्यान की अवधि *(मिनटों में)*
1	अशोकनगर	शासकीय महाविद्यालय, ईशागढ़	60
2		शासकीय नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय अशोकनगर	60
3	भिंड	शासकीय श्री गांधी महाविद्यालय, बालाजी-मिहोना	40
4		शासकीय महाविद्यालय, आलमपुर	40
5		महर्षि अरविंद शासकीय महाविद्यालय, गोहद	40
6	दतिया	शासकीय महाविद्यालय, बसई	40
7		शासकीय विधि महाविद्यालय, दतिया	45
8		शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, दतिया	45
9	गुना	शासकीय महाविद्यालय, राघोगढ़	60
10		शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, गुना	60
11	ग्वालियर	श्रीमंत माधवराव सिंधिया शासकीय आदर्श विज्ञान महाविद्यालय	40
12		विजया राजे शासकीय स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय, मुरार	40
13		शासकीय श्यामलाल पाण्डवीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मुरार	40
14		शासकीय कमला राजा कन्या स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय	40
15	मुरैना	शासकीय पी.जी. कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस, मुरैना	40
16		शासकीय विधि महाविद्यालय, मुरैना	60
17		शासकीय कन्या महाविद्यालय, मुरैना	40
18	श्योपुर	शासकीय महाविद्यालय कराहल	40
19		शासकीय महाविद्यालय, बडौदा	40
20	शिवपुरी	शासकीय श्रीमंत महाराज माधवराव सिंधिया महाविद्यालय, कोलारस	50
21		शासकीय श्रीमंत माधवराव सिंधिया स्नातकोत्तर महाविद्यालय, शिवपुरी	40
22		राजकीय छत्रसाल महाविद्यालय, पिछोर	40

परिशिष्ट-2.2.9

परीक्षा आयोजित करने एवं परिणाम घोषणा में विलम्ब का विवरण

[संदर्भ: कंडिका 2.2.2.6(ii), पृष्ठ संख्या 55]

वर्ष	निर्धारित समय-सारिणी	विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित	विलम्ब की सीमा (दिवस में)	निर्धारित दिनांक	विश्वविद्यालय द्वारा घोषित	विलम्ब की सीमा (दिवस में)
			स्नातक			
	पूरक परीक्षा			**परिणाम घोषणा**		
2021-22	16/10/2021 से 23/10/2021	10/12/2021 से 14/12/2021	52 से 55	30/11/2021	21/02/2022 से 24/03/2022	83 से 114
2022-23	16/09/2022 से 23/09/2022	20/12/2022 से 03/03/2023	95 से 161	30/09/2022	24/01/2023 से 31/03/2023	116 से 182
2023-04	16/09/2023 से 30/09/2023	04/09/2023 से 12/12/2023	73	31/10/2023	18/10/2023 से 09/01/2024	70
	वार्षिक परीक्षा			**परिणाम घोषणा**		
2021-22	01/04/2022 से 21/05/2022	28/03/2022 से 16/06/2022	26 से 76	30/06/2022	10/06/2022 से 17/10/2022	109
2022-23	01/04/2023 से 18/05/2023	05/04/2023 से 28/07/2023	**4 से 71**	30/06/2023	17/05/2023 से 25/10/2023	117
2023-24	01/04/2024 से 31/05/2024	08/04/2024 से 25/07/2024	7 से 55	31/05/2024 से 31/07/2024	25/06/2024 से 30/09/2024	25
			स्नातकोत्तर			
	पहला/तीसरा सेमेस्टर एवं ए.टी.के.टी.			**परिणाम घोषणा**		
2021-22	16/12/2021 से 11/01/2022	10/02/2022 से 23/03/2022	56 से 71	31/01/2022 तक	19/04/2022 से 06/06/2022	78 से 126
2022-23	11/11/2022 से 16/11/2022	30/12/2022 से 24/03/2023	49 से 128	31/12/2022	15/02/2023 से 07/07/2023	46 से 188
2023-24	22/11/2023 से 12/12/2023	18/12/2023 से 06/01/2024	25 से 26	31/05/2023	30/01/2024 से 14/06/2024	**224 से 380**
	दूसरा/चौथा सेमेस्टर एवं ए.टी.के.टी.			**परिणाम घोषणा**		
2021-22	01/05/2022 से 21/05/2022	21/06/2022 से 29/07/2022	51 से 69	30/06/2022	02/08/2022 से 30/09/2022	33 से 92
2022-23	20/04/2023 से 16/05/2023	18/06/2023 से 18/08/2023	59 से 94	15/06/2023	21/08/2023 से 04/12/2023	67 से 172
2023-24	23/04/2024 से 15/05/2024	17/05/2024 से 01/07/2024	24 से 47	15/06/2024	04/07/2024 से 28/07/2024	19 से 43

परिशिष्ट-2.2.10

बीमा कवर नहीं किए गए एवं बीमा पॉलिसी प्राप्त नहीं होने का विवरण

[संदर्भ: कंडिका 2.2.2.8, पृष्ठ संख्या 56]

क्रमांक	महाविद्यालय का नाम	बीमा कवर नहीं किया गया		बीमा पॉलिसी प्राप्त नहीं हुआ		
		वर्ष	छात्रों की संख्या	वर्ष	छात्र	राशि (₹ में)
1	शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, दतिया	2021-24	15,351	2023-24	3,467	13,868
2	शासकीय महाविद्यालय बसई, दतिया	2023-24	44	0	0	0
3	शासकीय श्रीमंत माधवराव सिंधिया स्नातकोत्तर महाविद्यालय, शिवपुरी	0	0	2021-22	3,166	12,644
4	राजकीय छत्रसाल महाविद्यालय पिछोर, शिवपुरी	2022-23	2,197	0	0	0
5	शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अशोकनगर	2021-24	19,357	2022-23	9,160	36,640
6	शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,गुना	2021-24	46,548	2023-24	6,165	24,660
7	शासकीय महाविद्यालय, राघौगढ़	2022-24	3,140	2021-22	1,712	6,848
8	श्रीमंत माधव सिंधिया शासकीय आदर्श विज्ञान महाविद्यालय, ग्वालियर	2021-24	13,282	निरंक	0	0
9	शासकीय कमलाराजा कन्या स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय, ग्वालियर	निरंक	0	2022-23	7,254	29,016
10	शासकीय कन्या महाविद्यालय, मुरैना	2022-24	1,677	0	0	0
11	महर्षि अरविंद शासकीय महाविद्यालय, गोहद, भिंड	2021-24	12	2021-24	0	0
12	शासकीय श्री गांधी महाविद्यालय बालाजी मिहोना, भिंड	2021-24	4	2021-24	1,288	18,032
13	शासकीय महाविद्यालय, कराहल, श्योपुर	2021-24	556	2021-24	556	2,224
14	शासकीय महाविद्यालय, बदौदा, श्योपुर	2023-24	30	2023-24	30	120
15	शासकीय महाविद्यालय, आलमपुर, भिंड	2021-24	0	2021-24	0	0
योग			**1,02,198**		**32,798**	**1,44,052**

परिशिष्ट-2.2.11
शिक्षकों के स्वीकृत पद एवं पदस्थापना का विवरण
[संदर्भ: कंडिका 2.2.3.1 (ii), पृष्ठ संख्या 58]

क्रमांक	जिले का नाम	महाविद्यालयों के नाम	विषयों की संख्या	स्वीकृत पदों की संख्या	पदस्थ	रिक्त पदों की संख्या
1	अशोकनगर	शासकीय महाविद्यालय, ईशागढ़	6	6	0	6
2		शासकीय नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अशोकनगर	12	23	14	9
3	भिंड	शासकीय श्री गांधी महाविद्यालय, बालाजी-मिहोना	14	17	3	14
4		शासकीय महाविद्यालय, आलमपुर	8	9	3	6
5		महर्षि अरविंद शासकीय महाविद्यालय, गोहद	12	12	5	7
6	दतिया	शासकीय महाविद्यालय, बसई	14	22	0	22
7		शासकीय विधि महाविद्यालय, दतिया	1	3	3	0
8		शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, दतिया	14	56	26	30
9	गुना	शासकीय महाविद्यालय, राघोगढ़	13	14	6	8
10		शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, गुना	14	60	34	26
11	ग्वालियर	श्रीमंत माधवराव सिंधिया शासकीय आदर्श विज्ञान महाविद्यालय	9	80	52	28
12		विजया राजे शासकीय स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय, मुरार	20	54	38	16
13		शासकीय श्यामलाल पाण्डवीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मुरार	15	48	42	6
14		शासकीय कमलाराजा कन्या स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय	23	114	88	26
15	मुरैना	शासकीय स्नातकोत्तर उत्कृष्ट महाविद्यालय, मुरैना	12	44	28	16
16		शासकीय विधि महाविद्यालय, मुरैना	1	4	4	0
17		शासकीय कन्या महाविद्यालय, मुरैना	11	11	6	5
18	श्योपुर	शासकीय महाविद्यालय कराहल	7	7	2	5
19		शासकीय महाविद्यालय बदौदा	13	19	0	19
20	शिवपुरी	शासकीय श्रीमंत महाराज माधवराव सिंधिया महाविद्यालय, कोलारस	13	21	1	20
21		शासकीय श्रीमंत माधवराव सिंधिया स्नातकोत्तर महाविद्यालय, शिवपुरी	16	56	41	15
22		राजकीय छत्रसाल महाविद्यालय, पिछोर	13	22	11	11
		योग		**702**	**407**	**295**

परिशिष्ट-2.2.12

वर्ष 2023-24 में नियमित प्राचार्य सहित गैर-शिक्षण पदों की स्वीकृत एवं कार्यरत संख्या की स्थिति

[संदर्भ: कंडिका 2.2.3.1(iii), पृष्ठ संख्या 60]

क्रम संख्या	शासकीय महाविद्यालय का नाम	गैर-शिक्षण पद				नियमित प्राचार्य की अनुपस्थिति
		स्वीकृत पदों की संख्या	कार्यरत संख्या	रिक्त पदों की संख्या	रिक्ति प्रतिशतता	
1	शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, दतिया	49	21	28	57	00
2	शासकीय विधि महाविद्यालय, दतिया	8	0	8	100	01
3	शासकीय महाविद्यालय बसई दतिया	22	0	22	100	01
4	शासकीय श्रीमंत माधवराव सिंधिया स्नातकोत्तर महाविद्यालय, शिवपुरी	50	34	16	32	01
5	शासकीय श्रीमंत महाराज माधवराव सिंधिया महाविद्यालय, कोलारस, शिवपुरी	9	3	6	67	01
6	शासकीय छत्रसाल महाविद्यालय, पिछोर, शिवपुरी	21	16	5	24	01
7	शासकीय महाविद्यालय, कराहल	14	0	14	100	01
8	शासकीय महाविद्यालय, बडौदा	24	0	24	100	01
9	शासकीय महाविद्यालय, आलमपुर	15	07	08	53	01
10	शासकीय श्री गांधी महाविद्यालय, बालाजी मिहोना	22	12	10	45	01
11	महर्षि अरविंद शासकीय महाविद्यालय, गोहद	13	05	08	62	01
12	श्रीमंत माधवराव सिंधिया शासकीय आदर्श विज्ञान महाविद्यालय ग्वालियर	113	73	40	35	01
13	विजया राजे शासकीय स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय, मुरार, ग्वालियर	31	20	11	35	00
14	शासकीय कमलाराजा कन्या स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय, ग्वालियर	65	36	29	45	00
15	शासकीय श्यामलाल पाण्डवीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, ग्वालियर	29	14	15	51	01
16	शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मुरैना	38	23	15	39	01
17	शासकीय विधि महाविद्यालय, मुरैना	10	03	07	70	01
18	शासकीय कन्या महाविद्यालय, मुरैना	20	11	09	45	01
19	शासकीय महाविद्यालय, ईशागढ़, अशोक नगर	12	10	02	17	01
20	शासकीय नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अशोक नगर	16	08	08	50	01
21	शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, गुना	50	28	22	44	01
22	शासकीय महाविद्यालय, राघोगढ़	22	11	11	50	01
	योग	**653**	**335**	**318**	**49**	**19**

परिशिष्ट-2.2.13

नमूना जाँच किए गए महाविद्यालयों में मूलभूत अवसंरचना की उपलब्धता की स्थिति

[संदर्भ: कंडिका: 2.2.3.2(ii) (अ), पृष्ठ संख्या 63]

क्रम संख्या	जिला	महाविद्यालय का नाम	प्रत्येक पुस्तकालय में शिक्षकों एवं छात्रों के लिए पृथक अध्ययन कक्ष	प्रत्येक पुस्तकालय में लाइब्रेरियन	कंप्यूटर सुविधाएं	पुस्तकालय/ महाविद्यालय में इंटरनेट की सुविधा	जनरेटर सुविधाएं	सी.सी.टी.वी. कैमरा	सम्मेलन कक्ष	अध्ययन कक्ष	दिव्यांग अनुकूल शौचालय	महिला स्टाफ कॉमन रूम	लड़कियों / लड़कों के पृथक कॉमन रूम	खेल का मैदान	वाहन स्टैंड
1	शिवपुरी	शासकीय श्रीमंत माधव राव सिंधिया स्नातकोत्तर महाविद्यालय, शिवपुरी	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
2	शिवपुरी	श्रीमंत महाराज माधव राव सिंधिया महाविद्यालय कोलारस, शिवपुरी	नहीं	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	हाँ	हाँ
3	दतिया	शासकीय विधि महाविद्यालय, दतिया	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	नहीं	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	नहीं
4	शिवपुरी	शासकीय छत्रसाल महाविद्यालय पिछोर, शिवपुरी	नहीं	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
5	दतिया	शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, दतिया	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ	हाँ
6	दतिया	शासकीय महाविद्यालय बसई, दतिया	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
7	श्योपुर	शासकीय महाविद्यालय, कराहल, श्योपुर	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
8	श्योपुर	शासकीय महाविद्यालय, बदौदा, श्योपुर	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं

क्रम संख्या	जिला	महाविद्यालय का नाम	प्रत्येक पुस्तकालय में शिक्षकों एवं छात्रों के लिए पृथक अध्ययन कक्ष	प्रत्येक पुस्तकालय में लाइब्रेरियन	कंप्यूटर सुविधाएं	पुस्तकालय/ महाविद्यालय में इंटरनेट की सुविधा	जनरेटर सुविधाएं	सी.सी.टी.वी. कैमरा	सम्मेलन कक्ष	अध्ययन कक्ष	दिव्यांग अनुकूल शौचालय	महिला स्टाफ कॉमन रूम	लड़कियों / लड़कों के पृथक कॉमन रूम	खेल का मैदान	वाहन स्टैंड
9	भिंड	शासकीय महाविद्यालय आलमपुर, भिंड	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ	नहीं
10	भिंड	शासकीय श्री गांधी महाविद्यालय, बालाजी मिहोना, भिंड	नहीं	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	हाँ	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
11	भिंड	महर्षि अरविंद शासकीय महाविद्यालय, गोहद	नहीं	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ	हाँ
12	ग्वालियर	श्रीमंत माधव राव सिंधिया शासकीय आदर्श विज्ञान महाविद्यालय, ग्वालियर	हाँ	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
13	ग्वालियर	विजयराजे शासकीय स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय, मुरार, ग्वालियर	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
14	ग्वालियर	शासकीय श्यामलाल पाण्डवीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मुरार ग्वालियर	नहीं	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
15	ग्वालियर	शासकीय कमलाराजा कन्या स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय, ग्वालियर	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
16	मुरैना	शासकीय पीजी कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस, मुरैना	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ

क्रम संख्या	जिला	महाविद्यालय का नाम	प्रत्येक पुस्तकालय में शिक्षकों एवं छात्रों के लिए पृथक अध्ययन कक्ष	प्रत्येक पुस्तकालय में लाइब्रेरियन	कंप्यूटर सुविधाएं	पुस्तकालय/ महाविद्यालय में इंटरनेट की सुविधा	जनरेटर सुविधाएं	सी.सी.टी.वी. कैमरा	सम्मेलन कक्ष	अध्ययन कक्ष	दिव्यांग अनुकूल शौचालय	महिला स्टाफ कॉमन रूम	लड़कियों / लड़कों के पृथक कॉमन रूम	खेल का मैदान	वाहन स्टैंड
17	मुरैना	शासकीय विधि महाविद्यालय, मुरैना	नहीं	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ
18	मुरैना	शासकीय कन्या महाविद्यालय, मुरैना	नहीं	नहीं	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	नहीं	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ
19	अशोक नगर	शासकीय महाविद्यालय, ईशागढ़, अशोकनगर	हाँ	हाँ	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	नहीं
20	अशोक नगर	शासकीय नेहारू स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अशोक नगर	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ	हाँ
21	गुना	शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, गुना	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
22	गुना	शासकीय महाविद्यालय, राघोगढ़, गुना	नहीं	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ
		कुल हाँ	**11**	**16**	**14**	**17**	**10**	**16**	**12**	**13**	**16**	**12**	**16**	**13**	**15**
		कुल नहीं	**11**	**6**	**8**	**5**	**12**	**6**	**10**	**9**	**6**	**10**	**6**	**9**	**7**

परिशिष्ट: 2.2.14

चयनित विश्वविद्यालय शिक्षण विभागों में आधारभूत अवसंरचना की उपलब्धता की स्थिति

[संदर्भ: कंडिका 2.2.3.2(ii) (ब), पृष्ठ संख्या 63]

क्रमांक	विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग का नाम	प्रत्येक पुस्तकालय में शिक्षकों एवं छात्रों के लिए पृथक अध्ययन कक्ष	स्टाफ रूम	दिव्यांग अनुकूल शौचालय	महिला स्टाफ कॉमन रूम	लड़कियों/ लड़कों के पृथक कॉमन रूम	लड़कियों के लिए अलग शौचालय	दिव्यांग छात्रों के लिए रैंप सुविधा
1	खाद्य प्रौद्योगिकी में अध्ययन के लिए केंद्र	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	हाँ
2	वाणिज्य अध्ययन केंद्र	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
3	इंदिरा गांधी पर्यावरण शिक्षा, अनुसंधान एवं पारिस्थितिकी योजना अकादमी	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
4	भाष अध्ययन केंद्र	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं
5	जैव प्रौद्योगिकी केंद्र	हाँ	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	हाँ	नहीं
6	प्रबंधन अध्ययन केंद्र	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
7	पत्रकारिता एवं जनसंचार केंद्र	नहीं	हाँ	नहीं	नहीं	नहीं	हाँ	नहीं
8	अर्थशास्त्र अध्ययन केंद्र	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
9	संस्कृति एवं विरासत के लिए क्षेत्रीय अध्ययन केंद्र	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
	कुल हाँ	**7**	**7**	**3**	**6**	**5**	**8**	**6**
	कुल नहीं	**2**	**2**	**6**	**3**	**4**	**1**	**3**

परिशिष्ट-2.2.15
वर्ष 2021-24 के दौरान शीर्ष-वार अनुमानित तथा वास्तविक आय एवं व्यय
[संदर्भ: कंडिका 2.2.4.1, पृष्ठ संख्या 65]

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अनुमानित						वास्तविक					
	गैर योजना	योजना	निर्धारित योजना	ऋण	स्व-वित्तपोषित पाठ्यक्रम	योग	गैर योजना	योजना	निर्धारित योजना	ऋण	स्व-वित्तपोषित पाठ्यक्रम	योग
						आय						
2021-22	125.32	4.8	26.41	0.94	11.39	**168.86**	103.55	0.0	12.54	0.39	9.18	**125.66**
2022-23	141.05	4.78	19.14	0.85	13.98	**179.80**	87.48	0.0	2.76	0.92	10.26	**101.42**
2023-24	167.21	4.78	11.43	1.49	14.26	**199.17**	120.32	0.0	2.12	1.52	10.25	**134.21**
						व्यय						
2021-22	135.84	1.86	26.45	0.82	11.43	**176.40**	74.50	0.13	4.48	0.56	8.49	**88.16**
2022-23	153.07	1.06	26.14	0.81	13.48	**194.56**	81.75	0.33	2.89	0.83	3.91	**89.71**
2023-24	182.71	1.15	10.85	1.27	12.81	**208.79**	103.71	0.01	1.58	0.89	10.24	**116.43**

परिशिष्ट-2.2.16
विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत निधि के कम उपयोग को दर्शाने वाला विवरण
[संदर्भ: कंडिका 2.2.4.1, पृष्ठ संख्या 66]

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट अनुमान					वास्तविक व्यय (प्रतिशत)				
	गैर योजना	योजना	निर्धारित योजना	ऋण	स्व-वित्तपोषित	गैर योजना	योजना	निर्धारित योजना	ऋण	स्व-वित्तपोषित
2021-22	135.84	1.86	26.45	0.82	11.43	74.50(55)	0.13(7)	4.48(17)	0.56(68)	8.49((74)
2022-23	153.07	1.06	26.14	0.81	13.48	81.75(53)	0.33(31)	2.89(11)	0.83(102)	3.91(29)
2023-24	182.71	1.15	10.85	1.27	12.81	103.71(57)	0.01(0.87)	1.58(15)	0.89(70)	10.24(80)
बचत सीमा						**43 से 47 प्रतिशत**	**69 से 99 प्रतिशत**	**83 से 89 प्रतिशत**	**30 से 32 प्रतिशत**	**20 से 71 प्रतिशत**

परिशिष्ट-2.3.1
क्लस्टरों का चयन
[संदर्भ: कंडिका संख्या 2.3.1, पृष्ठ संख्या 76]

क्र. सं.	जिले का नाम	क्लस्टर का चरण	क्लस्टर का प्रकार	क्लस्टर का नाम	ग्राम पंचायतों की संख्या
1.	भोपाल	I	गैर-जनजातीय	गुनगा	13
2.	भोपाल	I	गैर-जनजातीय	रातीबड़	13
3.	छतरपुर	I	गैर-जनजातीय	अछत	12
4.	छिंदवाड़ा	I	जनजातीय	डेलाखेड़ी	9
5.	इंदौर	I	गैर-जनजातीय	नवदापंथ	7
6.	इंदौर	I	गैर-जनजातीय	सिमरोल	5
7.	सिवनी	I	जनजातीय	कान्हीवाड़ा	7
8.	बैतूल	II	जनजातीय	देशावाड़ी	7
9.	धार	II	जनजातीय	गुनावद	14
10.	ग्वालियर	II	गैर-जनजातीय	छिमक	14
11.	ग्वालियर	II	गैर-आदिवासी	मोहना	6
12.	झाबुआ	II	जनजातीय	मोहनकोट	9
13.	रीवा	II	गैर-जनजातीय	गौरी	12
14.	अलीराजपुर	III	जनजातीय	इंदरसिंग की चौकी	7
15.	अनूपपुर	III	जनजातीय	किर्गी	9
16.	खंडवा	III	जनजातीय	अरुड	6
17.	झाबुआ	III	जनजातीय	गुवाली	5
18.	मंडला	III	जनजातीय	रामनगर	7
19.	सिंगरौली	III	जनजातीय	कुर्सा	5
कुल					**167**

परिशिष्ट-2.3.2

मिशन फ्रेमवर्क के अनुसार, संबंधित अभिसरण योजनाओं के साथ प्रमुख घटकों की सूची

[संदर्भ: कंडिका संख्या 2.3.1.1, पृष्ठ संख्या 78]

क्रम संख्या	वांछनीय घटक	वांछनीय परिणाम	योजना का नाम
1	आर्थिक गतिविधियों से सम्बद्ध कौशल विकास प्रशिक्षण	प्रत्येक परिवार में एक लाभार्थी के साथ कम से कम 70 प्रतिशत परिवार	दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डी.डी.यू.-जी.के.वाई.)
2 (i)	कृषि-सेवाएं एवं प्रसंस्करण	आर.के.वी.वाई. के अनुसार कृषि तथा संबद्ध गतिविधि घटकों को सहायता	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर.के.वी.वाई.)
2 (ii)	कृषि सेवाएं और कृषि उत्पादकता	पी.एम.के.एस.वाई. के अनुसार आरंभ-से-अंत तक सिंचाई आपूर्ति श्रृंखला के तहत घटकों को सहायता	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पी.एम.के.एस.वाई.)
2 (iii)	कृषि सेवाएं	पी.के.वी.वाई. के अंतर्गत जैविक खेती क्लस्टर को सहायता की पहचान	परंपरागत कृषि विकास योजना (पी.के.वी.वाई.)
3	डिजिटल साक्षरता (सभी नागरिकों के लिए डिजिटल संसाधनों तक पहुंच)	हर घर में कम से कम एक ई-साक्षर व्यक्ति	डिजिटल इंडिया
4	24x7 पाइप से जल आपूर्ति	वर्ष भर में प्रत्येक घर के लिए 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन (एल.पी.सी.डी.) सुरक्षित पेयजल	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी.)
5	स्वच्छता	व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों के साथ 100 प्रतिशत परिवार (एच.एच.)	स्वच्छ भारत मिशन - ग्रामीण
6	ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन	ठोस अपशिष्ट संग्रह एवं सभी घरों के लिए अपशिष्ट एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए द्वितीयक परिवहन	स्वच्छ भारत मिशन - ग्रामीण
7	ठोस अपशिष्ट उपचार/वर्मी खाद गड्ढा	प्रति 25,000 व्यक्तियों/तरल अपशिष्ट इकाई पर एक वर्मी-कम्पोस्टिंग प्लांट (एस.बी.एम.-जी. दिशानिर्देश के अनुसार)	स्वच्छ भारत मिशन - ग्रामीण
8	नालियों के साथ ग्राम की सड़कें	सभी गांवों में नालियों की व्यवस्था की जाएगी	केंद्र और राज्य सरकारों की लागू योजनाएं
9	स्ट्रीट लाइट	सभी गांवों में स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था की जाएगी	केंद्र और राज्य सरकारों की लागू योजनाएं
10	संपूर्ण उपकरणों से युक्त चलित स्वास्थ्य सेवा इकाई	एन.एच.एम. मानदंडों के अनुसार चलित इकाई	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन.आर.एच.एम.) – ग्रामीण
11	प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों का उन्नयन	सभी घरों से उचित दूरी के भीतर प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों को सुनिश्चित करने के साथ-साथ पीने के पानी, शौचालय ब्लॉक (लड़कों और लड़कियों के लिए अलग-अलग), और पर्याप्त कक्षाओं की सुविधा	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आर.एम.एस.ए.), सर्व शिक्षा अभियान (एस.एस.ए.), राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान
12 (i)	अंतर-ग्राम सड़कों का संपर्क	सभी ग्रामों को आपस में जोड़ना सुनिश्चित करना	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पी.एम.जी.एस.वाई.)
(ii)	सार्वजनिक परिवहन	प्रत्येक ब्लॉक से निकटतम नगरीय केंद्र के लिए सार्वजनिक परिवहन	राज्य शासन की लागू योजनाएं
13	नागरिक सेवा केंद्र - नागरिक केंद्रित सेवाओं/ई-ग्राम संपर्क के इलेक्ट्रॉनिक वितरण के लिए	प्रति 2 से 3 ग्रामों में एक आई.सी.टी. सक्षम अग्रिम स्तर का नागरिक सेवा केंद्र (सी.एस.सी.)	डिजिटल इंडिया मिशन
14	एल.पी.जी. गैस कनेक्शन/उन्नत चूल्हे	प्रति ग्राम अथवा प्रति 1800 घरों पर एक एल.पी.जी. खुदरा वितरण केंद्र	राजीव गांधी ग्रामीण एल.पी.जी. वितरण योजना (आर.जी.जी.एल.वी.वाई.)

परिशिष्ट-2.3.3

क्लस्टरों में समेकित क्लस्टर कार्य योजना एवं विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन के बीच भिन्नता दर्शाने वाला विवरण पत्रक

[संदर्भ: कंडिका संख्या 2.3.2.2 (ii), पृष्ठ संख्या 81]

(राशि ₹ में)

क्रम संख्या	घटक	समेकित क्लस्टर कार्य योजना के अनुसार		विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन के अनुसार		समेकित क्लस्टर कार्य योजना और विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन के बीच भिन्नता		कुल सी.जी.एफ. व्यय	
		सी.जी.एफ.	सी.जी.एफ.%	सी.जी.एफ.	सी.जी.एफ.%	सी.जी.एफ.	सी.जी.एफ.%	सी.जी.एफ.	सी.जी.एफ.%
रातीबड़ क्लस्टर (भोपाल)									
1	पाइप से जल आपूर्ति	1000000	0.33	87000000	29	86000000	**28.67**	57919000	67.57
डेलाखेड़ी क्लस्टर (छिंदवाड़ा)									
2	शिक्षा	0	0	31563000	21.04	31563000	**21.04**	17434835	55.24
अछत क्लस्टर (छतरपुर)									
3	पाइप से जल आपूर्ति	3000000	1.00	71500000	23.83	68500000	**22.83**	617400	0.86
4	पर्यटन संवर्धन	92667000	30.89	7235000	2.41	-85432000	**-28.48**	0	0.00
अरुड क्लस्टर (खंडवा)									
5	शिक्षा	0	0.00	32380000	21.59	32380000	**21.59**	16609691	51.30
देशवाड़ी क्लस्टर (बैतूल)									
6	पाइप से जल आपूर्ति	17400000	11.60	48372000	32.25	30972000	**20.65**	5323300	11.00
गुनगा क्लस्टर (भोपाल)									
7	पाइप से जल आपूर्ति	6800000	2.27	82000000	27.33	75200000	**25.06**	0	0.00
8	सामाजिक अवसंरचना	74100000	24.70	10900000	3.63	-63200000	**-85.29**	1746922	16.03
नवदापंथ क्लस्टर (इंदौर)									
9	कृषि-सेवा प्रसंस्करण और संबद्ध गतिविधियां	22800000	7.60	138116000	46.04	115316000	**38.44**	6290187.5	4.55
10	पाइप से जल आपूर्ति	0	0.00	65599900	21.87	65599900	**21.87**	46603146	71.04
11	सामाजिक अवसंरचना	80700000	26.90	11525000	3.84	-69175000	**-23.06**	1998768	17.34
12	पर्यटन संवर्धन	80000000	26.67	0	0.00	-80000000	**-26.67**	0	0.00

परिशिष्ट-2.3.4

कृषि सेवा प्रसंस्करण एवं सम्बद्ध गतिविधियों से संबंधित गतिविधियों की सूची

[संदर्भ: कंडिका संख्या 2.3.3.2 (i), पृष्ठ संख्या 84]

क्रम संख्या	उप घटकों का नाम
1.	पशु चिकित्सा चलित इकाई
2.	पशु चिकित्सा भवन/औषधालय निर्माण/उन्नयन
3.	कृषि फार्म भूमि का उन्नयन
4.	मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं
5.	बूचड़खाना
6.	बीज प्रसंस्करण इकाई
7.	बीज खाद
8.	राइपनिंग चैंबर
9.	कटाई के बाद संग्रहण केंद्र
10.	वृक्षारोपण (फल तथा अन्य, पर्यावरण उद्देश्य के लिए नहीं)
11.	सूअर पालन/मुर्गी पालन/बकरी पालन/अंडा/चूजा पालन केंद्र आदि
12.	जैविक उर्वरक विनिर्माण इकाई निर्माण
13.	जैविक खेती
14.	विद्यालय/अन्य शासकीय भवनों में पोषण उद्यान
15.	नर्सरी इकाई/प्रबंधन
16.	कृषि और सम्बद्ध उपज के लिए बाजार
17.	लूज बोल्डर चेक
18.	भूमि समतलन
19.	विद्यालयों में किचन गार्डन
20.	सिंचाई चैनल
21.	सिंचाई (लिफ्ट/ड्रिप/स्प्रिंकलर/नहर)
22.	एकीकृत कीट प्रबंधन
23.	तालाब के माध्यम से मत्स्य पालन को बढ़ावा देना अथवा बीज अथवा जाल अथवा कोल्ड स्टोरेज अथवा पिंजरा मछली पालन अथवा बर्फ बनाने की इकाई
24.	बागवानी
25.	कृषि क्षेत्र/कृषि उद्देश्य के लिए जल निकायों/पशुधन केंद्रों के लिए सुरक्षा दीवार
26.	अनाज/सब्जियों/बीजों के लिए गोदाम/कोल्ड स्टोरेज
27.	चारे की खेती
28.	फूलों की खेती
29.	बाढ़ सुरक्षा तटबंध
30.	कृषि क्षेत्र की बाड़ लगाना
31.	किसान कॉल सेंटर
32.	किसान उत्पादक समूह
33.	कृषि क्षेत्र विस्तार/प्रसार
34.	खेत की बंधाई
35.	राज्य के अंदर/बाहर किसानों का अनुभवात्मक भ्रमण/प्रशिक्षण
36.	समुदाय के लिए सिंचाई हेतु बोरवेल की खुदाई
37.	एग्री क्लीनिक की स्थापना
38.	कटाव नियंत्रण प्रणाली
39.	ई-बाजार संपर्क
40.	पशुधन सहायता केंद्र का विद्युतीकरण/स्वच्छता
41.	मृदा स्वास्थ्य कार्ड का वितरण/मृदा स्वास्थ्य परीक्षण
42.	कृषि यंत्र/उपकरण वितरण/कस्टम हायर सेवा केंद्र

क्रम संख्या	उप घटकों का नाम
43.	बीज और ज्ञान प्रदान करके फसल चक्रण
44.	फसल बीमा
45.	फसल प्रदर्शन/प्रदर्शनी
46.	कंटूर बंद
47.	स्वदेशी बीज बैंक का निर्माण
48.	कोल्ड स्टोरेज का निर्माण/नवीनीकरण
49.	पॉली हाउस का निर्माण
50.	लैक भवन का निर्माण
51.	फसलों के लिए गोदाम/कोल्ड स्टोरेज का निर्माण
52.	कृषि प्रयोजन के लिए बोरवेल का निर्माण
53.	पशु (सुअर/बकरी/गाय आदि) शेड का निर्माण
54.	कृषि सेवा केंद्र का निर्माण
55.	समुदाय आधारित खेती
56.	सब्जियों/दूध के लिए संग्रहण केंद्र
57.	चेक डैम
58.	नकदी फसलें
59.	पशुपालन सहायता केंद्र की चारदीवारी
60.	मधुमक्खी पालन और शहद प्रसंस्करण संयंत्र
61.	बेकरी इकाई
62.	कृत्रिम गर्भाधान केंद्र (निर्माण/उन्नयन)/नस्ल सुधार
63.	पशुपालन
64.	कृषि पुआल अपशिष्ट प्रबंधन
65.	कृषि भूमि विकास
66.	कृषि उपकरण बैंक
67.	कृषि उपकरण
68.	कृषि प्रसंस्करण इकाई (आटा/दालें/सब्जियां/फल/शहद आदि)
69.	मछुआरों के लिए दुर्घटना बीमा
70.	एसी कोल्ड स्टोरेज/ऑटो रिक्शा/ मछली के परिवहन के लिए वैन
71.	किसानों को सहायता
72.	पॉली ग्रीन हाउस
73.	किसान क्रेडिट कार्ड
74.	एकीकृत प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन
75.	नहर, कुएं, तालाब आदि के रूप में जल निकायों का निर्माण अथवा संवर्द्धन अथवा नवीनीकरण
76.	खाद के गड्ढों का निर्माण
77.	क्रेडिट लिंकेज
78.	डेयरी विकास अथवा प्रसंस्करण इकाई अथवा बल्क मिल्क चिलिंग मशीन
79.	सुखाने का प्लेटफार्म
80.	कृषि नवाचार और ऊष्मायन केंद्र
81.	रेशम उत्पादन
82.	मछली उतारने का केंद्र अथवा घाट का निर्माण
83.	सब्जी की खेती का केंद्र

परिशिष्ट-2.3.5
नमूना जांच किए गए क्लस्टर में निर्मित परिसंपत्तियों का विवरण
[संदर्भ: कंडिका संख्या 2.3.3.5, पृष्ठ संख्या 92]

जिले का नाम	क्र.सं.	घटक	पूर्ण कार्य (सी.जी.एफ.)	सी.जी.एफ. व्यय (₹ लाख में)
भोपाल	1	नालियों सहित ग्राम की सड़कों तक पहुंच	34	179.35
	2	कृषि-सेवा प्रसंस्करण एवं संबद्ध गतिविधियां	48	210.92
	3	शिक्षा	03-स्मार्ट क्लास 88- स्कूल का उन्नयन	1.19 256.23
	4	स्वास्थ्य	9	59.15
	5	पाइप से जल आपूर्ति	9	275.17
	6	सार्वजनिक परिवहन	3	13.78
	7	सामाजिक अवसंरचना	9	118.90
		कुल	**203**	**1114.69**
ग्वालियर	1	नालियों सहित ग्राम की सड़कों तक पहुंच	19	117.32
	2	कृषि-सेवा प्रसंस्करण एवं संबद्ध गतिविधियां	4	44.95
	3	शिक्षा	32	62.98
	4	पाइप से जल आपूर्ति	12	740.79
	5	सामाजिक अवसंरचना	15	183.82
		कुल	**82**	**1149.86**
धार	1	कृषि-सेवा प्रसंस्करण एवं संबद्ध गतिविधियां	4	73.47
	2	पाइप से जल आपूर्ति	3	196.91
	3	शिक्षा	45	127.95
	4	सार्वजनिक परिवहन	2	36.89
	5	स्वास्थ्य	1	22.48
	6	सामाजिक अवसंरचना	6	51.69
		कुल	**61**	**509.39**
सिवनी	1	कृषि-सेवा प्रसंस्करण एवं संबद्ध गतिविधियां	2	10.57
	2	पाइप से जल आपूर्ति	1	8.78
	3	शिक्षा	1	2.65
	4	सार्वजनिक परिवहन	1	41.92
	5	सामाजिक अवसंरचना	1	18.80
	6	नालियों सहित ग्राम की सड़कों तक पहुंच	56	117.81
	7	आर्थिक गतिविधियों से सम्बद्ध कौशल विकास प्रशिक्षण	1	81.67
	8	स्वास्थ्य	6	52.37
		कुल	**69**	**334.57**
छिंदवाड़ा	1	कृषि-सेवा प्रसंस्करण एवं संबद्ध गतिविधियां	1	11.84
	2	पाइप से जल आपूर्ति	9	165.12
	3	शिक्षा	24	170.10

जिले का नाम	क्र.सं.	घटक	पूर्ण कार्य (सी.जी.एफ.)	सी.जी.एफ. व्यय (₹ लाख में)
	4	सार्वजनिक परिवहन	1	22.96
	5	सामाजिक अवसंरचना	16	120.11
	6	नाली के साथ सी.सी. सड़क	24	177.19
	7	नागरिक सेवा केंद्र	5	7.32
	8	स्वास्थ्य	3	82.83
	9	आर्थिक गतिविधियों से सम्बद्ध कौशल विकास प्रशिक्षण	1	4.24
		कुल	**84**	**761.71**
		महायोग	**499**	**3870.24**

परिशिष्ट-2.3.6
सी.जी.एफ. से किए गए कार्यों का विवरण
[संदर्भ: कंडिका संख्या 2.3.5.3, पृष्ठ संख्या 98]

ग्रामीण यांत्रिकी सेवाएं

(₹ लाख में)

क्र.सं.	आर.ई.एस. संभाग का नाम	निर्माण कार्यों की संख्या	स्वीकृत राशि	प्राप्त आवंटन	व्यय
1	अनूपपुर	9	340.99	230.68	230.68
2	अलीराजपुर	2	566.93	371.01	359.37
3	इंदौर	19	472.39	327.38	327.38
4	खंडवा	18	348.84	188.35	188.35
5	ग्वालियर	14	121.72	71.83	71.83
6	छतरपुर	19	132.89	132.60	132.60
7	झाबुआ	8	311.77	157.52	149.14
8	धार	1	50.45	37.90	37.90
9	छिंदवाड़ा-2	2	54.60	23.62	23.62
10	भोपाल	8	41.30	12.39	11.51
11	मंडला संख्या 1	13	588.20	218.93	215.18
12	सिंगरौली	30	360.86	156.40	156.40
13	सिवनी	11	474.73	212.27	195.49
14	बैतूल	1	61.20	-	-
		155	**3926.87**	**2140.88**	**2099.45**

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी

(₹ लाख में)

क्र. सं.	जिला	क्लस्टर	निर्माण कार्यों की कुल संख्या	कुल प्रशासकीय स्वीकृति राशि	कुल व्यय
1	भोपाल	रातीबड़	16	869.03	579.19
2	भोपाल	गुनगा	16	810.73	463.44
3	इंदौर	सिमरोल	9	450.27	369.80
4	इंदौर	नवदापंथ	23	650.59	550.80
5	छतरपुर	अछत	10	333.04	417.07
6	सिवनी	कान्हीवाड़ा	12	257.46	211.69
7	छिंदवाड़ा	डेलाखेड़ी	9	222.47	165.12
8	ग्वालियर	छिमक	12	851.82	740.79
9	रीवा	गौरी	17	247.00	211.01
10	बैतूल	देशावाड़ी	6	483.72	344.04
11	धार	गुनावद	3	215.43	196.91
12	झाबुआ	मोहनकोट	3	168.36	132.65
13	झाबुआ	गुवाली	3	520.88	366.31
14	अलीराजपुर	इंदर सिंह की चौकी	3	385.55	308.20
15	अनूपपुर	किर्गी	1	4.61	4.60
16	खंडवा	अरुड	5	318.64	284.34
17	मंडला	रामनगर	9	224.62	180.19
18	सिंगरौली	कुर्सा	4	367.16	110.14
कुल			**161**	**7,381.38**	**5,636.29**

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

(₹ लाख में)

क्र.सं.	जिला	क्लस्टर	निर्माण कार्यों की कुल संख्या	कुल प्रशासकीय स्वीकृति राशि	कुल व्यय
1	भोपाल	रातीबड़	9	59.36	59.15
2	भोपाल	गुनगा	1	61.46	60.82
3	इंदौर	सिमरोल	2	26.76	0
4	इंदौर	नवदापंथ	1	28.28	27.09
5	छतरपुर	अछत	2	39.98	17.48
6	सिवनी	कान्हीवाड़ा	6	59.46	0
7	छिंदवाड़ा	डेलाखेड़ी	3	98.68	82.83
8	ग्वालियर	छिमक	0	0	0
9	रीवा	गौरी	5	102.15	30.64
10	बैतूल	देशावाड़ी	4	41.27	27.11
11	धार	गुनावद	2	50.82	22.48
12	झाबुआ	मोहनकोट	3	72.00	61.39
13	झाबुआ	गुवाली	0	0	0
14	अलीराजपुर	इंदर सिंह की चौकी	0	0	0
15	अनूपपुर	किर्गी	0	0	0
16	खंडवा	अरुड	0	0	0
17	मंडला	रामनगर	0	0	0
18	सिंगरौली	कुर्सा	1	26.99	26.99
कुल			**39**	**667.21**	**415.98**

राजीव गांधी मिशन (आर.जी.एम.)

(₹ लाख में)

क्र.सं.	जिला	क्लस्टर	निर्माण कार्यों की कुल संख्या	कुल प्रशासकीय स्वीकृति राशि	कुल व्यय
1	भोपाल	रातीबड़	53	251.12	218.48
2	भोपाल	गुनगा	14	46.60	0
3	इंदौर	सिमरोल	18	243.73	138.14
4	इंदौर	नवदापंथ	17	164.43	62.90
5	छतरपुर	अछत	19	269.50	248.73
6	सिवनी	कान्हीवाड़ा	0	0	0
7	छिंदवाड़ा	डेलाखेड़ी	5	144.95	25.28
8	ग्वालियर	छिमक	3	30.30	30.25
9	रीवा	गौरी	21	298.71	189.29
10	बैतूल	देशावाड़ी	1	6.30	5.35
11	धार	गुनावद	5	100.16	73.47
12	झाबुआ	मोहनकोट	7	293.79	99.94
13	झाबुआ	गुवाली	4	154.56	108.19
14	अलीराजपुर	इंदर सिंह की चौकी	5	366.50	356.61
15	अनूपपुर	किर्गी	0	0	0
16	खंडवा	अरुड	0	0	0
17	मंडला	रामनगर	0	0	0
18	सिंगरौली	कुर्सा	0	0	0
कुल			**172**	**2370.65**	**1556.63**

परिशिष्ट-2.3.7

चयनित क्लस्टरों में कार्यों के संयुक्त भौतिक सत्यापन का विवरण

[संदर्भ: कंडिका संख्या 2.3.5.4, पृष्ठ संख्या 99]

क्रम संख्या	क्लस्टर का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	कार्य का नाम	क्या कार्य निम्न गुणवत्ता वाला था	क्या संपत्ति उपयोग में हैं	पूर्ण/अपूर्ण/ अमानक	क्षति का प्रकार
1	गुनावद (धार)	बनेडिया	सामुदायिक भवन निर्माण	नहीं	हाँ	अपूर्ण	
2		बनेडिया	सामुदायिक भवन की चारदीवारी	नहीं	हाँ	पूर्ण	
3		जमांडा	एम.एस. स्कूल में चारदीवारी	नहीं	हाँ	अपूर्ण	
4		जमांडा	चारदीवारी पी.एस. स्कूल दौलतपुर	नहीं	हाँ	पूर्ण	
5		जमांडा	आंगनवाड़ी भवन निर्माण दौलतपुर	नहीं	हाँ	पूर्ण	
6		उटावाड	आंगनवाड़ी भवन निर्माण	नहीं	हाँ	अपूर्ण	
7		उटावाड	एम.एस. स्कूल में चारदीवारी	नहीं	हाँ	अपूर्ण	
8		बिखेड़ा	एम.एस. स्कूल में चारदीवारी	नहीं	हाँ	पूर्ण	
9		बिखेड़ा	दो दुकानों के साथ यात्री प्रतीक्षालय	हाँ	हाँ	क्षति/पूर्ण (08/04/2021)	मामूली क्षति (दीवार में दरारें)
10		बिखेड़ा	पी.एस. स्कूल में चारदीवारी	नहीं	हाँ	पूर्ण	
11		बिखेड़ा	सामुदायिक भवन निर्माण	नहीं	हाँ	पूर्ण	
12		सिरसोडा	सामुदायिक भवन निर्माण	नहीं	हाँ	पूर्ण	
13		सिरसोडा	पी.एस. स्कूल में चारदीवारी	नहीं	हाँ	पूर्ण	
14		सिरसोडा	सामुदायिक भवन निर्माण	नहीं	हाँ	पूर्ण	
15		सिरसोडा	सामुदायिक भवन की चारदीवारी	नहीं	हाँ	पूर्ण	
16		लाबाद	एम.एस. स्कूल में चारदीवारी	नहीं	हाँ	पूर्ण	
17		लाबाद	चारदीवारी निर्माण के साथ आंगनवाड़ी भवन	नहीं	हाँ	अपूर्ण	
18		कलमखेड़ी	पी.एस. स्कूल में चारदीवारी	हाँ	हाँ	क्षति/पूर्ण (14/09/2020)	मामूली क्षति (दीवार में दरारें)

क्रम संख्या	क्लस्टर का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	कार्य का नाम	क्या कार्य निम्न गुणवत्ता वाला था	क्या संपत्ति उपयोग में हैं	पूर्ण/अपूर्ण/ अमानक	क्षति का प्रकार
19		कलमखेड़ी	एम.एस. स्कूल में चारदीवारी	नहीं	हाँ	पूर्ण	
20		कलमखेड़ी	सामुदायिक भवन निर्माण	नहीं	हाँ	पूर्ण	
21		कलमखेड़ी	सामुदायिक भवन निर्माण	नहीं	हाँ	पूर्ण	
22	रातीबड़ (भोपाल)	बडझिरी	बालक शौचालय	नहीं	हाँ	पूर्ण	
23		बडझिरी	बालिका शौचालय	नहीं	हाँ	पूर्ण	
24		बडझिरी	चारदीवारी	नहीं	हाँ	पूर्ण	
25		बडझिरी	चारदीवारी	नहीं	हाँ	पूर्ण	
26		बडझिरी	चारदीवारी	नहीं	हाँ	पूर्ण	
27		बडझिरी	दो दुकानों के साथ बस शेल्टर	नहीं	हाँ	पूर्ण	
28		बडझिरी	दो दुकानों के साथ हॉल का निर्माण	नहीं	हाँ	पूर्ण	
29		बडझिरी	नाली के साथ सी.सी. सड़क	नहीं	हाँ	पूर्ण	
30		बडझिरी	नाली के साथ सी.सी. सड़क	नहीं	हाँ	पूर्ण	
31		बडझिरी	नाली के साथ सी.सी. सड़क	नहीं	हाँ	पूर्ण	
32		बडझिरी	नाली के साथ सी.सी. सड़क	नहीं	हाँ	पूर्ण	
33		बडझिरी	नाली के साथ सी.सी. सड़क	नहीं	हाँ	पूर्ण	
34		बडझिरी	नाली के साथ सी.सी. सड़क	नहीं	हाँ	पूर्ण	
35		भानपुर	चारदीवारी	नहीं	हाँ	पूर्ण	
36		भानपुर	चारदीवारी	नहीं	हाँ	पूर्ण	
37		भानपुर	लड़कों के शौचालय	नहीं	हाँ	पूर्ण	
38		भानपुर	चारदीवारी	नहीं	हाँ	पूर्ण	
39		भानपुर	बालिका शौचालय	नहीं	हाँ	पूर्ण	
40		भानपुर	चारदीवारी	नहीं	हाँ	पूर्ण	
41		भानपुर	चारदीवारी	नहीं	हाँ	पूर्ण	

क्रम संख्या	**क्लस्टर का नाम**	**ग्राम पंचायत का नाम**	**कार्य का नाम**	**क्या कार्य निम्न गुणवत्ता वाला था**	**क्या संपत्ति उपयोग में हैं**	**पूर्ण/अपूर्ण/ अमानक**	**क्षति का प्रकार**
42		सरवर	चारदीवारी	नहीं	हाँ	पूर्ण	
43		सरवर	बालक शौचालय	नहीं	हाँ	पूर्ण	
44		सरवर	बालक शौचालय	नहीं	हाँ	पूर्ण	
45		सरवर	बालिका शौचालय	नहीं	हाँ	पूर्ण	
46		सरवर	चारदीवारी	नहीं	हाँ	पूर्ण	
47		सरवर	बालिका शौचालय	नहीं	हाँ	पूर्ण	
48		सरवर	बालक शौचालय	नहीं	हाँ	पूर्ण	
49		सरवर	चारदीवारी	नहीं	हाँ	पूर्ण	
50		सरवर	दो दुकानों के साथ सामुदायिक भवन का निर्माण	नहीं	हाँ	पूर्ण	
51		सरवर	नाली के साथ सी.सी. सड़क	नहीं	हाँ	पूर्ण	
52		सरवर	नाली के साथ सी.सी. सड़क	नहीं	हाँ	पूर्ण	
53		सरवर	नाली के साथ सी.सी. सड़क	नहीं	हाँ	पूर्ण	
54		रातीबड़	चारदीवारी	नहीं	हाँ	पूर्ण	
55		रातीबड़	बालक के शौचालय	नहीं	हाँ	पूर्ण	
56		रातीबड़	बालिका के शौचालय	नहीं	हाँ	पूर्ण	
57		रातीबड़	चारदीवारी	नहीं	हाँ	पूर्ण	
58		रातीबड़	चारदीवारी	नहीं	हाँ	पूर्ण	
59		मेंडोरी	बालक शौचालय	नहीं	हाँ	पूर्ण	
60		मेंडोरी	बालिका शौचालय	नहीं	हाँ	पूर्ण	
61		मेंडोरी	दो दुकानों के साथ सामुदायिक भवन का निर्माण	नहीं	हाँ	पूर्ण	
62		सिकंदराबाद	चारदीवारी	हाँ	हाँ	क्षति/पूर्ण (25/02/2021)	मामूली क्षति (दीवार में दरारें)
63		सिकंदराबाद	आंगनवाड़ी	हाँ	हाँ	क्षति/पूर्ण	मामूली क्षति (दीवार में दरारें)

क्रम संख्या	क्लस्टर का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	कार्य का नाम	क्या कार्य निम्न गुणवत्ता वाला था	क्या संपत्ति उपयोग में हैं	पूर्ण/अपूर्ण/ अमानक	क्षति का प्रकार
						(05/01/2021)	
64		सिकंदराबाद	आंगनवाड़ी	हाँ	हाँ	क्षति/पूर्ण (05/01/2021)	मामूली क्षति (दीवार में दरारें)
65		सिकंदराबाद	आंगनवाड़ी	नहीं	हाँ	पूर्ण	
66		सिकंदराबाद	नाली के साथ सी.सी. सड़क	नहीं	हाँ	पूर्ण	
67		सिकंदराबाद	नाली के साथ सी.सी. सड़क	नहीं	हाँ	पूर्ण	
68		सिकंदराबाद	नाली के साथ सी.सी. सड़क	नहीं	हाँ	पूर्ण	
69		सेमरी बाज़्याफ्ट	चारदीवारी	नहीं	हाँ	पूर्ण	
70		सेमरी बाज़्याफ्ट	बालक शौचालय	नहीं	हाँ	पूर्ण	
71		सेमरी बाज़्याफ्ट	बालिका शौचालय	नहीं	हाँ	पूर्ण	
72		सेमरी बाज़्याफ्ट	बाउंड्री वॉल	नहीं	हाँ	पूर्ण	
73		सेमरी बाज़्याफ्ट	नाली के साथ सी.सी. सड़क	नहीं	हाँ	पूर्ण	
74		सेमरी बाज़्याफ्ट	नाली के साथ सी.सी. सड़क	नहीं	हाँ	पूर्ण	
75		सेमरी बाज़्याफ्ट	नाली के साथ सी.सी. सड़क	नहीं	हाँ	पूर्ण	
76		सेमरी बाज़्याफ्ट	नाली के साथ सी.सी. सड़क	नहीं	हाँ	पूर्ण	
77	कान्हीवाड़ा (सिवनी)	कामता	स्मार्ट क्लास कामता पी.एस. एम.एस.	नहीं	हाँ	पूर्ण	
78		कामता	सी.सी. सड़क कामता (रिखी विश्वकर्मा)	नहीं	हाँ	पूर्ण	
79		कामता	सी.सी. सड़क कामता (परसादी के घर से बसंत)	नहीं	हाँ	पूर्ण	
80		जोरावली	जटलापुर का स्कूल उन्नयन	नहीं	हाँ	पूर्ण	
81		जोरावली	चारदीवारी का निर्माण पी.एस. स्कूल मिलोजपुर	नहीं	हाँ	पूर्ण	
82		कान्हीवाड़ा	चारदीवारी निर्माण कार्य (पुरानी पंचायत की सामने)	नहीं	हाँ	पूर्ण	
83		कान्हीवाड़ा	सी.सी. सड़क (कमल विश्वकर्मा के घर से अशोक के घर तक)	नहीं	हाँ	पूर्ण	

क्रम संख्या	क्लस्टर का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	कार्य का नाम	क्या कार्य निम्न गुणवत्ता वाला था	क्या संपत्ति उपयोग में हैं	पूर्ण/अपूर्ण/ अमानक	क्षति का प्रकार
84		कान्हीवाड़ा	सी.सी. सड़क (रमेश विश्वकर्मा के घर से हेमराज के घर तक)	नहीं	हाँ	पूर्ण	
85		कान्हीवाड़ा	सी.सी. सड़क तहशील टोला मुख्य मार्ग से शांतिधाम तक	नहीं	हाँ	पूर्ण	
86		कान्हीवाड़ा	उच्च माध्यमिक विद्यालय में चारदीवारी अतिरिक्त कार्य	नहीं	हाँ	पूर्ण	
87		कान्हीवाड़ा	जी.एच.एस. में चारदीवारी	नहीं	हाँ	पूर्ण	
88		कान्हीवाड़ा	माध्यमिक विद्यालय फुटालाट चारदीवारी द्वार निर्माण कार्य	नहीं	हाँ	पूर्ण	
89		कान्हीवाड़ा	चारदीवारी निर्माण कार्य पी.एस. बटोला	नहीं	हाँ	पूर्ण	
90		कान्हीवाड़ा	चारदीवारी निर्माण कार्य पी.एस. जगलटोला	नहीं	हाँ	पूर्ण	
91		भोमाटोला	पी.एस. स्कूल में बालिका शौचालय	हाँ	हाँ	क्षति/पूर्ण	मामूली क्षति (दीवार में दरारें)
92		भोमाटोला	चारदीवारी निर्माण कार्य एम.एस. स्कूल पिंडराई	नहीं	हाँ	पूर्ण	
93		भोमाटोला	स्मार्ट स्कूल एम.एस. स्कूल पिंडराई	नहीं	हाँ	पूर्ण	
94		भोमाटोला	चारदीवारी निर्माण कार्य एम.एस. स्कूल पिंडराई	नहीं	हाँ	पूर्ण	
95		भोमाटोला	सी.सी. सड़क मुख्य मार्ग से शांति धाम तक पिंडराई	हाँ	हाँ	क्षति/पूर्ण	मामूली क्षति (सड़क में दरारें)
96		भोमाटोला	सी.सी. सड़क निर्माण कार्य सड़क मुख्य मार्ग से पी.एस. स्कूल पिंडराई	नहीं	हाँ	पूर्ण	
97		भोमाटोला	चारदीवारी एवं द्वार निर्माण कार्य पी.एस. स्कूल पिंडराई	नहीं	हाँ	पूर्ण	
98		भोमाटोला	सी.सी. सड़क निर्माण कार्य घर से शिव मंदिर	हाँ	हाँ	क्षति/पूर्ण	मामूली क्षति (सड़क में दरारें)
99		भोमाटोला	सी.सी. सड़क निर्माण कार्य मुख्य मार्ग से शांति धाम तक	नहीं	हाँ	पूर्ण	
100		भोमाटोला	सी.सी. सड़क निर्माण कार्य चुरामन के घर से माता दीवाला तक	हाँ	हाँ	क्षति/पूर्ण	मामूली क्षति (सड़क में दरारें)
101		भोमाटोला	सी.सी. सड़क निर्माण कार्य चुखे लाल के घर से लेखराम के घर तक	नहीं	हाँ	पूर्ण	
102	छिमक (ग्वालियर)	छोटी अकबाई	सार्वजनिक वितरण की दुकान	हाँ	हाँ	क्षति/पूर्ण (09.12.2020)	मामूली क्षति (दीवार में दरारें)

क्रम संख्या	क्लस्टर का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	कार्य का नाम	क्या कार्य निम्न गुणवत्ता वाला था	क्या संपत्ति उपयोग में हैं	पूर्ण/अपूर्ण/ अमानक	क्षति का प्रकार
103		चोमो	नालियों के साथ सी.सी. सड़क	नहीं	हाँ	पूर्ण	
104		चोमो	नालियों के साथ सी.सी. सड़क	नहीं	हाँ	पूर्ण	
105		चोमो	नालियों के साथ सी.सी. सड़क	नहीं	हाँ	पूर्ण	
106		चोमो	सार्वजनिक वितरण की दुकान	नहीं	हाँ	पूर्ण	
107		चोमो	सामुदायिक हॉल	नहीं	हाँ	पूर्ण	
108		खडबाई	पशु चिकित्सा केंद्र	हाँ	हाँ	क्षति/पूर्ण (26.08.2020)	मामूली क्षति (दीवार में दरारें)
109		खडबाई	नालियों के साथ सी.सी. सड़क	नहीं	हाँ	पूर्ण	
110		खडबाई	नालियों के साथ सी.सी. सड़क	नहीं	हाँ	पूर्ण	
111		खडबाई	नालियों के साथ सी.सी. सड़क	नहीं	हाँ	पूर्ण	
112	डेलाखेड़ी (छिंदवाड़ा)	बंगई	चारदीवारी मुगासिया	नहीं	हाँ	पूर्ण	
113		बंगई	स्मार्ट क्लास निर्माण मुगासिया	नहीं	हाँ	पूर्ण	
114		दौरियाखेडा	चारदीवारी दौरियाखेड़ा	नहीं	हाँ	पूर्ण	
115		दौरियाखेडा	स्मार्ट क्लास निर्माण दौरियाखेड़ा	नहीं	हाँ	पूर्ण	
116		जामुन धोंगा	स्मार्ट क्लास निर्माण निशान	नहीं	हाँ	पूर्ण	
117		बम्हानी	चारदीवारी बम्हानी	नहीं	हाँ	पूर्ण	
118		बम्हानी	स्मार्ट क्लास निर्माण बम्हानी	नहीं	हाँ	पूर्ण	
119		बम्हानी	अतिरिक्त कक्षाएँ बम्हानी	नहीं	हाँ	पूर्ण	
120		बंगई	बिना दुकानों वाला सामुदायिक हॉल बंगई	नहीं	हाँ	पूर्ण	
121		जामुन धोंगा	दो दुकानों के साथ सामुदायिक हॉल जामुनधोंगा	नहीं	हाँ	अपूर्ण	
122		बम्हानी	दो दुकानों वाला सामुदायिक हॉल बम्हानी	नहीं	हाँ	पूर्ण	
123		दौरियाखेडा	आंगनवाड़ी कुआंखुट्टी	नहीं	हाँ	पूर्ण	
124		दौरियाखेडा	आंगनवाड़ी दुंडीसिखर	नहीं	हाँ	पूर्ण	

क्रम संख्या	क्लस्टर का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	कार्य का नाम	क्या कार्य निम्न गुणवत्ता वाला था	क्या संपत्ति उपयोग में हैं	पूर्ण/अपूर्ण/ अमानक	क्षति का प्रकार
125		दौरियाखेडा	आंगनवाड़ी मुगरिया	नहीं	हाँ	पूर्ण	
126		जामुन धोंगा	आंगनवाड़ी जामुनधोंगा	हाँ	हाँ	क्षति/पूर्ण	मामूली क्षति (दीवार में दरारें)
127		डेलाखेड़ी	आंगनवाड़ी कोहपानी	नहीं	हाँ	पूर्ण	
128		बंगई	पुलिया सहित सी.सी. सड़क बेडाधाना बंगई	नहीं	हाँ	पूर्ण	
129		बंगई	पुलिया सहित सी.सी. सड़क बंगई	नहीं	हाँ	पूर्ण	
130		दौरियाखेडा	पुलिया सहित सी.सी. सड़क कुआन खुट्टी	नहीं	हाँ	पूर्ण	
131		दौरियाखेडा	पुलिया सहित सी.सी. सड़क डुंडिशिखर	नहीं	हाँ	पूर्ण	
132		जामुन धोंगा	पुलिया सहित सी.सी. सड़क निशान 1	नहीं	हाँ	पूर्ण	
133		जामुन धोंगा	पुलिया सहित सी.सी. सड़क निशान 2	नहीं	हाँ	पूर्ण	
134		बम्हानी	पुलिया के साथ सी.सी. सड़क बम्हानी	नहीं	हाँ	पूर्ण	
135		बम्हानी	पुलिया के साथ सी.सी. सड़क बम्हानी 2	नहीं	हाँ	पूर्ण	
136		डेलाखेड़ी	पुलिया सहित सी.सी. सड़क खातुआधना डेलाखेड़ी	नहीं	हाँ	पूर्ण	
137		डेलाखेड़ी	पुलिया के साथ सी.सी. सड़क डेलाखेड़ी	नहीं	हाँ	पूर्ण	
138		दौरियाखेडा	नागरिक सेवा केंद्र दौरियाखेड़ा	नहीं	हाँ	पूर्ण	
139		बम्हानी	नागरिक सेवा केंद्र बम्हानी	नहीं	हाँ	पूर्ण	
140		डेलाखेड़ी	कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र डेलाखेड़ी	नहीं	हाँ	पूर्ण	

परिशिष्ट-2.3.8

चयनित क्लस्टरों में ₹ 5.00 लाख से अधिक लागत वाले कार्यों का विवरण

[संदर्भ: कंडिका संख्या 2.3.5.4, पृष्ठ संख्या 99]

रातीबड़, भोपाल

(₹ लाख में)

क्रम संख्या	ग्राम पंचायत का नाम	चारदीवारी		शौचालय				सामुदायिक हॉल		सी.सी. सड़क		आंगनवाड़ी		प्रतीक्षा शेड		चेक डैम		कुल	
				लड़कियों		लड़के													
		निर्माण कार्य की संख्या	व्यय	निर्माण कार्य की संख्या	व्यय	निर्माण कार्य की संख्या	व्यय	निर्माण कार्य की संख्या	व्यय	निर्माण कार्य की संख्या	व्यय	निर्माण कार्य की संख्या	व्यय	निर्माण कार्य की संख्या	व्यय	निर्माण कार्य की संख्या	व्यय	निर्माण कार्य की संख्या	व्यय
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**
1	रातीबड़	2	16.18	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	2	16.18
2	सिकंदराबाद	2	12.32	0	0	0	0	0	0	0	0	3	23.41	0	0.00	0	0	5	35.73
3	भानपुर केकडिया	2	15.51	0	0	0	0	1	12.23	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	3	27.74
4	सरवर	2	16.15	0	0	0	0	1	17.48	2	15.30	0	0	0	0.00	0	0	5	48.93
5	सेमरी बाज़्याफ़त	2	19.41	0	0	0	0	0	0.00	2	15.18	0	0	0	0	0	0	4	34.59
6	मेंडोरी	0	0	0	0	0	0	1	13.62	0	0	0	0	0	0.00	0	0	1	13.62
7	बडझिरी	2	20.88	0	0	0	0	1	18.98	5	38.41	0	0	0	0	0	0	8	78.27
	कुल	**12**	**100.45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4**	**62.31**	**9**	**68.89**	**3**	**23.41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**28**	**255.06**

छिमक, ग्वालियर

(₹ लाख में)

क्रम संख्या	ग्राम पंचायत का नाम	चारदीवारी		शौचालय		पशु चिकित्सा अस्पताल		सामुदायिक हॉल		सी.सी. सड़क		पी.डी.ए./राशन की दुकान		खेल का मैदान		चेक डैम		कुल	
		निर्माण कार्य की संख्या	व्यय	निर्माण कार्य की संख्या	व्यय	निर्माण कार्य की संख्या	व्यय	निर्माण कार्य की संख्या	व्यय	निर्माण कार्य की संख्या	व्यय	निर्माण कार्य की संख्या	व्यय	निर्माण कार्य की संख्या	व्यय	निर्माण कार्य की संख्या	व्यय	निर्माण कार्य की संख्या	व्यय
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**
1	छिमक	1	9.54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	9.54
2	छोटी अकबाई	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	10.00	0	0	0	0	1	10.00
3	चोमो	0	0	0	0	0	0	1	17.99	2	16.40	1	10.00	0	0	0	0	4	44.39
4	खडबाई	0	0	0	0	1	14.70	2	32.98	3	28.38	0	0	0	0	0	0	6	76.06
5	मिल्धन	0	0	0	0	0	0	1	18.00	0	0	0	0	0	0	0	0	1	18
6	रजियावर	0	0	0	0	0	0	1	18.00	2	15.26	1	9.95	0	0	0	0	4	43.21
7	सिरसा	0	0	0	0	0	0	1	18.00	3	28.15	1	10.00	0	0	0	0	5	56.15
	कुल	**1**	**9.54**	**0**	**0**	**1**	**14.70**	**6**	**104.97**	**10**	**88.19**	**4**	**39.95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22**	**257.35**

गुनावद, धार

(₹ लाख में)

क्रम संख्या	ग्राम पंचायत का नाम	चारदीवारी		शौचालय		आंगनवाड़ी		सामुदायिक हॉल		सी.सी. सड़क		पी.डी.ए../राशन की दुकान		खेल का मैदान		चेक डैम		कुल	
		निर्माण कार्य की संख्या	व्यय	निर्माण कार्य की संख्या	व्यय	निर्माण कार्य की संख्या	व्यय	निर्माण कार्य की संख्या	व्यय	निर्माण कार्य की संख्या	व्यय	निर्माण कार्य की संख्या	व्यय	निर्माण कार्य की संख्या	व्यय	निर्माण कार्य की संख्या	व्यय	निर्माण कार्य की संख्या	व्यय
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**
1	बनेडिया	0	0	0	0	0	0	1	10.00	0	0	0	0	0	0	0	0	1	10.00
2	बायखेड़ा	2	11.42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	11.42
3	जमांडा	2	11.41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	11.41
4	कलमखेड़ी	2	11.82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	11.82
5	लेबाद	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	सिरसोडा	0	0	0	0	1	5.87	1	10.00	0	0	0	0	0	0	0	0	2	15.87
7	उटावाड	0	0	0	0	1	5.91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5.91
	कुल	**6**	**34.65**	**0**	**0**	**2**	**11.78**	**2**	**20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10**	**66.43**

डेलाखेड़ी, छिंदवाड़ा

(₹ लाख में)

क्रम संख्या	ग्राम पंचायत का नाम	चारदीवारी		सामुदायिक हॉल		नालियों के साथ सी.सी. सड़क		स्मार्ट क्लास		आंगनवाड़ी		नागरिक सेवा		अतिरिक्त कक्षाएँ		कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र		कुल	
		निर्माण कार्य की संख्या	व्यय	निर्माण कार्य की संख्या	व्यय	निर्माण कार्य की संख्या	व्यय	निर्माण कार्य की संख्या	व्यय	निर्माण कार्य की संख्या	व्यय	निर्माण कार्य की संख्या	व्यय	निर्माण कार्य की संख्या	व्यय	निर्माण कार्य की संख्या	व्यय	निर्माण कार्य की संख्या	व्यय
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**
1	बहमनी	1	14.19	1	12.2	2	20	1	6.06	0	0	0	0	1	6.06	0	0	6	58.51
2	बंगई	1	6.56	1	8.26	3	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	40.82
3	डेलाखेड़ी	0	0	0	0	1	10	0	0	1	7.8	0	0	0	0	0	0	2	17.8
4	दौरीखेड़ा	1	6.51	0	0	2	12	1	6.06	3	23.4	0	0	0	0	0	0	7	47.97
5	जामुनडोंगा	0	0	1	8.54	2	12	0	0	1	5.46	0	0	0	0	0	0	4	26
	कुल	**3**	**27.26**	**3**	**29**	**10**	**80**	**2**	**12.12**	**5**	**36.66**	**0**	**0**	**1**	**6.06**	**0**	**0**	**24**	**191.1**

शब्दावली

संक्षिप्तों की शब्दावली

स.क्र.	संक्षिप्ताक्षर	पूर्ण रूप
राज्य में मानसिक स्वास्थ्य देखभाल संस्थानों की कार्यप्रणाली पर लेखापरीक्षा		
1.	ए.डब्लू.पी.	वार्षिक कार्य योजना
2.	सी.सी.टी.वी.	क्लोज्ड-सर्किट टेलीविजन
3.	सी.एच.सी.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र
4.	सी.एम.एच.ए.	केंद्रीय मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण
5.	सी.एम.एच.ओ.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
6.	सी.ओ.ई.	सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
7.	सी.एस.	सिविल सर्जन
8.	डी.एच.	जिला अस्पताल
9.	डी.एच.एस.	जिला स्वास्थ्य समिति
10.	डी.एम.ई.	संचालनालय चिकित्सा शिक्षा
11.	डी.एम.एच.पी.	जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम
12.	जी.एम.सी.	शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय
13.	जी.एम.एच.	शासकीय मानसिक चिकित्सालय
14.	जी.ओ.आई.	भारत सरकार
15.	जी.ओ.एम.पी.	मध्य प्रदेश शासन
16.	एच.बी.आर.सी.	गृह-आधारित पुनर्वास केन्द्र
17.	आई.ई.सी.	सूचना, शिक्षा एवं संचार
18.	आई.पी.डी.	आंतरिक रोगी विभाग
19.	जे.पी.वि.	संयुक्त भौतिक सत्यापन
20.	एल.ए.एम.ए.	चिकित्सकीय सलाह के विरुद्ध प्रस्थान
21.	एम.सी.आई.	भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद
22.	एम.एच.	मानसिक स्वास्थ्य
23.	एम.एच.ई.	मानसिक स्वास्थ्य संस्थान
24.	एम.एच.पी.	मानसिक स्वास्थ्य प्रोफेशनल्स
25.	एम.एच.आर.बी.	मानसिक स्वास्थ्य समीक्षा बोर्ड
26.	एम.पी.एल.यू.एन.	मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम
27.	एम.एस.आर.	न्यूनतम मानक आवश्यकताएँ
28.	एन.एच.एम.	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
29.	एन. एच.आर.सी.	राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग
30.	एन.एल.ई.एम.	राष्ट्रीय आवश्यक औषधि सूची
31.	एन. एम. सी.	राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग
32.	एन.एम.एच.पी.	राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम
33.	एन.एम.एच.एस.	राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण
34.	एन.आर.सी.बी.	राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो
35.	ओ.पी.डी.	बाह्य रोगी विभाग
36.	पी.जी.	स्नातकोत्तर
37.	पी.एच. एंड एम.ई.	लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा

38.	पी.आई.पी.	परियोजना क्रियान्वयन योजना
39.	पी.एस.	प्रमुख सचिव
40.	एस.जे.एंड ई.पी.डी.	सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण
41.	एस.एम.एच.ए.	राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण
जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की कार्यप्रणाली पर लेखापरीक्षा		
42.	ए.सी.एस..	अपर मुख्य सचिव
43.	बी.सी.आई.	भारतीय विधिज्ञ परिषद्
44.	सी.ओ.ई.	उत्कृष्ट केन्द्र
45.	सी.यू.ई.टी.	कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम
46.	डी.सी.डी.सी.	निदेशक, महाविद्यालय विकास परिषद
47.	डी.सी.पी.एस.	परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना
48.	एफ.डी.आर.	सावधि जमा प्राप्तियां
49.	एफ.ओ.	वित्त अधिकारी
50.	जी.ओ.आई.	भारत सरकार
51.	जी.ओ.एम.पी.	मध्य प्रदेश शासन
52.	एच.ई.डी.	उच्च शिक्षा विभाग
53.	एल.एल.बी.	विधि स्नातक
54.	एन.ए.ए.सी.	राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद
55.	एन.ई.पी.	राष्ट्रीय शिक्षा नीति
56.	एन.ओ.सी.	अनापत्ति प्रमाण पत्र
57.	एन.एस.डी.एल.	नेशनल सिक्योरिटीज डिपाजिटरी लिमिटेड
58.	एन.एस.एस.	राष्ट्रीय सेवा योजना
59.	ओ.एम.आर.	ऑप्टिकल मार्क पहचान
60.	पी.जी.	स्नातकोत्तर
61.	पी.एच.डी.	डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी
62.	पी.एफ.आर.डी.ए.	पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण
63.	आर.डी.सी.	शोध उपाधि समिति
64.	आर.यू.एस.ए.	राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान
65.	एस.एफ.सी.	स्व-वित्तपोषित पाठ्यक्रम
66.	एस.ओ.एस.	अध्ययन केंद्र
67.	एस.आर.एस.डब्लू.ओ.आर.	बिना पुनर्स्थापन के सरल यादृच्छिक नमूना चयन
68.	यू.सी.	उपयोगिता प्रमाण पत्र
69.	यू.एफ.सी.	विश्वविद्यालय वित्तीय संहिता
70.	यू.जी.	स्नातक
71.	यू.जी.सी.	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
72.	यू.टी.डी.	विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग
73.	वी.सी.	कुलपति
श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन की लेखापरीक्षा		
74.	सी.डी.एम.यू.	क्लस्टर विकास एवं प्रबंधन इकाई
75.	सी.जी.एफ.	क्रिटिकल गैप फंड
76.	सी.एल.एफ.	क्लस्टर लेवल फेडरेशन
77.	डी.एल.सी.	जिला स्तरीय समिति

78.	डी.पी.एम.यू.	जिला परियोजना प्रबंधन इकाई
79.	डी.पी.आर.	विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन
80.	ई.डी.आई.आई.	भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान
81.	जी.एफ.आर.	सामान्य वित्तीय नियम
82.	जी.पी.	ग्राम पंचायत
83.	आई.सी.ए.पी.	समेकित क्लस्टर कार्य योजना
84.	जे.पी.वी.	संयुक्त भौतिक सत्यापन
85.	एल.पी.सी.डी.	लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन
86.	एम.ओ.डी.डब्ल्यू.एस.	पेयजल तथा स्वच्छता मंत्रालय
87.	एम.ओ.आर.डी.	ग्रामीण विकास मंत्रालय
88.	एम.पी.ई.जी.एस.	मध्य प्रदेश रोजगार गारंटी योजना
89.	एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी.	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम
90.	पी.एफ.एम.एस.	सार्वजानिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली
91.	पी.एम.यू.	परियोजना प्रबंधन इकाइयाँ
92.	पी.आर.डी.डी.	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
93.	पी.आर.आई.	पंचायती राज संस्था
94.	आर.ई.एस.	ग्रामीण यांत्रिकी सेवा
95.	एस.एच.जी.	स्वयं सहायता समूह
96.	एस.एल.ई.सी.	राज्य स्तरीय सशक्त समिति
97.	एस.एल.डब्ल्यू.एम.	ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन
98.	एस.एन.ए.	राज्य नोडल एजेंसी
99.	एस.पी.ए.	स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर
100.	एस.पी.एम.यू.	राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई
101.	एस.आर.एल.एम.	राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन
102.	एस.टी.एस.ए.	राज्य तकनीकी सहायता एजेंसी
103.	यू.सी	उपयोगिता प्रमाण-पत्र
104.	वी.ओ.	ग्राम संगठन

© भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in

https://cag.gov.in/ag1/madhya-pradesh/hi